रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01102021-230103
CG-DL-E-01102021-230103

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 424] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 29, 2021/आश्विन 7, 1943
No. 424] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 29, 2021/ASVINA 7, 1943

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान

(संसद के अधिनियम द्वारा गठित)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2021

सं. 1-सीए(5)/72/2021.—चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 18 की उपधारा (5ख) के अनुसरण में, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) की परिषद् के 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए संपरीक्षित लेखाओं और रिपोर्ट की एक प्रति जनसाधारण की जानकारी के लिए एतद्वारा प्रकाशित की जाती है।

72वीं वार्षिक रिपोर्ट

आईसीएआई की परिषद् को 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए अपनी 72वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। 1 जुलाई, 1949 को संसद के एक अधिनियम द्वारा संस्थान के प्रारंभ से चार्टर्ड अकाउंटेंसी वृत्ति का अत्यधिक विकास हुआ है। संस्थान, जिसे केवल 1700 सदस्यों के साथ स्थापित किया गया था, 31 मार्च, 2021 को उसके सदस्यों की संख्या बढ़कर 3,27,081 हो गई है। यह रिपोर्ट, परिषद् और इसकी विभिन्न समितियों की वर्ष 2020-2021 के दौरान की महत्वपूर्ण गतिविधियों और साथ ही संस्थान के 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लेखाओं की प्रमुख विशिष्टियों को उपदर्शित करती है। परिषद् इस अवसर पर इस रिपोर्ट में, इस अवधि के और जुलाई, 2021 के शुरूआती दिनों तक की अवधि के दौरान, सदस्यों और छात्रों के संबंध में की गई प्रमुख पहलों, महत्वपूर्ण घटनाओं, सांख्यिकीय रूपरेखाओं, आयोजित की गई संगोष्ठियों, सम्मेलनों, कार्यशालाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों के ब्यौरों को भी समाविष्ट करती है। परिषद्, चार्टर्ड अकाउंटेंसी की वृत्ति के समाज में विद्यमान वर्तमान सम्मान के

लिए सदस्यों और छात्रों की सराहना करती है । इस उद्देश्य की पूर्ति सदस्यों और छात्रों द्वारा एक साथ मिलकर उपदर्शित की गई उत्कृष्टता, स्वतंत्रता और ईमानदारी के द्वारा हुई है ।

1. परिषद्

चौबीसवीं परिषद् का गठन 12 फरवरी, 2019 को तीन वर्ष की अवधि के लिए किया गया था । वर्तमान में, परिषद् 32 निर्वाचित सदस्यों और केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए गए 8 सदस्यों से मिलकर बनी है । 24वीं परिषद् की संरचना पृथक रूप से दर्शित की गई है ।

2. परिषद् की समितियां

परिषद् ने चार्टर्ड अकाउन्टेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 17 के निबंधनानुसार 12 फरवरी, 2021 को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की वृत्ति से संबंधित विषयों के बारे में स्थायी और विभिन्न गैर-स्थायी समितियों/बोर्डों और समूहों का गठन किया था । 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान, परिषद् की विभिन्न स्थायी और अस्थायी समितियों और बोर्डों और समूहों की 254 बैठकें आयोजित की गई थीं ।

3. संपरीक्षक

मैसर्स रवि राजन एंड कं. एलएलपी और मैसर्स शाह गुप्ता एंड कं. वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए आईसीएआई के संयुक्त संपरीक्षक थे ।

4. स्थायी समिति

4.1 कार्यपालक समिति

कार्यपालक समिति आईसीएआई की परिषद् की स्थायी समितियों में से एक है । इस समिति के कृत्यों को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 175 के अधीन विहित किया गया है । समिति के कुछ कृत्य, आर्टिकल्ड और संपरीक्षा सहायकों तथा सदस्यों के नामों का रजिस्टर में नामांकन करने, हटाए जाने, नामों की पुन: प्रविष्टि करने, व्यवसाय प्रमाणपत्र को रद्द करने, लेखांकन वृत्ति से भिन्न किसी अन्य कारबार या व्यवसाय में नियोजित होने के लिए अनुमति प्रदान करने से संबंधित है । कार्यपालक समिति संस्थान की संपत्तियों, आस्तियों और निधियों की अभिरक्षक भी है और साथ ही आईसीएआई के कार्यालय के अनुरक्षण के लिए भी उत्तरदायी है ।

4.2 वित्त समिति

वित्त समिति, जिसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (संशोधन) अधिनियम, 2006 के माध्यम से आरंभ किया गया था, अन्य बातों के साथ, सत्य और सही लेखाओं को रखे जाने, वार्षिक बजट तैयार करने, निधियों के निवेश, निधियों से राजस्व और पूंजी, दोनों प्रकार के व्ययों के लिए आहरण करने से संबंधित और अनुषंगी गतिविधियों का नियंत्रण, कार्यान्वयन और पर्यवेक्षण करती है ।

4.3 परीक्षा समिति

परीक्षा समिति, परीक्षाओं से संबंधित परिषद् के सभी कृत्यों का निर्वहन करती है । चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फाउंडेशन, मध्यवर्ती, मध्यवर्ती (आईपीसी) और फाइनल (पुराना और नया) परीक्षाओं का संचालन मई, 2020 में कराया जाना तय था, किंतु कोविड 19 महामारी के कारण उन्हें रद्द करना पड़ा और तत्पश्चात् उन्हें नवंबर, 2020 की परीक्षाओं के साथ सम्मिलित किया गया ।

(I) परीक्षा

नवंबर, 2020 की परीक्षाएं – चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फाउंडेशन, मध्यवर्ती, मध्यवर्ती (आईपीसी) और फाइनल (पुराना और नया) परीक्षाओं का संचालन पूरे देश में और विदेशों में स्थित 1084 केंद्रों में 21 नवंबर, 2020 से 14 दिसंबर, 2020 के दौरान सामाजिक दूरी संनियमों का पालन करते हुए तथा अन्य आज्ञापक कोविड संबंधी दिशानिर्देशों का अनुसरण करते हुए सुचारू रूप से किया गया था । उक्त फाउंडेशन, मध्यवर्ती, मध्यवर्ती (आईपीसी) और फाइनल (पुराना और नया) परीक्षाएं देने वाले और उन्हें उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या निम्नानुसार थी :-

	केवल समूह 1 की परीक्षा देने वाले और उत्तीर्ण करने वाले		केवल समूह 2 की परीक्षा देने वाले और उत्तीर्ण करने वाले		दोनों समूहों/किसी एक समूह की परीक्षा देने वाले और उत्तीर्ण करने वाले	
	परीक्षाएं देने वाले	उत्तीर्ण होने वाले	परीक्षाएं देने वाले	उत्तीर्ण होने वाले	परीक्षाएं देने वाले	उत्तीर्ण होने वाले
मध्यवर्ती (आईपीसी)	9608	1129	21119	3192	4094	74
मध्यवर्ती	64243	16473	43134	9425	28644	4895
फाइनल (पुराना)	12026	2145	17132	5442	4143	242
फाइनल (नया)	32542	4179	27907	8643	19284	2790

जनवरी, 2021 की परीक्षाएं – चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फाउंडेशन, मध्यवर्ती, मध्यवर्ती (आईपीसी) और फाइनल (पुराना और नया) परीक्षाओं का संचालन पूरे देश में और विदेशों में स्थित 582 केंद्रों में 21 जनवरी, 2021 से 7 फरवरी, 2021 के दौरान सामाजिक दूरी संनियमों का पालन करते हुए तथा अन्य आज्ञापक कोविड संबंधी दिशानिर्देशों का अनुसरण करते हुए सुचारू रूप से किया गया था। उक्त फाउंडेशन, मध्यवर्ती, मध्यवर्ती (आईपीसी) और फाइनल (पुराना और नया) परीक्षाएं देने वाले और उन्हें उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या निम्नानुसार थी :-

	केवल समूह 1 की परीक्षा देने वाले और उत्तीर्ण करने वाले		केवल समूह 2 की परीक्षा देने वाले और उत्तीर्ण करने वाले		दोनों समूहों/किसी एक समूह की परीक्षा देने वाले और उत्तीर्ण करने वाले	
	परीक्षाएं देने वाले	उत्तीर्ण होने वाले	परीक्षाएं देने वाले	उत्तीर्ण होने वाले	परीक्षाएं देने वाले	उत्तीर्ण होने वाले
मध्यवर्ती (आईपीसी)	8215	420	19807	1575	3749	14
मध्यवर्ती	26496	3430	27611	5154	12046	1184
फाइनल (पुराना)	8686	416	13215	1614	3116	44
फाइनल (नया)	18297	1198	18896	3409	9868	592

	परीक्षाएं देने वाले	उत्तीर्ण होने वाले
फाउंडेशन परीक्षा मई, 2020	**कोविड 19 महामारी के कारण रद्द और नवंबर, 2020 के साथ सम्मिलित की गई**	
फाउंडेशन परीक्षा नवंबर, 2020	78014	27327
फाउंडेशन परीक्षा जनवरी, 2021	27808	6922

बीमा और जोखिम प्रबंध तकनीकी परीक्षा का सफलतापूर्वक आयोजन नवंबर, 2020 के दौरान देश भर में कराया गया था। इस परीक्षा को देने वाले और उसे उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या निम्नानुसार थी :-

	परीक्षा देने वाले	उत्तीर्ण होने वाले
आईआरएम - तकनीकी परीक्षा, नंवबर, 2020	47	05

सदस्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कराधान – निर्धारण परीक्षा (आईएनटीटी-एटी) का सफलतापूर्वक आयोजन नवंबर, 2020 के दौरान किया गया था। इस परीक्षा को देने वाले और उसे उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या निम्नानुसार थी :

	परीक्षा देने वाले	उत्तीर्ण होने वाले
नवंबर, 2020 में आयोजित आईएनटीटी – एटी	130	26

वर्ष के दौरान, सूचना प्रौद्योगिकी और साफ्ट कौशलों संबंधी अग्रिम एकीकृत पाठ्यक्रम (एआईसीआईटीएसएस) परीक्षाओं का भी नीचे दिए गए ब्यौरों के अनुसार आयोजन किया गया था :

परीक्षा की तारीख	नगरों की संख्या	परीक्षा केंद्रों की संख्या	परीक्षा देने वाले छात्रों की संख्या	परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों की संख्या
05.01.2020	102	125	10310	10241
16.02.2020	101	121	9182	9150
21.06.2020	एचबीटी	एचबीटी	1644	1565
02.08.2020	एचबीटी	एचबीटी	906	828
16-21.08.2020	एचबीटी	एचबीटी	8945	8725
21-26.09.2020	एचबीटी	एचबीटी	5139	4806
16-18.10.2020	एचबीटी	एचबीटी	4106	3948
22.10.2020	64	64	459	456
10.11.2020	95	100	2696	2663
12.01.2021	80	95	6114	6065
27.03.2021	103	143	13009	12879

संस्थान अपनी परीक्षा संबंधी प्रक्रियाओं में, प्रश्नपत्र निर्धारित करने के प्रक्रम से आरंभ करते हुए परिणामों की घोषणा तक की प्रक्रियाओं में निरंतर रूप से सुधार करता रहा है, जिससे परीक्षा प्रणाली की सत्यनिष्ठा और संतता, जो कि पिछले सात दशकों से सुविख्यात है, अक्षुण्ण बनी रहे तथा उसे और अधिक मजबूत तथा विकसित किया जा सके।

संस्थान की परीक्षाएं सीए पाठ्यचर्या के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक विषय के संबंध में अवधारणात्मक समझ और साथ ही व्यवहारिक प्रयोग की जांच करती हैं, जिससे छात्र वृत्ति के विभिन्न पणधारियों की आशाओं पर खरे उतर सकें। प्रश्नों की पूर्व अनुमानता की संभावनाओं को यथासंभव रूप से दूर रखते हुए छात्रों की विश्लेषणात्मक क्षमताओं पर ध्यान केन्द्रित करते हुए संस्थान की परीक्षाएं लगातार यह सुनिश्चित करती रहीं हैं कि अर्हित छात्र सुयोग्य वृत्तिक बन सकें।

(II) छात्र परीक्षा जीवन चक्र प्रबंध संबंधी वेब इंटरफेस :--

आईसीएआई ने एक छात्र परीक्षा जीवन चक्र प्रबंध परियोजना नामक एकीकृत वेब इंटरफेस प्रारंभ किया था, जिस पर सीए के छात्र एकल उपयोक्ता पहचान और पासवर्ड का उपयोग करते हुए विभिन्न परीक्षा संबंधी सेवाओं तक पहुंच बना सकते हैं, जिसके अंतर्गत द्वितीय अंक सूचियां/ उत्तीर्ण प्रमाणपत्र/प्रतिलिपियों, केंद्र/ माध्यम/समूह में परिवर्तन के लिए आवेदन, परीक्षा-दर-परीक्षा प्रवेश-पत्रों को डाउनलोड करना, परिणामों की जांच करना और परिणाम के पश्चात् उत्तर-पुस्तिकाओं के सत्यापन/उनकी प्रमाणित प्रतियों को प्राप्त करने के लिए आवेदन करना आदि भी हैं।

(III) डिजीटल अंकन प्रणाली/डिजीटल मूल्यांकन :--

नवंबर, 2020 की परीक्षाओं और जनवरी, 2021 की परीक्षाओं के लिए फाइनल, मध्यवर्ती और फाउंडेशन पाठ्यक्रमों के सभी 42 प्रश्नपत्रों को सम्मिलित करते हुए उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की प्रक्रिया में 100 प्रतिशत डिजीटीलाइजेशन प्राप्त किया गया था । इस संपूर्ण डिजीटीलाइजेशन के परिणामस्वरूप त्वरित मूल्यांकन, त्रुटि मुक्त परिणाम और साथ ही परीक्षकों के लिए और अधिक सुगमता और आसानी के उद्देश्यों की पूर्ति हुई है ।

(IV) डिजीटल कार्यशाला :--

नवंबर, 2020 की परीक्षाओं और जनवरी, 2021 की परीक्षाओं से भौतिक कार्यशालाओं को समाप्त कर दिया गया है और उनके स्थान पर डिजीटल कार्यशालाओं को आरंभ किया गया है तथा इस नई पहल के अधीन नवंबर, 2020 और जनवरी, 2021 की परीक्षाओं में लगभग 8000 परीक्षकों ने डिजीटल कार्यशालाओं में भाग लिया था । इसके परिणामस्वरूप, लागत में काफी भारी बचत हुई और साथ ही परीक्षकों को भी इस प्रक्रिया में सुगमता और आसानी हुई जिन्हें अन्यथा भौतिक कार्यशाला में भाग लेने हेतु लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ती थी ।

(V) विद्यमान और नए परीक्षकों के लिए पात्रता परीक्षा :--

विद्यमान परीक्षकों के लिए पहली बार पात्रता परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसके द्वारा केवल ऐसे विद्यमान संपरीक्षकों को परीक्षा संबंधी समनुदेशन आबंटित किए जाएंगे, जो आज्ञापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करेंगे । इसी प्रकार, ऐसे आवेदकों को भी उक्त आज्ञापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी, जो परीक्षक के रूप में पैनल में सम्मिलित होने की वांछा करते हैं । वर्ष 2020-21 के दौरान बहुत बडी संख्या में परीक्षकों को पैनलबद्ध करने तथा परीक्षकों के डाटाबेस में वृद्धि करने हेतु एक बृहत्त अभियान चलाया गया था । इस अभियान के परिणामस्वरूप वर्ष 2020-21 के दौरान 3300 नए परीक्षकों और 3000 विद्यमान परीक्षकों ने आज्ञापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की और उनके नामों को परीक्षक डाटाबेस में जोड़ा गया था ।

(VI) परीक्षकों के लिए वेबकास्ट :--

परीक्षकों के लिए वेबकास्ट के माध्यम से उत्तर-पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की गुणवता में वृद्धि करने और उनमें संगतता लाने के लिए नवंबर, 2020 तथा जनवरी, 2021 की परीक्षाओं के लिए कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक संचालन किया गया था । यह आशा की जाती है कि यह पहल मूल्यांकन की गुणवत्ता में वृद्धि करने के लिए अत्यंत कारगर सिद्ध होगी ।

(VII) परीक्षा कृत्यकारियों के लिए वेबकास्ट/परीक्षा केंद्रों और संपरीक्षकों के लिए वेबकास्ट :--

नवंबर, 2020 की परीक्षाओं के लिए संपरीक्षकों, परीक्षा केंद्रों, बैंक आफ बडौदा के लिए दिशा-निर्देशों संबंधी वेबकास्ट का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया था । देश भर में तथा विदेशों में सीए परीक्षाओं के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए आईसीएआई ने नवंबर, 2020 की परीक्षाओं के दौरान सभी परीक्षा केंद्रों हेतु एक वेबकास्ट का सफलतापूर्वक संचालन किया ।

(VIII) नए परीक्षा केन्द्र : छात्रों द्वारा उनके आवास/आर्टिकल्ड प्रशिक्षण के स्थान से निकटतम संभव स्थानों पर परीक्षाएं देने को सुकर बनाने के विचार से नवंबर, 2020 की परीक्षाओं से चार्टर्ड एकाउंटेंट्स फाउंडेशन, मध्यवर्ती, मध्यवर्ती (आईपीसी) और फाइनल (पुराना और नया) परीक्षाओं के लिए भारत और विदेशों में स्थित निम्नलिखित 192 नगरों में नए परीक्षा केंद्र खोले गए थे और उन्हें जनवरी/फरवरी, 2021 की परीक्षाओं के लिए भी जारी रखा गया था :

राज्य का नाम	परीक्षा केंद्र के नगर का नाम
आंध्र प्रदेश	श्रीकाकुलम और विजयनगरम
असम	सिलचर, गोलाघाट, जोरहाट, नगांव, सिबसागर और तेजपुर
बिहार	औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, आरा, मोतिहारी, गया, गोपालगंज, जमुई, जेहानाबाद, कटिहार, लखीसराय, मधेपुरा, मधुबनी, मुंगेर, बिहार शरीफ, नवादा, पूर्णिया, सासाराम, समस्तीपुर, छपरा, सीतामढ़ी, सीवान, सुपौल, हाजीपुर और बेतिया
छत्तीसगढ़	जंजगिर, कोरबा और राजनंदगांव
दादरा और नगर हवेली	सिल्वासा

गुजरात	अमरेली, पालनपुर, नडियाड, मेहसाणा, गोधरा, पोरबंदर और हिमतनगर
हरियाणा	नारनौल
हिमाचल प्रदेश	हमीरपुर, सोलन, कांगड़ा, मंडी और ऊना
झारखंड	बोकारो स्टील सिटी, देवघर, दुमका, गिरिडिह, हजारीबाग और रामगढ़
कर्नाटक	बागलकोट, बीदर, विजयपुरा, चामराजा नगर, चिकमगलूर, चिक्कबल्लापुर, चित्रदुर्ग, गडग, हसन, हावेरी, मडीकरि, कोलार, कोप्पल, मांड्या, रायचूर, तुमकुरु और सिरसी
केरल	इडुक्की, कसरागोड, अदूर और कलपेट्टा
मध्य प्रदेश	बालाघाट, बैतूल, छतरपुर, देवास, धार, खंडवा, गुना, इटारसी, होशंगाबाद, कटनी, नरसिंहपुर, सागर, सीहोर, शहडोल, शाजापुर, शिवपुरी, सिंगरौली, विदिशा और खरगौन
महाराष्ट्र	भंडारा, बुलढाणा, हिंगोली, नंदुरबार, उस्मानाबाद, सिंधुदुर्ग, वर्धा और वाशिम
मेघालय	शिलांग
मणिपुर	इंफाल
नगालैंड	कोहिमा / दीमापुर
उड़ीसा	अंगुल, बलांगिर, बालासोर, बरगढ़, भद्रक, जगतसिंहपुर, जाजपुर, केंद्रपाड़ा, क्योंझार, जेपोर, पुरी और रायगढ़
पंजाब	मंडी गोबिंदगढ़, फिरोजपुर, पठानकोट, होशियारपुर, फगवाड़ा, मानसा और श्री मुक्तसर साहिब
राजस्थान	बूंदी, दौसा, डूंगरपुर, हनुमानगढ़ टाउन, जालोर, झालावाड़, नागौर, राजसमंद और टोंक
सिक्किम	गंगटोक
तमिलनाडु	कुड्डालोर, धर्मपुरी, डिंडीगुल, नागरकोइल, करूर, होसुर, नागापट्टिनम, नमक्कल, ऊटी, पुदुक्कोट्टई, कराईकुडी, थेनी, तिरुवल्लूर, तिरुवन्नामलाई और विल्लुपुरम
तेलंगाना	आदिलाबाद, संगारेड्डी, शमशाबाद, खम्मम, महबूबनगर, मेडक और नालगोंडा
त्रिपुरा	अगरतला
उत्तर प्रदेश	फैजाबाद, आजमगढ़, बागपत, बहराइच, बलिया, बस्ती, बिजनौर, बदायूं, देवरिया, एटा, इटावा, गाजीपुर, गोंडा, हाथरस, जौनपुर, अमरोहा, लखीमपुर खीरी, कुशीनगर, मिर्जापुर, पिलिभीत, प्रतापगढ़, रायबरेली, रामपुर, भदोही, शाहजहांपुर, सोनभद्र और सुल्तानपुर
उत्तराखंड	अल्मोड़ा, कोटद्वार और काशीपुर
पश्चिम बंगाल	हल्दिया, हुगली, पुरुलिया और खड़गपुर
विदेश में	कम्पाला (युगांडा)

इसके अतिरिक्त, अंबिकापुर, बलौत्रा, कालाबुर्गी (गुलबर्गा), राजगढ़ (छत्तीसगढ़) और पोर्ट ब्लेयर स्थित परीक्षा केंद्रों को, जो केवल फाउंडेशन परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्र थे, सभी छात्रों और सदस्यों के लिए नवंबर, 2020 मास में होने वाली परीक्षाओं हेतु खोला गया था।

4.4 अनुशासन निदेशालय

अनुशासन निदेशालय को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (वृत्तिक और अन्य कदाचार के मामलों के अन्वेषण और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के अधीन उपबंधित किए गए अनुसार "प्ररूप 1 में एक औपचारिक शिकायत" या किसी "सूचना" के माध्यम से प्राप्त उसके सदस्यों के विरुद्ध वृत्तिक और/या अन्य कदाचार के आरोपों के मामलों के संबंध में अन्वेषण करने हेतु आईसीएआई के एक विनियामक खंड के रूप में स्थापित किया गया है और वह आईसीएआई का एक विनियामक खंड है।

अनुशासन तंत्र के अधीन आईसीएआई के अनुशासन निदेशालय को यह आज्ञापक कर्तव्य सौंपा गया है कि वह देश भर में स्थित उसके सदस्यों द्वारा की गई किन्हीं अभिकथित त्रुटियों/अनियमितताओं की जांच करे, जिससे वृत्ति में प्रवेश करने वाले भावी सदस्यों को विश्वसनीयता की सुदृढ़ नींव उपलब्ध कराई जा सके। हालांकि, अधिकांश सदस्य अपनी वृत्तिक विशेषज्ञता और अनुभव के माध्यम से समाज और विश्व को निस्वार्थ और समर्पित सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं फिर भी आईसीएआई के लिए सतत रूप से यह आवश्यक है कि वह अपने संतुलित अनुशासन तंत्र के माध्यम से सावधानी बरते और नगण्य सदस्यों, जो असावधानीवश विधि का उल्लंघन कर बैठते हैं, को सही दिशा प्रदान करे।

वर्ष 2006 में, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 में किए गए संशोधनों के निबंधनानुसार आईसीएआई के अनुशासन तंत्र में कतिपय महत्वपूर्ण और अत्यंत नवीन परिवर्तन हुए हैं जो मुख्यत: अनुशासन संबंधी मामलों के संचालन की प्रक्रिया से संबंधित उपबंधों में कार्यान्वित किए गए हैं जिससे अनुशासन संबंधी मामलों के निपटान की प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके। तदनुसार, आज की तारीख में अनुशासन तंत्र अपने दो अर्ध-न्यायिक निकायों, जिन्हें चार्टर्ड अकाउंटेट्स (संशोधन) अधिनियम, 2006 के उपबंधों के अनुसार गठित किया गया था, अर्थात् (i) अनुशासन बोर्ड (धारा 21क के अधीन) और (ii) अनुशासन समिति (धारा 21ख के अधीन) के माध्यम से अपना कार्यकरण कर रहा है।

अनुशासन तंत्र को उसमें अंतर्वलित प्रक्रियाओं को ऐसी रीति में विशेष रूप से तैयार किया गया है, जो पारदर्शिता सुनिश्चित करती हैं और इस प्रकार इस क्षेत्र के पणधारियों और साधारण जनता में विश्वास का संचार करती हैं और साथ ही ऐसे सदस्यों को, जिन पर वृत्तिक और/या अन्य कदाचार के आरोप लगाए गए हैं, निष्पक्ष और साम्यापूर्ण न्याय उपलब्ध कराती हैं।

वर्तमान परिषद् वर्ष 2021-2022 के दौरान अनुशासन समिति की एक नई खंडपीठ का गठन किया गया है और इस प्रकार अनुशासन समिति की खंडपीठों की संख्या बढ़कर चार हो गई है, अर्थात् खंडपीठ I, खंडपीठ II, खंडपीठ III और खंडपीठ IV और अनुशासन बोर्ड की एक खंडपीठ के माध्यम से यह आशा की जाती है कि निदेशक अनुशासन द्वारा तैयार की गई प्रथमदृष्ट्या राय पर विचार किए जाने के साथ-साथ जांच के अधीन मामलों के संबंध में भी शीघ्र निपटान की कार्यवाही की जा सकेगी। इसके अतिरिक्त, धारा 21घ के अधीन अध्यक्ष, आईसीएआई की अध्यक्षता वाली अनुशासन समिति शेष बचे पुराने मामलों और ऐसे मामलों, जो उसे परिषद् द्वारा पुन: निर्दिष्ट किए जाते हैं, के संबंध में कार्यवाही करेगी।

अनुशासन बोर्ड/अनुशासन समिति के समक्ष वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पक्षकारों/साक्ष्यों के उपस्थित होने से संबंधित संशोधन पहले ही चार्टर्ड अकाउंटेट्स (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषणों की प्रक्रिया और मामलों का संचालन) नियम, 2007 में किए जा चुके हैं। इसके पश्चात्, अनुशासन बोर्ड और अनुशासन समिति की सभी खंडपीठों की बैठकें भौतिक रूप से उपस्थित होने के अलावा वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी संचालित की जा रही हैं।

(I) विशिष्ट पहलें/उपलब्धियां :

- कोविड महामारी को ध्यान में रखते हुए ई-सुनवाई संबंधी पद्धतियों में आगे और संशोधन किए गए हैं, जो पक्षकारों/उनके प्रतिनिधियों तथा अनुशासन बोर्ड/अनुशासन समिति के सदस्यों को अपने-अपने आवासों से मामले की सुनवाईयों में उपस्थित होने को सुकर बनाएंगे।
- ई-सुनवाईयों के परिणामस्वरूप अनुशासन बोर्ड/ अनुशासन समिति के सदस्यों के समय और ऊर्जा की बचत हो रही है और इसके अतिरिक्त वे सस्ती भी हैं। अत:, अब समितियों के सदस्यों को सुनवाई हेतु भिन्न-भिन्न स्थानों की यात्रा नहीं करनी होगी। मामलों के पक्षकारों के पास भी अपने-अपने आवासों से वीडियों कांफ्रेंसिंग के माध्यम से अनुशासन बोर्ड/अनुशासन समितियों की सुनवाईयों में भाग लेने का विकल्प उपलब्ध होगा।
- अनुशासन बोर्ड/अनुशासन समिति द्वारा विनिश्चित किए गए अनुशासन संबंधी मामलों के ब्यौरे और साथ ही मामलों की वाद सूची को भी आईसीएआई की वेबसाइट पर रखा जाता है जिससे विभिन्न पणधारियों के बीच और अधिक जागरुकता का सृजन किया जा सके।

- अनुशासन निदेशालय के लिए एक पृथक् वेब पोर्टल को विकसित किया गया है और उसे एक ही स्थान पर सभी सुसंगत जानकारी से लैस करके लाइव बनाया गया है ।
- अनुशासन निदेशालय के कर्मचारीवृन्द को तकनीकी और विधिक विषयों के संबंध में ऑनलाइन प्रशिक्षण देने संबंधी कार्यक्रम को आरंभ किया गया है, जिससे उन्हें इस क्षेत्र से संबंधित नवीनतम जानकारी से अवगत कराया जा सके ।
- आईसीएआई की शासकीय वेबसाइट, अर्थात् www.icai.org और साथ ही अनुशासन निदेशालय के पृथक् पोर्टल, जिसका लिंक https://disc.icai.org/ पर उपलब्ध है, पर शिकायतें/परिवाद फाइल करने की ऑनलाइन पद्धति अब उपलब्ध है ।
- आज की तारीख तक पुराने अनुशासन तंत्र (धारा 21घ के अधीन) के अधीन शेष बचे सभी मामलों की सुनवाई पूरी हो गई है और उनका निपटारा कर दिया गया है सिवाय एक मामले के, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा मंजूर किए गए रोकादेश के कारण कार्यवाहियां लंबित हैं ।

(II) चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 (की धारा 21क) के अधीन अनुशासन बोर्ड

अनुशासन बोर्ड का गठन आईसीएआई की परिषद द्वारा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21क के अधीन किया गया है ताकि वह सदस्यों द्वारा वृत्तिक और अन्य कदाचार के ऐसे मामलों पर विचार कर सके, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की पहली अनुसूची के अंतर्गत आते हैं और/या ऐसे मामलों पर विचार करने के लिए भी जहां सदस्यों को निदेशक (अनुशासन) द्वारा प्रथमदृष्टया रूप से किसी कदाचार का दोषी नहीं पाया जाता है ।

पुनर्विलोकनाधीन वर्ष के दौरान, अनुशासन बोर्ड ने देश के विभिन्न स्थानों पर 30 बैठकें की थी, जिसमें वीडियो कांफ्रेंसिंग द्वारा की गई बैठकें भी सम्मिलित हैं । इन बैठकों में, बोर्ड ने 67 मामलों, जिनके अंतर्गत पूर्व वर्षों में उसे निर्दिष्ट किए गए मामले भी सम्मिलित थे, में अपनी जांच पूरी की थी । ऐसे मामलों के, जिनका अनुशासन बोर्ड द्वारा विनिश्चय किया गया था, सांख्यिकी संबंधी ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

अनुशासन बोर्ड (धारा 21क के अधीन) – 1 अप्रैल, 2020 से 15 जून, 2021 की अवधि के दौरान

क्रम सं.	विशिष्टियां	मामलों की सं.
क)	पूर्वोक्त अवधि के दौरान अनुशासन बोर्ड द्वारा की गई बैठकों की संख्या	30
ख)	ऐसे शिकायत/सूचना संबंधी मामलों की संख्या, जिन पर अनुशासन बोर्ड (धारा 21क के अधीन) द्वारा विचार किया गया था, जिनमें निदेशक (अनुशासन) की प्रथमदृष्टया राय प्राप्त की गई थी ।	146
ग)	ऐसे मामलों (शिकायत/सूचना संबंधी मामलों) की संख्या, जिनमें अनुशासन बोर्ड द्वारा जांच पूरी कर ली गई थी (ऐसे मामलों सहित, जिन्हें पूर्व वर्षों के दौरान अनुशासन बोर्ड को निर्दिष्ट किया गया था)	67
घ)	ऐसे मामलों (शिकायत/सूचना संबंधी मामले) की संख्या, जिनमें अनुशासन बोर्ड द्वारा दंड दिया गया था (ऐसे मामलों सहित, जिन्हें पूर्व वर्षों के दौरान अनुशासन बोर्ड को निर्दिष्ट किया गया था)	22

(III) चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की अनुशासन समिति (धारा 21ख के अधीन)

अनुशासन समिति का गठन आईसीएआई की परिषद द्वारा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21ख के अधीन किया गया है ताकि वह सदस्यों द्वारा वृत्तिक कदाचार के ऐसे मामलों पर विचार कर सके, जो केवल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की दूसरी अनुसूची या पहली तथा दूसरी अनुसूची, दोनों के अंतर्गत आते हैं ।

पुनर्विलोकनाधीन वर्ष के दौरान, अनुशासन समिति (सभी खंडपीठों) ने 86 बैठकें की थी, जिसमें वीडियो कांफ्रेंसिंग द्वारा की गई बैठकें भी सम्मिलित हैं । पूर्वोक्त बैठकों के अनुक्रम के दौरान, समिति ने 235 मामलों में अपनी जांच पूरी की थी, जिसके अंतर्गत पूर्व वर्षों में

उसे निर्दिष्ट किए गए मामले भी सम्मिलित थे । ऐसे मामलों के, जिनका अनुशासन समिति द्वारा विनिश्चय किया गया था, सांख्यिकी संबंधी ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

अनुशासन समिति (धारा 21ख के अधीन) – 1 अप्रैल, 2020 से 15 जून, 2021 की अवधि के दौरान

क्रम सं.	विशिष्टियां	मामलों की सं.
क)	पूर्वोक्त अवधि के दौरान अनुशासन समिति द्वारा की गई बैठकों की संख्या	86
ख)	ऐसे शिकायत/सूचना संबंधी मामलों की संख्या, जिन पर अनुशासन समिति (धारा 21ख के अधीन) द्वारा विचार किया गया था, जिनमें निदेशक (अनुशासन) की प्रथमदृष्ट्या राय प्राप्त की गई थी ।	225
ग)	उपरोक्त में से ऐसे शिकायत/सूचना संबंधी मामलों की संख्या, जिन्हें आगे और जांच के लिए अनुशासन समिति* द्वारा निर्दिष्ट किया गया था (ऐसे मामलों सहित, जिन्हें पूर्व वर्षों के दौरान अनुशासन समिति को निर्दिष्ट किया गया था) * ऐसे मामलों सहित, जो निर्दिष्ट किए गए हैं	235
ङ)	ऐसे मामलों (शिकायत/सूचना संबंधी मामले) की संख्या, जिनमें अनुशासन समिति* द्वारा दंड दिया गया था (ऐसे मामलों सहित, जिन्हें पूर्व वर्षों के दौरान अनुशासन समिति को निर्दिष्ट किया गया था) * ऐसे मामलों सहित, जो निर्दिष्ट किए गए हैं	126

(IV) धारा (21घ) के अधीन अनुशासन समिति

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21घ के उपबंधों के अधीन कार्यरत अनुशासन समिति, 2006 में पूर्वोक्त अधिनियम में किए गए संशोधनों से पूर्व लंबित शेष मामलों के संबंध में जांच करती है और परिषद् को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है । चूंकि, अनुशासन समिति द्वारा वर्ष 2018 में ही शेष बचे सभी मामलों की सुनवाई पूरी कर ली गई थी और उनका निपटारा कर दिया गया था, इसलिए, पुनर्विलोकनाधीन वर्ष के दौरान इस समिति की किसी बैठक का आयोजन नहीं किया गया था ।

ऐसे मामले, जिन पर पुराने अनुशासन तंत्र [धारा 21(घ)] के अधीन कार्यवाही की गई

1 अप्रैल, 2020 से 15 जून, 2021 तक की अवधि के दौरान परिषद् और अनुशासन समिति के समक्ष रखे गए मामलों से संबंधित आंकड़े

क्रम सं.	विशिष्टियां	मामलों की सं.
1.	(i) पूर्वोक्त अवधि के दौरान अनुशासन समिति द्वारा निपटाए गए मामलों की संख्या (ii) पूर्वोक्त अवधि के दौरान अनुशासन समिति द्वारा धारा 21घ के अधीन की गई बैठकों की संख्या	शून्य शून्य
2.	अनुशासन समिति की ऐसी रिपोर्टों की संख्या, जिन पर परिषद् द्वारा विचार किया गया था (इनके अंतर्गत उन मामलों की रिपोर्टें भी हैं, जिन पर अनुशासन समिति द्वारा पूर्व वर्षों के दौरान सुनवाई पूरी की गई थी)	4
	उपरोक्त में से	
3.	क) ऐसे मामलों की संख्या, जिनमें प्रत्यर्थियों को पहली अनुसूची के अधीन दोषी पाया गया है किंतु चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21(4) के अधीन कोई आदेश पारित करने से पूर्व परिषद् के समक्ष सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु उपयुक्त पाया गया है । ख) ऐसे मामलों की संख्या, जिनमें प्रत्यर्थियों को दूसरी अनुसूची और/या अन्य कदाचार के लिए दोषी पाया गया है किंतु जिनके मामले को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21(5) के अधीन उच्च न्यायालयों को निर्दिष्ट किया जाना है ।	शून्य 4

	(ग) ऐसे मामलों की संख्या, जिनमें प्रत्यर्थियों को पहली अनुसूची और दूसरी अनुसूची/ अन्य कदाचार के लिए दोषी पाया गया है	शून्य
	(घ) ऐसे मामलों की संख्या, जिनमें मामला आगे और जांच हेतु अनुशासन समिति को वापस निर्दिष्ट किया गया है	शून्य
	(ङ) ऐसे मामलों की संख्या, जिनमें प्रत्यर्थियों को किसी कदाचार के लिए दोषी नहीं पाया गया है	शून्य
4.	ऐसे मामलों की संख्या, जिनमें ऐसे प्रत्यर्थियों के संबंध में धारा 21(4) के अधीन आदेश पारित किया गया था, जिन्हें पहली अनुसूची के अधीन दोषी पाया गया था	3
5.	उच्च न्यायालय द्वारा धारा 21(6) के अधीन निपटाए गए मामलों की संख्या	1

5. तकनीकी और वृत्तिक विकास

5.1 लेखांकन मानक बोर्ड (एएसबी)

लेखांकन मानक बोर्ड (एएसबी) का गठन आईसीएआई द्वारा वर्ष 1977 में ऐसे लेखांकन मानकों को विरचित करने के विचार से किया गया था, जो उत्तम, विश्वसनीय और उच्च गुणवत्ता वाली लेखांकन और वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली को स्थापित करे तथा भारत में प्रचलित भिन्न-भिन्न प्रकार की लेखांकन नीतियों और व्यवहारों का समन्वयन कर सके । इसके आरंभ से ही एएसबी नए लेखांकन मानकों की विरचना करके और साथ ही समय-समय पर विद्यमान लेखांकन मानकों का पुनरीक्षण करके सतत रूप से इस दिशा में कार्य कर रहा है, जिसका उद्देश्य भारतीय लेखांकन मानकों को अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानक बोर्ड (आईएएसबी) द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों (आईएफआरएस) के समरूप बनाना है । एएसबी निरंतर जटिल होते हुए कारबार संबंधी वातावरण में लेखांकन मानकों को एकसमान रूप से प्रयुक्त करने संबंधी मार्गदर्शन भी उपलब्ध कराता है और साथ ही समय-समय पर विभिन्न मार्गदर्शन सामग्रियां भी जारी करता है । आईसीएआई एएसबी के माध्यम से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अनुसार कंपनियों के लिए लेखांकन मानकों की भी विरचना करता है । आईसीएआई गैर-कंपनी अस्तित्वों को लागू होने वाले लेखांकन मानकों को भी तैयार करता है तथा उन्हें जारी करता है ।

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, लेखांकन मानक बोर्ड द्वारा प्रारंभ/पूरे किए गए प्रमुख क्रियाकलापों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

(I) वित्तीय रिपोर्टिंग मानक :

- इंड एएस का संशोधन – आईसीएआई द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अधीन इंड एएस में सिफारिश किए गए निम्नलिखित संशोधनों को अधिसूचित किया गया है :
    - कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) संशोधन नियम, 2020, जिन्हें तारीख 24 जुलाई, 2020 को अधिसूचित किया गया था ।
    - कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) संशोधन नियम, 2021, जिन्हें तारीख 18 जून, 2021 को अधिसूचित किया गया था ।
- इंड एएस 117, बीमा संविदाएं में संशोधन तथा इंड एएस 40, निवेश संपत्ति में संशोधन, जिनके संबंध में राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण द्वारा सिफारिश की गई थी ।
- 1 अप्रैल, 2020 की तारीख से लागू होने वाले जारी किए गए भारतीय लेखांकन मानकों के अधीन वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए अवधारणात्मक ढांचा, जिन्हें मानक-निर्धारण संबंधी क्रियाकलापों के लिए लागू किया जाना है और वित्तीय विवरणों को तैयार करने वाले व्यक्तियों के संबंध में 1 अप्रैल, 2021 को लागू किया जाना है ।
- जारी की गई उद्घोषणाएं :
    - गैर-कंपनी अस्तित्वों के चार स्तरों में वर्गीकरण के लिए मानदंडों में पुनरीक्षण, अर्थात् स्तर 1, स्तर 2, स्तर 3 और स्तर 4, जिससे कि उनके संबंध में लेखांकन मानकों को लागू किया जा सके । स्तर 4, स्तर 3 और स्तर 2 को सुक्ष्म, लघु और मध्यम गैर-कंपनी अस्तित्वों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है ।

- ब्याज दर बैंचमार्क सुधार के कारण व्युत्पन्नी संबंधी संविदाओं के लिए लेखांकन संबंधी मार्गदर्शन टिप्पण के अधीन विहित हैज लेखांकन के संबंध में अस्थायी अपवाद (चरण 1 – प्रतिस्थापन पूर्व मुद्दे) । आईबीओआर चरण 2 : प्रतिस्थापन पश्च मुद्दों के संबंध में हुए आवश्यक परिवर्तनों को उपलब्ध कराने के लिए व्युत्पन्नी संबंधी संविदाओं के लिए लेखांकन संबंधी मार्गदर्शन टिप्पणों में हुए संशोधनों को जारी किया जा रहा है ।
- तारीख 23 जून, 2021 को कंपनी (लेखांकन मानक) नियम, 2021 के रूप में अधिसूचित नियमों के समरूप लेखांकन मानकों, जो 1 अप्रैल, 2021 को या उसके पश्चात् आरंभ होने वाली अवधियों के संबंध में लागू होंगे, को जारी किया गया है । आईसीएआई द्वारा सिफारिश किए गए अनुसार सुक्ष्म, लघु और मध्यम गैर-कंपनी अस्तित्व में वर्गीकरण हेतु मानदंड में हुए संशोधनों के अनुरूप लघु और मध्यम आकार की कंपनियों (एसएमसी) की परिभाषाओं को भी पुनरीक्षित किया गया है ।
- विद्यमान लेखांकन मानकों को पुनरीक्षित करने संबंधी प्रयासों को जारी रखा गया और इस संबंध में 11 पुनरीक्षित लेखांकन मानकों को राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक प्राधिकरण (एनएफआरए) के समक्ष प्रस्तुत किया गया तथा एनएफआरए के समक्ष प्रस्तुत किए जाने हेतु 7 पुनरीक्षित लेखांकन मानकों को आईसीएआई की परिषद् द्वारा अनुमोदित किया गया ।
- 'कंपनी (सीएसआर नीति) संशोधन नियम, 2021 के अनुसरण में निगम सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के प्रति उपगत रकमों के संबंध में लेखांकन' संबंधी बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्न ।
- परिषद् वर्ष 2020-21 के दौरान, इंड एएस कार्यान्वियन पहलों के भागरूप में इंड एएस संबंधी ऑनलाइन पाठ्यक्रम के अठारह (18) बैचों का आईसीएआई के डिजीटल पठन केंद्र (डीएलएच) प्लेटफार्म के माध्यम से सफलतापूर्वक संचालन किया गया । इंड एएस 23, उधार लागतों, इंड एएस 38, अमूर्त आस्तियों, इंड एएस 105 विक्रय और बंद कर दिए गए संकर्मों के लिए धारित गैर-चालू आस्तियों संबंधी शैक्षिक सामग्रियों तथा इंडियन अकाउंटिंग स्टेंडर्डस : एन ओवरव्यू (पुनरीक्षित संस्करण 2020) नामक प्रकाशन के पांचवें संस्करण को जारी किया गया ।

(II) अंतर्राष्ट्रीय पहलें : दीर्घकालिक भागीदारियां स्थापित करना

- अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानक बोर्ड (आईएएसबी) और आईएफआरएस (आईसी) द्वारा जारी विभिन्न परामर्शी दस्तावेजों (उदभासन प्रारूपों/परिचर्चा पत्रों/अंतरिम कार्यसूची विनिश्चयों) के संबंध में टीका-टिप्पणियों को प्रस्तुत किया गया था ।
- अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय चिंताओं का समाधान करने के लिए आईएएसबी परामर्शी दस्तावेजों के संबंध में विभिन्न आउटरीच बैठकों का आयोजन किया गया था, जिससे उद्योग तथा अन्य पणधारियों से भारतीय चिंताओं के प्रति समझ प्राप्त हो सके ।
- अध्यक्ष, एएसबी को आईएफआरएस सलाहकार परिषद् (आईएफआरएस-एसी) और एसएमई कार्यान्वियन समूह (एसएमईआईजी) के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है ।
- आईसीएआई ने सर्वप्रथम वर्चुअल बैठक, अर्थात्, बारहवीं वार्षिक एओएसएसजी बैठक की मेजबानी 24-25 नवंबर, 2020 के दौरान की थी । इस वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष, एओएसएसजी द्वारा की गई थी । इस बैठक में एसओएसएसजी के इक्कीस सदस्य मानक निर्धारकों ने भाग लिया था । इस बैठक में सुश्री सू लायड, उपाध्यक्ष, आईएएसबी तथा आईएएबी, आईएफआरएस फाउंडेशन के प्रतिनिधि मंडलों और विभिन्न अधिकारिताओं के सदस्यों ने भी भाग लिया था । आईसीएआई के प्रतिनिधियों ने पृथक् वित्तीय कथनों को तैयार करने में अंतर्वलित मुद्दों के संबंध में प्रस्तुतीकरण किया था ।
- 27 जुलाई, 2020 को वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से वर्चुअल साफा मंच का आयोजन किया गया था । उपाध्यक्ष, एएसबी ने वित्तीय रिपोर्टिंग में आने वाली चुनौतियों और कोविड 19 महामारी को ध्यान में रखते हुए आगे की कार्य योजना संबंधी विषय पर एक प्रस्तुतीकरण किया था ।
- आईसीएआई के प्रतिनिधियों ने वर्ष के दौरान आयोजित की गई उभरती अर्थव्यवस्थाओं संबंधी समूह (ईईजी) की बैठकों, आईएफएएसएस की बैठकों और आईएफआरएस सलाहकार परिषद् (आईएफआरएस-एसी) की बैठकों में भाग लिया था ।

(III) विनियामक निकायों के साथ उत्तम संबंध बनाना

- विभिन्न विनियामकों (कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक आदि) द्वारा निर्दिष्ट लेखांकन संबंधी विभिन्न मुद्दों पर विचार प्रस्तुत किए गए थे और जहां कहीं उचित प्रतीत हुआ वहां सुसंगत विनियामकों के साथ विभिन्न लेखांकन संबंधी मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया था।
- एनएफआरए पदधारियों के लिए कुछ चुनिंदा इंड एएस के संबंध में एक पांच दिवसीय प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया गया था।

(IV) वेबकास्ट/वेबीनार :

- एएसबी द्वारा विरचित लेखांकन मानकों और इंड एएस के संबंध में जागरुकता का सृजन करने तथा उनसे संबंधित ज्ञान के अनिवार्य प्रसार के लिए भारतीय लेखांकन मानकों संबंधी विभिन्न वेबकास्टों/वेबीनारों/ आउटरीच बैठकों, कोविड 19 से संबंधित लेखांकन और संपरीक्षा मुद्दों के संबंध में पैनल परिचर्चाओं का आयोजन किया गया था। इसके अतिरिक्त, कंपनी (इंड एएस) संशोधन नियम, 2020 के अधीन इंड एएस नेवीगेटिंग परिवर्तनों में हुए हाल ही के संशोधनों के संबंध में भी पैनल चर्चा का आयोजन किया गया था।

(V) अन्य पहलें :

- एएसबी के सभी प्रकाशनों और एएस तथा इंड एएस से संबंधित सभी वीडियो व्याख्यानों पठन केंद्र को डिजीटल पर अपलोड किया गया है।
- जारी किए गए प्रकाशन :
  - भारतीय लेखांकन मानकों का सार-संग्रह (1 अप्रैल, 2020 को यथा विद्यमान)
  - इंड एएस से संबंधित मार्गदर्शन सामग्री [आईएफआरएस भाग ख और भाग ग (कार्यान्वयन संबंधी मार्गदर्शन और निष्कर्षों के लिए आधार) (वर्ष 2020-21)]
  - लेखांकन मानक : सूक्ष्म गैर-कंपनी अस्तित्वों के लिए सुगम संदर्भिका।

5.2 इंड एएस कार्यान्वयन समिति

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) ने वैश्विक रूप से स्वीकृत लेखांकन मानकों की आवश्यकता को पूरा करने तथा आईएफआरएस – अभिसरित भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) के कार्यान्वयन के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया है। आईसीएआई ने सभी पूर्वत्तर प्रयासों से कहीं अधिक कड़े प्रयास किए हैं ताकि इन मानकों के कार्यान्वयन तथा पूरे राष्ट्र में इन्हें अपनाए जाने पर बल दिया जा सके तथा इस विचार के पीछे यह भावना और सार तथा तर्क छिपा था कि इन मानकों को यह सुनिश्चित करने हेतु तैयार किया गया है कि वे कार्यान्वयन के पश्चात् लंबे समय तक प्रवृत्त बने रहेंगे। इंड एएस कार्यान्वयन समिति द्वारा इंड एएस को अपनाए जाने की आवश्यकता और उनके महत्व को समझते हुए उन्हें प्रख्यापित करने तथा उनके प्रति सुचारू अंतरण को सुनिश्चित करने के लिए कड़े प्रयास किए गए हैं। उसी भावना के साथ, जिसमें इंड एएस की विरचना की गई है उनके कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने तथा सदस्यों और अन्य पणधारी को उपयुक्त मार्गदर्शन उपलब्ध कराने हेतु इंड एएस कार्यान्वयन समिति इंड एएस संबंधी इस प्रकार की शैक्षिक सामग्रियों को जारी करती है, जिसमें संबंधित इंड एएस के संक्षिप्त ब्यौरे और साथ ही उसमें अंतर्वलित मुद्दों को सम्मिलित करने वाले ऐसे बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) सम्मिलित होते हैं, जो मानक का कार्यान्वयन करते समय सामने आते हैं या जिनके इस प्रकार बार-बार सामने आने की संभावना है।

इंड एएस कार्यान्वयन समिति द्वारा किए गए प्रमुख क्रियाकलाप निम्नानुसार हैं :--

- **इंड एएस संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम :** इंड एएस संबंधी ऑनलाइन प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के कुल 20 बैचों का उक्त अवधि के दौरान सफलतापूर्वक आयोजन किया गया था, जिनमें 2600 से अधिक सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया। समिति आईसीएआई के डीएलएच मंच के माध्यम से इंड एएस संबंधी ऑनलाइन प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम का आयोजन करती है जिससे सदस्यों को इंड एएस के संबंध में जानकारी प्रदान की जा सके।
- **इंड एएस तकनीकी सुविधा सेवा समूह (आईटीएफजी) स्पष्टीकरण बुलेटिन :**

  समयानुसार तथा त्वरित रीति में अंतरण संबंधी शंकाओं का समाधान करने के लिए वर्ष 2016 में एक इंड एएस तकनीकी सुविधा सेवा समूह (आईटीएफजी) (जो पूर्व में इंड एएस अंतरण सुविधा सेवा समूह के रूप में ज्ञात था) का गठन किया गया था, जिसने समय-समय पर कार्यान्वयन संबंधी मुद्दों का समाधान करने हेतु स्पष्टीकारक बुलेटिन जारी

किए थे। इस समूह ने लेखांकन फर्मों के विशेषज्ञ, उद्योग जगत के प्रतिनिधि और अन्य विख्यात वृत्तिक सम्मिलित थे। आज की तारीख तक समूह ने 23 स्पष्टीकारक बुलेटिन निकाले हैं। 'आईटीएफजी स्पष्टीकारक बुलेटिन का सार-संग्रह (जिसमें दिसंबर, 2018 तक जारी सभी स्पष्टीकरण सम्मिलित हैं)' नामक एक प्रकाशन को निकाला गया था, जिसमें एक ही स्थान पर आईटीएफजी स्पष्टीकारक बुलेटिनों में स्पष्ट किए गए सभी मुद्दों का विषयवार संकलन अंतर्विष्ट हैं।

- **इंड एएस संबंधी शैक्षिक सामग्रियां :**

  वर्ष के दौरान निम्नलिखित इंड एएस के संबंध में शैक्षिक सामग्रियां जारी की गई हैं :

  - इंड एएस 23, उधार लागतें संबंधी शैक्षिक सामग्री
  - इंड एएस 38, अमूर्त आस्तियां संबंधी शैक्षिक सामग्री
  - इंड एएस 105, विक्रय के लिए तथा रोक दिए गए संकर्मों के लिए धारित गैर-चालू आस्तियां संबंधी शैक्षिक सामग्री

- **प्रकाशन/वीडियो व्याख्यान :**
  - भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) : एक पर्यावलोकन (पुनरीक्षित संस्करण 2020) का पांचवां संस्करण
  - प्रत्येक इंड एएस तथा इंड एएस के अधीन अवधारणात्मक ढांचे संबंधी वीडियो व्याख्यान।

- **सम्मेलन/कार्यशालाएं/प्रशिक्षण कार्यक्रम :**

  विनियामकों, निगमों और अन्य संगठनों, अर्थात् आरटीआई कोलकाता तथा आईआरडीएआई के पदधारियों के लिए इंड एएस संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रमों, विभिन्न कार्यशालाओं, घरेलू प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सम्मेलनों और इंड एएस संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम प्रशिक्षण कार्यक्रमों आदि का आयोजन किया गया था।

5.2क. वहनीयता रिपोर्टिंग मानक बोर्ड (एसआरएसबी)

फरवरी, 2020 में भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) द्वारा संयुक्त राष्ट्र वहनीय विकास लक्ष्यों (एसडीजी), 2030 हेतु किसी इकाई की प्रगति के बारे में गैर-वित्तीय सूचना को मापने और प्रकट करने हेतु विस्तृत, वैश्विक रूप से समतुलनीय और समझने योग्य मानकों को विरचित करने के मिशन हेतु वहनीय रिपोर्टिंग मानक बोर्ड (एसआरएसबी) का गठन किया गया है। बोर्ड वहनीय रिपोर्टिंग, एकीकृत रिपोर्टिंग हेतु संपरीक्षा मार्गदर्शन के विकास के संबंध में चार्टर्ड अकाउंटेंटों के लिए अवसरों की पहचान करने तथा उन्हें विकसित करने तथा सदस्यों और अन्य पणधारियों के ज्ञान में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों, कार्यशालाओं और संगोष्ठियों के आयोजन द्वारा अभिवृद्धि करने हेतु पर्याप्त उपाय करके अपना कार्यकरण कर रहा है।

महत्वपूर्ण उपलब्धियां और पहलें

(I) जारी किए गए प्रकाशन

- स्टैंडर्ड आन एश्योरेंस एंगेजमेंट (एसएई) 3410 एश्योरेंस एंगेजमेंट आन ग्रीन हाउस गैस स्टेटमेंट
- कारबार उत्तरदायित्व और वहनीयता रिपोर्टिंग (बीआरएसआर) संबंधी पृष्ठभूमि सामग्री
- वहनीय विकास लक्ष्य – लेखापालों द्वारा वहनीय विश्व का निर्माण-भाग 1
- वहनीय विकास लक्ष्य – लेखापालों द्वारा वहनीय विश्व का निर्माण-भाग 2
- वहनीय विकास लक्ष्य – लेखापालों द्वारा वहनीय विश्व का निर्माण-भाग 3
- वहनीय रिपोर्टिंग परिपक्वता मॉडल - संस्करण 1.0

(II) विनियामकों और अंतर्राष्ट्रीय निकायों के साथ बैठकें/परस्पर क्रियाएं

- सामाजिक स्टॉक एक्सचेंज संबंधी तकनीकी समूह द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के संबंध में सेबी को अपनी टीका-टिप्पणियां प्रस्तुत किया जाना।
- बीआरएसआर प्ररूप के संबंध में परामर्श पत्र से संबंधित अपनी टीका-टिप्पणियां सेबी को प्रस्तुत किया जाना।
- वहनीय रिपोर्टिंग संबंधी परामर्शी पत्र के संबंध में आईएफआरएस फाउंडेशन को अपनी टीका-टिप्पणियां प्रस्तुत किया जाना।

- 21 अक्तूबर, 2020 को सुश्री संयुक्ता सामाद्दर, सलाहकार (एसडीजी), नीति आयोग के साथ देश में सरकारी परियोजनाओं के लिए वहनीय विकास लक्ष्यों के लिए ढांचे के मापमान/मानीटरी को विकसित करने में समर्थन हेतु बैठक का आयोजन।

(III) सक्षमता निर्माण संबंधी पहलें

- **कारबार उत्तरदायित्व और वहनीय रिपोर्टिंग (बीआरएसआर) संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम**

  बोर्ड ने 470 व्यक्तियों को सम्मिलित करते हुए बीआरएसआर संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के पांच बैचों का संचालन किया।

- **वेबीनार/वर्चुअल सीपीई बैठकें**

  बोर्ड ने वहनीय रिपोर्टिंग में चार्टर्ड अकाउंटेंटों के लिए उभरते अवसरों, कोविड 19 – वहनीय विकास लक्ष्यों (एसडीजी) पर नीतिगत रूप से ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता – जीवन के लिए बेहतर स्थान, कारबार उत्तरदायित्व और वहनीय रिपोर्टिंग, वहनीयता, संपरीक्षा और वहनीय रिपोर्टों संबंधी आश्वासन में चार्टर्ड अकाउंटेंटों के लिए अवसर, पृथ्वी को बचाने – एसडीजी को कारबार व्यवहारों और रिपोर्टिंग के साथ एकीकृत करने आदि जैसे विषयों पर वेबीनारों/वर्चुअल सीपीई बैठकों का आयोजन किया और इसके अतिरिक्त एकीकृत रिपोर्टिंग और वहनीय रिपोर्टिंग परिपक्वता रिपोर्टिंग आदि के संबंध में कार्ययोजना संबंधी वर्चुअल सीपीई बैठक (वीसीएम) का भी आयोजन किया गया।

(IV) वहनीयता के क्षेत्र में जागरुकता का सृजन करने के लिए की गई पहलें

- आईसीएआई के वहनीय साक्षरता अभियान का शुभारंभ
- हमारे ग्रह को वहनीय बनाने के लिए साधारण उपायों संबंधी एक कारपोरेट फिल्म
- हमारे ग्रह को वहनीय बनाने के लिए साधारण उपायों संबंधी एक कारपोरेट फिल्म का हिंदी रुपांतरण
- यूएन फन क्विज

(V) अंतर्राष्ट्रीय पहलें और क्रियाकलाप

- बोर्ड वहनीय रिपोर्टिंग के क्षेत्र में वैश्विक रूप से वृत्तिक अकाउंटेंटों के कौशलों में वृद्धि करने के लिए वृत्ति के साथ मिलकर कार्य करने संबंधी आईएफएसी की प्रतिबद्धता का समर्थन करता है। श्री स्टेथिस गौलड, निदेशक, सलाह, आईएफएसी ने बोर्ड द्वारा आयोजित वैश्विक वेबीनारों के अवसर पर तीन बार आईसीएआई के सदस्यों को संबोधित किया।
- बोर्ड ने 4 अगस्त, 2020 को पुनरीक्षित अंतर्राष्ट्रीय एकीकृत रिपोर्टिंग ढांचे के परामर्शी प्रारूप पर परिचर्चा करने के लिए सीआईआई – वहनीय विकास के लिए आईटीसी उत्कृष्टता केंद्र के साथ भारत के लिए ऑनलाइन क्षेत्रीय फोकस समूह के लिए सह-मेजबानी की है।
- अध्यक्ष, एसआरएसबी ने इंस्टिट्यूट आफ सर्टिफाइड मेनेजमेंट अकाउंटेंट आफ श्रीलंका के साथ मिलकर साफा अंतर्राष्ट्रीय संबंध समिति द्वारा आयोजित 'अंतर्राष्ट्रीय एकीकृत रिपोर्टिंग ढांचे के पुनरीक्षण संबंधी साफा क्षेत्रीय फोकस समूह' विषय पर आयोजित एक वेबीनार, जिसका संचालन अंतर्राष्ट्रीय एकीकृत रिपोर्टिंग परिषद् (आईआईआरसी) द्वारा किया गया था, में भाग लिया।
- अध्यक्ष, एसआरएसबी ने प्रभावी विनिश्चय लिए जाने संबंधी अर्थपूर्ण प्रकटनों के सत्र हेतु एक वहनीय भविष्य के लिए सशक्त विनिश्चय किए जाने संबंधी विषय पर जीआरआई दक्षिण एशिया वर्चुअल – क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन, 2020 में एक वक्ता के रूप में भाग लिया। इस शिखर सम्मेलन में 54 देशों के प्रतिभागियों ने भाग लिया और साथ ही 7 भिन्न-भिन्न देशों के बारह वक्ताओं ने इस शिखर सम्मेलन को संबोधित किया।
- अध्यक्ष, एसआरएसबी, उपाध्यक्ष, एसआरएसबी, सचिव, एसआरएसबी ने वर्चुअल विश्वव्यापी चार्टर्ड अकाउंटेंट – वहनीय सम्मेलन में भाग लिया।
- अध्यक्ष, एसआरएसबी ने आईसीएआई के दोहा चैप्टर द्वारा संचालित वेबीनार में सदस्यों को संबोधित किया और उन्होंने उनके साथ वहनीय रिपोर्टिंग में वैश्विक प्रवृत्तियों के संबंध में विचार-विमर्श भी किया।

- आईएफएसी ने एसआरएसबी द्वारा जारी वहनीय रिपोर्टिंग परिपक्कता माडल (एसआरएमएम) पाठ 1.0 में एक लेख भी प्रकाशित किया है।

(VI) पुरुस्कार

- आईसीएआई वहनीय रिपोर्टिंग पुरुस्कार
- आईसीएआई अंतर्राष्ट्रीय वहनीय रिपोर्टिंग पुरुस्कार

5.3 संपरीक्षा और आश्वासन मानक बोर्ड (एएएसबी)

संपरीक्षा वित्तीय रिपोर्टिंग में जवाबदेही को मजबूत करके तथा भरोसे और विश्वास को पुन: विकसित करके, लोक हित की सेवा करने और उसे संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। संपरीक्षा, आर्थिक समृद्धि को बढ़ाने, लोगों द्वारा किए जाने वाले संव्यवहारों के प्रकारों, संख्या और मूल्य को वर्धित करने में सहायता करती है। तथापि, हाल के वर्षों में कारबार के माहौल, कारबार मॉडल और उनके भौगोलिक फैलाव में जटिलता बढ़ने के कारण, संपरीक्षा का व्यवसाय विभिन्न पणधारियों की प्रत्याशा में अत्यंत उछाल ले रहा है।

आईसीएआई इन आशंकाओं के सक्रिय रूप से समाधान की आवश्यकता को समझता है। आईसीएआई अपने संपरीक्षा और आश्वासन मानक बोर्ड के माध्यम से संपरीक्षा, पुनर्विलोकन, अन्य आश्वासनों, गुणवत्ता नियंत्रण और संबंधित सेवाओं पर उच्च गुणवत्ता वाले मानक विकसित करता है। ये मानक संपरीक्षा में न केवल सर्वोत्तम व्यवहारों को संहिताबद्ध करते हैं, बल्कि ये बैंचमार्क भी प्रदान करते हैं, जिनसे संपरीक्षकों के कार्यपालन को मापा जा सकता है। बोर्ड, सामान्य के साथ-साथ उद्योग विशेषीकृत मुद्दों पर मार्गदर्शक टिप्पण संपरीक्षकों को मार्गदर्शन प्रदान करने के मुख्य उद्देश्य से विकसित करता है। ये दस्तावेज बोर्ड की सघन सम्यक् प्रक्रिया के पश्चात् आईसीएआई की परिषद् के प्राधिकार के अधीन जारी किए जाते हैं। आईसीएआई द्वारा जारी किए गए संपरीक्षा मानक अंतर्राष्ट्रीय संपरीक्षा और आश्वासन मानक बोर्ड (आईएएएसबी) द्वारा जारी किए गए अंतर्राष्ट्रीय मानकों से समन्वित किए जाते हैं। बोर्ड, तकनीकी मार्गदर्शन, प्रैक्टिस मैनुअल, अध्ययन और अन्य पत्र भी विरचित करता है, जो सदस्यों के मार्गदर्शन के लिए इसके स्वयं के प्राधिकार के अधीन जारी किए जाते हैं। संपरीक्षा पर मानकों के कार्यान्वयन में सदस्यों का मार्गदर्शन करने के लिए बोर्ड उन मानकों के कार्यान्वयन संबंधी मार्गदर्शन भी करता है। आज की तारीख तक बोर्ड की महत्वपूर्ण उपलब्धियों का विस्तृत सिंहावलोकन निम्नानुसार है :

(I) मंत्रालयों, विनियामकों को अभ्यावेदन/सुझाव

- बोर्ड ने आरबीआई परिपत्र सं. डीओआर.नं.बीपी.बीसी.71/21.04.048/2019-20, तारीख 23 मई, 2020 कोविड-19 विनियामक पैकेज से संबंधित कतिपय बिन्दुओं के स्पष्टीकरण और माननीय उच्चतम न्यायालय के वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए बैंकों की कानूनी संपरीक्षा के संबंध में तारीख 3 सितंबर, 2020 को पारित अंतरिम आदेश के संबंध में आरबीआई को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया।
- बोर्ड ने आरबीआई को बैंकों की ऐसी शाखाओं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंटों द्वारा समवर्ती संपरीक्षा किए जाने के अध्यधीन हैं और जिन्हें शाखा संपरीक्षा के लिए नहीं चुना गया है, हेतु प्रस्तुत दीर्घ प्ररूप संपरीक्षा रिपोर्ट के नामकरण में परिवर्तन के संबंध में आरबीआई को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। बोर्ड ने यह सिफारिश की कि "दीर्घ प्ररूप संपरीक्षा रिपोर्ट" के स्थान पर दीर्घ प्ररूप प्रबंधन रिपोर्ट नाम रखा जाना चाहिए, जिससे कि उसे कानूनी शाखा संपरीक्षकों द्वारा प्रस्तुत दीर्घ प्ररूप संपरीक्षा रिपोर्ट से भिन्न बनाए रखा जा सके।

(II) जारी किए गए प्रकाशन

बड़े पैमाने पर सदस्यों के फायदे के लिए बोर्ड ने निम्नलिखित प्रकाशन जारी किए :

- बैंकों की संपरीक्षा संबंधी मार्गदर्शन टिप्पण, 2021 संस्करण।
- पब्लिक सेक्टर बैंकों की दशा में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की संपरीक्षा संबंधी तकनीकी गाइड।
- दीर्घ प्ररूप संपरीक्षा रिपोर्ट के पुनरीक्षित प्रारूपों संबंधी तकनीकी गाइड।
- कंपनी (संपरीक्षा रिपोर्ट) आदेश, 2020 संबंधी मार्गदर्शन टिप्पण के संबंध में बहु विकल्प वाले प्रश्न (एमसीक्यू)।

(III) अन्य तकनीकी उपलब्धियां

- बोर्ड ने आईएएएसबी द्वारा जनता की टीका-टिप्पणियों के लिए जारी "विशेष विचार – समूह वित्तीय विवरणों की संपरीक्षा (संघटक संपरीक्षकों के कार्य सहित)" विषय पर आईएसए 600 (पुनरीक्षित) के उदभासन प्रारूप के संबंध में आईएएएसबी को अपनी टीका-टिप्पणियां प्रस्तुत की थी।
- कोविड-19 के कारण वर्तमान में बदलती परिस्थितियों में अंतरिम वित्तीय सूचना संबंधी पुनर्विलोकन नियोजनों के संबंध में बोर्ड द्वारा एक मार्गदर्शन टिप्पण जारी किया गया।

(IV) सदस्यों के लिए पहलें

- बोर्ड ने सदस्यों की जागरुकता और वृत्तिक प्रगति हेतु संपरीक्षा मानकों, बैंक संपरीक्षा और अन्य संपरीक्षा पहलुओं पर विभिन्न संगोष्ठियों, कार्यशालाओं, वेबकास्टों, वर्चुअल सीपीई बैठकों और जागरुकता कार्यक्रमों का आयोजन किया। बोर्ड ने, वर्ष के दौरान 'संपरीक्षा के मानक – एक पर्यावलोकन और अनुपालन' नामक विषय पर अहमदनगर में एक संगोष्ठी का आयोजन किया और साथ ही इंदौर में बैंक संपरीक्षा संबंधी एक दो-दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का भी आयोजन किया गया।
- बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए बैंक शाखा संपरीक्षाओं से संबंधित सदस्यों की शंकाओं का समाधान करने हेतु विशेषज्ञों के एक ऑनलाइन पैनल का गठन किया। इस पैनल ने 1 अप्रैल, 2021 से 15 अप्रैल, 2021 तक की अवधि के दौरान सदस्यों की शंकाओं का समाधान किया।
- बोर्ड ने निम्नलिखित प्रकाशनों के संबंध में वीडियो व्याख्यानों को अंतर्विष्ट करने वाली श्रव्य ई-पुस्तकों को जारी किया, जिन्हें आईसीएआई के डिजीटल पठन केंद्र पर अपलोड किया गया था :
    - बैंकों की संपरीक्षा संबंधी मार्गदर्शन टिप्पण, 2021 संस्करण
    - पब्लिक सेक्टर बैंकों की दशा में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की संपरीक्षा संबंधी तकनीकी गाइड
    - दीर्घ प्ररूप संपरीक्षा रिपोर्ट के पुनरीक्षित प्रारूप संबंधी तकनीकी गाइड।
- बोर्ड ने समय-समय पर सदस्यों से प्राप्त संपरीक्षा के विभिन्न पहलुओं से संबंधित विभिन्न शंकाओं के संबंध में उत्तर/स्पष्टीकरण उपलब्ध कराए।

(V) अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सहयोग

- उपाध्यक्ष, एएएसबी ने मई, 2021 में आयोजित आईएएएसबी – एनएसएस वर्चुअल बैठक में आईसीएआई का प्रतिनिधित्व किया।

5.4 बैंकिंग वित्तीय सेवाएं और बीमा समिति (बीएफएसएंडआईसी)

समिति ने वर्ष के दौरान निम्नलिखित क्रियाकलापों का आयोजन किया :

- समिति ने आरबीआई द्वारा तारीख 5 सितंबर, 2020 की अधिसूचना के माध्यम से जारी दीर्घ प्ररूप संपरीक्षा रिपोर्ट (एलएफएआर) के पुनरीक्षित प्रारूप पर विचार करने और उनमें संशोधनों/परिवर्तनों के संबंध में सुझाव देने हेतु एक अध्ययन समूह का गठन किया था।
- समिति ने सदस्यों के लिए फिनेक्ल सीबीएस विषय पर एक चार दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया और साथ ही बीआईआरएम रजिस्ट्रीकृत सदस्यों के लिए ऑनलाइन रूप से छह पात्रता परीक्षा पत्रों का भी आयोजन किया। इसके अतिरिक्त, समिति ने आईसीएआई के ऐसे सदस्यों के लिए, जिन्होंने बीआईआरएम तकनीकी परीक्षा उत्तीर्ण की है, ऑनलाइन बीआईआरएम अनुकूलन कार्यक्रम का भी आयोजन किया तथा इस अवधि के दौरान समिति ने वृत्तिक संगतता और हित से संबंधित विषयों पर 11 वेबकास्टों और 2 वर्चुअल सीपीई बैठकों का भी आयोजन किया।
- 12 मई, 2021 तक डीआईआरएम पाठ्यक्रम हेतु 5372 रजिस्ट्रीकरण हो चुके थे।

5.5 व्यवसायरत सदस्यों संबंधी समिति (सीएमपी)

व्यवसायरत सदस्यों संबंधी समिति (सीएमपी) चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 के विनियामक प्रावधानों के अधीन सृजित भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान की एक गैर-स्थायी समिति है। इस समिति को फरवरी, 2010 मास में पहले से सृजित समितियों, सीए फर्मों की क्षमता निर्माण संबंधी समिति तथा लघु और मध्यम व्यवसायियों संबंधी समिति को जोड़कर "सीए फर्मों की क्षमता

निर्माण के लिए तथा लघु और मध्यम व्यवसायियों संबंधी समिति" (सीसीबीसीएएफ एंड एसएमपी) को मिलाकर सृजित किया गया। आरंभ में, इस समिति की यह विचार करके स्थापना की गई थी कि उसके माध्यम से सीए फर्मों के सामने आने वाली विभिन्न समस्याओं का समाधान तथा उनकी सक्षमताओं के निर्माण और समेकन को सुकर बनाया जा सके और साथ ही सीए फर्मों की सक्षमता को सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न उपायों की अवधारणा को तैयार और उन्हें कार्यान्वित किया जा सके तथा साथ-साथ सीए फर्मों के समेकन के लिए विस्तृत मार्गदर्शन भी उपलब्ध कराया जा सके। इसी प्रकार, लघु और मध्यम व्यवसायियों के लिए समिति का सृजन वर्ष 2009 में किया गया था ताकि उनकी वृत्ति को प्रभावी रीति में अग्रसर करने के लिए सभी उपायों को समन्वित और लागू करके उन्हें सशक्त किया जा सके। अत:, समिति का अंततोगत्वा उद्देश्य सीए फर्मों के साथ-साथ लघु और मध्यम व्यवसायियों को उनके व्यवसाय पोर्टफोलियो को नवजीवन प्रदान करके सुदृढ़ बनाना है।

वर्ष के दौरान समिति ने सदस्यों के लिए निम्नलिखित पहलें की :--

(I) आईसीएआई के सदस्यों के फायदे हेतु की गई पहलों की सूची :

- आईसीएआई के सदस्यों के लिए यात्रा और होटल बुकिंग संबंधी अनन्य रियायती प्रस्ताव।
- सैमसंग इलैक्ट्रानिक उत्पादों की ओर से उत्पादों के संबंध में अनन्य प्रस्ताव।
- आईसीएआई के सदस्यों और उन पर आश्रित व्यक्तियों के लिए विशेष रियायत प्राप्त नैदानिक और संबद्ध स्वास्थ्य देखभाल परीक्षणों की व्यवस्था।
- आईसीएआई के सदस्यों और उनके आश्रितों के लिए स्वास्थ्य संबंधी देखभाल सेवाओं की व्यवस्था।
- आईसीएआई के सदस्यों के लिए वाणिज्यिक प्रकाशनों से संबंधित विशेष प्रस्ताव।
- आईसीएआई के सदस्यों के लिए सस्ते प्रकाशन और अन्य प्रकाशन।
- टीडीएस साफ्टवेयर : व्यवसायरत सदस्यों संबंधी समिति की एक पहल।
- लेखांकन साफ्टवेयर।
- स्वचालित लेखांकन संपुष्टियों और परस्पर मिलान संबंधी साफ्टवेयर।
- अनुसंधान मैप साफ्टवेयर।
- आईसीएआई के सदस्यों और छात्रों के लिए विशेष कीमत पर एंटी वायरस साफ्टवेयर।
- टैली प्राइस गोल्ड साफ्टवेयर।
- एलआईसी समूह आवधिक बीमा।
- न्यू इंडिया फलेक्सी फ्लोटर ग्रुप मेडिक्लेम पालिसी।
- मोटरयान बीमा।
- वृत्तिक क्षतिपूर्ति बीमा।
- कार्यालय संरक्षा शील्ड पालिसी।
- व्यक्तिक दुर्घटना पालिसी।
- गृह धारक बीमा।

(II) सक्षमता निर्माण

- **डिजीटल संपरीक्षा टूल का विकास :**
    - **संपरीक्षा दस्तावेजीकरण टूल साफ्टवेयर –** यह विभिन्न संपरीक्षा क्रियाकलापों जैसे कि ग्राहक नियोजन, विश्लेषणात्मक प्रक्रियाएं, लेखांकन मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने, लेखांकन मानक, निगम विधियां, विभिन्न संपरीक्षा प्रक्रियाओं संबंधी दस्तावेजीकरण, रिपोर्टिंग आदि को संगठित करने की प्रक्रिया में स्वचालन लाता है और संपरीक्षा की प्रक्रिया को सुगम बनाता है।
    - **डाटा विश्लेषण टूल –** यह संपूर्ण डाटा सामग्री का विश्लेषण करने हेतु एक उपयोगी टूल है और यह केवल संपरीक्षा नमूने के संबंध में कार्यवाही करने की बजाए संपूर्ण का विश्लेषण करता है। कोई संपरीक्षक किसी संपरीक्षा के प्रत्येक

चरण में जोखिम निर्धारणों के संबंध में डाटा विश्लेषणों का उपयोग कर सकता है और उसके माध्यम से एक सकल निष्कर्ष का सृजन कर सकता है ।

- **व्यवसाय प्रबंधन साफ्टवेयर –** यह साफ्टवेयर सदस्यों और फर्मों की उनके ग्राहकों को सेवा उपलब्ध कराए जाने और उनके व्यवसाय प्रबंधन में सहायता करता है । इसमें संकर्म और बिलिंग, सक्षमता संबंधी योजना, दस्तावेजीकरण, केंद्रीकृत ग्राहक डाटाबेस, टाइम शीट और अन्य उपयोगी विशिष्टियां सम्मिलित हैं ।

- **ऑनलाइन डिजीटल पुस्तकालय –** यह पुस्तकालय कानूनी अधिनियमों, अधिसूचनाओं, प्रैस विज्ञप्तियों और संबद्ध निर्णयों को एक ही स्थान पर उपलब्ध कराता है । अंतर्वस्तु डाटाबेस के लिए विभिन्न विषयों की पहचान की गई है, जिसमें – प्रत्यक्ष कर /अंतर्राष्ट्रीय कराधान, माल और सेवाकर (जीएसटी), दिवाला और शोधन अक्षमता विधि, अंतरण कीमत निर्धारण और निगम विधियां सम्मिलित हैं, जिन्हें आईसीएआई के सदस्यों को उपलब्ध कराया जाता है ।

- **वर्चुअल प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम :**
  - **अपील तैयार करने, विलेख और दस्तावेजों का प्रारूपण, अपील प्राधिकारियों और कानूनी निकायों के समक्ष अभ्यावेदन संबंधी वर्चुअल प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम –** अपील तैयार करने, विलेख और दस्तावेजों का प्रारूपण, अपील प्राधिकारियों और कानूनी निकायों के समक्ष अभ्यावेदन संबंधी वर्चुअल प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम को सदस्यों के प्रभावी प्रारूपण कौशलों और उनके ज्ञान का संवर्धन करने के लिए विकसित किया गया है तथा यह सदस्यों को विभिन्न प्राधिकारियों के समक्ष उपस्थित होने से संबंधित विधिक प्रावधानों से अवगत कराता है ।
  - **धन प्रबंधन और वित्तीय योजना पर वर्चुअल प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम (डब्ल्यूएमएफपी) –** समिति ने सदस्यों के लिए नए कैरियर संबंधी अवसरों का वर्धन करने के लिए धन प्रबंधन और वित्तीय योजना संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम आरंभ किया है ।
  - **वर्किंग पेपर प्रबंधन संबंधी वर्चुअल प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम –** यह पाठ्यक्रम किसी सीए फर्म के वर्किंग पेपर प्रबंधन संबंधी व्यापक पहलुओं को समाविष्ट करते हुए ज्ञान की प्रस्थापना करता है, जैसे कि अवसंरचना, आर्टिकल, मानव संसाधन, आय-कर ग्राहक, जीएसटी ग्राहक, कंपनी अधिनियम के अधीन कानूनी संपरीक्षा, लेखांकन और संपरीक्षा मानकों का अनुपालन, कर संपरीक्षा, जीएसटी संपरीक्षा, बैंक संपरीक्षा, विभिन्न अपेक्षाओं के अधीन जारी प्रमाणपत्र और किस प्रकार एक्सेल का उपयोग करते हुए उत्पादकता में अभिवृद्धि की जा सकती है ।
  - **सीए फर्मों की नेटवर्किंग तथा अन्य समेकन उपायों का संवर्धन –** बहु अवस्थानों पर बेहतर वृत्तिक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सामूहिक संसाधन साझा करने हेतु साझा सहयोग के लिए फर्मों की नेटवर्किंग की सुविधा को सीए फर्मो को उपलब्ध कराया गया है । समिति दो दिवसीय संगोष्ठी का संचालन करके ज्ञान के प्रसार द्वारा व्यवसायरत व्यक्तियों/सीए फर्मों के लिए कारपोरेट रूप में विलयन, नेटवर्किंग, निगम प्ररूप में व्यवहारों का संवर्धन कर रही है ।

(III) ज्ञान को साझा करना और उसका संवर्धन

- **आईसीएआई कनेक्ट – https://cmp.icai.org – आईसीएआई के सदस्यों के लिए एक पोर्टल –** समिति ने आईसीएआई के सदस्यों के लिए एक पोर्टल आईसीएआई कनेक्ट की व्यवस्था की है । उपरोक्त एकल विंडो सेल्फ सर्विस पोर्टल की विशेषताओं के अंतगर्त व्यक्तिगत प्रोफाइल और फर्म का गठन देखना, आईसीएआई की घोषणाएं, आईसीएआई को फीस तथा विनियामक प्रभारों के संदाय के ब्यौरे, मेरे लेख के ब्यौरे, विनियामक प्ररूपों तथा आवेदन की प्रास्थिति को देखना, ई-सेवाएं, मेरी फर्में, मेरे साफ्टवेयर, पत्र और प्रमाणपत्र, सीपीई घंटों संबंधी प्रत्यय, नेटवर्किंग, विलयन तथा अलग होने संबंधी मार्गदर्शन आदि हैं ।

(IV) लाइव वेबकास्ट/राष्ट्रीय सम्मेलन/कार्यशाला/संगोष्ठी/आवासीय कार्यक्रम/वर्चुअल प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम

- सीएमपी ने आय कर संबंधी नवीनतम न्यायिक उदघोषणाओं संबंधी व्यवसायियों के क्षमता निर्माण उपायों, जीएसटी के अधीन व्यवसायरत सीए की रणनीतियों, बैंक संपरीक्षा, बेनामी विधि के साथ आय-कर विधि और धन शोधन निवारण अधिनियम की अंत:क्रिया तथा सीए द्वारा इन विधियों के व्यवहार के अवसर, कार्यालय या घर से कार्य, कोविड-19 के पश्चात् सीए वृत्ति का भविष्य – वर्चुअल लेखांकन फर्म, बैंक संपरीक्षा, अनिवासियों संबंधी कराधान और अनिवासियों द्वारा संपत्तियों

के क्रय और विक्रय संबंधी विधि, ई-निर्धारण और ई-अपीलें, कर संपरीक्षा संबंधी वर्किंग पेपर प्रबंधन, कंपनी संपरीक्षा और जीएसटी संपरीक्षा, एसएमपी का पोषण – आंतरिक संपरीक्षा, व्यवसायरत सीए के माध्यम से वर्तमान समय में एमएसएमई के लिए चुनौतियां और उनका समाधान तथा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में व्यवसायरत सीए के लिए नई उभरती भूमिका तथा अवसर, कंपनी संपरीक्षाएं करते समय ली जाने वाली सावधानियां तथा कोविड 19 महामारी को ध्यान में रखते हुए व्यवसायरत सदस्यों के लिए वर्ष 2020 के दौरान अनुसचिवीय अनुपालन, विषयों पर 17 लाइव वेबकास्टों का आयोजन किया था ।

- समिति ने वर्ष के दौरान व्यवसायियों के सक्षमता निर्माण उपायों हेतु आगरा, हैदराबाद, कोणार्क, जमशेदपुर, जयपुर और विशाखापट्टनम में 34 राष्ट्रीय सम्मेलनों, संगोष्ठियों, कार्यशालाओं और आवासीय कार्यक्रमों का आयोजन किया था, जिसमें अनेक सदस्यों ने भाग लिया था और जिसमें विभिन्न विषयों को सम्मिलित किया गया था, जैसे कि वित्तीय रिपोर्टिंग में सुधार संबंधी प्रैक्टिकल गाइड, अनुशासन संबंधी मामलों से सीख, सीएफओ की बदलती भूमिका और संपरीक्षा की गुणवता में सुधार करने तथा सीए व्यवसाय में अभिवृद्धि करने में प्रौद्योगिकी की भूमिका, नए युग की सीए वृत्ति तथा शेयरों और प्रतिभूतियों का कराधान, एसएमपी के लिए बीमा के माध्यम से जोखिम प्रबंधन और अनुशासनिक मामलों से सीख, एक्सेल का उत्तम उपयोग तथा गैर निगम अस्तित्वों के लिए लेखांकन मानक, धन प्रबंध (संपदा संबंधी योजना), एक्सेल के माध्यम से संपरीक्षा की प्रभाविकता में सुधार, आचार-संहिता के व्यावहारिक पहलू तथा लेखांकन मानकों के प्रति व्यवहारिक दृष्टिकोण, वर्ष 2021 का संघीय बजट, प्रत्यक्ष कर प्रस्तावों का विश्लेषण, जीएसटी के अधीन भू-संपदा संव्यवहार तथा आय-कर अधिनियम के अधीन शास्तिक उपबंधों का आलोचनात्मक विश्लेषण, एसएमपी के समक्ष चुनौतियां और अवसर तथा निक्षेप, निदेशकों को ऋण तथा कंपनी अधिनियम के अधीन निवेश, मिथ्या बीजक, इनपुट कर प्रत्यय तथा हाल ही में किए गए जीएसटी में संशोधन, कार्यालय उत्पादकता और आंतरिक संपरीक्षा तथा जोखिम प्रबंधन, आय-कर अधिनियम के अधीन संपरीक्षा के व्यवहारिक पहलू, जीएसटी और कंपनी अधिनियम, आज के इलैक्ट्रानिक युग में वर्किंग पेपर प्रबंधन वृत्तिक संकर्मों के संबंध में विधिक मामले, वृत्तिक संकर्मों में एक्सेल का उपयोग, व्यवसायरत सदस्यों के लिए क्रेडिट रेटिंग संबंधी पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, उत्तराधिकार तथा हिन्दू अविभक्त कुटुंब के माध्यम से वर्चुअल और भौतिक, दोनों प्रकार की पद्धति से कर योजना ।
- समिति ने अप्रैल-जून, 2020 तथा अप्रैल-जुलाई, 2021 मास में "धन प्रबंधन और वित्तीय योजना" तथा "अपीलें तैयार करना, विलेखों और दस्तावेजों का प्रारूपण तथा अपील प्राधिकारियों और कानूनी निकायों के समक्ष प्रतिनिधित्व करने" विषय पर 30 सीपीई घंटे के प्रत्येक वर्चुअल प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों के 4, 6 और 2 बैचों का आयोजन किया ।

5.6 सतत वृत्तिक शिक्षा समिति (सीपीईसी)

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) ने अपनी सीपीई समिति के माध्यम से ऐसे अनेक समर्थनकारी उपाय और पहलें की हैं, जिससे सदस्यों को प्रशिक्षण प्रदान करके उनके ज्ञान को एक वास्तविक हथियार के रूप में संवर्धित करते हुए उन्हें परिवर्तनशील कारबार परिस्थितियों के साथ तालमेल स्थापित करने में समर्थ बनाया जा सके । सीपीईसी अपने सदस्यों को अनेकानेक पहलों के माध्यम से विशेषीकृत पठन की आफलाइन/ऑनलाइन पद्धति के माध्यम से विद्यमान और नए उभरते क्षेत्रों में हुई हाल ही की गतिविधियों के संबंध में अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराती है और संरचित तथा असंरचित पठन संबंधी क्रियाकलापों के माध्यम से उनके लिए आज्ञापक सीपीई घंटों संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करने में उनकी सहायता करती है ।

सीपीई समिति की महत्वपूर्ण उपलब्धियां और नवीन पहलें

(I) सीपीई कथन

वैश्विक अपेक्षाओं और व्यवहारों के समरूप, 3 वर्ष के वर्तमान ब्लॉक (1.1.2020 से 31.12.2022) के लिए सदस्यों के विभिन्न प्रवर्गों को लागू सीपीई क्रेडिट घंटे निम्नानुसार है :--

सदस्यों का प्रवर्ग	सीपीई घंटों संबंधी अपेक्षा
(60 वर्ष से कम आयु के) सदस्य, जिनके पास व्यवसाय का प्रमाणपत्र है (उन सभी सदस्यों को छोड़कर, जो विदेश में रह रहे हैं)	120 (जिसमें से कम से कम 60 सीपीई घंटे संरचनात्मक पठन के होने चाहिए) - प्रत्येक कलैंडर वर्ष में न्यूनतम 20 सीपीई क्रेडिट घंटे संरचनात्मक पठन के

(60 वर्ष या अधिक) के सदस्य, जिनके पास व्यवसाय का प्रमाणपत्र है।	90 (या तो संरचनात्मक या असंरचनात्मक पठन) - प्रत्येक कलैंडर वर्ष में या तो संरचनात्मक या असंरचनात्मक पठन के न्यूनतम 20 सीपीई क्रेडिट घंटे।
(60 वर्ष से कम आयु के) सदस्य, जिनके पास व्यवसाय का प्रमाणपत्र नहीं है, और सभी सदस्य, जो विदेश में निवास कर रहे हैं (चाहे व्यवसाय का प्रमाणपत्र रखते हों या नहीं)	60 (या तो संरचनात्मक या असंरचनात्मक पठन) प्रत्येक कलैंडर वर्ष में या तो संरचनात्मक या असंरचनात्मक पठन के न्यूनतम 15 सीपीई क्रेडिट घंटे।

सदस्यों को छूट

- किसी सदस्य को केवल ऐसे विशिष्ट कलैंडर वर्ष के लिए छूट प्राप्त है, जिसके दौरान वह अपनी सदस्यता पहली बार प्राप्त करता है।
- निम्नलिखित वर्ग के सदस्यों को सीपीई क्रेडिट घंटों की अपेक्षा से छूट प्राप्त है :
  - (60 वर्ष और उससे अधिक आयु के) सभी सदस्य, जिनके पास व्यवसाय प्रमाणपत्र नहीं है।
  - उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों, जिला न्यायालयों और अधिकरणों के सदस्य।
  - संसद् सदस्य/विधान सभा के सदस्य/विधान परिषद् के सदस्य
  - राज्यों के राज्यपाल
  - केंद्रीय और राज्य सिविल सेवाएं
  - उद्यमी (वृत्तिक सेवाओं से भिन्न कारबार (विनिर्माण) संगठनों के स्वामी)
  - न्यायिक अधिकारी
  - सेना सेवा के सदस्य
- **अस्थायी छूटें :**
  - गर्भावस्था के आधार पर एक कलैंडर वर्ष हेतु महिला सदस्य।
  - मामला-दर-मामला आधार पर शारीरिक रूप से अशक्त सदस्य, जिनको न्यूनतम 40 प्रतिशत या अधिक स्थायी अशक्तता है (भारतीय चिकित्सा परिषद् में रजिस्ट्रीकृत किसी चिकित्सक से, जिसे पश्च अर्हता (एम.डी., एम.एस आदि) द्वारा साक्ष्यित सुसंगत विशेषज्ञता प्राप्त हो, चिकित्सा प्रमाणपत्र द्वारा समर्थित हो)
  - लंबी गंभीर बीमारी/रुग्णता या अन्य अशक्तता, जो सीपीईडी द्वारा विनिर्दिष्ट या अनुमोदित की जाए (भारतीय चिकित्सा परिषद् में रजिस्ट्रीकृत किसी चिकित्सक से, जिसे पश्च अर्हता (एम.डी., एम.एस आदि) द्वारा साक्ष्यित सुसंगत विशेषज्ञता प्राप्त हो, चिकित्सा प्रमाणपत्र द्वारा समर्थित हो)
- कोई सदस्य या सदस्यों का कोई वर्ग, जिसे सीपीईडी अपने पूर्ण स्वविवेक से मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के कारण विनिर्दिष्ट या साधारणतया रूप से पूर्ण/आंशिक छूट प्रदान करे, जो उनकी राय में ऐसे व्यक्ति (व्यक्तियों) को कथन में यथा विनिर्दिष्ट सीपीई घंटों की अपेक्षाओं के अनुपालन से निवारित करती है।

(II) आईटी पहलें :

- **सीपीई समाधान** : एक सीपीई प्रश्नोत्तर ई-समाधान मंच – सीपीई समिति ने "सीपीई समाधान" नामक एक विंडों को आरंभ किया है, जो सीपीई पोर्टल के होम पृष्ठ पर उपलब्ध है, जहां सदस्य सीपीई से संबंधित विभिन्न मुद्दों के संबंध में मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अपनी शंकाओं के उत्तर विशेषज्ञों से प्राप्त कर सकते हैं तथा प्रश्नोत्तर सत्र पूरा होने के पश्चात् उत्तरों को एफएक्यू के रूप में सदस्यों की जानकारी हेतु सीपीई पोर्टल www.cpeicai.org पर अपलोड किया जाता है।

- **आईसीएआई – आईसीई : आईसीएआई परस्पर क्रियाशील सीपीई समर्थनकारी** – सीपीई समिति ने आईसीएआई – आईसीई आरंभ किया है जो एक आईसीएआई परस्पर क्रियाशील सीपीई समर्थनकारी उपक्रम है । सदस्य प्रत्येक सीपीई कार्यक्रम के लिए छह अंक की आईसीई पहचान को प्रविष्ट करके आईसीई पोर्टल पर https://ice.icai.org तक पहुंच बना सकते हैं । आईसीई के कोड का उपयोग सदस्यों द्वारा कार्यक्रमों के अनुमोदन के पश्चात् किया जा सकता है, जो उन्हें अग्रिम में प्रश्न पूछने में समर्थ बनाता है और वे अपने उत्तर समय की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए उसके विषय से संबंधित संबद्ध संकाय से सत्र के दौरान प्राप्त कर सकता है ।

- **सतत वृत्तिक शिक्षा (सीपीई) के संबंध में 'नई सामान्य परिस्थितियां'** – कोविड 19 पश्च लोगों को एकत्रित होने से प्रतिषिद्ध किया गया था । अत:, सतत पठन को जारी रखने के लिए यह आवश्यक हो गया था कि ऐसे उत्तम ऑनलाइन मंच विकसित किए जाएं जिन तक किसी भी समय और कहीं से भी पहुंच बनाई जा सके । इस दिशा में सक्रिय कदम उठाते हुए आईसीएआई ने ई-पठन और वर्चुअल कार्यक्रमों से संबंधित अपने सदस्यों के लिए एक नई परिदान प्रणाली को अपनाया है तथा उसने 'नई सामान्य परिस्थितियों' में सामने आई चुनौतियों को अवसरों में परिवर्तित किया है । 'नई सामान्य परिस्थितियों' में आईसीएआई द्वारा सदस्यों की सतत वृत्ति शिक्षा के लिए निम्नलिखित पद्धतियां अपनाई गई :

    - असंरचित सीपीई घंटों को प्रदान करने हेतु वेबीनार कोविड 19 पश्च परिस्थितियों में आईसीएआई की सभी प्रादेशिक परिषदों/शाखाओं और विदेशी चैप्टरों को केवल असंरचित सीपीई घंटें प्रदान करने के लिए पहली बार वेबीनारों का आयोजन करने हेतु अनुमति प्राप्त हुई थी । तथापि, 19 मई, 2020 से केवल केंद्रीय समितियों को ही ऐसे आयोजनों को जारी रखने की अनुमति प्राप्त है ।

    - **संरचित सीपीई घंटे प्रदान करने के लिए वर्चुअल सीपीई बैठकें/ पुनश्चर्या पाठ्यक्रम :**

        - **वर्चुअल सीपीई बैठकें**

          सीपीई समिति ने ऐसी वर्चुअल सीपीई बैठकों (वीसीएम), जिनका आयोजन आईसीएआई की केंद्रीय समितियों, प्रादेशिक परिषदों, शाखाओं, विदेशी चैप्टरों, सीपीई अध्ययन सर्कलों और सीएमआई तथा अध्ययन सर्कलों द्वारा नियंत्रित ऑनलाइन परिस्थितियों में बिना कोई फीस प्रभारित किए किया जाए, में भाग लेने वाले सदस्यों को संरचित सीपीई घंटों को प्रदान करने की अनुमति दी है, जिससे सदस्यों के सामने कोई कठिनाई न आए ।

        - **पुनश्चर्या पाठ्यक्रम**

          केंद्रीय समितियों/ बोर्ड द्वारा विभिन्न विषयों, अर्थात् जीएसटी, फेमा, लेखांकन मानक, आय-कर अपील संबंधी कार्यवाहियां, सीएएटी उपकरणों का उपयोग करते हुए अग्रिम एक्सेल और डाटा डेस बोर्ड, डाटा/ न्यायालयीन विश्लेषण, एसऐपी परिस्थितियों में प्रौद्योगिकी संपरीक्षा, आईएसए और डाटा विश्लेषण संबंधी व्यवहारिक गाइड तथा माइक्रोसाफ्ट एक्सेल पावर टूल के साथ मानसदर्शन और पावर बी-1 के संबंध में पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों के रूप में 136 वर्चुअल सीपीई बैठकों (वीसीएम) का आयोजन किया गया । 1.4.2020 से 30.06.2021 तक की अवधि के दौरान सीपीई पीओयू द्वारा असंरचित सीपीई घंटें प्रदान करने के लिए 453 वेबीनारों और 8927 वीसीएम/ पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों का 5145822 संरचित सीपीई घंटों को प्रदान किए जाने हेतु आयोजन किया गया था और इन कार्यक्रमों में 1637572 सदस्यों ने भाग लिया था ।

- पूरे विश्व में कोविड 19 के प्रभाव को तथा उसके कारण सदस्यों के समक्ष उनके आज्ञापक सीपीई घंटों संबंधी अपक्षाओं को पूरा करने में आने वाली कठिनाईयों को देखते हुए कलैंडर वर्ष 2020 के दौरान आईसीएआई ने ऑनलाइन पद्धति (डिजीटल पठन केंद्र या वर्चुअल सीपीई बैठकों के माध्यम से, जिनके अंतर्गत "आचार-संहिता" और "संपरीक्षा संबंधी मानक" भी हैं) आज्ञापक 20 संरचित सीपीई घंटों को पूरा किए जाने की अनुमति दी थी । इसके अतिरिक्त, कलैंडर वर्ष 2021 में डिजीटल लर्निंग हब/वर्चुअल सीपीई बैठकों के माध्यम से वर्चुअल पद्धति द्वारा 6 संरचित सीपीई घंटों को पूरा किए जाने हेतु अनुमति प्राप्त है, जिसके संबंध में यह सिफारिश की गई है कि उसे बढ़ाकर 20 सीपीई घंटे कर दिया जाए, जिससे इस कठिन समय में सदस्यों के समक्ष कोई कठिनाई न आए । अत:, वीसीएम/डीएलएच के माध्यम से 6 संरचित सीपीई घंटों से अधिक अभिप्राप्त सीपीई घंटों की संगणना को कलैंडर वर्ष 2021 के लिए असंरचित सीपीई घंटों के अनुपालन के प्रयोजन के लिए किया जाना जारी रखा जाएगा ।

- सीपीई/सीएमआई और बी स्टडी सर्कलों तथा सीपीई अध्ययन चैप्टरों द्वारा एजीएम के लिए वीडियो कांफ्रेसिंग (वीसी) किसी अन्य श्रव्य दृश्य उपायों के माध्यम से प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया गया तथा उक्त प्रक्रिया को जारी किया गया, जिससे समन्वयक और उप समन्वयक के निर्वाचनों को कराया जा सके/संपरीक्षकों आदि की नियुक्ति की जा सके ।
- केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा जारी सीपीई और कोविड 19 की रोकथाम संबंधी दिशानिर्देशों का अनुसरण करते हुए 16.11.2020 से आफलाइन/भौतिक पद्धति के माध्यम से सीपीई कार्यक्रमों का आयोजन करने की अनुमति प्राप्त हो गई थी ।
- कोविड 19 फैलने के पश्चात् पहली बार तारीख 4.1.2021 से संरचित सीपीई घंटें प्रदान करने के लिए भौतिक-सह-वर्चुअल पद्धति के द्वारा सीपीई कार्यक्रमों के आयोजन को अनुमति प्रदान की गई थी ।

(III) सदस्यों और सीपीई पीओयू के लिए कोविड 19 महामारी के दौरान की गई अन्य पहलें

- **सीपीई पोर्टल (www.cpeicai.org) –** यह एक ऐसा समर्पित पोर्टल है, जो सदस्यों और सीपीई पीओयू के लिए सीपीई परिदान प्रणाली के प्रबंधन हेतु सर्वोत्तम रूप से समाधान उपलब्ध कराता है । सीपीई पोर्टल सदस्यों को असंरचित और संरचित सीपीई घंटे प्रदान करने के लिए आईसीएआई के सीपीई की संपूर्ण प्रणाली का प्रबंध करता है । सदस्य https://www.cpeicai.org/all-upcoming-programs/ वेब पृष्ठ पर आने वाले कार्यक्रमों /वीसीएम के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं । सीपीई पोर्टल पर उपलब्ध अंतर्वस्तु तक आईसीएआई की मोबाइल ऐप "ICAI Now" के "सीपीई कार्यक्रम" खंड के माध्यम से भी पहुंच बनाई जा सकती है । यह मोबाइल ऐप एंड्रायड और आईओएस दोनों मंचों पर उपलब्ध है ।
- **सीपीई अनुमोदन तंत्र का संवर्धन –** सीपीई पीओयू द्वारा सीपीई कार्यक्रमों के आयोजन के लिए समुन्नत अनुमोदन तंत्र को स्थापित किया गया है, जिसके अंतर्गत उपस्थिति को अपलोड किए जाने संबंधी मॉनिटरी, कार्यक्रमों की संरचना, विषयों का चयन, संकाय आदि भी हैं, जिससे सीपीई कार्यक्रमों की गुणवत्ता में अभिवृद्धि की जा सके ।
- **सीपीई पीओयू की मॉनिटरी और दिशानिर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित करना –** सीपीई पीओयू द्वारा उनके सतत सुधार और बेहतर कार्यकरण हेतु विभिन्न सीपीई दिशानिर्देशों, नियमों और निदेशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उनकी पूरे वर्ष मानीटरी तथा पर्यवेक्षण किया जाता है ।
- **कलैंडर वर्ष 2020 के लिए यूएलए सीपीई प्रस्तुत किए जाने के लिए अंतिम तारीख का विस्तारण –** पूरे राष्ट्र में कोविड 19 महामारी के बढ़ते प्रभाव को ध्यान में रखते हुए कलैंडर वर्ष 2020 के लिए असंरचित पठन क्रियाकलापों के अधीन सीपीई घंटों का दावा करने के लिए स्व:घोषणा प्ररूप को प्रस्तुत करने की तारीख को 31 मई, 2021 से बढ़ाकर 31 जुलाई, 2021 कर दिया गया है ।
- **सदस्यों द्वारा सीपीई घंटों के अनुपालन के लिए अंतिम तारीख का विस्तारण –** कलैंडर वर्ष 2020 के लिए आज्ञापक सीपीई घंटों संबंधी अपेक्षा का अनुपालन (भौतिक रूप से/ आफलाइन रूप से या वर्चुअल सीपीई बैठकों/ डिजीटल पठन केंद्र के माध्यम से वर्चुअल पद्धति द्वारा) करने के लिए अंतिम तारीख को 31 दिसंबर, 2020 से बढ़ाकर 31 जनवरी, 2021 कर दिया गया था ।
- आईसीएआई के सतत वृत्तिक पठन तंत्र ब्राशर का शुभारंभ ।
- सभी सीपीई पीओयू के लिए वीसीएम दिशानिर्देशों के मैनुअल का जारी किया जाना और साथ ही सीपीई पीओयू के विभिन्न प्रवर्गों के लिए पृथक् विनिर्दिष्ट मैनुअलों का भी जारी किया जाना ।
- सीपीई अध्ययन सर्कलों और चैप्टरों द्वारा अरजिस्ट्रीकृत एओपी के सृजन के संबंध में निर्णय का कार्यान्वयन।
- समन्वयक और उप समन्वयक के निर्वाचनों के आयोजन/संपरीक्षकों की नियुक्ति आदि के लिए सीपीई/ सीएमआईएंडबी अध्ययन सर्कलों और सीपीई अध्ययन चैप्टरों द्वारा वीडियो कांफ्रेंसिंग (वीसी) या किसी अन्य आडियो वीडियो माध्यम (ओएवीएस) द्वारा एजीएम के आयोजन हेतु प्रक्रिया को अंतिम रूप प्रदान करना तथा उसे जारी करना ।

(IV) ब्रांड और क्षमता निर्माण

आईसीएआई ने अपने सदस्यों को कक्षा अध्ययन, ई-पठन पद्धति, घरेलू कार्यपालक विकास कार्यक्रमों, वेबकास्टों, जागरुकता कार्यक्रमों, संगोष्ठियों, सम्मेलनों आदि द्वारा निरंतर कौशल निखार की प्रक्रिया के माध्यम से विश्व में सभी ओर होने वाले वृत्तिक और प्रौद्योगिकी परिवर्तनों से बराबर जागरुक करने का पूर्ण प्रयास किया है । कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां निम्नानुसार हैं :

- **कुल सीपीई कार्यक्रम**

  आईसीएआई की सीपीई कार्यक्रम आयोजक इकाईयों द्वारा वृत्तिक हित के विभिन्न विषयों पर देश भर में सदस्यों के लिए 9380 सीपीई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था (जिसके अंतर्गत 1 अप्रैल, 2020 से 30 जून, 2021 के दौरान भौतिक पद्धति से आयोजित किए गए 600 सीपीई कार्यक्रम भी हैं) ।

- **सीए दिवस वर्चुअल राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन**

  सीए दिवस के अवसर पर 29.06.2021 से 01.07.2021 तक "संकट के समय में लचीलापन और वहनीयता" विषय पर (8 असंरचित सीपीई घंटों का क्रेडिट प्रदान करते हुए) तीन दिवसीय वर्चुअल राष्ट्रीय सीए शिखर सम्मेलन, 2021 का आयोजन किया गया ।

- **पुनश्चर्या पाठ्यक्रम**

  (1.4.2020 से 30.06.2021 तक) विभिन्न विषयों अर्थात् जीएसटी, फेमा, लेखांकन मानक, आय-कर अपील कार्यवाहियां, उन्नत एक्सेल और डाटा डेशबोर्ड, सीएएटी उपस्कर प्रयोग करते हुए डाटा/न्यायालयीन विश्लेषण, एसएपी परिस्थितियों में प्रौद्योगिकी संपरीक्षा आईएसए और डाटा विश्लेषण संबंधी व्यवहारिक गाइड तथा माइक्रोसाफ्ट एक्सेल पावर टूल्स के साथ मानसदर्शन और पावर बी-I के संबंध में केंद्रीय समितियों/बोर्ड द्वारा पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों के रूप में 136 वर्चुअल सीपीई बैठकें (वीसीएम) आयोजित की गई ।

- **राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम और अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं**

  आईसीएआई की सीपीई आयोजक इकाईयों/आईसीएआई की केंद्रीय समितियों/ बोर्डों/आईसीएआई आरवीओ/ आईआईआईपीआई द्वारा सदस्यों के लिए 713 सीपीई कार्यक्रमों और अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं का आयोजन किया गया था, जिनकी मेजबानी आईसीएआई की प्रादेशिक परिषदों/शाखाओं द्वारा की गई थी ।

- **633 सीपीई कार्यक्रम आयोजक इकाईयों (पीओयू) का सुदृढ़ नेटवर्क आधार**

  सदस्यों को उनके निकटवर्ती स्थानों में सीपीई क्रियाकलापों को करने के लिए देश के मुफसिल/दूरस्थ क्षेत्रों में सहायता करने के लिए 20 नए सीपीई पीओयू खोले गए, जिससे भारत और विदेश में 633 सीपीई पीओयू के मजबूत नेटवर्क तक पहुंच प्राप्त हुई ।

(V) सामाजिक सहायता – राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्धता :--

वर्ष के दौरान जीएसटी और जीएसटी संपरीक्षा, नैतिक मानक, नैतिक संहिता, वृत्तिक नैतिकता, कंपनी अधिनियम, संपरीक्षा मानक, रेरा, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, साफ्ट कौशल तनाव प्रबंध, जीवन शैली प्रबंध, जहां योगा ही जीवन शैली है, कार्य और जीवन में संतुलन, विमुद्रीकरण, कालाधन, बेनामी संव्यवहार और अप्रकट आय, भारत में कारबार करने की सुगमता, स्टार्ट-अप, निगम सामाजिक उत्तरदायित्व, निवेशक जागरुकता, विवाद से विश्वास विधेयक, 2020 – मुद्दे और चुनौतियां, ब्लॉक चेन प्रौद्योगिकी, आईसीडीएस (आय संगणना और प्रकटन मानक) और आत्मनिर्भर भारत आदि पर भौतिक ढंग और वर्चुअल ढंग से 3028 सीपीई कार्यक्रम आयोजित किए गए ।

5.7 निगम विधियां और निगम शासन संबंधी समिति (सीएलएंडसीजीसी)

निगम विधियां और निगम शासन संबंधी समिति के पास वृत्ति के सशक्तिकरण के साथ-साथ सर्वोत्तम वैश्विक व्यवहारों के साथ उचित निगम शासन के वर्धन और उसे सुकर बनाने की दिशा में प्रमुख भूमिका निभाने का दृष्टिकोण है । समिति, सरकार के साथ विनियामक ढांचे को मजबूत करने के लिए समन्वयकारी प्रयास कर रही है तथा निरंतर कारपोरेट कार्य मंत्रालय के साथ संवाद कर रही है और कंपनी अधिनियम, 2013 से संबंधित विभिन्न मुद्दों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत कर रही है/सुझाव दे रही है/निरंतर इनपुट दे रही है । समिति का लक्ष्य निगम विधियों के संबंध में सदस्यों के ज्ञान को अद्यतन करना है ।

महत्वपूर्ण उपलब्धियां और पहलें

(I) एमसीए/सेबी को अभ्यावेदन/सुझाव/सिफारिशें

कंपनी अधिनियम, 2013

समिति कंपनी अधिनियम, 2013 के सहज कार्यान्वयन के लिए कारपोरेट कार्य मंत्रालय के साथ नियमित रूप से संवाद करती है । समिति ने कारपोरेट कार्य मंत्रालय को निम्नलिखित अभ्यावेदन/इनपुट/राय/सुझाव प्रस्तुत किए :

अभ्यावेदन

- अप्रैल, 2021 में, कंपनी (संपरीक्षा और संपरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के उपबंधों के लागू होने के संबंध में स्पष्टीकरण उपलब्ध कराने का अनुरोध, जिससे संपरीक्षक की रिपोर्ट में अतिरिक्त अन्य विषयों को सम्मिलित किया जा सके ।
- जनवरी, 2021 में, कंपनी अधिनियम, 2013 और तद्धीन बनाए गए नियमों में कतिपय मुद्दों के संबंध में अभ्यावेदन – उपांतरणों के लिए सुझाव ।
- दिसंबर, 2020 में, वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए 31 मार्च, 2021 तक एजीएम के आयोजन को विस्तारित करने के लिए अभ्यावेदन ।
- सितंबर, 2020 में, कोविड 19 महामारी के कारण समय-सीमाओं में विस्तार दिए जाने संबंधी अभ्यावेदन ।
- सितंबर, 2020 में, डीआईआर-3 केवाईसी फाइल करने की अंतिम तारीख को विस्तारित करके 31 मार्च, 2021 करने संबंधी अभ्यावेदन ।
- सितंबर, 2020 में, पुनरीक्षित सीमित दायित्व भागीदार समाधान स्कीम (एलएलपीएसएस), 2020 को 31 मार्च, 2021 तक विस्तारित किए जाने के लिए अभ्यावेदन ।
- सितंबर, 2020 में, कंपनी नया आरंभ स्कीम, 2020 को 31 मार्च, 2021 तक विस्तारित किए जाने के लिए अभ्यावेदन ।
- सितंबर, 2020 में, ऐसी कंपनियों के लिए, जिनका वित्तीय वर्ष 31 दिसंबर, 2019 को समाप्त हो गया था, 31 दिसंबर, 2020 तक वार्षिक साधारण बैठक (एजीएम) आयोजित करने के लिए समय विस्तारण संबंधी अभ्यावेदन ।
- अगस्त, 2020 में, वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए एजीएम के आयोजन को विस्तारित करने के लिए अभ्यावेदन ।
- जुलाई, 2020 में, एनएफआरए 2 फाइल किए जाने तथा वर्ष 2017-18 के संबंध में उसे लागू करने हेतु समय-सीमा में विस्तारण किए जाने संबंधी अभ्यावेदन ।
- मई, 2020 में कंपनी नई समाधान स्कीम, 2020 में अंतर्वलित कतिपय मुद्दों के संबंध में एमसीए को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया ।

सुझाव

- जून, 2021 में, विदेशी कंपनियों के निगमीकरण के लिए विनियामक और कार्यान्वयन ढांचे के संबंध में ब्यौरेवार अध्ययन ।
- मार्च, 2021 में, इंड एएस 115 में परिवर्तन संबंधी समायोजनों के कारण सकल आवर्त की परिभाषा से संबंधित मुद्दे का प्रत्युत्तर तथा एमसीए से प्राप्त किए गए अनुसार नए इंड एएस में परिवर्तन संबंधी समायोजनों के कारण आरक्षितियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की दशा में लाभांश के वितरण संबंधी अनुतोष के संबंध में प्रत्युत्तर ।
- मार्च, 2021 में एमसीए – 21 ई-शासन पोर्टल के नए रूप विधान के विकास हेतु मुद्दों और विशिष्टियों के संबंध में प्रतिक्रियाएं/सुझाव ।
- मार्च, 2021 में कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन अनुसंधान और विकास (आरएंडडी) व्यय के सटीक लेखांकन के लिए एमसीए में निगम डाटा प्राप्ति और उसे पुन: प्राप्त करने संबंधी प्रणाली में सुधार के लिए आईसीएआई के सुझाव ।
- जुलाई, 2020 में, "क्या किसी शेयर प्रीमीयम के कारण प्राप्त हुई नकदी से पूंजी आस्तियों के क्रय के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 के किन्ही उपबंधों का उल्लंघन हुआ है" प्रश्न पर आईसीएआई की राय एमसीए को प्रस्तुत की गई ।
- सितंबर, 2020 में, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 406 और तद्धीन बनाए गए नियमों के अनुसार निधि कंपनियों से संबंधित विनियामक और अन्य पहलुओं के संबंध में आईसीएआई के सुझाव ।

सिफारिशें

- अप्रैल, 2021 में सेबी द्वारा स्वतंत्र निदेशकों के संबंध में जारी विनियामक उपबंधों के पुनर्विलोकन पर परामर्श पत्र के संबंध में आईसीएआई की सिफारिशें।
- मार्च, 2021 में, सीमित दायित्व भागीदारी (एलएलपी) अधिनियम, 2008 के अधीन शमनीय अपराधों को अपराधों की श्रेणी में न रखे जाने संबंधी आईसीएआई की सिफारिशें।
- मार्च, 2021 में, सीमित दायित्व भागीदारी (एलएलपी) अधिनियम, 2008 के अधीन अपराधों को अपराधों की श्रेणी से बाहर किए जाने के संबंध में कंपनी विधि समिति की रिपोर्ट के संबंध में सिफारिशें।
- सितंबर, 2020 में, एलएलपी के लिए कारबार करने की सुगमता पर विचार करने हेतु अनुरोध
- जून, 2020 में एनएफआरए द्वारा संपरीक्षा फाइलों को प्रस्तुत किए जाने के लिए जारी प्रारूप प्रक्रिया के संबंध में आईसीएआई की सिफारिशें।

(II) वर्ष 2020-21 के दौरान विभिन्न समितियों और समूहों की सदस्यता

- आईसीएआई निगम शासन संबंधी राष्ट्रीय फाउंडेशन की शासी परिषद् (एनएफसीजी) का एक सदस्य है।
- आईसीएआई, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा गठित अनुसचिवीय मानक बोर्ड (एसएसबी) का सदस्य है।
- आईसीएआई गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय के अन्वेषण मैनुअल के प्रारूपण परिशिष्ट के लिए समिति का एक सदस्य है।
- आईसीएआई, पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की कंपनी विधि और निगम शासन समिति का एक सदस्य है।
- आईसीएआई कंपनी (निक्षेप की स्वीकार्यता) नियम, 2014 के परीक्षण वाले समूह का एक सदस्य है।
- आईसीएआई कंपनी अधिनियम, 2013 को सरल बनाने से संबंधित सुझावों के परीक्षण के लिए उप समूह (2) का सदस्य है।
- आईसीएआई कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन कार्य को सरल बनाने हेतु कार्य समिति का सदस्य है।
- आईसीएआई सेबी द्वारा गठित सीमित पुनर्विलोकन और संबंधित प्रक्रिया के विस्तार क्षेत्र संबंधी समूह का सदस्य है।

(III) कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रभाग 1, 2 और 3 संबंधी मार्गदर्शन टिप्पण का पुनरीक्षण

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची 3 में किए गए संशोधनों को विचार में लेते हुए, जो 1 अप्रैल, 2021 से लागू होने हैं, समिति ने मई, 2021 मास से उसके द्वारा पूर्व में निकाले गए निम्नलिखित प्रकाशनों को पुनरीक्षित करने की प्रक्रिया आरंभ की है :

- कंपनी अधिनियम, 2013 प्रभाग 1 – गैर इंड एएस अनुसूची 3 संबंधी मार्गदर्शन टिप्पण।
- कंपनी अधिनियम, 2013 प्रभाग 2 – इंड एएस अनुसूची 3 संबंधी मार्गदर्शन टिप्पण।
- एनबीएफसी के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 प्रभाग 3 – अनुसूची 3 संबंधी मार्गदर्शन टिप्पण, जिससे इंड एएस का अनुपालन करना अपेक्षित है।

(IV) ऐसी कंपनियों के संबंध में, जो सेबी (आरइआईटी) विनियम, 2014 के अधीन एसपीबी के रूप में अर्हित हैं, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123(2) के अधीन छूटों की परीक्षा हेतु राष्ट्रीय भू-संपदा विकास परिषद् (एनएआरईडीसीओ) के प्रतिनिर्देश से एमसीए द्वारा सुझावों की ईप्सा।

आईसीएआई को नवंबर, 2020 में एमसीए से एक पत्र प्राप्त हुआ, जिसके माध्यम से, ऐसी कंपनियों के संबंध में, जो सेबी द्वारा विहित आरइआईटी विनियम के अधीन एसपीबी के रूप में अर्हित हैं, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123(2) के अधीन छूटों की परीक्षा हेतु राष्ट्रीय भू-संपदा विकास परिषद् (एनएआरईडीसीओ) के प्रतिनिर्देश से सुझावों की ईप्सा की गई थी। इस संबंध में, समिति ने इस विषय पर विचार-विमर्श किया और एमसीए को प्रस्तुत किए जाने के लिए उत्तर तैयार किया।

(V) कंपनी अधिनियम, 2013 और एलएलपी अधिनियम, 2008 से संबंधित संबद्ध प्रक्रियाओं के सुव्यवस्थीकरण, उनमें कमी लाने तथा उन्हें सरल बनाने के लिए अपेक्षाओं संबंधी कार्यकरण

कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने कंपनी अधिनियम, 2013 तथा एलएलपी अधिनियम, 2008 और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों की, विभिन्न अनुपालनों की संगतता और अपेक्षाओं की संवीक्षा करने तथा संबद्ध प्रक्रियाओं के सुव्यवस्थीकरण करने, उनमें कमी करने तथा उन्हें सरल बनाने के उद्देश्य से अगस्त, 2020 में एक समिति का गठन किया है । इस संबंध में, समिति दोनों अधिनियमों का विभिन्न अनुपालनों की संगतता और अपेक्षाओं की संवीक्षा करने तथा संबद्ध प्रक्रियाओं के सुव्यवस्थीकरण करने, उनमें कमी करने तथा उन्हें सरल बनाने के उद्देश्य से कार्यवाही कर रही है ।

(VI) स्वतंत्र निदेशकों संबंधी पोर्टल के संबंध में कार्य करने हेतु आईआईसीए के साथ सहयोग

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान और भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान (आईआईसीए) ने आईसीएआई और आईआईसीए के बीच स्वतंत्र निदेशकों संबंधी पोर्टल के संबंध में कार्यकरण हेतु भागीदारी के संबंध में जुलाई, 2020 में एक परस्पर समझ ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं । आईसीएआई आईडी के सतत वृत्तिक विकास के लिए सलाहकारी, अनुसंधान और मामला अध्ययनों, सक्षमता निर्माण, स्व:निर्धारण के क्षेत्रों में अपना सहयोग प्रदान करेगा ।

(VII) प्रतिनिधि मंडलों के साथ बैठकें

- 13 अगस्त, 2020 को नई एमसीए – 21 प्रणाली से संबंधित मुद्दों और उसकी विशिष्टियों के संबंध में चर्चा करने के लिए एमसीए और आईसीएआई की एक बैठक का आयोजन ।
- 26 अगस्त, 2020 को निवेशक अनुमति प्रकोष्ठ के संबंध में संयुक्त सचिव, एमसीए के साथ बैठक ।
- 16 मार्च, 2020 को स्टार्ट अप संगमों के साथ संयुक्त सचिव, एमसीए की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन, जिसमें संपरिवर्तनीय टिप्पणों, स्टार्ट अप द्वारा पूंजी एकत्रित करने के सुगम उपाय, फेमा ढांचे के अधीन उचित बाजार मूल्य से संबंधित मुद्दों, कंपनी अधिनियम, 2013 और आय-कर अधिनियम, 1962, प्रति तनुकरण उपबंधों आदि के संबंध में स्टार्ट अप द्वारा उठाए गए कतिपय मुद्दों पर विचार किया गया ।

(VIII) कारपोरेट कार्य मंत्रालय के साथ संयुक्त रूप से वेबकास्ट का आयोजन

एमसीए के सहयोग से आईसीएआई की सीएलएंडसीजीसी द्वारा 9 अप्रैल, 2020 को कंपनी नई समझौता स्कीम, 2020 तथा पुनरीक्षित एलएलपी समाधान स्कीम, 2020 के विश्लेषण और उनकी प्रमुख विशिष्टियों से संबंधित एक वेबकास्ट का आयोजन किया गया था ताकि सदस्यों को इन स्कीमों के महत्वपूर्ण बिन्दुओं के संबंध में अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराई जा सके । इस वेबकास्ट को एमसीए के विभिन्न पदधारियों जैसे कि श्री के.वी.आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव, श्री के.एम.एस. नारायणन, सहायक निदेशक और श्री भास्कर सुब्रामणियन, उद्योग प्रमुख इंफोसिस – एमसीए 21, डोमेन विशेषज्ञों ने संबोधित किया था ।

(IX) प्रकाशन

- ➢ भारत में विदेशी कंपनियों के निगमन संबंधी तकनीकी गाइड ।
- ➢ कोविड 19 महामारी के कारण विनियामक अनुपालनों के शिथिलीकरण संबंधी पुस्तिका – श्रृंखला 2 ।
- ➢ भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध किए जाने संबंधी बाध्यताएं और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 से संबंधित बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) ।
- ➢ महिला निदेशकों की भूमिका संबंधी हैड बुक ।
- ➢ एलएलपी अधिनियम, 2008 और तदधीन बनाए गए नियमों के अनुसार सीमित दायित्व भागीदारी का कानूनी अनुपालन कलैंडर ।
- ➢ सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 से संबंधित बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) ।
- ➢ निगम शासन परिप्रेक्ष्य से स्वतंत्र निदेशकों के उपबंधों संबंधी तकनीकी गाइड ।
- ➢ कंपनी अधिनियम, 2013 और एलएलपी अधिनियम, 2008 के अधीन प्रभार रजिस्ट्रीकरण, उपांतरण और समाधान संबंधी तकनीकी गाइड ।

- कोविड 19 महामारी के कारण विनियामक अनुपालनों के शिथिलीकरण संबंधी पुस्तिका ।
- स्पाइस+ के माध्यम से कंपनियों के सुगम निगमन संबंधी तकनीकी गाइड ।

(X) कारपोरेट विधियों से संबंधित सदस्यों के वृत्तिक विकास के लिए अद्यतन जानकारी

समिति वृत्तिक विकास के लिए सदस्यों हेतु नियमित रूप से अद्यतन जानकारी की श्रृंखला जारी करती है, जिसके अंतर्गत कारपोरेट विधियों पर अद्यतन जानकारी भी हैं। आईसीएआई की वेबसाइट पर 30 जून, 2021 तक अद्यतन 34वां अंक अपलोड किया गया है । इसके अतिरिक्त, सदस्यों के बीच जागरुकता के सृजन के लिए आईसीएआई की वेबसाइट पर विभिन्न उदघोषणाओं/ निगम विधियों को शासित करने वाले विभिन्न संशोधनों के विश्लेषण को तैयार करके अपलोड किया जाता है ।

(XI) कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा आरंभ की गई विभिन्न स्कीमों के संबंध में बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)

कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने वैश्विक महामारी के कारण आई बाधाओं को ध्यान में रखते हुए कंपनियों को अनुतोष प्रदान करने हेतु विभिन्न स्कीमों को आरंभ किया था । इस संबंध में, अपने सदस्यों और पणधारियों के फायदे के लिए समिति ने उपरोक्त स्कीमों से संबंधित निम्नलिखित बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) को तैयार किया तथा उन्हें आईसीएआई की वेबसाइट पर अपलोड किया :

- एमसीए द्वारा तारीख 3.5.2021 को जारी कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन प्रभारों के सृजन या उपांतरण से संबंधित प्ररूपों को भरे जाने हेतु समय को शिथिल किए जाने संबंधी परिपत्र के संबंध में एफएक्यू - पुनरीक्षित ।
- एमसीए द्वारा तारीख 3.5.2021 को जारी कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन प्रभारों के सृजन या उपांतरण से संबंधित प्ररूपों को भरे जाने हेतु समय को शिथिल किए जाने संबंधी परिपत्र के संबंध में एफएक्यू ।
- 30.03.2021 को एमसीए द्वारा जारी कंपनी नया आरंभ स्कीम, 2020 संबंधी एफएक्यू ।
- एमसीए द्वारा 4.3.2021 को जारी तथा 30.03.2021 को उपांतरित एलएलपी समाधान स्कीम, 2020 संबंधी एफएक्यू ।
- एमसीए द्वारा 17.06.2021 को जारी कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन प्रभारों के सृजन या उपांतरण से संबंधित प्ररूप भरे जाने के लिए समय के विस्तारण संबंधी स्कीम संबंधी एफएक्यू ।

(XII) कार्यक्रम/सम्मेलन/वेबकास्ट/पाठ्यक्रम

समिति ने महिला स्वतंत्र निदेशकों के संबंध में लाइव वेबकास्टों/वेबीनारों/ राष्ट्रीय सम्मेलनों/पाठ्यक्रमों/वर्चुअल सीपीई बैठकों का आयोजन किया, जिनमें कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची 3 में किए गए संशोधनों तथा सीएआरओ 2020, स्वतंत्र निदेशकों की भूमिका के संबंध में खंड-दर-खंड विश्लेषण किया गया तथा सेबी द्वारा स्वतंत्र निदेशकों, कोविड 19 पश्च अर्थव्यवस्था और शासन से संबंधित विनियामकों के पुनर्विलोकन संबंधी परामर्श पत्र, आईसीएआई अगुवाई शिखर सम्मेलन – कोविड 19 पश्च परिस्थितियों में, आदि विषयों पर चर्चा की गई । इसके अतिरिक्त, निगम विधियों विषय पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन, कंपनी विधि संबंधी एक वर्चुअल पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, कंपनी अधिनियम, 2013, निगम विधियों संबंधी वर्चुअल सीपीई बैठकों, कंपनी अधिनियम, 2013 में किए गए हाल ही के संशोधनों, ऋणों, अग्रिमों, निक्षेपों, अंत:निगम ऋणों, प्राइवेट कंपनी संपरीक्षा में दोषों आदि जैसे विषयों पर भी वर्चुअल सीपीई बैठकों का आयोजन किया गया ।

5.8 प्रत्यक्ष कर समिति (डीटीसी)

(I) अभ्यावेदन

समिति समय-समय पर सीबीडीटी को विभिन्न अभ्यावेदन प्रस्तुत करती रही है । सीबीडीटी के समक्ष उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण विषय निम्नानुसार हैं :

- निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए अधिसूचित नए आईटीआर प्ररूपों के संबंध में आईसीएआई की चिंताओं पर विचार करने हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जाना ।
- अधिसूचना सं. 35/2020, तारीख 24.06.2020 और तारीख 24.06.2020 की प्रैस विज्ञप्ति तथा संबद्ध विषयों में अंतर्वलित कतिपय मुद्दों के संबंध में स्पष्टीकरण जारी करने का अनुरोध करते हुए अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जाना ।

- आय-कर अधिनियम, 1961 के अधीन विभिन्न अनुपालनों हेतु 31.07.2020 की अंतिम तारीख में सम्यक् विस्तारण करने संबंधी आईसीएआई के अनुरोध के संबंध में स्मरण पत्र प्रस्तुत करते हुए अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जाना।
- आईटीआर के संबंध में कार्यवाहियों और अन्य संबद्ध विषयों में अंतर्वलित विभिन्न मुद्दों के संबंध में अध्यक्ष, सीबीडीटी को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जाना।
- आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 115खखघक और धारा 115ञग के उपबंधों को एक साथ लागू करते समय समुचित संशोधनों की सिफारिश करने हेतु अनुरोध।
- आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 54 या धारा 54च के अधीन छूट का दावा करने वाले निर्धारितियों के समक्ष आने वाली कठिनाईयों पर विचार करने हेतु अनुरोध।
- सीपीसी, बंगलूरू द्वारा आईटीआर प्ररूपों के संबंध में कार्यवाही किए जाने से संबंधित निर्धारितियों के समक्ष आने वाले मुद्दों का समाधान करने हेतु अनुरोध।
- आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 206ग(1छ)/(1ज) तथा धारा 194(ण) के उपबंधों में वित्त अधिनियम, 2020 द्वारा किए गए संशोधनों के, जो विधि के रूप में 1.10.2020 से लागू हो रहे हैं, कार्यान्वयन को आस्थगित करने या उनमें समयानुरूप उपाय और/या उचित परिवर्तन करने हेतु अनुस्मरण के रूप में एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जाना।
- निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए आय-कर विवरणी प्ररूपों सहित कर संपरीक्षा रिपोर्टों और अन्य संबद्ध विवरणियों को प्रस्तुत करने के लिए समय को विस्तारित करने का अनुरोध करते हुए अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जाना।
- आय-कर अधिनियम, 1961 के अधीन विभिन्न अंतिम तारीखों, विशेष रूप से निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए आय-कर विवरणी प्ररूपों सहित कर संपरीक्षा रिपोर्टों और संबद्ध विवरणियों तथा अन्य टीडीएस/टीसीएस संबंधी अनुपालनों आदि की अंतिम तारीखों को विस्तारित किए जाने संबंधी आईसीएआई के अनुरोधों के संबंध में अनुस्मारक के रूप में एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जाना।
- सबका विश्वास – (लीगेसी विवाद समाधान) स्कीम, 2019 (एसवीएलडीआरएस) के अधीन सम्यक् रूप से उपबंधित अनुतोष के समरूप प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम, 2020 (डीटीबीएसवी) के अधीन करों के संदाय में अनुतोष देने संबंधी समुचित संशोधनों की सिफारिश करने हेतु अनुरोध करते हुए अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जाना।
- सबका विश्वास – (लीगेसी विवाद समाधान) स्कीम, 2019 (एसवीएलडीआरएस) के अधीन सम्यक् रूप से उपबंधित अनुतोष के समरूप प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम, 2020 (डीटीबीएसवी) के अधीन करों के संदाय में अनुतोष दिए जाने हेतु उपयुक्त संशोधनों की सिफारिश करने हेतु अनुरोध करते हुए अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जाना।
- प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम, 2020 के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए स्पष्टीकरण (एफएक्यू) जारी करने का अनुरोध करते हुए अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जाना।
- आय-कर अधिनियम, 1961 के अधीन विभिन्न अंतिम तारीखों को विस्तारित करने का अनुरोध करते हुए अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जाना।
- प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम, 2020 के परिधि क्षेत्र को और व्यापक बनाने हेतु सुझावों पर विचार करने का अनुरोध करते हुए अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जाना।
- आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 80झखक के अधीन समयावधि को कोविड 19 महामारी को ध्यान में रखते हुए कम से कम दो वर्ष की आगे और अवधि के लिए विस्तारित करने हेतु समुचित संशोधनों की सिफारिश करने का अनुरोध करते हुए अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जाना।
- आय-कर अधिनियम, 1961 के अधीन विभिन्न अंतिम तारीखों, विशेष रूप से निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए कर संपरीक्षा रिपोर्टों और संबंधित विवरणियों तथा आय-कर विवरणी प्ररूपों को फाइल करने की अंतिम तारीख को विस्तारित करने संबंधी आईसीएआई के अनुरोधों पर तुरंत विचार किए जाने के लिए स्मरण कराते हुए अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जाना।
- आय-कर अधिनियम, 1961 के अधीन विभिन्न अंतिम तारीखों, विशेष रूप से निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए कर संपरीक्षा रिपोर्टों और संबंधित विवरणियों तथा आय-कर विवरणी प्ररूपों को फाइल करने की अंतिम तारीख को विस्तारित करने के लिए अनुरोध करते हुए अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जाना।

- आय-कर अधिनियम, 1961 के अधीन विभिन्न अंतिम तारीखों, विशेष रूप से निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए कर संपरीक्षा रिपोर्टों और संबंधित विवरणियों तथा आय-कर विवरणी प्ररूपों को फाइल करने की अंतिम तारीख को आगे और विस्तारित करने संबंधी मुद्दे पर विचार करने के लिए अनुरोध करते हुए अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जाना ।
- संपर्क रहित निर्धारण और अपील स्कीमों के संबंध में आईसीएआई के मुद्दों और सुझावों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जाना ।
- निर्धारितियों की कतिपय चिंताओं का समाधान करने के लिए अनुरोध करते हुए अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जाना ।
- शीघ्रताशीघ्र स्लंप सेल के संबंध में उचित बाजार मूल्य विहित करने हेतु नियमों को अधिसूचित करने के लिए अनुरोध करते हुए अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जाना ।
- वर्तमान में, कोविड 19 महामारी द्वारा उदभूत परिस्थितियों को विचार में लेते हुए करदाताओं/ पणधारियों के हितों को सुरक्षित करने के लिए सक्रिय रूप से सभी संभव और उपयुक्त उपाय करने का अनुरोध करते हुए अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जाना ।
- परिपत्र संख्या 08/2021, तारीख 30.04.2021 के द्वारा उपलब्ध कराए गए अनुतोष के समरूप मार्च और अप्रैल, 2021 मासों के लिए टीडीएस के संदाय से और वित्तीय वर्ष 2020-21 की चौथी तिमाही के लिए टीडीएस और टीसीएस विवरण फाइल करने हेतु अनुतोष उपलब्ध कराने के लिए अनुरोध करते हुए अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जाना ।
- नियोजकों द्वारा अपने मृतक कर्मचारियों के विधिक उत्तराधिकारियों/नामनिर्देशितियों को उपलब्ध कराई गई सहायता की कराधेयता के संबंध में स्पष्टीकरण जारी करने का अनुरोध करते हुए अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जाना ।
- स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर के निवेश का संवर्धन करने और स्वास्थ्य देखभाल के लिए समर्पित गैर-सरकारी संगठनों द्वारा पर्याप्त रूप से निधियां जुटाने को सुकर बनाने के लिए कोई फायदाप्रद परिपत्र जारी करने या उपयुक्त संशोधन करने के मुद्दे पर विचार करने का अनुरोध करते हुए अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जाना ।
- आय-कर नियम, 1962 के नियम 17ग में अवसंरचना निवेश न्यासों (आईएनवीआईटी) में निवेश करने के लिए पूर्त्त संगठनों को अनुमति प्रदान करने का अनुरोध करते हुए अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जाना ।

(II) मंत्रालय/सीबीडीटी के साथ बैठकें

- अध्यक्ष, सीबीडीटी के साथ वर्चुअल बैठक – 23.12.2020 को श्री प्रमोद चंद मोदी, अध्यक्ष, सीबीडीटी और सीबीडीटी के अन्य पदधारियों के साथ एक ऑनलाइन पूर्व बजट बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रत्यक्ष कर से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों को अंतर्विष्ट करने वाली एक पावर पाइंट प्रस्तुति अध्यक्ष, प्रत्यक्ष कर समिति द्वारा की गई थी । पूर्वोक्त बैठक में प्रत्यक्ष कर तथा अंतर्राष्ट्रीय कराधान से संबंधित प्रमुख सुझावों पर चर्चा की गई थी । आईसीएआई के सुझावों की सम्यक् रूप से सराहना की गई थी ।

(III) संघीय बजट के संबंध में क्रियाकलाप

- सरकार को आईसीएआई/डीटीसी/2020-21/आरईपी-25, तारीख 13 नवंबर, 2021 द्वारा एक बजट पूर्व ज्ञापन, 2021 प्रस्तुत किया गया था ।
- वित्त मंत्रालय को बजट पश्च ज्ञापन, 2021 प्रस्तुत किया जाना ।

(IV) अन्य पहलें

- प्रकाशन
    - आय-कर से छूट हेतु पूर्त तथा धार्मिक संस्थाओं का रजिस्ट्रीकरण
    - कराधान संपरीक्षा क्वालिटी पुनर्विलोकन बोर्ड के साथ आय-कर अधिनियम, 1961 (जांच सूची) की धारा 44कख के अधीन कर संपरीक्षा के प्रति दृष्टिकोण
- आय-कर अपील कार्यवाहियों, कर संपरीक्षा, आय-कर विवरणियों आदि जैसे विषयों के संबंध में ऑनलाइन पुनश्चर्या पाठ्यक्रम का आयोजन किया गया था ।

- प्रत्यक्ष करों से संबंधित विषयों जैसे कि सीबीडीटी द्वारा समय-समय पर अधिसूचित परिपत्रों, अधिसूचनाओं, प्रैस विज्ञप्तियों, आदेशों आदि के संबंध में आईसीएआई की वेबसाइट पर नियमित रूप से अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराना । समिति सीए जर्नल में सीबीडीटी द्वारा जारी महत्वपूर्ण परिपत्रों, अधिसूचना, पैस विज्ञप्तियों, आदेशों आदि से संबंधित मासिक रूप से लेख भी प्रस्तुत करती है ।

(IV) संगोष्ठियां/सम्मेलन/कर जागरुकता कार्यक्रम/कार्यशालाएं

समिति ने इस अवधि के दौरान प्रत्यक्ष करों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर संगोष्ठियों/सम्मेलनों/वेबकास्टों/व्याख्यान बैठकों आदि का आयोजन किया था :

- आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 148 के अधीन सूचना, प्रत्यक्ष करों, संपर्क रहित निर्धारण और अपीलों में अंतर्वलित जटिलताओं, कर संपरीक्षा तथा वित्त अधिनियम, 2021 जैसे विषयों पर वर्चुअल सीपीई बैठकों का आयोजन किया गया । इसके अतिरिक्त, प्रत्यक्ष कर से संबंधित एक दो दिवसीय कार्यक्रम तथा उत्तराधिकार और हिन्दू अविभक्त कुटुंब योजना के संबंध में एक वीसीएम, वर्चुअल निर्धारण कार्यवाहियों, संपर्क रहित सीटीटी (ए) आदि का भी आयोजन किया गया था । सामान्य रूप से पाए जाने वाले अननुपालनों/त्रुटियों – प्ररूप सं. 3गक/3गख/3गघ, आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 44कख के अधीन कर संपरीक्षा रिपोर्ट, संपर्क रहित अपील, वर्चुअल न्यायालयों और कर संबंधी मुकदमेबाजी में कैरियर में अन्य चुनौतियों से संबंधित कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया था । बजट के समय भारत की 17 मून शॉट लिवरेजिंग एसडीजी – अद्वितीय और संपूर्ण विश्व को पीछे छोड़ते हुए 10 प्रतिशत की दर से विकास और 10 ट्रिलीयन की अर्थव्यवस्था, जीडीपी के अनुपात में 15 प्रतिशत कर प्राप्त करना, संघीय बजट 2021 के कर प्रस्तावों की आरंभिक विशिष्टताएं, आईसीएआई का वर्चुअल पुस्तकों – आय-कर अधिनियम, 1961, आय-कर नियम और प्रत्यक्ष कर सुगम संदर्भिका के संबंध में टेक्समेन के साथ ठहराव, वित्त विधेयक, 2021 में परिवर्तन, धारा 12क और 80छ के अधीन न्यासों के रजिस्ट्रीकरण से संबंधित नई विधि, आय-कर अधिनियम, 1961 के अधीन आय के पुन: निर्धारण संबंधी उपबंधों जैसे विषयों पर भी विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था ।

5.9 आर्थिक, वाणिज्यिक विधियों और आर्थिक सलाह संबंधी समिति (सीईसीएलएंडईए)

(I) विभिन्न सरकारी प्राधिकारियों/विनियामकों को अभ्यावेदन

- श्री हरदीप सिंह पुरी, माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 और/या तद्धीन बनाए गए नियमों में संशोधन करने का अनुरोध करते हुए अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जाना ।
- डा. जितेन्द्र सतीश अवध, माननीय मंत्री, आवासन, महाराष्ट्र सरकार को महाराष्ट्र भू-संपदा (विनियमन और विकास) (भू-संपदा परियोजनाओं का रजिस्ट्रीकरण, भू-संपदा अभिकर्ताओं का रजिस्ट्रीकरण, ब्याज दर और वेबसाइट पर प्रकटन) नियम, 2017 में संशोधन किए जाने का अनुरोध करते हुए अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जाना ।
- समिति के 'भारतीय अर्थव्यवस्था संबंधी अध्ययन समूह' द्वारा इस प्रश्न पर कि कोविड 19 से सामने आए संकट का किस प्रकार सामना किया जाए तथा भारत को कारबार करने की सुगमता में अभिवृद्धि करके एक प्रतिस्पर्धात्मक तथा आकर्षक निवेश केंद्र किस प्रकार बनाया जाए, से संबंधित रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत किया जाना ।

(II) संगोष्ठियां/सम्मेलन/कार्यशालाएं/वेबकास्ट

- 'बजट के समय भारत की 17 मून शॉट लिवरेजिंग एसडीजी – अद्वितीय और संपूर्ण विश्व को पीछे छोड़ते हुए 10 प्रतिशत की दर से विकास और 10 ट्रिलीयन की अर्थव्यवस्था, जीडीपी के अनुपात में 15 प्रतिशत कर प्राप्त करना' विषय पर एक लाइव वेबकास्ट का आयोजन किया गया था । इसके अतिरिक्त, रेरा और बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित जागरुकता कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया ।

(III) पुनश्चर्या पाठ्यक्रम

समिति ने फेमा, रेरा और प्रतिभूतियां तथा शेयर बाजार विनियमन, मानीटरी, शिकायतों के संबंध में कार्यवाही करने तथा आर्थिक पहलुओं के व्यापक विषयों पर 3-5 दिनों के ऑनलाइन पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों का आयोजन किया ।

(IV) प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम

- वैकल्पिक विवाद समाधान (माध्यस्थम्, मध्यक्ता और सुलह) संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम – समिति ने सदस्यों के लिए वैकल्पिक विवाद समाधान (माध्यस्थम्, मध्यक्ता और सुलह) संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के प्रथम ऑनलाइन बैच का आयोजन किया । पदाभिहित वरिष्ठ अधिवक्ताओं, विख्यात अधिवक्ताओं, बैंकों/विनियामकों/स्वायत्त निकायों आदि के पदधारियों ने इस पाठ्यक्रम में भाग लेने वाले व्यक्तियों को संबोधित किया ।
- धन शोधन निवारण विधियों संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम – समिति ने सदस्यों के लिए धन शोधन निवारण विधियों संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के प्रथम ऑनलाइन बैच का आयोजन किया । पदाभिहित वरिष्ठ अधिवक्ताओं, विख्यात अधिवक्ताओं, बैंकों/विनियामकों/स्वायत्त निकायों आदि के पदधारियों ने इस पाठ्यक्रम में भाग लेने वाले व्यक्तियों को संबोधित किया।

5.10 अंकीय लेखांकन और आश्वासन बोर्ड (डीएएबी)

सूचना शासन, नियंत्रण, सुरक्षा और संपरीक्षा वृत्तिकों के रूप में चार्टर्ड अकाउंटेंटों की भूमिका को सुदृढ़ बनाने के लिए आईसीएआई ने वर्ष 2018 में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी समिति (सीआईटी) का अंकीय लेखांकन और आश्वासन बोर्ड (डीएएबी) में विलयन कर दिया था । डीएएबी अपने लेखांकन तथा आश्वासन के संबंध में प्रौद्योगिकी के प्रभाव से संबंधित मुद्दों पर प्रास्थिति पत्रों और लेखों के माध्यम से ज्ञान का आधार विकसित कर रहा है । कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोट संबंधी प्रक्रिया स्वचालन, ब्लॉकचेन, क्लाउड संगणना और लेखांकन तथा आश्वासन संबंधी वृहत डाटा के भावी प्रभावों के संबंध में अवधारणा पत्रों को तैयार करने के लिए अनुसंधान किया जा रहा है । इसका प्रयोजन चार्टर्ड अकाउंटेंटों की उनके ज्ञान में विस्तार करने और आज के डिजीटल युग में नए क्षेत्रों में उनके कौशलों को विकसित करने में सहायता करना है ।

महत्वपूर्ण उपलब्धियां :

(I) जारी किए गए प्रकाशन

- सूचना प्रणाली संपरीक्षा 3.0 पृष्ठभूमि सामग्री – बोर्ड ने सूचना प्रणाली संपरीक्षा 3.0 पृष्ठभूमि सामग्री को जारी किया, जिसमें छह माड्यूल और प्रयोगशाला मैनुअल अंतर्विष्ट हैं ।
- न्यायालयीन लेखांकन और अन्वेषण मानकों संबंधी सार-संग्रह – बोर्ड ने न्यायालयीन लेखांकन और अन्वेषण मानकों संबंधी सार-संग्रह को जारी किया, जिसमें 16 मानक अंतर्विष्ट हैं, जो आईसीएआई के सदस्यों को न्यायालयीन लेखांकन और अन्वेषणों के क्षेत्र में एक सिंहावलोकन उपलब्ध कराते हैं और साथ ही इस संबंध में भी जानकारी प्रदान करते हैं कि इन क्षेत्रों में किस प्रकार परियोजनाओं और समनुदेशनों को पूरा किया जाए तथा कार्य को किस प्रकार पूरा किया जाए तथा अंतिम रूप से निकाले गए निष्कर्षों को किस प्रकार सुसंगत पणधारियों को रिपोर्ट किया जाए ।
- प्रौद्योगिकी के आधारिक ज्ञान संबंधी अवधारणा पत्र – यह अवधारणा पत्र विभिन्न उभरती हुई प्रौद्योगिकियों जैसे कि कृत्रिम बुद्धिमता, ब्लॉक चेन, साइबर सुरक्षा, क्लाउड संगणना और डाटा विश्लेषण आदि जैसे विषयों की प्रस्तावना प्रस्तुत करता है और साथ ही उनके लक्ष्यों और उनमें अंतर्निहित अवसरों के बारे में भी जानकारी उपलब्ध कराता है ।
- डीसीएमएम पाठ 2 संबंधी ई-पठन – बोर्ड ने डीसीएमएम पाठ 2 संबंधी ई-पठन को जारी किया है, जिसमें किसी फर्म के स्वचालन संबंधी स्तर के बारे में डिजीटल सक्षमता का निर्धारण करने के लिए स्व:मूल्यांकन स्कोर कार्ड अंतर्विष्ट है ।
- एक्सेल में संख्याओं से परे एक्सेल तथा सारणीबद्ध डाटा से सारणियों तक ई-पठन – यह ई-पठन सदस्यों को अत्यंत सुगम रीति में एक्सेल उपकरणों को समझने में सहायता उपलब्ध कराएगा, जिससे उन्हें अपने वृत्तिक समनुदेशनों में डाटा विश्लेषणों का उपयोग करने में सहायता प्राप्त होगी ।
- वित्तीय वृत्तिकों के लिए कृत्रिम बुद्धिमता और मशीन पठन संबंधी ई-पठन – इस ई-पठन उपयोक्ताओं को वित्त के क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमता के उपयोजनों की एक सूची की जानकारी प्राप्त होगी । उपयोक्ता मशीन पठन में आने वाली चुनौतियों को समझने और उनका समाधान करने में समर्थ होंगे । यह उपयोक्ता को यह समझने में सहायता करेगा कि दिन-प्रतिदिन के कार्यकरण में कृत्रिम बुद्धिमता कितनी उपयोगी है ।
- वित्तीय वृत्तिकों के लिए विश्लेषणों का उपयोजन किए जाने संबंधी ई-पठन – विश्लेषणों का उपयोजन किए जाने संबंधी पाठ्यक्रम को ऐसी रीति में समृद्ध बनाया गया है कि वह विश्लेषणों की आधारिक अवधारणा को स्पष्ट करती है । इसका चित्र रूप में प्रस्तुतीकरण इसे और अधिक परस्पर क्रियाशील तथा पढ़ने वाले से उन्मुख बनाता है । यह ई-पठन विश्लेषणों के

इतिहास और विश्लेषणों की विभिन्न पीढ़ियों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराता है । इसके अतिरिक्त, इसमें उद्योग में डाटा विश्लेषणों से संबंधित विभिन्न मामलों पर चर्चा की गई है, जैसे की यात्रा, दूरसंचार, खुदरा विक्रय आदि और साथ ही इसमें कारबारों की बेहतरी हेतु विश्लेषणों के परिधि क्षेत्र के संबंध में भी चर्चा की गई है ।

(II) राष्ट्र निर्माण में भागीदारी के प्रति पहलें

- आईसीएलएस अकादमी के पदधारियों और भारतीय स्टेट बैंक के पदधारियों के लिए कपट और अपराध न्याय शास्त्र से संबंधित विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था ।

(III) महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आयोजन

- इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आफ नेपाल के सदस्यों के लिए एक वर्चुअल एफएएफडी बैच और एक वर्चुअल आईएसए 3.0 बैच का आयोजन किया गया ।
- पांच दिवसीय पुनश्चर्या पाठ्यक्रम उन्नत एक्सेल और डाटा – बोर्ड, सीएएटी उपकरणों का उपयोग करते हुए डाटा विश्लेषण, आईएसए संबंधी व्यवहारिक गाइड के संबंध में सत्र, माइक्रोसाफ्ट पावर टूल और पावर बीI की सहायता से डाटा विश्लेषण और मानसदर्शन संबंधी सत्र, तीन दिवसीय प्रशिक्षण सत्र - सीएएटी उपकरणों का उपयोग करते हुए न्यायालयीन विश्लेषण, आईएस संपरीक्षा संबंधी व्यवहारिक गाइड, उन्नत एक्सेल (डाटा विश्लेषण), सीबीएस फाइलों के संबंध में डाटा एनालेटिक्स सिमुलेशन संबंधी लाइव वेबकास्टों, व्यवसायिक फर्मों के लिए डीसीएमएम 2.0 स्व:निर्धारण उपकरण, एसएपी ईआरपी का पर्यावलोकन, व्यवसायी फर्मों के लिए निर्धारण उपकरणों के माध्यम से ग्राहक को परिदान प्रणाली में सुधार करने, आत्मनिर्भर भारत के लिए डिजीटल प्रणालियों को अपनाना, डिजीटल विश्व में वित्तीय कृत्यों को भविष्य हेतु तैयार करना, न्यायालयीन लेखांकन और कपट का पता लगाना, डिजीटल प्रौद्योगिकियां (प्रौद्योगिकी का आधारिक ज्ञान), साइबर न्यायालयीन और साइबर सुरक्षा बीसीएमएम पाठ 2 जारी करना – मूल्यांकन उपकरण, जो भविष्य हेतु तैयार फर्मों के लिए एक कार्ययोजना है, न्यायालयीन लेखांकन और अन्वेषण के क्षेत्र में नए युग के सीए के लिए सम्मेलन, 4 दिवसीय पुनश्चर्या पाठ्यक्रम : 50 : 50 – वरिष्ठ वृत्तिकों के लिए सूचना प्रौद्योगिकी, पठन, स्व:चालन और डाटा विश्लेषण – आज के इंटरनेट से जुड़े विश्व के लिए एक आधारिक आवश्यकता, त्वरित अनुस्मरण – डीआईएसए पाठ्यचर्या 2.0 तथा आईएसए एटी परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने के लिए महत्वपूर्ण बिन्दु, डिजीटल प्रौद्योगिकियों (प्रौद्योगिकी की अधारिक जानकारी) संबंधी डीआईएसए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम अपने सीए व्यवसाय को डिजीटल और आरपीआई आदि के साथ अत्याधुनिक बनाने के लिए ज्ञान दोष ।

(IV) सदस्यों के लिए एसएपी पावर उपयोक्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ

बोर्ड ने आईसीएआई के सदस्यों के लिए एसएपी पावर उपयोक्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है । यह एक 80 घंटें का व्यापक कार्यक्रम है, जिसमें ईआरपी संबंधी आधारिक जानकारी, एसएपी नेवीगेशन एंड बहु आयामों की प्रमुख अवधारणाओं जैसे कि वित्त, विक्रय और वितरण, सामग्री प्रबंध तथा उत्पादन योजना को सम्मिलित किया गया है । बोर्ड ने इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के दो बैचों का आयोजन किया था और इस पाठ्यक्रम हेतु 68 सदस्यों को रजिस्ट्रीकृत किया गया है ।

(V) सूचना प्रणाली संपरीक्षा संबंधी अर्हता-पश्च पाठ्यक्रम

बोर्ड द्वारा संचालित सूचना प्रणाली संपरीक्षा संबंधी अर्हता-पश्च पाठ्यक्रम (डीआईएसए) को वर्ष 2001 में सूचना प्रणाली संपरीक्षा के क्षेत्र में चार्टर्ड अकाउंटेंटों के कौशल में वृद्धि करने के लिए आरंभ किया गया था, जिसके संबंध में मांग बढ़ती जा रही थी । वर्ष 2001 से आज की तारीख तक 29,000 से अधिक सदस्यों ने इस पाठ्यक्रम को अर्हित किया है । डीआईएसए का संचालन श्रीलंका के चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान और नेपाल के चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान के लिए भी किया गया था । वर्ष के दौरान कुल 31 बैचों का आयोजन किया गया था ।

(VI) न्यायालयीन लेखांकन और कपट का पता लगाने संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम

बोर्ड, "न्यायालयीन लेखांकन और कपट का पता लगाने संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम" का संचालन करता है और आज की तारीख तक लगभग 9132 सदस्यों ने इस प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम को अर्हित किया है । इस विशेषीकृत पाठ्यक्रम का उद्देश्य चार्टर्ड अकाउंटेंटों की, लेखांकन, संपरीक्षा, सीएएटी/डाटा माइनिंग उपकरणों संबंधी कौशलों और कपट/त्रुटियों का पता लगाने संबंधी अन्वेषणात्मक कौशलों को अर्जित करने में सहायता करना है । वर्ष के दौरान इसके कुल 55 बैचों का आयोजन किया गया था । कोविड-19 महामारी के दौरान बोर्ड ने वर्चुअल पद्धति के माध्यम से एफएएफडी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के 30 बैचों का आयोजन किया है, जिनमें 2500 से अधिक

सदस्यों ने इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को पूरा किया था।

(VII) बोर्ड द्वारा उभरती प्रौद्योगिकियों के संबंध में कार्यशालाओं/शिखर सम्मेलनों/ प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन

वर्ष के दौरान, बोर्ड ने 30 से अधिक उभरती प्रौद्योगिकियों के संबंध में कार्यशालाओं/संगोष्ठियों/सम्मेलनों/ प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन किया था।

5.11 नैतिक मानक बोर्ड (ईएसबी)

"इथिक्स" पद ग्रीक पद 'इथोस' से उद्भूत हुआ है, जो चरित्र को प्रतिनिर्दिष्ट करता है। यह इस बात को परिभाषित करता है कि कोई व्यष्टि किस प्रकार दूसरे व्यक्तियों से परस्पर क्रिया करने का विनिश्चय करता है। दर्शन-शास्त्र में नैतिकता को नैतिकता की भाषा के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया गया है। नैतिक आचार वे मूल्य हैं, जो किसी सिद्धांत या सिद्धांतों के ऐसे सेट से उदभूत होते हैं, जो साधारण रूप से व्यष्टियों और समाज के लिए उत्तम हैं और वे ऐसे कर्तव्यों की प्रकृति को स्थापित करते हैं, जिन्हें लोगों को स्वयं के साथ और एक-दूसरे के साथ करना चाहिए।

वृत्तिक आचार तुलनात्मक रूप से नया सिद्धांत है। यह नैतिकता पर आधारित है और वह सर्वोत्तम सामाजिक वातावरण का निर्माण करने के उद्देश्य की पूर्ति के लिए किसी वृत्ति के आदर्श कार्यकरण हेतु अनुपालन के रूप में उसका निर्वचन करता है। चार्टर्ड अकाउंटेंटों के लिए नैतिक मानकों को बनाए रखना संस्थान का एक सामूहिक आरंभिक कर्तव्य है और साथ ही यह सभी सदस्यों का भी कर्तव्य है। नि:संदेह रूप से आदर्श परिस्थिति वह होगी, जहां व्यष्टिक सदस्य के स्तर पर नैतिक मानकों को बनाए रखा जाता है और वह इतना स्व:स्पष्टीकारक है कि उसका आगे कहीं उल्लेख किए जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

आईसीएआई ने नैतिक मानक बोर्ड की स्थापना एक मानक निर्धारक निकाय के रूप में कृत्य करने हेतु की थी। नैतिक मानक बोर्ड का उद्देश्य चार्टर्ड अकाउंटेंटों के लिए नैतिक मानकों को निर्धारित करना, स्थानीय विधियों के अधीन रहते हुए उन्हें नैतिकता से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम व्यवहारों के साथ अभिसरित करना और इस प्रकार चार्टर्ड अकाउंटेंटों द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता और संगतता में अभिवृद्धि करना और जनता में वृत्ति के प्रति विश्वास को सुदृढ़ करना है।

नैतिक मानक बोर्ड चार्टर्ड अकाउंटेंटों के लिए नैतिक मानकों और अन्य उदघोषणाओं को तैयार करता है तथा जारी करता है। यह उत्कृष्टता, स्वतंत्रता, सत्यनिष्ठा के दीर्घकालिक नैतिक आदर्शों को अक्षुण्ण रखते हुए और साथ ही सदस्यों के सम्मान और हितों की संरक्षा करने के लिए तथा सदस्यों हेतु एक क्रियाशील और समकालीन नैतिक संहिता और नैतिक व्यवहार को तैयार करने का कार्य करता है।

(I) महत्वपूर्ण उपलब्धियां

- नैतिक संहिता के 12वें संस्करण को जारी किया गया है और उसे नैतिक संहिता की जिल्द 1 के कतिपय उपबंधों के अपवाद के साथ 1 जुलाई, 2020 से लागू किया गया है, अर्थात्

    1. विधियों और विनियमों के अननुपालन (एनओसीएलएआर) के संबंध में प्रतिक्रिया देना (धारा 260 और धारा 360)
    2. फीस - संबद्ध आकार (पैरा 410.3 से आर 410.6)
    3. संपरीक्षा ग्राहकों को कराधान सेवाएं (उपधारा 604)

  यह नैतिक संहिता का ऐसा पहला संस्करण जिसे पहली बार तीन जिल्दों में विभाजित किया गया है, अर्थात् जिल्द 1, जिल्द 2 और जिल्द 3। जिल्द 1 में अंतर्राष्ट्रीय अकाउंटेंट्स नैतिक मानक बोर्ड (आईईएसबीए) द्वारा जारी नैतिक संहिता के साथ अभिसरित किया गया है, जिल्द 2 सदस्यों को शासित करने वाले घरेलू उपबंधों पर आधारित है और जिल्द 3 अनुशासन संबंधी अद्यतन मामला विधियों को भी अंतर्विष्ट करने वाली एक गाइड है।

- 'नैतिक मुद्दों से संबंधित एफएक्यू' के चौथे संस्करण को जारी किया गया है। यह ऐसे प्रकाशन का एक पुनरीक्षित संस्करण है, जिसमें पुनरीक्षित नैतिक संहिता के अनुरूप सदस्यों के वृत्तिक हित से संबंधित अद्यतन प्रश्नोत्तरों को सम्मिलित किया गया है।

- "निदेशक सिम्पलीशीटर/स्वतंत्र निदेशक की तुलना में व्यवसायरत सदस्य" नामक एक पुस्तिका को जारी किया गया है। इस पुस्तिका में कंपनी अधिनियम, 2013, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949, नैतिक संहिता, बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्नों और निदेशक सिम्पलीशीटर/स्वतंत्र निदेशक से संबंधित नैतिक मानक बोर्ड के विनिश्चयों को अंतर्विष्ट किया गया है।

- आईसीएआई ने संस्थान के चार्टर्ड अकाउंटेंटों और चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्मों के लिए एक सर्च इंजन पोर्टल (https://caconnect.icai.org/) आरंभ किया है । इस पोर्टल का उद्देश्य चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्मों और चार्टर्ड अकाउंटेंटों को सूचीबद्ध किए जाने हेतु एक प्रभावी मंच उपलब्ध कराना है । यह पोर्टल शीघ्र ही कार्यकरण करना आरंभ करेगा ।
- बोर्ड ने नैतिक संहिता, 2019 की जिल्द 1 से संबंधित ई-पुस्तक को जारी किया है, जिसमें अंतर्वस्तु को बुकमार्क करने, अंतर्वस्तु में कोई टिप्पण जोड़ जाने, अग्रिम सर्च के विकल्प, अंतर्वस्तु/पैरा / किसी पद को विशिष्ट रूप से दर्शित करने तथा "पीडीएफ के रूप में डाउनलोड करने" आदि जैसे विशिष्टताएं सम्मिलित हैं ।

(II) बोर्ड के अन्य क्रियाकलाप

- नैतिक मानक बोर्ड नियमित रूप से आईसीएआई के मासिक सीए जर्नल में 'नो यूअर ऐथिक्स' नामक एक जागरुकता स्तंभ उपलब्ध कराता है ।
- बोर्ड ट्विटर पर भी मौजूद है, जहां नियमित रूप से सदस्यों की जागरुकता के लिए पुनरीक्षित नैतिक संहिता से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों/मामलों को रखा जाता है । इसके पीछे बोर्ड का उद्देश्य सदस्यों द्वारा पुनरीक्षित नैतिक संहिता को उपयुक्त रूप से अपनाए जाने तथा उसके कार्यान्वियन के उद्देश्य की पूर्ति करना है ।
- बोर्ड ने अकाउंटेंटों के अंतर्राष्ट्रीय नैतिक मानक बोर्ड (आईईएसबीए), जो अंतर्राष्ट्रीय अकाउंटेंट्स फेडरेशन (आईएफएसी), साउथ एशियन फेडरेशन आफ अकाउंटेंट्स (साफा) आदि से सहबद्ध है, द्वारा जारी विभिन्न उदभासन प्रारूपों के संबंध में अंत:निवेश/टीका-टिप्पणियां उपलब्ध कराता है ।
- बोर्ड ने पुनरीक्षित नैतिक संहिता से संबंधित विभिन्न वीडियो प्रस्तुतीकरणों को भी अपलोड किया है जैसे कि वृत्तिक नियुक्तियों के संबंध में संसूचना और परिवर्तन संबंधी वीडियो एफएक्यू, बैंक समनुदेशनों से संबंधित वृत्तिक नैतिकता से संबंधित वीडियो एफएक्यू, नैतिक संहिता की जिल्द 1, जिल्द 2 और जिल्द 3 से संबंधित वीडियो, जिनमें नैतिक संहिता के 12वें संस्करण में लाए गए संशोधनों आदि को विशिष्ट रूप से दर्शित किया गया है और इसके अतिरिक्त, बोर्ड विभिन्न नैतिकता संबंधी मुद्दों से संबंधित अन्य वीडियो को संस्थान की वेबसाइट और डिजीटल लर्निंग मंच पर अपलोड करने संबंधी कार्यवाही कर रहा है ।
- बोर्ड ने नैतिकता संबंधी मुद्दों के विभिन्न विषयों पर विभिन्न स्पष्टीकरण और बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्नों को जारी किया है । हाल ही में, बोर्ड ने वृत्तिक नियुक्तियों के संबंध में संसूचना और परिवर्तन संबंधी एफएक्यू, बैंक समनुदेशनों से संबंधित वृत्तिक नैतिकता से संबंधित एफएक्यू, व्यवसायरत सदस्यों द्वारा प्रस्तुत पुस्तकों, लेखों और प्रस्तुतिकरणों आदि से संबंधित एफएक्यू जारी किए ।
- बोर्ड ने सदस्यों को पुनरीक्षित नैतिक संहिता के उपबंधों के संबंध में जागरुक बनाने के लिए 9 वर्चुअल सीपीई कार्यक्रमों और वेबीनारों का भी आयोजन किया है ।
- बोर्ड ने सदस्यों से संबंधित वृत्तिक नैतिकता के विषयों पर एक ई-न्यूज लैटर को भी आरंभ किया है ।

(III) नैतिक मानक बोर्ड द्वारा कुछ महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण

- ➢ किसी संपरीक्षक की उस समय नियुक्ति के प्रयोजन के लिए जब वह किसी समुत्थान का ऋणी है, जैसा कि परिषद् के साधारण दिशानिर्देशों, 2008 के अध्याय 10 के अधीन व्याख्या की गई है, "संपरीक्षक" पद में कोई आंतरिक संपरीक्षक, समवर्ती संपरीक्षक या ऐसा कोई संपरीक्षक सम्मिलित नहीं होगा, जो प्रबंधन को रिपोर्ट दे रहा है । अन्य शब्दों में ऋणी होने संबंधी मानदंड/ सीमा से संबंधित उपबंध केवल कानूनी संपरीक्षाओं पर लागू होंगे ।
- ➢ किसी ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट की दशा में हित का कोई विरोध नहीं होगा, जो किसी न्यास का संपरीक्षक होते हुए उस न्यास का सदस्य बना है । किंतु यह इस अपवाद के अधीन रहते हुए है कि जहां किसी न्यास को शासित करने वाला कोई विशिष्ट कानून न्यास के किसी सदस्य को उसका संपरीक्षक या अन्यथा होने से प्रतिषिद्ध करता है या जहां कहीं अन्यथा नैतिक संहिता के उपबंधों के अनुसार हित का विरोध अंतर्वलित है ।
- ➢ किसी समान बैंक की समवर्ती संपरीक्षा और सीमित पुनर्विलोकन (त्रैमासिक) के समनुदेशन को एकसाथ ग्रहण नहीं किया जा सकता क्योंकि समवर्ती संपरीक्षा एक प्रकार की आंतरिक संपरीक्षा है और त्रैमासिक सीमित पुनर्विलोकन एक कानूनी संपरीक्षा है और दोनों को एक साथ किया जाना नैतिक संहिता के उपबंधों के अधीन प्रतिषिद्ध है ।

- किसी बैंक की किसी शाखा के समवर्ती संपरीक्षक से यह अपेक्षित होगा कि वह त्रैमासिक आधार पर प्रबंध मंडल को एक विनिर्दिष्ट पुनर्विलोकन रिपोर्ट प्रस्तुत करे । इस प्रकार के विनिर्दिष्ट पुनर्विलोकन संबंधी समनुदेशन बैंक के समवर्ती संपरीक्षक द्वारा किया जा सकेगा ।

- व्यवसायरत सदस्यों को कोई विशिष्ट हैसियत स्वीकार करने की अनुमति है, उदाहरणार्थ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कंपनियों में पूर्णकालिक निदेशक/प्रबंध निदेशक परंतु उसकी ऐसी हैसियत अवैतनिक होगी और उक्त कंपनियां पूर्त, शैक्षिक और अन्य गैर-वाणिज्यिक कंपनियों के प्रवर्ग के अधीन आती हों ।

- सदस्य स्वैच्छिक रूप से यथा आवश्यकता के आधार पर तथा केवल व्यष्टिक आधार पर सेवाएं उपलब्ध करा सकेंगे । तथापि, ऐसी सेवाओं के संबंध में सोशल मीडिया सहित कहीं भी कोई विज्ञापन नहीं किया जाएगा ।

- किसी सेबी रजिस्ट्रीकृत पोर्टफोलियो कंपनी के किसी कानूनी संपरीक्षक की दशा में हित का कोई विरोध विद्यमान नहीं है, इस प्रकार का प्रमाणपत्र पोर्टफोलियो प्रबंध कंपनी के पोर्टफोलियो लेखाओं में सम्मिलित किया जाएगा ।

- जीएसटी संबंधी सेवाएं केवल व्यवसायरत सदस्यों या चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्मों द्वारा उपलब्ध कराई जा सकती हैं । जीएसटी सुविधा केंद्र के माध्यम से जीएसटी सेवाएं प्रदान करने की अनुमति नहीं है ।

- कानूनी संपरीक्षकों द्वारा आंतरिक संपरीक्षा समनुदेशन स्वीकार करना प्रतिषिद्ध है या विलोमत: यह उपबंध समान वित्तीय वर्ष के लिए और साथ ही उसी समय किए गए कार्य के संबंध में लागू होगा क्योंकि एक ही समय में दोनों समनुदेशनों को स्वीकार करना उनकी स्वतंत्रता को प्रभावित करेगा ।

- व्यवसायरत किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए आईपीआर के संबंध में वृत्तिक सलाह प्रदान करना एक रुटीन वृत्तिक कार्य है और वह चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 के उपबंधों के अधीन अनुज्ञेय है । चूंकि, नैतिक संहिता में व्यवसायरत सदस्यों को व्यापार चिह्न या पेटेंट अटार्नी के रूप में कार्य करने संबंधी अनुमति के लिए कोई अभिव्यक्त उपबंध विद्यमान नहीं है इसलिए इस कार्य को अनुमति प्राप्त नहीं है ।

- व्यवसायरत किसी सदस्य को यह अनुमति प्राप्त नहीं है कि वह किसी ऐसे समाचार पत्र में चार्टर्ड अकाउंटेंट के पदाभिधान के साथ फर्म के नाम सहित पदाभिधान का उल्लेख करे, जिसमें सदस्य पाठकों की शंकाओं का समाधान कर रहा है ।

5.12 विशेषज्ञ सलाहकार समिति (ईएसी)

लेखांकन/संपरीक्षा सिद्धांतों को लागू किए जाने से संबंधित मुद्दों पर सुसंगत और विश्वसनीय मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के लिए भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान की परिषद् द्वारा वर्ष 1975 में विशेषज्ञ सलाहकार समिति का गठन किया गया था । ईएसी संस्थान के सदस्यों और अन्य पणधारियों को सलाहकारी सेवा नियमों के अनुसार लेखांकन, संपरीक्षा और संबद्ध विषयों के संबंध में स्वतंत्र और वस्तुनिष्ठ राय उपलब्ध कराती है । ईएसी की भूमिका सदैव ही उत्तम लेखांकन और संपरीक्षा व्यवहारों को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण रही है, विशेष रूप से विभिन्न पणधारियों की अपेक्षाओं को शामिल करते हुए वह न केवल सदस्यों और निगमों अपितु साथ ही सरकार और विभिन्न विनियामक निकायों, प्राधिकारियों, जैसे कि कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए), भारतीय के नियंत्रण और महालेखापरीक्षक (सीएंडएजी), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) आदि की अपेक्षाओं पर भी खरी उतरती है ।

(I) विशेषज्ञ राय

समिति अपने आरंभ से ही लेखांकन और/या संपरीक्षा सिद्धांतों के संबंध में उसे इस प्रयोजन के लिए विरचित सलाहकार सेवा नियमों के अनुसार निर्दिष्ट जटिल और गहन मुद्दों के संबंध में अपनी राय प्रस्तुत कर रही है । नियमों के अनुसार, समिति ऐसे प्रश्नों का उत्तर उपलब्ध नहीं कराती है, जिसमें विभिन्न अधिनियमितियों के विधिक निर्वचन संबंधी प्रश्न ही अंतर्वलित होता है । समिति ऐसे प्रश्नों का भी उत्तर उपलब्ध नहीं कराती है, जो संस्थान की अनुशासन समिति, विधि के किसी न्यायालय, आय-कर प्राधिकरणों या सरकार के किसी अन्य विभाग के समक्ष लंबित मामले से संबंधित हैं । ये नियम आईसीएआई की वेबसाइट पर https://www.icai.org/new_post.html?post_id=495&c_id=142 हाइपर लिंक के अधीन उपलब्ध हैं या उन्हें नई दिल्ली स्थित संस्थान के प्रधान कार्यालय से अभिप्राप्त किया जा सकता है ।

विशेषज्ञ सलाहकार समिति द्वारा अभिव्यक्त रायें उपलब्ध कराए गए तथ्यों पर आधारित होती हैं और साथ ही उन्हें सुसंगत विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए तथा प्रश्न पूछे जाने की तारीख को विद्यमान लेखांकन/संपरीक्षा सिद्धांतों को विचार में लेते हुए समिति द्वारा राय को अंतिम रूप प्रदान किया जाता है।

(II) ऐसी राय, जिन्हें वर्ष के दौरान अंतिम रूप प्रदान किया गया है

समिति ने, संस्थान के सदस्यों द्वारा विभिन्न लेखांकन संबंधी मुद्दों पर उसे निर्दिष्ट किए गए प्रश्नों के संबंध में 54 रायों को अंतिम रूप प्रदान किया था।

(III) रायों का सार-संग्रह/ज्ञान का प्रसार

- समिति द्वारा जारी की गई रायों के फायदों को साधारण रूप से सदस्यों तक पहुंचाने और उन्हें मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के लिए समिति द्वारा दी गई रायों को आवधिक रूप से एक प्रकाशन के रूप में प्रकाशित किया जाता है, अर्थात् 'रायों का सार-संग्रह'। अब तक रायों के सार-संग्रह की 39 जिल्दों का प्रकाशन किया गया है। इन जिल्दों के पाठकों की संख्या काफी अधिक है और लेखापाल/संपरीक्षक भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय मार्गदर्शन हेतु इन जिल्दों में अंतर्विष्ट रायों का संदर्भ लेते हैं। रायों के सार संग्रह की जिल्द XL (भाग 1), जिसमें समिति द्वारा 12 फरवरी, 2020 से जुलाई, 2020 के बीच अंतिम रूप प्रदान की गई राय अंतर्विष्ट हैं, का प्रकाशन किया जा रहा है और वह शीघ्र ही जनता को उपलब्ध करा दी जाएगी।
- समिति द्वारा अंतिम रूप प्रदान की गई ऐसी कुछ राय, जो साधारण रूप से वृत्ति के लिए सुसंगत हैं, संस्थान के जर्नल 'द चार्टर्ड अकाउंटेंट' के प्रत्येक अंक में प्रकाशित की जाती हैं। समिति द्वारा हाल ही में दी गई रायों को संस्थान की वेबसाइट पर भी रखा जाता है।

5.13 वित्तीय रिपोर्टिंग पुनर्विलोकन बोर्ड (एफआरआरबी)

वित्तीय रिपोर्टिंग पुनर्विलोकन बोर्ड (एफआरआरबी) का गठन आईसीएआई द्वारा जुलाई, 2002 में अपनी एक गैर-स्थायी समिति के रूप में किया गया था, इसके गठन का उद्देश्य यह था कि देश में वित्तीय रिपोर्टिंग व्यवहारों में सुधार लाने हेतु एक सक्रिय उपाय किया जाए तथा चार्टर्ड अकाउंटेंटों द्वारा की जाने वाली संपरीक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया जाए। बोर्ड में आईसीएआई की केंद्रीय परिषद् के सदस्य और भारत सरकार के नामनिर्देशिती सम्मिलित होते हैं। बोर्ड को परिषद् वर्ष के दौरान, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी), भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सीएंडएजी), बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) से प्रतिनिधित्व प्राप्त का सौभाग्य प्राप्त हुआ।

(I) वर्ष की उपलब्धियां :

किए गए पुनर्विलोकन (स्व:विवेकानुसार चुने गए या शेष मामलों के रूप में लिए गए मामलों का पुनर्विलोकन) – इस अवधि के दौरान, बोर्ड ने स्वविवेकानुसार चुने गए या विशेष मामले के रूप में 87 मामलों का पुनर्विलोकन किया था। इसके अंतर्गत, 11 ऐसे वित्तीय विवरणों का पुनर्विलोकन, जिन्हें विशेष मामलों के रूप में लिया गया था और साथ ही इंड एएस वित्तीय विवरणों के 44 मामलों का भी पुनर्विलोकन किया गया था। इन कुल 87 मामलों में से 18 मामलों को संबद्ध विनियामकों (एमसीए और आरबीआई) तथा निदेशक बैठक में अनुशासन को आगे और कार्रवाई हेतु निर्दिष्ट किया गया था तथा 49 मामलों में बोर्ड ने उद्यम के संपरीक्षक को सलाह जारी करने का विनिश्चय किया था।

(II) समाज के प्रति योगदान तथा राष्ट्र के लिए प्रतिबद्धता

विनियामकों का समर्थन करने और साथ ही वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता लाने के अपने प्रयास में एफआरआरबी ने विभिन्न विनियामकों द्वारा मीडिया रिपोर्टों के आधार पर उसे निर्दिष्ट किए गए विभिन्न उद्यमों की विशेष मामलों के रूप में 48 साधारण प्रयोजन वित्तीय विवरणों और उनके संबंध में संपरीक्षकों की रिपोर्ट का पुनर्विलोकन किया है और साथ ही उसने प्राप्त हुए अन्य प्रतिनिर्देशों के संबंध में भी कार्य आरंभ किया है जो पुनर्विलोकन के विभिन्न प्रक्रमों पर हैं।

- **विनियामकों द्वारा निर्दिष्ट मामलों के पुनर्विलोकन की प्रास्थिति**
    - भारत निर्वाचन आयोग ने एफआरआरबी से यह अनुरोध किया था कि वह कम से कम छह राष्ट्रीय राजनैतिक दलों और मान्यताप्राप्त दलों के वार्षिक संपरीक्षित लेखाओं का पुनर्विलोकन आरंभ करे, जिनकी आय/व्यय 10 करोड़ रुपए से अधिक है। तदनुसार, बोर्ड ने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर उसे निर्दिष्ट किए गए राजनैतिक दलों के 8 वार्षिक संपरीक्षित लेखाओं का पुनर्विलोकन आरंभ किया।
    - भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के कार्यालय से आईसीएआई को ऐसी सीए फर्मों की एक सूची प्राप्त हुई थी जिनकी "पब्लिक सेक्टर उपक्रमों के संपरीक्षकों के रूप में असंतोषप्रद कार्यपालन" के रूप में पहचान की गई थी और जिन्हें सलाह जारी की गई थी या उन फर्मों को विनिर्दिष्ट अवधि के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया था। बोर्ड ने ऐसे

6 समुत्थानों के एक साधारण प्रयोजन वित्तीय विवरणों का पुनर्विलोकन आरंभ किया है, जिनके लिए सीएंडएजी ने संपरीक्षा फर्म को सलाह जारी की है ।

- भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) से प्राप्त परिसमापनाधीन कंपनियों की सूची के आधार पर बोर्ड ने चुनी गई 17 सूचीबद्ध कंपनियों का भी पुनर्विलोकन आरंभ किया है ।

(III) प्रकाशनों का जारी किया जाना

"वित्तीय रिपोर्टिंग अपेक्षाओं के अनुपालन संबंधी अध्ययन (इंड एएस ढांचा)" नामक एक प्रकाशन को जारी किया गया है, जिससे वित्तीय विवरणों को तैयार करने वाले व्यक्तियों तथा संपरीक्षकों के ज्ञान में अभिवृद्धि की जा सके । इसमें इंड एएस, संपरीक्षा संबंधी मानकों तथा लागू मार्गदर्शन टिप्पणों और साथ ही अन्य सुसंगत विधियों तथा कानूनों के संदर्भ में बोर्ड के अनिवार्य संप्रेक्षण अंतर्विष्ट हैं ।

(IV) महत्वपूर्ण घटनाएं

- **राष्ट्रीय**
  - 6 और 7 नवंबर, 2020 (शुक्रवार) को 'वित्तीय रिपोर्टिंग अपेक्षाओं के संबंध में सामान्य रूप से पाए जाने वाले अननुपालनों', जो इंड एएस ढांचे के अधीन तैयार किए गए वित्तीय विवरणों में पाए गए हैं, से संबंधित एक दो दिवसीय राष्ट्रीय वेबीनार का आयोजन किया गया था, जिसमें लगभग 20 हजार व्यक्तियों ने भाग लिया था और इस राष्ट्रीय वेबीनार को अत्यधिक सराहना प्राप्त हुई थी ।

(V) सदस्यों को सशक्त करना और सक्षमता निर्माण

- इंड एएस ढांचे के अधीन तैयार किए गए वित्तीय विवरणों में पाए गए 'वित्तीय रिपोर्टिंग अपेक्षाओं के संबंध में सामान्य रूप से पाए जाने वाले अननुपालनों', जिन्हें लेखांकन मानकों को लागू करने में सामान्य रूप से पाई जाने वाली त्रुटियों के रूप में अभिनिर्धारित किया गया है, के संबंध में वेबीनारों, संगोष्ठियों, वीसीएम और कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, इसके अतिरिक्त, वित्तीय रिपोर्टिंग – पहलू और विश्लेषण विषय पर भी वर्चुअल सीपीई बैठक का आयोजन किया गया था । लेखांकन मानकों के संबंध में वित्तीय रिपोर्टिंग में सामान्य रूप से पाई गई त्रुटियों से संबंधित एक संगोष्ठी का आयोजन राजकोट में किया गया था और कंपनियों की अनुसूची 2 और अनुसूची 3 के लेखांकन मानकों के संबंध में सामान्य रूप से पाए जाने वाले अननुपालनों के संबंध में गांधी धाम में भी एक वर्चुअल सीपीई का आयोजन किया गया तथा एक अन्य आयोजन वित्तीय रिपोर्टिंग : पहलू और विश्लेषण, सीएआरओ – 2020 के संबंध में भी किया गया ।
- ट्विटर हैंडल – एफआरआरबी – सदस्यों के बीच एफआरआरबी के द्वारा पाए गए अननुपालनों के संबंध में जागरुकता का प्रसार करने और उसके संबंध में विनियामक को नियमित रूप से अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराने के लिए अगस्त, 2020 में एफआरआरबी के लिए एक ट्विटर अकाउंट का सृजन किया गया, जिस पर 'डिड यू नो' शीर्ष से एक श्रृंखला चलाई जा रही है । आज की तारीख तक लेखांकन मानकों से संबंधित अनुपालनों के संबंध में पाई गई त्रुटियों के संबंध में 123 ट्वीट जारी किए गए हैं । एफआरआरबी के इस ट्विटर अकाउंट को अत्यंत सकारात्मक प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई हैं और इसके 2600 से अधिक फोलोअर्स भी हैं ।

(VI) एफआरआरबी के नए वेब पोर्टल का विकास : कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करते हुए एफआरआरबी के कार्य का स्वचालन

पुनर्विलोकन प्रकिया को उत्तम बनाने के लिए एफआरआरबी बड़े स्तर पर स्वयं को प्रौद्योगिकी से लैस करने के लिए प्रयास कर रहा है और इस प्रयोजन के लिए वह वित्तीय विवरणों में होने वाले अननुपालनों की प्रणालीगत रूप से पहचान करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग कर रहा है । इस प्रणाली के पास कृत्रिम बुद्धिमता/ विश्लेषण की क्षमता है, जिससे सामान्य रूप से पाए जाने वाले अननुपालनों को किसी उद्यम के एक्सबीआरएल के वित्तीय विवरणों के आधार पर कृत्रिम बुद्धिमता प्रणाली का उपयोग करते हुए विशिष्ट रूप से दर्शित किया जा सके ।

5.14 जीएसटी और अप्रत्यक्ष कर समिति (जीएसटी एंड आईटीसी)

(I) राष्ट्र निर्माण में सरकार के साथ भागीदारी

- जीएसटी के संबंध में सरकार को सुझाव/अंत:निवेश

- 15 अक्तूबर, 2020 को जीएसटी संबंधी लोक लेखा समिति और श्री अधीर रंजन चौधरी, संसद् सदस्य की अध्यक्षता वाली लोक लेखा समिति (पीएसी) को सुझाव प्रस्तुत किए गए। इसके अतिरिक्त, 1 दिसंबर, 2020 को आईसीएआई के माननीय अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, जीएसटी और अप्रत्यक्ष कर समिति ने पीएसी के समक्ष कतिपय प्रस्तुतिकरण किए, जिनमें आईसीएआई के माननीय अध्यक्ष ने आईसीएआई के सुझावों को ब्यौरेवार स्पष्ट करते हुए एक प्रस्तुतिकरण किया था।
- सीबीआईसी को कतिपय अपराधों को अपराधों की श्रेणी से हटाए जाने संबंधी सुझाव।
- जीएसटीएन को जीएसटी पोर्टल और ई-वे बिल के संबंध में सुझाव।
- पश्चिमी बंगाल राज्य के लिए जीएसटी राज्य स्तरीय शिकायत समाधान समिति को सुझाव।

(II) जीएसटी से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर सरकार को अभ्यावेदन

- चार्टर्ड अकाउंटेंटों द्वारा जीएसटी संपरीक्षा को जारी रखे जाने संबंधी अभ्यावेदन।
- वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए जीएसटी वार्षिक विवरणी और समन्वय विवरण को फाइल करने की अंतिम तारीख को विस्तारित करने के लिए अभ्यावेदन।
- वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए जीएसटी वार्षिक विवरणी और समन्वय विवरण को फाइल करने की अंतिम तारीख को विस्तारित करने के लिए अभ्यावेदन।
- करों के आंशिक संदाय को स्वीकार किए जाने हेतु तंत्र विकसित करने के लिए अभ्यावेदन।
- कोविड 19 महामारी को ध्यान में रखते हुए कर दाताओं को प्रक्रिया संबंधी शिथिलताएं उपलब्ध कराने के लिए अभ्यावेदन।
- वित्तीय वर्ष 2019-20 से संबंधित इनपुट कर प्रत्यय का फायदा लेने हेतु अनुमति देने तथा मार्च, 2021 तक जीएसटीआर में संशोधन करने की अनुमति दिए जाने के लिए अभ्यावेदन।
- चार्टर्ड अकाउंटेंटों को प्ररूप 9ग में समन्वय विवरण फाइल करने हेतु लॉगिन-इन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अभ्यावेदन।
- वर्ष 2018-19 के लिए प्ररूप जीएसटीआर 9 में वित्तीय विवरणी फाइल करने में आने वाली कठिनाईयों को दूर करने के लिए अभ्यावेदन।
- प्रमाणपत्रों/ रिपोर्टों पर अद्वितीय दस्तावेज पहचान संख्या (यूडीआईएन)।
- जीएसटी नियम 2017 के नियम 36(4) द्वारा अधिरोपित निर्बंधनों को वापस लेने।
- एसवीएलडीआरएस स्कीमों के संबंध में अभ्यावेदन।

(III) संघीय बजट की समर्थकारी कार्यसूची

- बजट-पूर्व ज्ञापन, 2021 : 24 नवंबर, 2020 को सीमाशुल्क और केंद्रीय उत्पाद-शुल्क के संबंध में सुझावों को अंतर्विष्ट करने वाला एक बजट पूर्व ज्ञापन, 2021 सरकार को प्रस्तुत किया गया था।
- बजट पूर्व बैठक : वित्त मंत्रालय से प्राप्त अनुरोध के आधार पर अध्यक्ष, जीएसटी और अप्रत्यक्ष कर समिति ने 23 दिसंबर, 2020 को अध्यक्ष, सीबीडीटी तथा सीबीआईसी के अधिकारियों के समक्ष बजट पूर्व ज्ञापन, 2021 में अंतर्विष्ट प्रमुख सुझावों के संबंध में ऑनलाइन प्रस्तुतिकरण किया था।
- बजट पश्च ज्ञापन, 2021 : 13 मार्च, 2021 को संघीय बजट 2021-22 में अंतर्विष्ट अप्रत्यक्ष कर प्रस्तावों के संबंध में सुझावों को अंतर्विष्ट करने वाला एक बजट पश्च ज्ञापन, 2021 सरकार को प्रस्तुत किया गया था।

(IV) राष्ट्रीय नेताओं, प्रतिनिधिमंडलों के साथ बैठकें

वर्ष के दौरान, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, जीएसटी और अप्रत्यक्ष कर समिति ने नीतिगत आउटरीच बैठकों के रूप में विभिन्न सरकारी पदधारियों के साथ बैठक की, जैसे कि श्री एम. अजीत कुमार, अध्यक्ष, सीबीआईसी, डा. जॉन जोसफ, सदस्य, सीबीआईसी, श्री योगेन्द्र गर्ग, प्रधान आयुक्त, जीएसटी नीति खंड, सीबीआईसी, श्री जी.डी. लोहानी, संयुक्त सचिव, टीआरयू-1, सीबीआईसी, श्री एस.के. रहमान, संयुक्त सचिव, जीएसटी परिषद्, सीए. प्रवीण दोकानिया, मुख्य वित्तीय अधिकारी, जीएसटीएन, श्री जे.पी. गुप्ता, आयुक्त, गुजरात, श्री एम.ए. सिद्दिकी, वाणिज्यिक कर आयुक्त, तमिलनाडु और आयुक्त, संपरीक्षा, सूरत।

(V) सरकारी पदधारियों और पीएसयू के लिए सक्षमता निर्माण

- वाणिज्यिक कर विभाग, बिहार सरकार के पदधारियों के लिए एक चार दिवसीय ऑनलाइन वित्तीय और लेखांकन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया ।
- आयल इंडिया लिमिटेड और इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड के पदधारियों के लिए अप्रत्यक्ष करों से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया ।

(VI) जीएसटी और एमएसएमई सहायता पटल

समिति ने एमएसएमई की सहायता करने और व्यापार, उद्योग तथा वृत्तिकों को एक सुविधा केंद्र उपलब्ध कराने के विचार से संस्थान के विभिन्न प्रादेशिक कार्यालयों/शाखाओं में 100 जीएसटी और एमएसएमई सहायता पटलों की स्थापना की है । ये सहायता पटल आवश्यकता के आधार पर एमएसएमई, व्यापार, उद्योग और अन्य पणधारियों की जीएसटी से संबंधित उनकी शंकाओं और संदेहों का समाधान करने में सहायता कर रहे हैं ।

(VII) ओमान में वैट

ओमान में 16 अप्रैल, 2021 से मूल्यवर्धित कर का कार्यान्वयन किया गया है । द कॉलेज आफ बैंकिंग फाइनेंशियल स्टडीज (सीडीएफएस), जो ओमान का एक शासकीय संगठन है, "जीसीसी कराधान और मूल्यवर्धित कर के क्षेत्र में वृत्तिक उन्नतर डिप्लोमा" आरंभ कर रहा है और आईसीएआई उक्त डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए उसका 'ज्ञान भागीदार' होगा । जीएसटी और आईडीटी समिति तथा अंतर्राष्ट्रीय कराधान संबंधी समिति संयुक्त रूप से उक्त डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए आवश्यक समर्थन उपलब्ध कराएंगी ।

(VIII) ई-पहलें

- साधारण रूप से सदस्यों के फायदे के लिए जीएसटी के विभिन्न पहलुओं पर तेरह लाइव वेबकास्ट।
- कार्यालय सहायकों और अन्य पणधारियों के लिए जीएसटी संबंधी एक छह दिवसीय लाइव वेबकास्ट श्रृंखला ।
- जीएसटी संबंधी वर्चुअल सीपीई बैठक (वीसीएम) ।
- जीएसटी संबंधी ई-पठन और यूएई मूल्यवर्धित कर ।
- जीएसटी संबंधी आईसीएआई न्यूज लैटर ।
- अप्रत्यक्ष करों के संबंध में अद्यतन जानकारी । सदस्यों को निरंतर परिवर्तनशील जीएसटी विधियों से अवगत कराने के विचार से जीएसटी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण अधिसूचनाओं, परिपत्रों और अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के सार को नियमित रूप से आईडीटी अद्यतन जानकारी के माध्यम से समिति की वेबसाइट पर रजिस्ट्रीकृत सदस्यों के बीच परिचालित किया जाता है । इस अद्यतन जानकारी को समिति की वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाता है ।
- ई-प्रकाशन, सदस्यों को अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण । समिति ने अपने सभी प्रकाशनों, न्यूज लैटरों आदि को अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया है, जिन्हें नि:शुल्क रूप से किसी भी पणधारी द्वारा डाउनलोड किया जा सकता है ।

(IX) प्रकाशन – अनुसंधान पहलें :

समिति ने वर्ष के दौरान जीएसटी संबंधी 21 नए प्रकाशन निकाले । इसके अतिरिक्त, उसने जीएसटी संबंधी अपने 3 विद्यमान प्रकाशनों को पुनरीक्षित भी किया है । निकाले गए विभिन्न प्रकाशन निम्नानुसार हैं :

- जीएसटी के अधीन रजिस्ट्रीकरण संबंधी हैंडबुक ।
- जीएसटी के अधीन ब्याज, विलंब शुल्क और शास्तियों संबंधी हैंडबुक ।
- जीएसटी के अधीन ई-वे विधेयक संबंधी हैंडबुक ।
- जीएसटी के अधीन वार्षिक विवरणी संबंधी हैंडबुक ।

- जीएसटी के अधीन जॉब वर्क संबंधी हैंडबुक ।
- जीएसटी के अधीन प्रतिदाय संबंधी हैंडबुक ।
- जीएसटी के अधीन टीडीएस उपबंधों संबंधी हैंडबुक ।
- जीएसटी के अधीन अग्रिम विनिर्णय संबंधी हैंडबुक ।
- जीएसटी के अधीन प्रतिलोम प्रभार संबंधी हैंडबुक ।
- जीएसटी के अधीन आकस्मिक कराधेय व्यक्ति संबंधी हैंडबुक ।
- जीएसटी के अधीन बीजक जारी करने संबंधी हैंडबुक ।
- जीएसटी के अधीन विवरणी और संदाय संबंधी हैंडबुक ।
- जीएसटी के अधीन टीसीएस उपबंध संबंधी हैंडबुक ।
- जीएसटी के अधीन संरचना संबंधी हैंडबुक संबंधी हैंडबुक ।
- जीएसटी में इनपुट सेवा वितरक संबंधी हैंडबुक ।
- जीएसटी के अधीन लेखा और अभिलेखों संबंधी हैंडबुक ।
- विदेशी व्यापार नीति में प्रोत्साहन संबंधी हैंडबुक ।
- जीएसटी के अधीन कारण बताओ सूचना संबंधी हैंडबुक ।
- जीएसटी परिप्रेक्ष्य में लेखाओं को अंतिम रूप दिए जाने संबंधी हैंडबुक ।
- जीएसटी के अधीन कतिपय मामलों में संदाय करने के दायित्व संबंधी हैंडबुक ।
- जीएसटी के अधीन व्यवहारिक एफएक्यू ।
- बैंककारी क्षेत्र में जीएसटी का अनुपालन ।
- जीएसटी संबंधी बीजीएम - पुनरीक्षण ।
- जीएसटी संपरीक्षा संबंधी तकनीकी गाइड ।

(X) कार्यक्रम और पाठ्यक्रम

- जीएसटी संबंधी ऑनलाइन प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम : इस अवधि के दौरान कोविड 19 महामारी को ध्यान में रखते हुए इस प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम का संचालन ऑनलाइन रूप से किया गया था, जिससे सदस्यों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को सुनिश्चित किया जा सके । इस पाठ्यक्रम के कुल 25 बैचों का वर्चुअल रूप से आयोजन किया गया था, जिसमें 3090 सदस्यों ने भाग लिया था । जीएसटी संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के लिए निर्धारण परीक्षा का सफलतापूर्वक आयोजन ऑनलाइन रूप से 27 दिसंबर, 2020, 24 जनवरी और 25 अप्रैल, 2021 के दौरान किया गया था । उपरोक्त निर्धारण परीक्षाओं में 1843 सदस्यों को उत्तीर्ण घोषित किया गया था ।
- यूएई वैट संबंधी ऑनलाइन प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम – समिति ने 18 सितंबर, 2020 से 2 अक्तूबर, 2020 की अवधि के दौरान यूएई वैट संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के ऑनलाइन बैच का आयोजन किया था, जिसमें 102 सदस्यों ने भाग लिया था । उक्त पाठ्यक्रम के लिए निर्धारण परीक्षा का आयोजन 22 जनवरी, 2021 को किया गया था, जिसमें कुल 54 सदस्यों ने परीक्षा में भाग लिया था, जिसमें से 53 सदस्यों ने इस परीक्षा को उत्तीर्ण किया था ।
- समन्वय विवरण संबंधी ऑनलाइन पाठ्यक्रम : समिति ने समन्वय विवरण, संपरीक्षा और अपीलों से संबंधित एक पांच दिवसीय ऑनलाइन पाठ्यक्रम का आयोजन 25 अप्रैल से 3 मई, 2020 के दौरान किया था । इस पाठ्यक्रम की रिकार्डिंग को सदस्यों द्वारा नि:शुल्क रूप से देखे जाने हेतु आईसीएआई के डिजीटल पठन केंद्र पर रखा गया था ।
- जीएसटी संबंधी कार्यशालाएं, संगोष्ठियां और सम्मेलन – सदस्यों को अप्रत्यक्ष करों, जिसके अंतर्गत जीएसटी भी है, के क्षेत्र में हुई नवीनतम घटनाओं के संबंध में अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराए जाने के विचार से समिति ने 16 ऑनलाइन कार्यक्रमों, कार्यशालाओं, संगोष्ठियों और सम्मेलनों का आयोजन किया था, जिनमें लगभग 8500 सदस्यों ने भाग लिया था ।

➢ जीएसटी संबंधी आवासीय पुनश्चर्या पाठ्यक्रम - समिति ने राजकोट में 5 से 7 फरवरी, 2021 के दौरान जीएसटी संबंधी आवासीय पुनश्चर्या पाठ्यक्रम का आयोजन किया था । इस पाठ्यक्रम के आयोजन में सभी कोविड 19 संबंधी दिशानिर्देशों का पालन किया गया था ।

5.15 आंतरिक संपरीक्षा मानक बोर्ड (आईएएसबी)

अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानक बोर्ड, आईसीएआई का प्रमुख मिशन आईसीएआई और उसके सदस्यों को क्रियाशील मानक निर्धारण और आंतरिक संपरीक्षा के क्षेत्र में मार्गदर्शन उपलब्ध कराकर, जिसके अंतर्गत जोखिम प्रबंध और शासन से संबंधित मार्गदर्शन भी है, सतत समर्थन उपलब्ध कराना है और साथ ही इस मिशन के अंतर्गत बोर्ड आधुनिक अध्ययन और शिक्षण भी करता है, जिससे सदस्यों को नवीन और प्रभावी समाधान उपलब्ध कराके उनकी सहायता की जा सके और इस प्रकार बोर्ड सभी पणधारियों की आवश्यकताओं की व्यापक रूप से पूर्ति करता है । बोर्ड उच्च गुणवत्ता वाले तकनीकी साहित्य को निकालने में अथक रूप से कार्य कर रहा है, जिन्हें वह आंतरिक संपरीक्षा संबंधी मानकों तथा तकनीकी गाइडों /अध्ययनों / मैनुअलों के रूप में जारी करता है और जो आंतरिक संपरीक्षकों की उनके ग्राहकों और/या नियोजकों को प्रभावी और दक्ष आंतरिक संपरीक्षा सेवाएं उपलब्ध कराने में सहायता करने हेतु एक महत्वपूर्ण उपकरण सिद्ध होते हैं ।

(I) आंतरिक संपरीक्षा संबंधी मानक (एसआईए)

आंतरिक संपरीक्षा संबंधी ये मानक कार्यपालन संबंधी बैंचमार्कों के रूप में भी कार्य करते हैं क्योंकि वे सदस्यों द्वारा निष्पादित की जाने वाली आंतरिक संपरीक्षा और अन्य आश्वासन सेवाओं में सर्वोत्तम व्यवहारों का प्रतिनिधित्व करते हैं । बोर्ड ने चरणबद्ध रीति में आंतरिक संपरीक्षा मानकों को कंपनियों के कतिपय वर्ग के लिए आज्ञापक बनाने हेतु प्रक्रिया भी आरंभ की है । एसआईए की आज्ञापक प्रास्थिति आईसीएआई के लिए एक ऐसे आरंभ बिन्दु के रूप में सिद्ध होगी, जिससे वह आंतरिक संपरीक्षा वृत्ति संगतता में अभिवृद्धि करने के लिए कार्ययोजना तैयार कर सकेगा ।

ये सिद्धांत आधारित मानक सदस्यों को एक उच्च मूल्यों वाले विश्वसनीय सलाहकार के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में समर्थन प्रदान करेंगे और साथ ही उन्हें वृत्ति का विशेषज्ञ बनाने में सहायता भी करेंगे । आंतरिक संपरीक्षा मानक बोर्ड ने इस अवधि के दौरान आंतरिक संपरीक्षा संबंधी निम्नलिखित मानकों को जारी किया है :

⇒ आंतरिक संपरीक्षा संबंधी मानक (एसआईए) 130, जोखिम प्रबंध

⇒ आंतरिक संपरीक्षा संबंधी मानक (एसआईए) 520, सूचना प्रौद्योगिकी के आधुनिक युग में संपरीक्षा

⇒ आंतरिक संपरीक्षा संबंधी मानक (एसआईए) 530, वित्तीय पक्षकार सेवा प्रदाता

⇒ आंतरिक संपरीक्षा संबंधी मानक (एसआईए) 140, शासन

⇒ आंतरिक संपरीक्षा संबंधी मानक (एसआईए) 150, विधियों और नियमों का अनुपालन

⇒ आंतरिक संपरीक्षा संबंधी मानक (एसआईए) 250, शासन का प्रभार धारण करने वाले व्यक्तियों के साथ संपर्क

इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित मानक अभी प्रारूपण के प्रक्रम पर हैं ।

- एसआईए 340, संपरीक्षा समनुदेशनों का निष्पादन करना/संपरीक्षा प्रक्रियाओं का संचालन करना (क्षेत्र संकर्म)
- एसआईए 380, आश्वासन रिपोर्टें जारी करना
- एसआईए 510, कपट और अनियमितताएं
- एसआईए 540, संबद्ध पक्षकार संव्यवहार
- एसआईए 550, शासकीय ढांचे की संपरीक्षा
- एसआईए 560, जोखिम प्रबंध ढांचे की संपरीक्षा
- एसआईए 610, संपरीक्षा समनुदेशनों में क्वालिटी आश्वासन
- एसआईए 620, सकल क्वालिटी नियंत्रण और सुधार प्रक्रिया
- एसआईए 630, आंतरिक संपरीक्षा संबंधी मानकों का अनुपालन
- एसआईए 640, पियर पुनर्विलोकन और तृतीय पक्षकार निर्धारण

- एसआईए 650, वृत्तिक शिक्षा
- एसआईए 710, प्रचालनात्मक पुनर्विलोकनों का संचालन
- एसआईए 720, विशेष प्रयोजन रिपोर्टिंग
- एसआईए 730, बजट और योजना का पुनर्विलोकन
- एसआईए 740, कर्मचारिवृंद और प्रबंध मंडल के कार्यपालन का पुनर्विलोकन
- एसआईए 810, पदों की शब्दावली

(II) उद्योग विनिर्दिष्ट और साधारण आंतरिक संपरीक्षा गाइड

बोर्ड ने विभिन्न परियोजनाओं, अर्थात् भेषजीय उद्योग की आंतरिक संपरीक्षा संबंधी तकनीकी गाइड का पुनरीक्षण करने के लिए एक अध्ययन समूह का गठन किया है। बोर्ड ने परस्पर निधि और अन्वेषणात्मक संपरीक्षाओं संबंधी अध्ययन से संबंधित तकनीकी गाइडों को भी जारी किया है (पुनरीक्षित 2021 संस्करण)।

(III) बैंकों की समवर्ती संपरीक्षा संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम

सदस्यों को बैंकों द्वारा संव्यवहारों की आंतरिक जांच करने तथा अन्य सत्यापनों और अधिकथित प्रक्रियाओं के साथ अनुपालन करने तथा बैंकों में समवर्ती संपरीक्षा प्रणाली की प्रभाविकता में सुधार करने, समवर्ती संपरीक्षा रिपोर्टों की क्वालिटी और उसके अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में सुधार करने तथा बैंकों की समवर्ती संपरीक्षा संबंधी जटिलताओं को समझने में समर्थ बनाने के लिए आईसीएआई का आंतरिक संपरीक्षा मानक बोर्ड "बैंकों की समवर्ती संपरीक्षा" संबंधी एक प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम का संचालन कर रहा है। बोर्ड ने अवधि के दौरान बैंकों की समवर्ती संपरीक्षा संबंधी वर्चुअल प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के 54 बैचों को सफलतापूर्वक आयोजन किया है और इस अवधि के दौरान लगभग 8800 सदस्यों ने इस पाठ्यक्रम में सफलतापूर्वक भाग लिया है।

(IV) आंतरिक संपरीक्षा संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम

बोर्ड "आंतरिक संपरीक्षा संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम" की पाठ्यचर्या संरचना का पुनरीक्षण कर रहा है, जिसका, उसमें नए विषयों और सूचना प्रौद्योगिकी को पूर्णरूपेण समाविष्ट करते हुए, पूर्णतया सुधार किया गया है। इसके अतिरिक्त, आंतरिक संपरीक्षा संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के ई-पठन संबंधी सभी माड्यूलों की वीडियो रिकार्डिंग पूरी कर ली गई है और उन्हें संस्थान के ई-पठन मंच पर अपलोड कर दिया गया है। बोर्ड वर्तमान में आंतरिक संपरीक्षा संबंधी स्किल इंडिया पाठ्यक्रम तथा समवर्ती संपरीक्षा संबंधी स्वयं की इच्छानुसार चलने वाले पाठ्यक्रमों का आयोजन करने की योजना बना रहा है। उसके पश्चात्, बोर्ड इस पाठ्यक्रम से संबंधित बैचों की समय-सूची को अंतिम रूप प्रदान करेगा।

(V) आंतरिक संपरीक्षा संबंधी जागरुकता संबंधी कार्यक्रम, संगोष्ठियां, सम्मेलन और वेबीनार

सदस्यों के बीच ज्ञान के प्रसार के लिए एक मंच उपलब्ध कराने के विचार से बोर्ड ने इस अवधि के दौरान, देश भर में कोविड 19 से संबंधित महामारी को ध्यान में रखते हुए 29 वर्चुअल सीपीई कार्यक्रमों का आयोजन किया है, जिनकी विशिष्ट थीम ज्ञान प्रदान करना – आंतरिक संपरीक्षा और सीएआरओ, 2020, एसएमपी का मार्गदर्शन – आंतरिक संपरीक्षा, एसएमपी का मार्गदर्शन – जोखिम प्रबंध, आंतरिक संपरीक्षा संबंधी मानक – एक पर्यावलोकन और आंतरिक संपरीक्षा के समर्थनकारी उपक्रम के रूप में प्रौद्योगिकी जैसे विषय सम्मिलित थे। बोर्ड ने अन्य विभिन्न विषयों पर भी 19 लाइव वेबकास्टों का आयोजन किया है, अर्थात् कोविड 19 : आंतरिक संपरीक्षा पर उसका प्रभाव, भारतीय आटो मोबाइल सेक्टर : अनिश्चितता के समय अनुकूलनकारी जोखिम प्रबंध ढांचा और शंकाएं, कोरोना वायरस (कोविड 19) – आंतरिक संपरीक्षा पर इसका प्रभाव एसएमपी का मार्गदर्शन – आंतरिक संपरीक्षा, एसएमपी का मार्गदर्शन – जोखिम प्रबंध और आंतरिक संपरीक्षा के समर्थनकारी उपक्रम के रूप में प्रौद्योगिकी।

5.16 अंतरराष्ट्रीय कराधान संबंधी समिति (सीआईटी)

(I) सरकार को प्रतिवेदन/उसके साथ परस्पर संवाद

- कर रेजीडेंसी प्रमाणपत्रों की मान्यता को विस्तारित करने के मुद्दे पर विचार किए जाने हेतु अनुरोध करने संबंधी अभ्यावेदन सीबीडीटी को प्रस्तुत किया गया।

- अंतर्राष्ट्रीय कराधान और अंतरण कीमत निर्धारण के संबंध में निर्धारितियों के समक्ष आने वाले मुद्दों का समाधान करने के लिए सीबीडीटी को अभ्यावेदन ।
- कोविड 19 की अंतरण कीमत निर्धारण विवक्षाओं से संबंधित ओईसीडी प्रश्नों के उत्तर ।
- कर संधि बातचीत से संबंधित प्रारूप पीसीटी टूल किट के संबंध में पीसीटी सचिवालय के संबंध में प्रस्तुतिकरण ।
- कोविड 19 के दौरान भारत में फंसे अनिवासी भारतीयों की आवासीय प्रास्थिति के संबंध में स्पष्टीकरण हेतु अनुरोध के संबंध में सीबीडीटी को अभ्यावेदन ।
- भारत में आय-कर अनुपालनों के संबंध में अनिवासी भारतीयों की चिंताओं/ शंकाओं के संबंध मे सीबीडीटी को अभ्यावेदन ।
- ओईसीडी द्वारा जारी बीईपीएस कार्ययोजना 14 संबंधी लोक परामर्श दस्तावेज के संबंध में ओईसीडी को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जाना ।
- सीबीडीटी को बजट पूर्व ज्ञापन 2021 के लिए अंतर्राष्ट्रीय कराधान के संबंध में सुझाव प्रस्तुत किया जाना ।
- नए ई-फाइलिंग पोर्टल में अंतरण किए जाने के कारण उद्‌भूत हुए मुद्दों के कारण प्ररूप 15गक/15गख को विलंब से प्रस्तुत किए जाने के संबंध में शिथिलताओं की ईप्सा करते हुए सीबीडीटी को अभ्यावेदन ।
- महत्वपूर्ण आर्थिक उपस्थितियों के संबंध में स्पष्टीकरण की ईप्सा करते हुए सीबीडीटी को अभ्यावेदन ।

(II) अंतर्राष्ट्रीय कराधान संबंधी सम्मेलन/संगोष्ठियां/कार्यशालाएं/वेबकास्ट

समिति ने अंतर्राष्ट्रीय कराधान, अर्थात् कोविड 19 के कारण कर संधि से संबंधित प्रभाव, एनआरआई कराधान – हाल ही में किए गए संशोधन – विश्लेषण और विवक्षाएं, वित्त अधिनियम, 2020 के द्वारा किए गए कतिपय महत्वपूर्ण संशोधन – अंतर्राष्ट्रीय कराधान जैसे विषयों पर सम्मेलनों/संगोष्ठियों/कार्यशालाओं/वेबकास्टों का आयोजन किया, इसके अतिरिक्त पैनल परिचर्चाएं – डिजीटल अर्थव्यवस्था के कराधान के लिए 'सरल दृष्टिकोण' के संबंध में यूएन को सुझाव, ओईसीडी समावेशक ढांचे का स्तंभ 1 और 2 प्रस्ताव तथा भारत का साम्याकरण उद्ग्रहण, संघीय बजट 2021-22 के कर प्रस्तावों की विशिष्टियां, पैनल परिचर्चा – अनिवासियों द्वारा साफ्टवेयर के लिए संदाय का कराधान और टीडीएस – उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित विवाद, सेवाओं/निवासियों द्वारा भारत से बाहर आस्तियों और भारत में अनिवासियों की आय का कराधान (वेतन, गृह संपत्ति और पूंजी अभिलाभ), पैनल परिचर्चा – साम्याकरण उद्ग्रहण – देशी और अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियां, पैनल परिचर्चा – काला धन अधिनियम – विनियमों को स्पष्ट करना तथा अनुपालन, पैनल परिचर्चा – तकनीकी सेवाओं के लिए फीस (एफटीएस) – अवधारणाएं और विवाद, पैनल परिचर्चा – स्वामिस्व के संबंध में स्पष्टीकरण – कर परिप्रेक्ष्य और अंतर्राष्ट्रीय कराधान तथा अंतरण कीमत निर्धारण विषय पर वर्चुअल सीपीई बैठकें जैसे कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया ।

(III) अंतर्राष्ट्रीय कराधान में अर्हता-पश्च डिप्लोमा

समिति ने इस अवधि के दौरान, अंतर्राष्ट्रीय कराधान के क्षेत्र में अर्हता-पश्च डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के 5 बैचों का आयोजन किया था, जिसमें 783 व्यक्तियों ने भाग लिया था ।

(IV) अन्य पहलें

- समिति ने नीचे दिए गए ब्यौरों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय कराधान और अंतरण कीमत निर्धारण विषयों पर ऑनलाइन पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों की एक श्रृंखला का संचालन किया है :
    - अंतर्राष्ट्रीय कराधान संबंधी आधारिक जानकारी ।
    - दोहरा कराधान अपवंचन करार ।
- समिति ने नीचे दिए गए ब्यौरों के अनुसार कुछ महत्वपूर्ण विषयों के संबंध में ई-पठन माड्यूलों को जोड़ा है :
    - अंतरण कीमत निर्धारण का पर्यावलोकन
    - अंतर्राष्ट्रीय कराधान का पर्यावलोकन
    - अंतरण कीमत निर्धारण संबंधी दस्तावेजीकरण और प्रारूपण
    - अनिवासियों के कराधान संबंधी आधारिक जानकारी
    - अनिवासियों के संबंध में माने जाने वाले उपबंध – आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 9 का पर्यावलोकन

- निम्नलिखित प्रकाशनों का पुनरीक्षण किया गया :
  - अंतर्राष्ट्रीय कर से संबंधित डिप्लोमा पाठ्यक्रम की पृष्ठभूमि सामग्री
  - आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 92ङ के अधीन रिपोर्ट से संबंधित मार्गदर्शन (अंतरण कीमत निर्धारण)
  - अंतर्राष्ट्रीय कराधान संबंधी आधारिक जानकारी (जो पूर्व में "अंतर्राष्ट्रीय कराधान के पहलू – एक अध्ययन" नामक प्रकाशन के रूप में ज्ञात था)
  - अनिवासियों का कराधान ।
- समिति ने "बीईपीएस कार्ययोजना और बहुपक्षीय लिखत (एमएलआई)" नामक एक नया प्रकाशन जारी किया है ।
- सीए जर्नल में अंतर्राष्ट्रीय कराधान से संबंधित लेखों का योगदान ।
- घरेलू और साथ ही विदेशों में स्थित सदस्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कराधान के विषय में नियमित रूप से अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराना ।

5.17 उद्योग और कारबार में लगे सदस्यों संबंधी समिति (सीएमआईएंडबी)

उद्योग और कारबार में लगे सदस्यों संबंधी समिति (सीएमआईएंडबी), जो परिषद् की गैर-स्थायी समितियों में से एक है, व्यष्टिक और संगठनात्मक उद्देश्यों के साथ सामंजस्य बिठाने, उद्योग और आईसीएआई के बीच अंतरापृष्ठ का सृजन करने और चार्टर्ड अकाउंटेंटों को उनके पारंपरिक क्षेत्रों से परे कंपनी, कारबार और वाणिज्य के कार्यकरण से संबंधित सभी पहलुओं के संबंध में एक ज्ञानवान वृत्तिकों के रूप में मान्यता प्रदान करने/स्थापित करने के लिए एक प्रभावी मंच का प्रयोजन सिद्ध करती है । सीएमआईएंडबी उद्योग और कारबार में सेवारत सीए और संस्थान के बीच निकट संबंध को प्रोत्साहित करने तथा उसमें अभिवृद्धि करने का कार्य करती है । इस प्रयास का समर्थन करने के लिए, सीएमआईएंडबी सदस्यों के फायदे के लिए विभिन्न ज्ञानवर्धन सम्मेलनों, उद्योग बैठकों और आउटरीच कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है । सीएमआईएंडबी के प्रमुख क्रियाकलापों में सदस्यों के हित में कैम्पस नियोजन कार्यक्रमों और आईसीएआई जॉब पोर्टल के माध्यम से युवा और अनुभव प्राप्त, दोनों प्रकार के चार्टर्ड अकाउंटेंटों को नियोजन अवसर उपलब्ध कराना, कारबार और उद्योग में लगे चार्टर्ड अकाउंटेंटों की उदाहरणात्मक उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करने के लिए गौरवशाली आईसीएआई पुरस्कारों का आयोजन करना, वृत्तिक दिलचस्पी के विषयों में सामान्य प्रकाशन जारी करना, सीपीई अध्ययन सर्कलों का सृजन करना, आदि सम्मिलित हैं ।

उद्योग और कारबार में लगे सदस्यों संबंधी समिति (सीएमआईएंडबी) ने सदस्यों और छात्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तुरंत ही वर्चुअल पद्धति को अपना लिया । संपूर्ण कैम्पस नियोजन कार्यक्रम और कैरियर उत्थान कार्यक्रम, जिनका आयोजन अभी तक अभ्यर्थियों को भौतिक रूप से इकठ्ठा करके तथा भर्ती करने वाले नियोजकों के दलों द्वारा देश भर में साक्षात्कार के माध्यम से किया जा रहा था, को एक सुचारू रीति में वर्चुअल पद्धति में परिवर्तित कर दिया गया । सीएमआईएंडबी के शैक्षिक कार्यक्रमों को भी वर्चुअल पद्धति में परिवर्तित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप उनके भाग लेने वाले व्यक्तियों में पहले से काफी अधिक वृद्धि हुई और इस प्रकार यह भौतिक रूप से भीड़ एकत्रित करने से कहीं अधिक उपयोगी सिद्ध हुआ जैसा कि कोविड पूर्व अवधि के दौरान किया जाता था । इस प्रकार, खतरे को अवसर में परिवर्तित किया गया, जिसके द्वारा आयोजनों की संख्या और उनको देखने वाले व्यक्तियों की संख्या में कई गुणा वृद्धि हुई । समान रूप से सीएमआईएंडबी के कैरियर उत्थान कार्यक्रमों में भी उत्साहवर्धक प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई, जो अनुभव प्राप्त चार्टर्ड अकाउंटेंटों के लिए एक समर्पित नियोजन कार्यक्रम है । यद्यपि, वर्ष 2018 और वर्ष 2019 के दौरान इस प्रकार की रिक्तियों की संख्या 200-300 थी, 2020 में इस कार्यक्रम में भाग लेने वाली कंपनियों द्वारा घोषित रिक्तियों की संख्या बढ़कर 1097 तथा वर्ष 2021 में यह और अधिक बढ़कर 1927 हो गई ।

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान किए गए प्रमुख क्रियाकलापों को नीचे उपदर्शित किया गया है :

(I) नियोजन कार्यक्रम

कैम्पस नियोजन कार्यक्रमों का आयोजन सीएमआईएंडबी का एक प्रमुख प्रयास है, जिसके माध्यम से वह नए अर्हित सीए (एनक्यूसीए) तथा भर्ती करने वाली कंपनियों को समान मंच पर लेकर आती है । कैम्पस साक्षात्कारों की स्कीम को वर्ष 1995 में आरंभ किया गया था । सीए फाइनल परीक्षा के परिणामों की वर्ष में दो बार जनवरी और जुलाई मास के दौरान घोषणा के पश्चात् कैम्पस नियोजन कार्यक्रमों का आयोजन क्रमश: फरवरी-मार्च तथा अगस्त-सितंबर के दौरान किया जाता है । यह कार्यक्रम संभाव्य नियोजकों और युवा सदस्यों को परस्पर क्रिया करने और विभिन्न संगठनों में नियोजन प्राप्त करने की संभावना का पता लगाने का अवसर उपलब्ध कराता है ।

नए अर्हित सीए के लिए कैम्पस नियोजन :-

- **फरवरी-मार्च, 2020, जो जुलाई, 2020 तक जारी रहा :** कैम्पस नियोजन कार्यक्रम के इस 51वें संस्करण को 9 बड़े केंद्रों अर्थात् अहमदाबाद, बंगलूरू, चेन्नई, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, मुंबई, नई दिल्ली और पुणे में आयोजित किया गया और इसका आयोजन 9 छोटे केंद्रों पर भी किया गया अर्थात् भुवनेश्वर, चंड़ीगढ़, कोयम्बटूर, दुर्गापुर, एर्नाकुलम, इंदौर, कानपुर, नोएडा और ठाणे। यद्यपि, इस कैम्पस कार्यक्रम के प्रथम चरण के आयोजन को 9 प्रमुख केंद्रों में 8 मार्च, 2020 तक पूरा कर लिया गया था किंतु 9 छोटे केंद्रों में इस कार्यक्रम के दूसरे चरण का आयोजन, जिसे 28 से 31 मार्च, 2020 के दौरान किया जाना था, का आयोजन राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण नहीं किया जा सका था। छोटे केंद्रों के लिए इस कैम्पस कार्यक्रम के दूसरे चरण का आयोजन 30 और 31 जुलाई, 2020 के दौरान वर्चुअल पद्धति से किया गया। उक्त कैम्पस नियोजन कार्यक्रम हेतु 9272 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रीकरण किया था। 136 संगठनों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया था तथा 2950 अभ्यर्थियों को नौकरी का प्रस्ताव दिया गया था। इस कार्यक्रम के दौरान प्रस्तावित अधिकतम वेतन (कंपनी को लागत) 23.28 लाख रुपए प्रति वर्ष था।

- **फरवरी-मार्च, 2021 :** ऐसे अभ्यर्थियों के लिए, जिन्होंने नवंबर-दिसंबर, 2020 के दौरान आयोजित परीक्षाओं को अर्हित किया था, कैम्पस कार्यक्रम के इस 52वें संस्करण का आयोजन वर्चुअल पद्धति से फरवरी-मार्च, 2021 के दौरान 9 बड़े और 10 छोटे केंद्रों पर किया गया था, चूंकि छोटे केंद्रों में एक नए केंद्र विशाखापट्टनम को भी जोड़ा गया था। उक्त कैम्पस नियोजन कार्यक्रम हेतु 7364 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रीकरण किया था। 93 संगठनों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया था तथा 4951 अभ्यर्थियों को नौकरी का प्रस्ताव दिया गया था। इस कार्यक्रम के दौरान देशी नौकरी के लिए प्रस्तावित अधिकतम वेतन (कंपनी को लागत) 25.31 लाख रुपए प्रति वर्ष था तथा विदेशी नौकरी के लिए प्रस्तावित अधिकतम वेतन 33 लाख रुपए प्रति वर्ष था। समिति ने नए अर्हित सीए और साथ ही अनुभव प्राप्त सीए के नियोजनों के संबंध में अपने सभी पूर्व रिकार्डों को तोड़ दिया और यह उद्देश्य दो उत्तरवर्ती कैम्पस नियोजन कार्यक्रमों में पूरा किया गया। यद्यपि, फरवरी-मार्च, 2020 के कैम्पस नियोजन कार्यक्रम में उसके तुरंत पूर्ववर्ती अगस्त-सितंबर, 2019 में आयोजित नियोजन कार्यक्रम से 38 प्रतिशत अधिक नौकरियां प्रदान की गई जबकि फरवरी-मार्च, 2021 के कैम्पस नियोजन कार्यक्रम ने अपने पूर्ववर्ती कैम्पस नियोजन कार्यक्रम से 68 प्रतिशत से अधिक वृद्धि दर्ज की।

- **अप्रैल-मई, 2021 :**

  नए अर्हित सीए के लिए प्रायिक 9 बड़े केंद्रों पर अप्रैल-मई, 2021 के दौरान 53वें संस्करण का कैम्पस नियोजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। राजकोट और नागपुर को अतिरिक्त छोटे केंद्रों के रूप में जोड़ा गया था और इस प्रकार छोटे केंद्रों की संख्या 12 हो गई थी, जिनके लिए साक्षात्कारों का आयोजन 1 और 8 जून, 2021 के बीच किया गया था। उक्त कैम्पस नियोजन कार्यक्रम हेतु 1807 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रीकरण किया था। 32 संगठनों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया था तथा 1054 अभ्यर्थियों को नौकरी का प्रस्ताव दिया गया था। इस कार्यक्रम के दौरान देशी नौकरी के लिए प्रस्तावित अधिकतम वेतन (कंपनी को लागत) 15.04 लाख रुपए प्रति वर्ष था। इस कार्यक्रम की मुख्य विशिष्टता यह थी कि रजिस्ट्रीकृत सभी 1807 अभ्यर्थियों को एक या अधिक कंपनियों द्वारा सूचीबद्ध किया गया था जो कि स्वयं एक नया रिकार्ड है। रजिस्ट्रीकरणों की तुलना में नौकरियों के प्रस्ताव का प्रतिशत 58 रहा, जो कि पुन: एक उत्तम प्रतिशत है।

(II) अनुभव प्राप्त सीए के लिए कैरियर उत्थान कार्यक्रम

सीएमआईएंडबी वृत्ति में कम से कम एक वर्ष का अनुभव रखने वाले अनुभवी चार्टर्ड अकाउंटेंटों को नियोजन अवसर उपलब्ध कराने के लिए कैरियर उत्थान कार्यक्रमों का आयोजन करती रही है और इन कार्यक्रमों के लिए संगठनों से कोई भाग लिए जाने संबंधी फीस प्रभारित नहीं की जाती है। इस अवधि के दौरान, आयोजित कैरियर उत्थान कार्यक्रमों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

- **कैरियर उत्थान, 2020**

  31 अगस्त, 2019 या उससे पूर्व सदस्यता धारण करने वाला कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट सिंतबर, 2020 में आयोजित किए गए इस कार्यक्रम के लिए पात्र था। इस कार्यक्रम हेतु 2623 सदस्यों ने रजिस्ट्रीकरण किया था। इस कार्यक्रम के लिए 38 संगठनों ने 57 साक्षात्कार दलों के साथ रजिस्ट्रीकरण किया था और इस प्रकार कुल 1097 रिक्तियों के संबंध में नौकरियों का प्रस्ताव किया गया था। 21 लाख रुपए के अधिकतम वेतन वाली नौकरी का प्रस्ताव किया गया था। रिक्तियों की संख्या पिछले वर्ष की संख्या की तुलना में पांच गुणा से भी अधिक थी।

- **कैरियर उत्थान 2021**

  31 मई, 2020 या उससे पूर्व सदस्यता धारण करने वाला कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट इस कार्यक्रम के लिए पात्र था। इस कार्यक्रम

हेतु 7 और 8 जुलाई, 2021 को साक्षात्कारों का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम के लिए 6680 सदस्यों और 53 संगठनों ने रजिस्ट्रीकरण किया था और इस प्रकार कुल 1927 रिक्तियों के संबंध में नौकरियों का प्रस्ताव किया गया था।

(III) सरकारी और अन्य संगठनों को उपलब्ध कराई गई नियोजन सेवाएं

सीएमआईएंडबी मंत्रालयों और अन्य संगठनों से उनकी नौकरी से संबंधित अपेक्षाओं को पूरा करने हेतु प्राप्त होने वाली अध्यपेक्षाओं के संबंध में तुरंत कार्रवाई करती है और उन्हें नियोजन के लिए उपलब्ध अभ्यर्थियों के पूल से उनके लिए सर्वाधिक उचित अभ्यर्थी प्राप्त करने में उनकी सहायता करती है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान उपलब्ध कराई गई ऐसी सेवाओं के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

- भारत सरकार के मंत्रालयों में युवा वृत्तिकों का नियोजन

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

कारपोरेट कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली से युवा वृत्तिकों की रिक्तियों को भरने के लिए प्राप्त हुए अनुरोध के अनुसरण में सीएमआईएंडबी ने अनुभवी सीए से ही अपने सीए जॉब पोर्टल के माध्यम से नई दिल्ली/एनसीआर अवस्थानों के संबंध में आवेदन आमंत्रित किए थे। सीएमआईएंडबी को 469 आवेदन प्राप्त हुए थे और आईसीएआई के अधिकारियों के एक पैनल द्वारा उनकी संवीक्षा करने के पश्चात् 37 सीए को सूचीबद्ध किया गया था तथा उनके नामों को एमसीए, नई दिल्ली को अग्रेषित किया गया।

इसके अतिरिक्त, सीएमआईएंडबी ने केरल और चेन्नई अवस्थानों पर स्थित एमसीए कार्यालयों में रिक्तियों के लिए अनुभवी सीए से आवेदन आमंत्रित किए थे और अधिकारियों के पैनल द्वारा उनकी संवीक्षा के पश्चात् 47 अभ्यर्थियों की एक सूची अग्रेषित की गई थी। कारपोरेट कार्य मंत्रालय, कोलकाता से पूर्वी क्षेत्रों में स्थित एमसीए के कार्यालयों में युवा वृत्तिकों की रिक्तियों को भरे जाने से संबंधित प्राप्त अनुरोध के अनुसरण में सीएमआईएंडबी ने अनुभवी सीए से आवेदनों को आमंत्रित किया था। सीएमआईएंडबी को 145 आवेदन प्राप्त हुए थे और आईसीएआई के अधिकारियों के एक पैनल द्वारा उनकी संवीक्षा करने के पश्चात् 42 सीए को सूचीबद्ध किया गया था तथा उनके नामों को एमसीए, कोलकाता को अग्रेषित किया गया। इसी प्रकार की कार्रवाई दिल्ली और कानपुर स्थित आरओसी के कार्यालयों को पैनल उपलब्ध कराने के लिए भी की गई थी, जहां प्राप्त 175 आवेदनों में से 106 आवेदनों को आईसीएआई के अधिकारियों के एक पैनल द्वारा सूचीबद्ध किया गया था और उनके नामों को आरओसी कानपुर और दिल्ली को अग्रेषित किया गया था।

आईसीएआई को दिनांक 29 दिसंबर, 2020 को प्रादेशिक निदेशक (पश्चिमी क्षेत्र), कारपोरेट कार्य मंत्रालय से एक संसूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें आईसीएआई से फाइनल परीक्षा को उत्तीर्ण करने के पश्चात् न्यूनतम दो वर्ष का अनुभव रखने वाले पात्र अभ्यर्थियों की एक सूची उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था और साथ ही यह भी कथन किया गया था कि ऐसे अभ्यर्थियों को 40 हजार रुपए प्रति मास का समेकित पारिश्रमिक + एक हजार रुपए का वाहन प्रभार का संदाय किया जाएगा। संसूचना में इस बात का उल्लेख किया गया था कि कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने संविदा के आधार पर अपने क्षेत्रीय कार्यालयों में चार्टर्ड अकाउंटेंटों, कंपनी सचिवों/ लागत लेखापालों को नियोजित करने हेतु एक युवा वृत्तिक कार्यक्रम आरंभ किया है और सुसंगत समय पर उनके पास 7 रिक्तियां मौजूद थी। सीएमआईएंडबी ने दिलचस्पी रखने वाले सदस्यों से आवेदन मांगे थे जिसके प्रत्युत्तर में उसे 178 आवेदन प्राप्त हुए थे। द्वितीय प्रविष्टियों और अपात्र आवेदनों को हटाए जाने के पश्चात् 87 आवेदन शेष बचे थे, जिनकी आईसीएआई के अधिकारियों के एक पैनल द्वारा संवीक्षा की गई थी, जिन्होंने उनकी रैकिंग की तथा उनमें से 18 अभ्यर्थियों को सूचीबद्ध किया और उस सूची को 7 जनवरी, 2021 को प्रादेशिक निदेशक (पश्चिमी क्षेत्र) के साथ साझा किया गया।

कृषि और कृषक कल्याण मंत्रालय

सीएमआईएंडबी ने भारत सरकार के कृषि और कृषक मंत्रालय में विद्यमान रिक्तियों के लिए अपने सीए जॉब पोर्टल के माध्यम से अनुभवी सीए से आवेदनों को आमंत्रित किया था और उसने 12 सूचीबद्ध अभ्यर्थियों की सूची को आगे और साक्षात्कार हेतु मंत्रालय को अग्रेषित किया था।

- **हुडको में सीए का नियोजन**

  हुडको से प्राप्त अनुरोध के अनुसरण में सीएमआईएंडबी सचिवालय ने अपने सीए जॉब पोर्टल के माध्यम से हुडको में रिक्तियों के लिए अनुभवी सीए से आवेदनों को आमंत्रित किया था और उसने 24 सूचीबद्ध अभ्यर्थियों की सूची को आगे और साक्षात्कार हेतु हुडको को अग्रेषित किया था।

- **आईसीएआई की समितियों के लिए वृत्तिकों की भर्ती**

  वर्ष 2020 के दौरान एचआरडी, आईसीएआई को 123 नए अर्हित सीए का एक पैनल उपलब्ध कराया गया था, जिसमें से आईसीएआई में विद्यमान 15 रिक्तियों को भरा जाना था। यह कार्यवाही ऐसे अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित करते हुए की

गई थी, जिन्हें दिल्ली केंद्र से नियोजन प्राप्त नहीं हुआ था । जून, 2021 में एचआरडी, आईसीएआई ने एक बार पुन: आईसीएआई की विभिन्न समितियों में रिक्तियों को भरे जाने के लिए नियोजन अभियान आरंभ किया था । 30 रिक्तियों को भरे जाने हेतु उन्हें 129 सीए का एक पैनल उपलब्ध कराया गया था।

(IV) रैंक धारकों के लिए प्रबंध विकास कार्यक्रम

- **एमडीपी का तीसरा बैच**

  नवंबर-दिसंबर, 2020 की परीक्षाओं के सीए फाइनल रैंक धारकों के लिए इंदौर में, आईआईएम, इंदौर के सहयोग से 17 फरवरी, 2021 से 1 मार्च, 2021 के दौरान एमडीपी के तीसरे बैच का आयोजन किया गया था । कुल 156 रैंक धारकों में से उक्त कार्यक्रम हेतु 70 अभ्यर्थियों (64 सामान्य और 6 आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों) को रजिस्ट्रीकृत किया गया था । आईआईएम, इंदौर को प्रत्येक भागीदार के संबंध में 62,500 रुपए की फीस का संदाय किया गया था, जिसमें से सामान्य वर्ग के छात्रों से 20 प्रतिशत फीस प्रभारित की गई थी, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के छात्रों से कोई फीस प्रभारित नहीं की गई थी ।

- **एमडीपी का चौथा बैच**

  जनवरी-फरवरी, 2021 की परीक्षाओं के सीए फाइनल रैंक धारकों के लिए लखनऊ में, आईआईएम, लखनऊ के सहयोग से 20 से 30 अप्रैल, 2021 के दौरान एमडीपी के चौथे बैच का आयोजन किया गया था । कुल 94 रैंक धारकों में से उक्त कार्यक्रम हेतु 46 अभ्यर्थियों (44 सामान्य और 2 आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों) को रजिस्ट्रीकृत किया गया था । आईआईएम, लखनऊ को प्रत्येक भागीदार के संबंध में 45,000 रुपए की फीस का संदाय किया गया था, जिसमें से सामान्य वर्ग के छात्रों से 20 प्रतिशत फीस प्रभारित की गई थी, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के छात्रों से कोई फीस प्रभारित नहीं की गई थी ।

(V) कार्यपालक विकास कार्यक्रम

कार्यकरण वर्ष 2021-22 के दौरान सीएमआईएंडबी ने एक नई पहल आरंभ की थी, जिसके द्वारा फाइनल परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले सभी छात्रों को नि:शुल्क रूप से ईडीपी में भाग लेने का अवसर प्रदान किया गया था । भारत और विदेशों के सुविख्यात वक्ताओं को इस कार्यक्रम मे भाग लेने वाले व्यक्तियों को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया गया था । प्रारंभ में उक्त कार्यक्रम को फाइनल परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अंतिम दो बैचों के लिए ही आयोजित करने का विनिश्चय किया गया था किंतु इसकी उपयोगिता को ध्यान को रखते हुए इसे अंतिम दस बैचों के लिए खोले जाने का विनिश्चय किया गया था ।

(VI) कारबार नेतृत्व विकास कार्यक्रम

कार्यकरण वर्ष 2021-22 के दौरान सीएमआईएंडबी ने एक नई पहल आरंभ की थी, जिसके अधीन ऐसे सदस्यों के लिए कारबार नेतृत्व विकास कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जो उद्योग में सीएफओ/निदेशक / वरिष्ठ कृत्यकारियों के रूप में नियोजित हैं । इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या को 35 तक सीमित रखा गया था । "संपरिवर्तनशील और समावेशी नेतृत्व" शीर्षक वाले इस ढाई घंटें के कार्यक्रम का आयोजन सप्ताहांतों के दौरान किया गया था, जिसमें कुल 20 घंटें के 8 सत्र सम्मिलित थे । यह कार्यक्रम 19 जून, 2021 को आरंभ हुआ था तथा 11 जुलाई, 2021 को समाप्त हुआ था । भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति से 20 हजार रुपए की फीस प्रभारित की गई थी । संकाय को अध्यापन के लिए 15 हजार रुपए प्रति घंटे की दर से संदाय किया जा रहा है । सम्मानित प्रबंध संस्थाओं से विख्यात संकाय और सीए निगम प्रशिक्षकों को इस कार्यक्रम में अध्यापन हेतु आमंत्रित किया गया था।

(VIII) स्वतंत्र निदेशकों के लिए मास्टर कार्यक्रम

सीएमआईएंडबी ने कार्यकरण वर्ष 2021-22 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों के लिए मास्टर कार्यक्रम का आयोजन करके एक और नई पहल की है । इस कार्यक्रम का आयोजन सप्ताहंतों के दौरान 26 जून, 2021 से 17 जुलाई, 2021 तक की अवधि के दौरान किया गया था । यह एक सात दिवसीय दो घंटें प्रतिदिन का कार्यक्रम है, जिसमें भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या को 24 तक सीमित किया गया है । प्रत्येक भागीदार से 10 हजार रुपए फीस प्रभारित की गई थी । इस कार्यक्रम के लिए विख्यात संकाय सदस्यों को आमंत्रित किया गया था ।

(VIII) उद्योग विनिर्दिष्ट अनुसंधान कार्य

कार्यकरण वर्ष 2021-22 के दौरान, समिति द्वारा की गई एक अन्य महत्वपूर्ण पहल में उद्योग विनिर्दिष्ट अनुसंधान प्रकाशनों को निकालना और लेखांकन, संपरीक्षा, कराधान और कारबार संबंधी मुद्दों के विषयों में विनिर्दिष्ट उद्योगों के सामने आ रहे मुद्दों के संबंध में विनियामकों और प्राधिकारियों को अभ्यावेदन देना है । एक अग्रणी परियोजना के रूप में ऊर्जा सेक्टर संबंधी एक समूह की स्थापना की गई है । निम्नलिखित सेक्टरों के संबंध में भी किसी प्रकार के समूहों को स्थापित करने का भी प्रस्ताव किया गया है :

- आटोमोबाइल और आटो संघटक
- बैंककारी, वित्तीय सेवाएं और बीमा
- बीपीओ, केपीओ, एपीओ, आईटी और आईटीईएस
- पूंजी माल
- इलैक्ट्रानिक्स, दूरसंचार, मोबाइल और श्वेत माल
- मनोरंजन
- खाद्य, खाद्य प्रसंस्करण, खुदरा और ई-वाणिज्य
- अवसंरचना
- राष्ट्र की स्मार्ट सिटी परियोजना
- भेषजीय
- टैक्सटाइल

(IX) 14वें आईसीएआई पुरस्कार और लीडरशिप शिखर सम्मेलन, 2020

समिति ने 20 जनवरी, 2021 को नई दिल्ली स्थित होटल अशोक में सफलतापूर्वक अपने 14वें आईसीएआई पुरस्कार और लीडरशिप शिखर सम्मेलन, 2020 का आयोजन किया था । इस आयोजन के मुख्य अतिथि श्री नितिन गडकरी, संघ के माननीय सड़क परिवहन और राजमार्ग तथा एमएसएमई मंत्री थे । माननीय मंत्री ने पुरस्कार विजेताओं को उनके अभूतपूर्व कार्यपालन के लिए बधाई दी और साथ ही उन्होंने आईसीएआई को ऐसे कर्मठ व्यक्तियों के कार्य को मान्यता देने के लिए धन्यवाद भी दिया । माननीय मंत्री ने यह कथन किया कि "चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अर्थव्यवस्था के विकास इंजन है जो वित्तीय संकट के समय संगठनों की सहायता करते हैं" । उन्होंने भारत को आगामी पांच वर्षों में पांच ट्रिलीयन डालर की अर्थव्यवस्था बनाने में सनदी लेखाकारों से सहायता की अपील की । माननीय मंत्री ने 30 पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया ।

ये पुरस्कार विभिन्न प्रवर्गों के अंतर्गत प्रदान किए जाते हैं, जैसे कि कारबार नेतृत्व, सीएफओ, सीएक्सओ, उद्यमी, शिक्षक, वैश्विक उपलब्धिकर्ता, लोक सेवा में उपलब्धिकर्ता आदि उद्योग में लगे दो वरिष्ठ सदस्यों, अर्थात् सीए बल्लभ भानूशाली और सीए निमेश कंपानी को हाल ऑफ फेम पुरस्कार से सम्मानित किया गया । लोक सेवा में उपलब्धि प्राप्त करने वाले सीए महावीर सिंघवी, आईएफएस संयुक्त सचिव, विदेश मंत्रालय, सीए उपेन्द्र गुप्ता, आईआरएस, प्रधान अपर महानिदेशक, करदाता सेवा महानिदेशालय और सीए सतीश गोलचा, आईपीएस, विशेष पुलिस आयुक्त, दक्षिणी क्षेत्र, दिल्ली को भी पुरस्कृत किया गया था । अनेक अन्य सीईओ, सीएफओ को भी सम्मानित किया गया था ।

इन पुरस्कारों को एक विस्तृत प्रक्रिया के पश्चात् अंतिम रूप प्रदान किया जाता है, जिसमें नामांकनों को आमंत्रित किया जाना, प्राप्त हुए नामों को किसी सीए फर्म द्वारा समुचित रूप से संपरीक्षित किया जाना, सीएफओ और समतुल्य स्तर के विख्यात सदस्यों को अंतर्विष्ट करने वाली एक नामनिर्देशिती समिति के माध्यम से उन नामों को स्वीकार किया जाना और अंतत: नामांकन समिति की सिफारिशों को एक विख्यात ज्यूरी के समक्ष रखा जाना और तदुपरांत श्री सज्जन जिंदल, अध्यक्ष, जेएसडब्ल्यू समूह की अध्यक्षता के अधीन 14 जनवरी, 2021 को मुंबई में आयोजित ज्यूरी की बैठक में नामों की सूची को अंतिम रूप दिया जाना सम्मिलित है । इस वर्ष कुल 198 नामांकन प्राप्त हुए थे और अंतत: 30 सदस्यों को पुरस्कार दिए जाने हेतु चुना गया था ।

पुरस्कार समारोह के पश्चात् उसी दिन उसी स्थान पर लीडरशिप शिखर सम्मेलन का भी आयोजन किया गया था, जिसमें अनेक विख्यात व्यक्तियों ने विभिन्न विषयों पर उपस्थित वृत्तिकों को संबोधित किया था । इस शिखर सम्मेलन में सीए वृत्ति से सुसंगत आधुनिक युग के अनेक आवश्यक विषयों पर सोच को प्रेरित करने वाली परिचर्चा किए जाने हेतु एक मंच उपलब्ध कराया गया था, जिसमें उद्योग के विशेषज्ञों, नेताओं, उद्यमियों और वृत्तिकों ने भाग लिया था ।

(X) आयोजित कार्यक्रम

इस अवधि के दौरान, समकालीन विषयों, अर्थात् कोविड-19 का स्वयं पर तथा उद्योग, अर्थव्यवस्था और स्टॉक मार्किट पर प्रभाव, आईसीएआई लीडरशिप शिखर सम्मेलन – कोविड-19 पश्च परिदृश्य, विश्व और भारत – कोविड-19 पश्च, वृत्तिक सफलता के पथ पर अग्रसर होने, उद्योग के कारबार चालक तथा नए सामान्य विश्व में वृत्तिकों की भूमिका, व्यवहारिक और वाणिज्यिक मुद्दे तथा मशीनरी के क्रय संबंधी चुनौतियां, उद्योग कनेक्ट जैसे विषयों पर विभिन्न कार्यक्रमों, जिनके अंतर्गत संगोष्ठियां, लाइव वेबकास्ट, परस्पर क्रियाशील बैठकें, सीएफओ बैठकें, वीएसएम आदि भी थे, जिनमें से अधिकांश का आयोजन वर्चुअल पद्धति से किया गया था । इसके अतिरिक्त, सीएफओ और सीईओ के साथ परस्पर क्रियाशील बैठकों, भविष्य को परिवर्तित करना : उत्कृष्टता को समर्थ बनाना, विश्वास में वृद्धि करना, नियंत्रण और शासन तथा अर्थव्यवस्था विकास ग्राफ, जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र में निवेश का संवर्धन, (जिसके अंतर्गत जम्मू-कश्मीर औद्योगिक नीति, 2021-30 के संबंध में परिचर्चा भी है, संकट के समय मस्तिष्क और शरीर को मजबूत करना – जीवाईएम, गीता, योगा और ध्यान) के माध्यम से स्वयं को आराम देना, जीवन ऊर्जा को पुन: प्राप्त करना तथा स्वयं को पुन: जीवंत बनाना, निगम शासन – प्रवृत्तियां और संभावनाएं, संगमरमर उद्योग से संबंधित व्यवहारिक मुद्दे, सीए वृत्ति : नई ऊंचाईयों पर ले जाना तथा मृतक व्यक्तियों का कराधान, सीएफओ के साथ वर्चुअल क्रियाशील बैठक – कारबार, प्रौद्योगिकी और जीवन, सफलता के मंत्रों के संबंध में उद्योग के प्रमुख नेताओं के साथ इन अद्वितीय परिप्रेक्षों के संबंध में सीएफओ बैठक, फेमा संबंधी 4 दिवसीय ऑनलाइन पुनश्चर्या पाठ्यक्रम का आयोजन ।

(XI) उद्योग में लगे सदस्यों के लिए नए सीपीई अध्ययन सर्कल

सीएमआईएंडबी अगस्त, 2020 में आईसीएआई के उद्योग में लगे सदस्यों के लिए ब्लू स्टार लिमिटेड के ब्लू ऐज ठाणे सीपीई अध्ययन सर्कल की विरचना की है ।

5.18 पियर पुनर्विलोकन बोर्ड (पीआरबी)

व्यवसाय करने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंटों द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं की क्वालिटी को सुनिश्चित करने की आवश्यकता को मान्यता प्रदान करते हुए पियर पुनर्विलोकन बोर्ड की स्थापना वर्ष 2002 में की गई थी । पियर पुनर्विलोकन का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि संस्थान के सदस्य आश्वासन सेवा समनुदेशनों को पूरा करते समय (क) यथालागू तकनीकी, वृत्तिक और नैतिक मानकों, जिसके अंतर्गत उनसे संबंधित अन्य विनियामक अपेक्षाएं भी हैं, का अनुपालन करते हैं और (ख) उनके द्वारा दी जाने वाली आश्वासन सेवाओं की गुणवत्ता को पर्याप्त रूप से उपदर्शित करने के लिए दस्तावेजीकरण सहित समुचित प्रणालियां सुस्थापित हैं । किसी व्यवसायी इकाई के पियर पुनर्विलोकन का संचालन, पियर पुनर्विलोकक के रूप में ज्ञात एक स्वतंत्र मूल्यांकक द्वारा किया जाता है ।

बोर्ड के प्रयास की दो विनियामकों, अर्थात् सेबी और सीएंडएजी द्वारा मान्यता की अपेक्षाओं का नीचे कथन किया गया है :--

- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सूचीबद्ध अस्तित्वों के लिए 1 अप्रैल, 2010 से यह आज्ञापक बना दिया है कि संबंधित स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत सीमित पुनर्विलोकन/कानूनी संपरीक्षा रिपोर्ट केवल उन संपरीक्षकों द्वारा तैयार की जाएगी, जिन्होंने स्वयं को पियर पुनर्विलोकन प्रक्रिया के अध्यधीन किया है और जो संस्थान के 'पियर पुनर्विलोकन बोर्ड' द्वारा जारी विधिमान्य प्रमाणपत्र धारण कर रहे हैं ।
- भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएंडएजी) ने भी पियर पुनर्विलोकन बोर्ड के कार्य को मान्यता प्रदान की है ; अब वह आवेदन प्ररूप में चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्मों से उनकी पियर पुनर्विलोकन प्रास्थिति के बारे में अतिरिक्त ब्यौरे मांगता है, ताकि पब्लिक सेक्टर उपक्रमों के लिए संपरीक्षा आबंटित की जा सके । इसके अतिरिक्त, पिछले कुछ वर्षों से सीएंडएजी वार्षिक रूप से आईसीएआई से उन फर्मों के ब्यौरे मांग रहा है, जिन्हें पियर पुनर्विलोकन बोर्ड द्वारा प्रमाणपत्र जारी किए गए हैं ।

क्रियाकलाप/पहलें

1. व्यवसायरत यूनिटों का पियर पुनर्विलोकन :

पियर पुनर्विलोकन के परिधि क्षेत्र में अभिवृद्धि करने तथा इसे और अधिक प्रभावी बनाने और साथ ही अधिकाधिक फर्मों को पियर पुनर्विलोकन प्रक्रिया के अधीन लाने के लिए सतत प्रयास किए जा रहे हैं । बोर्ड के योजनाबद्ध प्रयासों ने पियर पुनर्विलोककों के प्रभावी कार्यपालन के साथ मिलकर व्यवसायी यूनिटों को इस बात के लिए प्रेरित किया है कि वे उनके द्वारा साधारण रूप से समाज को प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता में निरंतर सुधार लाएं । नमूनों के उपयुक्त चयन और प्रभावी पुनर्विलोकन पर अत्यधिक ध्यान दिया

जाता है। 30 जून, 2021 तक पियर पुनर्विलोकन बोर्ड ने 12905 मामलों पर विचार किया है और पियर पुनर्विलोकन प्रमाणपत्र जारी किए हैं।

(II) पियर पुनर्विलोककों का प्रशिक्षण और उन्हें पैनलबद्ध करना

- **पियर पुनर्विलोककों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम**

  यह सुनिश्चित करने के लिए कि पुनर्विलोकन करने में संगतता और एकसमानता है, बोर्ड पुनर्विलोककों को पुनर्विलोकन हेतु व्यवसाय इकाईयां आबंटित करने से पूर्व उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करता है। इसके प्रारंभ से लेकर अब तक बोर्ड ने पूरे भारत वर्ष में 214 पियर पुनर्विलोकन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया है जिनमें से इस वर्ष के दौरान गुवाहाटी में आयोजित एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम और वर्चुअल पद्धति के माध्यम से आयोजित दो प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्मिलित हैं। पियर पुनर्विलोकन बोर्ड ने अपने प्रारंभ के पश्चात् से 6539 पियर पुनर्विलोककों को पैनलबद्ध किया है तथा उन्हें प्रशिक्षित किया है।

- **पियर पुनर्विलोककों को पैनलबद्ध किए जाने के लिए ऑनलाइन परीक्षा**

  - पियर पुनर्विलोककों को पैनलबद्ध करने के लिए 10, 20 और 27 फरवरी, 2021, 24 अप्रैल, 2021 और 22 मई, 2021 को ऑनलाइन परीक्षाओं का संचालन किया गया था। अभी तक कुल 398 सदस्यों ने बोर्ड द्वारा आयोजित इस ऑनलाइन परीक्षा को उत्तीर्ण किया है।
  - आईसीएआई के डीएलएच मंच के माध्यम से ई-प्रमाणपत्रों को सृजित किया गया था, जिन्हें सदस्यों द्वारा डाउनलोड किया जा सकता है। प्रमाणपत्रों की एक प्रति, बोर्ड के प्रकाशनों, अर्थात् पियर पुनर्विलोकन संबंधी विवरण ; सलाहों संबंधी हैडबुक और पियर पुनर्विलोकन मैनुअल की प्रति के साथ ऐसे सदस्यों को भेजी गई थी, जिन्होंने आज की तारीख तक पैनलबद्ध किए जाने संबंधी परीक्षा को उत्तीर्ण किया है।
  - ऐसे सदस्यों के संदेहों को दूर करने के लिए, जो इस ऑनलाइन परीक्षा में बैठना चाहते हैं, एफएक्यू की एक प्रति आईसीएआई की वेबसाइट https://resource.cdn.icai.org/64784prb-faq-mocktest.pdf के पियर पुनर्विलोकन पृष्ठ पर रखी गई है।

(III) व्यवसायी इकाई के लिए वीसीएम

बोर्ड ने 22 मई, 2021 को "फर्मों के लिए अंतरभूत मूल्यों का सृजन" विषय पर एक वीसीएम का आयोजन किया था।

(IV) बोर्ड के विभिन्न प्रकाशनों का पुनरीक्षण

पियर पुनर्विलोकन बोर्ड के निम्नलिखित विद्यमान प्रकाशनों को पुनरीक्षित करने के लिए कार्यवाही की जा रही है :

- पियर पुनर्विलोकन संबंधी विवरण : बोर्ड ने पियर पुनर्विलोकन संबंधी विवरण को पुनरीक्षित करने का विनिश्चय किया है और परिषद् ने उसका अनुमोदन कर दिया है। कुछ लघु परिवर्तनों के अलावा एल 1 और एल 2 व्यवसायी इकाईयों के लिए मानदंडों को आमेलित किया गया है और पियर पुनर्विलोककों संबंधी पात्रता मानदंडों को पुनरीक्षित किया गया है। प्रक्रिया की दक्षता में सुधार लाने के लिए समयावधि को भी घटाकर 30 कर दिया गया है।
- पियर पुनर्विलोकन मैनुअल : इस प्रकाशन को पियर पुनर्विलोकन विवरण में किए गए विभिन्न परिवर्तनों को सम्मिलित करने के लिए पुनरीक्षणाधीन किया गया है। मैनुअल के परिशिष्ट का भाग बनने वाले विभिन्न प्ररूपों, अर्थात् व्यवसायी इकाई की घोषणा, पुनर्विलोकक, प्रश्नोत्तर, अनुलग्नकों आदि को भी पुनरीक्षित किया जा रहा है।

(V) नमूना चुनने के मानदंडों का पुनरीक्षण

बोर्ड ने पुनर्विलोककों के लिए नमूना चुनने के मानदंडों का भी पुनरीक्षण किया है।

(VI) पियर पुनर्विलोकन के महत्व के बारे में जागरुकता का सृजन करने के लिए सोशल मीडिया मंचों का उपयोग

- पियर पुनर्विलोकन प्रक्रिया के संबंध में सदस्यों का मार्गदर्शन करने के लिए ई-स्टोरी बोर्ड को विकसित किया जा रहा है, जिन्हें शीघ्र डीएलएच मंच पर रखा जाएगा। उक्त स्टोरी बोर्डों के लिए बोर्ड के विभिन्न प्रकाशनों की अंतर्वस्तु का उपयोग किया जा रहा है।

- पियर पुनर्विलोकन प्रक्रिया के महत्व के संबंध में जागरुकता का सृजन करने के लिए 'डू यू नो सिरिज' के माध्यम से सदस्यों को एकसाथ ई-मेल भेजे जाने का प्रस्ताव है।

(VII) पियर पुनर्विलोकन साफ्टवेयर

शीघ्र ही पियर पुनर्विलोकन प्रक्रिया को एक साफ्टवेयर के माध्यम से निष्पादित किया जाएगा।

इस साफ्टवेयर की प्रमुख विशिष्टियां निम्नानुसार हैं :

i. पियर पुनर्विलोकन कराने हेतु व्यवसायी इकाई का ऑनलाइन अनुरोध

ii. एक क्लिक से समेकित डाटा

iii. पियर पुनर्विलोकन बोर्ड, व्यवसायी इकाई और पियर पुनर्विलोकक के लिए अनन्य – बोर्ड

iv. पियर पुनर्विलोकक का ऑनलाइन चयन

v. व्यवसायी इकाई के यादृच्छिक समनुदेशनों के लिए पुनर्विलोकक को पारदर्शी और निष्पक्ष वितरण

vi. व्यवसायी इकाईयों और पुनर्विलोकक को सभी प्रवर्गों और प्रक्रमवार स्व:संसूचना के लिए अनन्य एमआईएस रिपोर्टिंग।

(VIII) कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए पियर पुनर्विलोकन प्रमाणपत्र की विधिमान्यता के संबंध में विस्तारण को मंजूर करना

कोविड-19 महामारी के प्रसार तथा राष्ट्रव्यापी लाकडाउन में हुए बहुधा विस्तार और साथ ही विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा चरणबद्ध रीति में मंजूर किए गए आंशिक अनुतोषों को ध्यान में रखते हुए सदस्य पियर पुनर्विलोकन प्रक्रिया को पूरा करने में कठिनाईयों का सामना कर रहे थे। तदनुसार, पियर पुनर्विलोकन बोर्ड ने निम्नलिखित उदघोषणाओं को आईसीएआई की वेबसाइट पर रखा है :

- तारीख 30.03.2020 की एक उदघोषणा को वेबसाइट पर https://resource.cdn.icai.org/58882prb47971.pdf पर रखा है।
- तारीख 29.05.2020 की एक नई उदघोषणा को आईसीएआई की वेबसाइट पर https://resource.cdn.icai.org/59761prb48614.pdf पर रखा है।
- 16 अक्तूबर, 2020 की एक नई उदघोषणा को आईसीएआई की वेबसाइट पर https://www.icai.org/post/further-exentsions-validity-peerreview-certificate-in-the-wake-of-covid-19 पर रखा है।
- 4 मई, 2021 की एक नई उदघोषणा को आईसीएआई की वेबसाइट पर https://www.icai.org/post/exentsion-of-validity-of-peerreview-certificate-in-the-wake-of-covid-19 पर रखा है।

5.19 वृत्तिक विकास समिति (पीडीसी)

यह समिति वर्ष 1962 में स्थापित की गई थी, जिसका उद्देश्य कारबार संस्थान के सदस्यों के लिए कारबार जगत के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में पर्याप्त अवसरों की खोज करने और साथ ही उनका विकास करना है, जिससे चार्टर्ड अकाउंटेंटों की वृत्तिक योग्यता और कौशलों का उपयुक्त रूप से उपयोग किया जा सके। समिति, नए-नए क्षेत्रों में वृत्तिक अवसरों की पहचान करने के अपने प्रयासों के अंतर्गत सरकारों, विनियामक प्राधिकारियों आदि से परस्परर क्रियाएं करती हैं, जिसके अधीन उनसे यह अनुरोध किया जाता है कि वे चार्टर्ड अकाउंटेंटों की विशेषज्ञता का लाभ उठाएं और विभिन्न क्षेत्रों में उनकी सेवाओं का उपयोग करें। विद्यमान और नए क्षेत्रों में चार्टर्ड अकाउंटेंटों के कौशल सेटों में अभिवृद्धि करने के विचार से समिति हित के समवर्ती क्षेत्रों में विभिन्न बैठकों, वेबीनारों, संगोष्ठियों, कार्यशालाओं आदि का भी आयोजन करती है।

(I) वृत्तिक संगतता के विषयों पर विभिन्न विनियामकों के साथ बैठकों का आयोजन किया गया था, जिनके ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

- **संपरीक्षा फीस का पुनरीक्षण –** समिति सतत रूप से पिछले अनेक वर्षों से आरबीआई के समक्ष बैंकों के केंद्रीय और कानूनी संपरीक्षकों के लिए संपरीक्षा फीस के पुनरीक्षण के मुद्दे को उठा रही है। इस संबंध में की गई बैठकों का सार निम्नानुसार है :
    - 25 मई, 2021 को आरबीआई के उप गवर्नर के साथ अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा पीडीसी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की वर्चुअल बैठक हुई थी, जिसमें आरबीआई के कार्यपालक निदेशक और मुख्य महाप्रबंधक ने भी भाग लिया था।

केंद्रीय और शाखा कानूनी संपरीक्षकों, दोनों के लिए संपरीक्षा फीस के पुनरीक्षण के विषय पर और साथ ही वृत्तिक के हित के कतिपय अन्य विषयों पर भी चर्चा की गई थी।

- 8 अप्रैल, 2021 को अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा पीडीसी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने श्री राजकिरण राय, अध्यक्ष, भारतीय बैंक संगम के साथ एक वर्चुअल बैठक की थी और उक्त बैठक में फीस के पुनरीक्षण की आवश्यकता के संबंध में एक प्रस्तुतिकरण किया गया था। अध्यक्ष, आईबीए ने बैंककारी सेक्टर के प्रति सीए वृत्ति के योगदान की अत्यधिक सराहना की थी और उन्होंने संस्थान से आईबीए की विभिन्न समितियों में भागीदारी करने का अनुरोध भी किया था।
- मार्च, 2021 मास के दौरान श्री सतीश मराठे, निदेशक, आरबीआई के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें उनसे यह अनुरोध किया गया था कि वे आरबीआई के गवर्नर के समक्ष फीस में वृद्धि किए जाने के संबंधी मामले को उठाए।

(II) वृत्ति से संबंधित मुददे

- श्री आर.जी विश्वनाथन, भारत के उप नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (वाणिज्यिक, समन्वयक और स्थानीय निकाय) के साथ बैठक – अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने 29 जून, 2021 को वृत्तिक हित के विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के लिए श्री आर.जी विश्वनाथन, भारत के उप नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (वाणिज्यिक, समन्वयक और स्थानीय निकाय) के साथ बैठक की।
- श्री अजय कुमार चौधरी, सीजीएम, प्रभारी और सुश्री मोनिशा चक्रवर्ती, सीजीएम संपरीक्षा विनियमन समूह, आरबीआई के साथ बैठक – 15 जनवरी, 2021 को मुंबई में सीजीएम, प्रभारी और सीजीएम संपरीक्षा विनियमन समूह के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें पब्लिक सेक्टर बैंकों के कानूनी तथा शाखा संपरीक्षकों की नियुक्ति, प्राइवेट सेक्टर बैंकों में संयुक्त संपरीक्षा आरंभ करने, एसबीए को आबंटित की जाने वाली शाखाओं की संख्या, एसबीए के लिए भागीदार के संबंध में अनन्यता का निर्धारण करने, कूलिंग पीरियड, शाखाओं को सम्मिलतत किए जाने, स्वचालित रूप से संपरीक्षकों का चयन करने, संनियमों को सुमेलित करने की प्रक्रिया, एससीए और एसबीए की संपरीक्षा फीसों में वृद्धि, विशेषीकृत मानीटरी हेतु अभिकरण (एएसएम), बैंकों की समवर्ती/आंतरिक संपरीक्षा आदि जैसे विषयों पर चर्चा की गई थी तथा इसके साथ ही केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा प्रमुख 100 बैंक कपटों के विश्लेषण को सम्मिलित करने वाली रिपोर्ट संबंधी आईसीएआई के सुझावों पर भी चर्चा की गई थी।

(III) कानूनी संपरीक्षकों की नियुक्ति के संबंध में आईआरडीएआई को सुझावों का प्रस्तुत किया जाना :

समिति ने आईआरडीएआई द्वारा जारी भारत में बीमाकर्ताओं के लिए निगम शासन संबंधी दिशानिर्देशों के संबंध में आईसीएआई के सुझावों को प्रस्तुत किया गया था, जिसमे बीमाकर्ताओं द्वारा कानूनी संपरीक्षकों की नियुक्ति का विषय भी सम्मिलित था। सभी सदस्यों को समान अवसर उपलब्ध कराने तथा विनियमों में एकसमानता और पारदर्शिता लाने के लिए उक्त सुझाव 7 जून, 2020 को आईआरडीएआई को प्रस्तुत किए गए थे। पीडीसी के सुझाव संपरीक्षा फीस के अवधारण के मानदंडों, संपरीक्षकों की नियुक्ति में पारदर्शिता, आईसीएआई द्वारा विकसित साफ्टवेयर का ऐसे आबंटनों हेतु उपयोग किए जाने हेतु आदि से संबंधित थे।

(IV) निगम शासन के प्रति योगदान :

आईसीएआई ने पीडीसी के माध्यम से सितंबर, 2020 मास के दौरान भारत में वाणिज्यिक बैंकों में शासन संबंधी परामर्श पत्र के संबंध में आरबीआई को अपने सुझाव प्रस्तुत किए थे और यह सुझाव इस क्षेत्र के विशेषज्ञों के बीच गहन चर्चा के पश्चात् तैयार किए गए थे।

(V) आरबीआई द्वारा 27 अप्रैल, 2021 को जारी एससीए के पुनरीक्षित संनियमों के संबंध में आईसीएआई की सिफारिश

आरबीआई ने पीएसबी, वाणिज्यिक बैंकों, एनबीएफसी, यूएसबी, एचएफसी के कानूनी केंद्रीय संपरीक्षकों (एससीए) की नियुक्ति संबंधी दिशानिर्देशों को 27 अप्रैल, 2021 को जारी किया था। 12 मई, 2021 को आरबीआई के माननीय गवर्नर को एक ब्यौरेवार अभ्यावेदन अग्रेषित किया गया था, जिसमें अन्य बातों के साथ, आरबीआई को यह अनुरोध किया गया था कि वह न्यूनतम संख्या में एससीए को विहित करे, इसके अतिरिक्त संक्रमणकालीन उपबंधों पीएसबी के संपरीक्षकों के लिए तीन वर्ष की कूलिंग को आरंभ करने, आरबीआई द्वारा बैंकों के कानूनी संपरीक्षकों की नियुक्ति आदि विषयों पर भी सिफारिश की गई थी।

(VI) फाइल किए जाने की अंतिम तारीखों को विस्तारित करने के लिए अध्यक्ष, सेबी को अनुरोध

वृत्तिक विकास समिति ने श्री अजय त्यागी, अध्यक्ष, सेबी को कोरोना वायरस की द्वितीय वेव की तीव्रता को ध्यान में रखते हुए वित्तीय परिणामों, सीमित पुनर्विलोकन रिपोर्ट, संपरीक्षक की रिपोर्ट तथा अन्य विभिन्न अनुपालनों को फाइल किए जाने की अंतिम तारीखों को साठ दिन की अवधि हेतु विस्तारित करने का अनुरोध किया था । सेबी ने हमारे अनुरोध को स्वीकार करते हुए अंतिम तारीख को 30 जून, 2021 तक विस्तारित कर दिया था ।

(VII) वर्ष 2020-21 के लिए पब्लिक सेक्टर बैंकों की बैंक शाखा संपरीक्षा के संबंध में किए गए उपाय

बैंक शाखा परीक्षा आरंभ नहीं की जा सकती थी । इसलिए, अपने सदस्यों के हितों को सुरक्षित करने और साथ ही प्रभावी और समयानुसार संपरीक्षा को सुनिश्चित करने के लिए पीडीसी, आईसीएआई ने विभिन्न उपाय किए हैं, जिन्हें नीचे सूचीबद्ध किया गया है :

- 13 मई, 2020 को आरबीआई के गवर्नर को पब्लिक सेक्टर बैंकों (पीएसबी) और भारत में प्रचालन कर रहे विदेशी बैंकों की वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए कानूनी संपरीक्षा का संचालन करते समय आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों (आईएफसी) संबंधी रिपोर्टिंग के संबंध में एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था । अपेक्षा को 17 अप्रैल, 2020 को अधिसूचित किया गया था और उसे 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लागू किया जाना था और इसलिए आरबीआई से यह अनुरोध किया गया था कि वह ऐसी रिपोर्टिंग को आगामी वर्ष तक आस्थगित कर दे । हमारे द्वारा दिए गए अभ्यावेदन पर विचार करते हुए आरबीआई ने ऐसी रिपोर्टिंग को 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए वैकल्पिक बनाया था ।
- 6 मई, 2020 को आरबीआई को एक संसूचना भेजी गई थी, जिसमें आरबीआई से यह अनुरोध किया गया था कि वह बैंकों को यह अनुदेश दे कि वे उनके नियुक्ति पत्रों में यथा उल्लिखित संपरीक्षा पूरी करने की अंतिम तारीखों के संबंध में जोर न दे ।
- 16 अप्रैल, 2020 को आरबीआई को पुन: एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसमें इस बात को दोहराया गया था कि बैंक शाखाओं की संख्या में और बैंक शाखा संपरीक्षा के विस्तार क्षेत्र में कोई कमी न की जाए ।
- 15 अप्रैल, 2020 को सभी बैंकों के सीएमडी को एसबीए को जारी की गई उपरोक्त सलाह के संबंध में जानकारी देते हुए संसूचनाएं अग्रेषित की गई थी । इसके अतिरिक्त, सभी सीएमडी को यह अनुरोध किया गया था कि यदि उन्होंने शाखा संपरीक्षकों को नियुक्ति पत्र जारी नहीं किए हैं तो ऐसे नियुक्ति पत्र शीघ्र जारी करें ।
- 14 अप्रैल, 2020 को आरबीआई को यह अनुरोध करते हुए अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया था कि वह की जाने वाली गहन संपरीक्षा को ध्यान में रखते हुए एनपीए और कोविड 19 संबंधी दिशानिर्देशों पर पुन: विचार करे और साथ ही शाखा संपरीक्षा के महत्व को अतिविशिष्ट रूप से दर्शित करते हुए एक व्यापक टिप्पण भी प्रस्तुत किया गया था ।
- 13 अप्रैल, 2020 को कानूनी शाखा संपरीक्षकों को बैंकों से संपर्क किए जाने संबंधी एक सलाह जारी की गई थी, जिसमें उनसे यह अनुरोध किया गया था कि वे ई-मेल या डाटा आन क्लाउड के माध्यम से सीमित जानकारी को साझा करें, जिससे कि किसी दूरस्थ स्थान से आरंभिक संपरीक्षा आरंभ की जा सके और साथ ही बैंक भी सभी वांछित दस्तावेजों को तैयार रखकर शेष बची संपरीक्षा को पूरा करने हेतु पूर्णतया तैयार रहेंगे, जिससे कि लॉकडाउन समाप्त होने के 10-12 दिन के भीतर प्रभावी रूप से संपरीक्षा को पूरा किया जा सके । उक्त सलाह को सभी कानूनी केंद्रीय संपरीक्षकों के साथ भी उनकी जानकारी के लिए साझा किया गया था ।
- 9 अप्रैल, 2020 को वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से सभी केंद्रीय संपरीक्षों के साथ एक परस्पर क्रियाशील बैठक का आयोजन, जिसमें उपाध्यक्ष ने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, पीडीसी के साथ बैंकों में शाखा संपरीक्षा के महत्व के संबंध में चर्चा की थी ।
- आरबीआई के उप गवर्नर को 3 अगस्त, 2020 को कानूनी केंद्रीय और शाखा संपरीक्षकों के लिए संपरीक्षा फीस का पुनरीक्षण करने का अनुरोध करते हुए अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया था ।
- अगस्त, 2020 में आरबीआई के उप गवर्नर, मुंबई को कानूनी संपरीक्षकों की संपरीक्षा फीस का पुनरीक्षण करने का अनुरोध करते हुए एक अभ्यावेदन भेजा गया था ।

(VIII) नाबार्ड के साथ समन्वय

पीडीसी प्रत्येक वर्ष प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के संपरीक्षकों का चयन करने और उन्हें संपरीक्षा आबंटित करने हेतु नाबार्ड को संपरीक्षकों का एक पैनल प्रस्तुत करती है । तदनुसार, वर्ष 2020-21 के लिए 9 फरवरी, 2021 को नाबार्ड के समक्ष यह पैनल प्रस्तुत किया गया था । पीडीसी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने श्री के. राघवेन्द्र राव, सीजीएम, नाबार्ड, सुश्री सरिता अरोड़ा, सीजीएम नाबार्ड और नाबार्ड के अन्य पदधारियों के साथ एक बैठक की थी । इस बैठक के दौरान, संपरीक्षा में अंतराल, संपरीक्षा में विविधता और निरीक्षण रिपोर्ट, एलएफएआर और संपरीक्षकों की अर्हित तथा लेखांकन मानकों का अनुपालन आदि से संबंधित अनेक चिंताओं के संबंध में चर्चा की गई थी । प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) की संपरीक्षा फीस को पुनरीक्षित करके बढ़ाया जाने, कर संपरीक्षा के लिए पृथक् फीस का संदाय करने, किसी एक संपरीक्षक को सीमित संख्या में शाखाओं को आबंटित करने और संपरीक्षा के आबंटन हेतु एकमात्र स्वामी वाली फर्म पर विचार किए जाने आदि जैसे विभिन्न विषयों के संबंध में भी नाबार्ड के साथ चर्चा की गई थी ।

(IX) विभिन्न प्राधिकारियों को पैनल उपलब्ध कराना

आरबीआई और नाबार्ड को बैंक शाखा संपरीक्षकों का पैनल उपलब्ध कराना

पीडीसी अपने सीए सदस्यों के लिए साम्यापूर्ण वृत्तिक अवसरों की खोज करने के अपने प्रयास में प्रत्येक वर्ष पिछले वर्षों के एमईएफ आवेदनों के आधार पर तथा आईसीएआई के अभिलेखों से आवेदकों का पूर्व भरे गए डाटा को अंतर्विष्ट करने वाले बहुप्रयोजन पैनलबद्ध किए जाने संबंधी प्ररूप के आवेदनों की ईप्सा करता है । एमईएफ को और अधिक व्यापक बनाने हेतु प्रत्येक प्रयास किया गया था, जिससे अधिकतम जानकारी को एकत्रित किया जा सके और उसे केंद्रीयकृत हब के माध्यम से प्रसारित किया जा सके । सदस्यों को भी स्कैन की गई घोषणाओं या अंकीय रूप से हस्ताक्षरित घोषणाओं को प्रस्तुत किए जाने के अतिरिक्त ऑनलाइन रूप से वित्तीय दस्तावेजों को अपलोड करने की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई थी ।

चार्टर्ड अकाउंटेंटों/फर्मों के पैनलों को आरबीआई, नाबार्ड तथा विभिन्न अन्य प्राधिकरणों/अभिकरणों जैसे पब्लिक सेक्टर बैंकों, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरों, शासकीय परिसमापक, सीडबी, सेबी आदि को उनके द्वारा विनिर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार उपलब्ध कराया गया था ।

(X) सीएसए बैठक

किसी भी देश में बैंककारी प्रणाली उसकी वित्तीय प्रणाली की रीढ़ की हड्डी होती है और बैंक साधारण जनता के लिए सेवा पटल होते हैं । ऐसे अस्तित्वों की संपरीक्षा अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाती है और इसलिए उसे एक कानूनी अपेक्षा के रूप में अधिकथित किया गया है । समिति प्रत्येक वर्ष बैंकों के केंद्रीय कानूनी संपरीक्षकों के लिए एक परस्पर क्रियाशील बैठक का आयोजन करती है, जिससे सदस्यों को बैंक संपरीक्षा से संबंधित अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराई जा सके ।

3 फरवरी, 2021 को गुरुग्राम स्थित लीला होटल में सभी केंद्रीय कानूनी संपरीक्षकों के साथ एक परस्पर क्रियाशील वर्चुअल बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें सभी बैंकों से काफी बड़ी संख्या में एससीए ने व्यक्तिगत और वर्चुअल रूप से भाग लिया था ।

9 अप्रैल, 2020 को सभी केंद्रीय कानूनी संपरीक्षकों के साथ एक परस्पर क्रियाशील वर्चुअल बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें आईसीएआई के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने पीडीसी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के साथ भाग लिया था और कोविड 19 महामारी की परिस्थितियों में भी बैंकों में शाखा संपरीक्षाओं के महत्व के बारे में विचार-विमर्श किया था तथा उनकी प्रतिक्रियाएं प्राप्त की थी ।

(XI) पीडीसी द्वारा सृजित विभिन्न समूह

- **बहु प्रयोजन पैनल तैयार करना – 2021-22**

  एसबीए संनियमों के संबंध में आईसीएआई की सिफारिशें

  आरबीआई ने संपरीक्षा की क्वालिटी में अभिवृद्धि करने के लिए हमारे द्वारा सुझाए गए व्यापक एसबीए संबंधी पुनरीक्षित संनियमों पर विचार करने हेतु सहमति दी है । इन सिफारिशों में भागीदारों की संख्या, सीए की संख्या, वृत्तिक कर्मचारिवृंद, बैक संपरीक्षा अनुभव, फर्म की प्रतिष्ठा और विभिन्न प्रवर्गों में संपरीक्षा फर्मों को आबंटित की जाने वाली शाखाओं की संख्या के संबंध में प्रवर्गवार अनुबंध सम्मिलित होंगे । तदनुसार, पीडीसी द्वारा उपरोक्त प्रत्येक मानदंड के संबंध में गहन चर्चा करने के लिए एक समूह का सृजन किया गया है जिसने अभी तक 2 बैठकें की हैं । ऐसे संपरीक्षकों, जिन्हें वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए संपरीक्षा और संपरीक्षा किए जाने योग्य शाखाएं आबंटित की गई हैं, से संबंधित आंकड़े आरबीआई से मांगे गए हैं और

उन्होंने संपरीक्षकों से संबंधित आंकड़ों को साझा किया है और शेष आंकड़ों को शीघ्र ही साझा किए जाने की संभावना है । समूह चालू वर्ष के लिए प्ररूप होस्ट करने के लिए पूर्व वर्षों के अनुभवों के आधार पर विशिष्टियां भी तैयार करने के लिए कार्यवाही कर रहा है ।

- **बैंकों को कानूनी शाखा संपरीक्षकों का चयन और आबंटन करने संबंधी साफ्टवेयर**

  आईसीएआई ने सदैव एक ऐसी पारदर्शी प्रणाली अपनाए जाने की आवश्यकता पर बल दिया है, जिसमें बैंक शाखा संपरीक्षकों की नियुक्ति बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के पारदर्शी रूप से की जा सके । इस प्रयास में आईसीएआई सतत रूप से बैंकों से यह अनुरोध करता रहा है कि वे आईसीएआई द्वारा विकसित स्वचालित वेब आधारित साफ्टवेयर का उपयोग करें और वह स्वयं भी बैंकों से प्राप्त प्रतिक्रियाओं के आधार पर उसे और अधिक क्रियाशील बनाने के लिए प्रयासरत रहता है । तदनुसार पीडीसी के अधीन एक समूह का सृजन किया गया है, जो साफ्टवेयर में सम्मिलित किए जाने के लिए फीस की समानता आदि जैसी विशिष्टियों पर विचार करेगा और इसके अतिरिक्त, वह समवर्ती संपरीक्षाओं और अन्य समनुदेशनों जैसे अन्य आबंटनों के लिए साफ्टवेयर का उपयोग किए जाने की संभावनाओं के संबंध में भी विचार करेगा ।

- **निविदा मॉनिटरिंग समूह**

  वृत्तिक सेवाओं को प्रदान किया जाना सदैव एक चिंता का विषय रहा है । कभी-कभी संगठन किसी न्यूनतम फीस का उल्लेख किए बिना या अति न्यू फीस को कोट करते हुए निविदाएं जारी करते हैं । इसके अतिरिक्त, समिति ने समय-समय पर संगठनों को अभ्यावेदन अग्रेषित किए हैं, जिनमें निविदा दस्तावेजों में निर्बंधनकारी शर्तों को अधिरोपित करने का अनुरोध किया गया है, जैसे कि अपेक्षित न्यूनतम भागीदारों की संख्या, मान्यता प्रदान की जाने वाली विदेशी अर्हताएं, किसी विशिष्ट नगर में सीए फर्म की शाखाओं की उपलब्धता, अयुक्तियुक्त रूप से उच्च अग्रिम धन निक्षेप आदि सम्मिलित हैं । इस वर्ष पीडीसी ने अपने निविदा मानीटरी समूह का पुन: गठन किया है । यह समूह सदस्यों और संगठनों को निविदा संबंधी प्रक्रियाओं में उदभूत होने वाले मुद्दों के संबंध में संवेदनशील बनाने के लिए अथक प्रयास कर रहा है । समिति द्वारा सदस्यों को मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के लिए एफएक्यू के रूप में "वृत्तिक सेवाएं प्रदान करना : ऐसी सभी बातें जिन्हें आपको जानना चाहिए" विषय पर एक पुस्तिका तैयार की गई है । समूह आईसीएआई के दिशानिर्देशों का पालन न करने वाले दोषी सदस्यों के संबंध में भी कतिपय कार्यवाहियां कर रहा है ।

- **अतिरिक्त बैंककारी प्रमाणपत्रों संबंधी समूह**

  संस्थान की जानकारी में यह तथ्य आया है कि हाल ही में बैंक अपने ग्राहकों से अनेक प्रकार के प्रमाणपत्रों की मांग कर रहे हैं, जिन्हें सीए द्वारा सत्यापित किया गया हो, जैसे कि केवाईसी, आईटीआर का प्रमाणन, बैंक खाता खोलने का प्रारूप आदि । सीए, ऐसी किसी स्पष्टता की अनुपस्थिति में कि उनके द्वारा किस प्रकार के प्रमाणपत्र प्रमाणित किए जा सकते हैं और उन्हें किस प्रकार प्रमाणित किया जाना है, अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना कर रहे हें । तदनुसार, पीडीसी द्वारा एक समूह का सृजन किया गया है, जिससे इस संबंध में सदस्यों को प्रकाशनों/ एफएक्यू आदि के रूप में उपयुक्त मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जा सके ।

(XII) राज्यस्तरीय समन्वयन समिति (एसएलसीसी)

भारतीय रिजर्व बैंक, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और निगमित निकायों (यूआईबी) द्वारा निक्षेप स्वीकार करने संबंधी क्रियाकलापों का विनियमन करने के लिए अपने प्रत्येक प्रादेशिक कार्यालय में राज्य स्तरीय समन्वयन समिति की एक त्रैमासिक बैठक का आयोजन करता है । ऐसी बैठकों का आयोजन आरबीआई के संबंधित प्रादेशिक कार्यालय के प्रादेशिक निदेशक द्वारा किया जाता है और उसमें संबद्ध राज्यों के विभिन्न विभागों जैसे कि वित्त, गृह, विधि आदि के प्रधान सचिव, राष्ट्रीय आवास बोर्ड (एनएचबी), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी), कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी), भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए), चिट फंड रजिस्ट्रार, चिट फंड विभाग और भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान (आईसीएआई) के प्रतिनिधि भाग लेते हैं । इस वर्ष के दौरान 70 से अधिक ऐसी बैठकों का आयोजन किया गया था, जिनमें आईसीएआई के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था ।

(XIII) आईआईएम के साथ समझौता ज्ञापन

आईसीएआई ने चार्टर्ड अकाउंटेंटों के लिए विभिन्न आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन करने के लिए आईआईएम अहमदाबाद के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं । आईआईएम अहमदाबाद के साथ इस समझौता के अधीन वर्ष 2020-21 के दौरान विभिन्न आवासीय पाठ्यक्रमों का आयोजन किया गया है ।

(XIV) पीडी पोर्टल

पीडीसी द्वारा विकसित पीडी पोर्टल (www.pdicai.org), आईसीएआई के सदस्यों को ऐसी जानकारी उपलब्ध कराता है, जो उनके ज्ञान और इस प्रकार उनके व्यवसाय को समृद्ध करने के लिए आवश्यक हो और साथ ही उनके ग्राहकों को मूल्यवर्धित सेवाएं भी उपलब्ध कराता है । इसके अतिरिक्त, यह वृत्तिक अवसरों का सृजन करने के लिए व्यवसायरत सीए के लिए उपलब्ध सभी निविदाओं को भी सूचीबद्ध करता है । यह पोर्टल समिति के क्रियाकलापों के लिए एक पृथक् खंड भी उपलब्ध कराता है । इस पोर्टल पर एमईएफ आवेदन, आगामी वेबीनारों और आयोजनों, विभिन्न विनियामक निकायों के साथ किए गए संपर्क संबंधी जानकारियों को भी रखा जाता है । समिति इस पोर्टल का पुनर्गठन करने हेतु प्रक्रियाएं कर रही हैं ।

5.20 लोक वित्त और शासकीय लेखाकंन संबंधी समिति (सीपीएफएंडजीए)

आईसीएआई ने अपने मिशन और लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए लोक वित्त और शासकीय लेखाकंन संबंधी समिति (सीपीएफएंडजीए) का गठन किया है, जो केंद्रीय और राज्य सरकारों तथा स्थानीय निकायों की लेखांकन सुधारों के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन और लोक वित्त संबंधी बेहतर प्रबंध को सुकर बनाने में सहायता करने का अथक प्रयास करती है । समिति मुख्य रूप से भारत सरकार के विभिन्न टियरों में वित्त से संबंधित पदधारियों की सक्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करती है और इसके लिए समिति विभिन्न उपाय करती है, जैसे कि कार्यशालाओं का आयोजन, सुसंगत ई-प्रशिक्षण माड्यूलों को विकसित करना आदि । इसके अतिरिक्त, समिति स्थानीय निकायों के लिए लेखांकन मानकों (एएसएलबी) को भी तैयार करती है । चार्टर्ड अकाउंटेंटों को कारपोरेट सेक्टर से परे अपनी वृत्तिक सेवाएं उपलब्ध कराके तथा साधारण जनता के लिए कार्य करके अपनी सामाजिक बाध्यताओं को पूरा करने संबंधी आईसीएआई की यह एक महत्वपूर्ण पहल है और इस प्रकार वह राष्ट्र निर्माण में भागीदारी की अपनी भूमिका के प्रति खरा उतरता है ।

महत्वपूर्ण क्रियाकलाप

(I) निकाले गए प्रकाशन :

- "भारत में शहरी अवसंरचना का वित्तपोषण करने के लिए नगरपालिका बंधपत्र : एक पर्यावलोकन" नामक प्रकाशन का द्वितीय संस्करण ।
- स्थानीय के लिए लेखांकन मानकों (एएसएलबी) का सार – इस प्रकाशन में मुख्यता मानकों के प्रमुख पैराओं के सुसंगत भागों को सम्मिलित किया गया है ।
- एएसएलबी एक दृष्टि में – एएसएलबी का सरलीकृत संक्षिप्त पाठ

(II) स्थानीय निकायों के लिए लेखांकन मानकों (एएसएलबी) को तैयार करना :

निम्नलिखित एएसएलबी के उदभासन प्रारूपों को टीका-टिप्पणी हेतु जारी किया गया है ।

- एएसएलबी 35, 'समेकित वित्तीय विवरण' – यह मानक ऐसी स्थिति में, जब कोई अस्तित्व एक या अन्य अनेक अस्तित्वों को नियंत्रित करता है, समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए सिद्धांत स्थापित करता है ।
- एएसएलबी 37, 'संयुक्त ठहराव' – यह मानक ऐसे अस्तित्वों के लिए, जिनके ठहरावों में ऐसे हित हैं, जो संयुक्त रूप से नियंत्रित हैं (अर्थात् संयुक्त ठहराव) वित्तीय रिपोर्टिंग के सिद्धांतों को स्थापित करता है ।
- एएसएलबी 38, 'अन्य अस्तित्वों में हितों का प्रकटन' – यह मानक इस बात को विहित करता है कि नियंत्रित अस्तित्वों, असमेकित नियंत्रित अस्तित्वों, संयुक्त ठहरावों और सहबद्धों तथा ऐसे संरचित अस्तित्वों, जो समेकित नहीं है, में हितों के बारे में जानकारी कैसे प्रकट की जाए ।

(III) प्रस्तुत की गई तकनीकी टीका-टिप्पणियां :

- अंतर्राष्ट्रीय पब्लिक सेक्टर लेखांकन मानक बोर्ड (आईपीएसएएसबी) के निम्नलिखित प्रारूपों के संबंध में टीका-टिप्पणियां प्रस्तुत की गई :
    - आईपीएसएएस 5, 'उधार लागतें – अप्राधिकृत मार्गदर्शन' संबंधी उदभासन प्रारूप 74

- उदभासन प्रारूप 75, 'पट्टे' और सूचना के लिए अनुरोध, 'रियायती पट्टे और पट्टों के समान अन्य ठहराव'

➢ निम्नलिखित जीएएसएबी दस्तावेजों/प्रारूप मानकों के संबंध में टीका-टिप्पणियां प्रस्तुत की गई :

- सरकार के लोक ऋण और अन्य दायित्वों का लेखांकन
- पुनरीक्षित आईजीएएस 9, 'साम्या में सरकार के निवेश'
- आरक्षित निधियों के लिए लेखांकन
- नीतिगत विकास योजना 2021-24

(IV) मंथन बैठक

समिति ने 25-26 मार्च, 2021 के दौरान परवाणू (चंडीगढ़ के समीप) में स्थानीय निकायों के लेखांकन और संपरीक्षा के संबंध में परिचर्चा करने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों (हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, चंड़ीगढ़ और पंजाब) से सुसंगत पणधारियों के लिए स्थानीय निकायों के लेखांकन के विस्तार क्षेत्र के संबंध में एक मंथन बैठक का आयोजन किया था।

(V) वर्चुअल वैश्विक बैठक

समिति ने 18-20 नवंबर, 2020 के दौरान आईसीएआई की अंतर्राष्ट्रीय कार्य (आईए) समिति के साथ संयुक्त रूप से लोक वित्त प्रबंध और शासन तंत्र को सुदृढ़ बनाने संबंधी एक तीन दिवसीय वर्चुअल वैश्विक बैठक का आयोजन किया था। इस बैठक का उदघाटन श्री जी.सी. मुरमू, भारत के माननीय नियंत्रक और महालेखापरीक्षक। उदघाटन सत्र में सुश्री शुभा कुमार, भारत की माननीय उप नियंत्रक और महालेखापरीक्षक भी उपस्थित हुई थी। इस तीन दिवसीय वैश्विक बैठक को नियंत्रक और महालेखा परीक्षक और सीजीए के वरिष्ठ शासकीय पदधारियों तथा सिंगापुर, आस्ट्रेलिया, यू.के. से आए चार्टर्ड अकाउंटेंटों और आईसीएआई के पूर्व अध्यक्षों, केंद्रीय परिषद् सदस्यों, आईसीएआई, आईसीएआई के सिंगापुर, आस्ट्रेलिया और यू.के. चैप्टरों के अध्यक्षों के साथ सीआईपीएफए (यू.के.), आईसीएईडब्ल्यू (यू.के.) और सीपीए आस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व करने वाले पैनलों ने संबोधित किया था।

(VI) आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम :

- समिति ने आईसीएआई की एसआईआरसी, बंगलूरू शाखा के साथ संयुक्त रूप से 4 मई से 7 मई, 2021 के दौरान दोहरी प्रविष्टि लेखांकन प्रणाली के संबंध में कर्नाटक राज्य के यूएलबी के पदधारियों के लिए एक चार दिवसीय वर्चुअल प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम का आयोजन अंग्रेजी और कन्नड, दोनों भाषाओं में किया गया था तथा इस कार्यक्रम में उक्त चार दिनों के दौरान लगभग 300 पदधारियों ने भाग लिया था।
- समिति ने निगम शासन : निगम विधियां, सेबी के दिशानिर्देशों, सूचीबद्ध किए जाने संबंधी बाध्यताओं और इनसाइडर व्यापार संहिता, परियोजना प्रबंध, वित्त और मूल्यांकन, निगम विधियां (कंपनी अधिनियम, सेबी दिशानिर्देश आदि) के संबंध में एनएचपीसी के पदधारियों के साथ 2/3 दिवसीय वर्चुअल प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया था।
- प्रधान महालेखापाल (संपरीक्षा), बिहार, पटना के कार्यालय को, नगरपालिका लेखांकन नियमों/पंचायत लेखांकन नियमों, बिहार राज्य में लेखांकन मानकों को लागू किए जाने से संबंधित विषयों, लेखांकन मानकों/इंड एएस के साथ अंतरों आदि के प्रतिनिर्देश से 23 जुलाई, 2020 को "स्थानीय निकायों के लिए लेखांकन मानकों संबंधी वर्चुअल कार्यशाला" का आयोजन करने के लिए संकाय समर्थन उपलब्ध कराया था। डा. निलोत्पल गोस्वामी, प्रधान महालेखापाल, बिहार, पटना ने इस कार्यशाला में भाग लेने वाले व्यक्तियों को संबोधित किया था।
- समिति ने संपरीक्षा, टेली और सुमेलन तथा दोहरी प्रविष्टि लेखांकन प्रणाली, ई-पंचायत और वृत्तिकों की भूमिका, लोक वित्त प्रबंध में अवसर, आगे बढ़ता छत्तीसगढ़ 2.0 (जवाबदेही, पारदर्शिता और निवेश परिस्थितियां), स्थानीय निकायों में चार्टर्ड अकाउंटेंटों के लिए वृत्तिक अवसर, आंतरिक संपरीक्षा और आंतरिक संपरीक्षा मानक, भारत में वित्तीय रूप से वहनीय नगरों के लिए कार्ययोजना जैसे विषयों पर वेबीनारों/वीसीएम का आयोजन किया था।

(VII) स्थानीय निकायों के लिए प्रोदभवन लेखांकन की आधारिक जानकारी संबंधी ई-पठन माड्यूल

समिति ने आईसीएआई टीवी पर निम्नलिखित ई-व्याख्यानों को रखा है :

- नकद से प्रोदभवन लेखांकन की ओर अंतरण : मुद्दे, प्रक्रियाएं और उपाय

- वदोदरा नगर निगम का अनुभव – नकद से प्रोदभवन आधारित लेखांकन प्रणाली में लेखाओं का संपरिवर्तन
- एनएमएएम के अनुसार यूआईडी के लिए लेखांकन नीतियां और उनके संबंध में एएसएलबी का पर्यावलोकन
- प्रोदभवन आधारित लेखांकन के अधीन नियत आस्तियों और दायित्वों के लिए मूल्यांकन और लेखांकन
- शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) में संपत्ति कर प्रणाली में सुधार करना

(VIII) लोक वित्त और शासकीय लेखांकन संबंधी पाठ्यक्रम

- समिति ने अवधि के दौरान उक्त प्रमाणपत्र के 13 ऑनलाइन बैचों को आरंभ किया तथा उन्हें पूरा किया। श्री सुरेश बी. प्रभु, भारत की ओर से जी 20 के शेरपा ने 22 मई, 2020 को आयोजित लोक वित्त और शासकीय लेखांकन संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के पहले ऑनलाइन बैच का उदघाटन किया था। इस पाठ्यक्रम में केंद्रीय, राज्य सरकारों तथा स्थानीय निकायों के स्तर पर मामला अध्ययनों, व्याख्यानों और क्रियाशील पियर परिचर्चाओं के माध्यम से लोक वित्त और शासकीय लेखांकन के महत्वपूर्ण पहलूओं को सम्मिलित किया गया है। पिछले एक वर्ष के दौरान लगभग 1500 सदस्यों ने इस पाठ्यक्रम को अर्हित किया गया है।
- प्रमाणपत्र वितरण समारोह का आयोजन वर्चुअल रूप से 29 अक्तूबर, 2020 को किया गया था, जिसे श्री सुरेश पी. प्रभु, भारत के जी 20 के लिए शेरपा ने संबोधित किया था।
- समिति ने इस प्रमाणपत्र में भाग लेने वाले व्यक्तियों के लिए 5 ऑनलाइन परीक्षाओं का भी सफलतापूर्वक संचालन किया है।
- आईसीएआई के सदस्यों के लिए आईसीएआई के डीएलएच मंच पर लोक वित्त और शासकीय लेखांकन संबंधी एक अपनी सुविधानुसार पूरा किए जाने वाले पाठ्यक्रम को आरंभ किया गया। यह पाठ्यक्रम केंद्रीय, राज्य और स्थानीय निकायों के स्तर पर लोक वित्त और शासकीय लेखांकन के संबंध में आधारिक समझ उपलब्ध कराने का प्रयास करता है।

(IX) विभिन्न केंद्रीय/राज्य सरकारों के प्रमुखों के साथ इस अवधि के दौरान परस्पर वृत्तिक हित के विषयों पर चर्चा करने के लिए बैठकों का आयोजन :

- 14 जून, 2021 को परस्पर वृत्तिक हित के विषयों पर चर्चा करने के लिए श्री निलय मिताश, आईएएस, जो एशियाई विकास बैंक में प्रधान प्रचालन समन्वय विशेषज्ञ के रूप में तैनात हैं, के साथ बैठक। (वर्चुअल)
- 21 जनवरी, 4 मार्च और 17 मार्च, 2021 को श्री श्याम एस दुबे, संयुक्त सचिव और वित्त सलाहकार, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के साथ बैठक।
- 17 मार्च, 2021 को सीए. आर.एम. जौहरी, महानिदेशक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के साथ बैठक।
- 4 मार्च, 2021 को डॉ. के. राजेश्वर राव, अपर सचिव (शहरीकरण/कौशल विकास, श्रम एवं रोजगार), नीति आयोग और श्री राकेश देसाई, निदेशक, नीति आयोग के साथ बैठक।
- 20 जनवरी, 2021 को श्री आर. जी. विश्वनाथन, अपर उप नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (एसएमयू/पीपीजी/एलबी) और सुश्री मोनिका वर्मा, महानिदेशक, सामान्य, स्थानीय निकाय, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक का कार्यालय, के साथ बैठक।
- 11 नवंबर, 2020 को श्री हसन मुर्शिफ साहेब, माननीय ग्रामीण विकास मंत्री, महाराष्ट्र सरकार के साथ बैठक।
- 16 अक्टूबर, 2020 को श्री अजीत पवार, माननीय उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री, महाराष्ट्र के साथ बैठक।
- 15 अक्टूबर, 2020 को श्री के.एस. सेठी, संयुक्त सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार
- 7 अगस्त, 2020 को श्री संदीप सुल्तानिया, आईएएस, सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, तेलंगाना सरकार के साथ बैठक (वर्चुअल)।

(X) सरकार की सहायता

- अध्यक्ष, सीपी एंड जीएफएम को लोक उद्यम विभाग, असम सरकार द्वारा गठित निम्नलिखित कार्यबलों/समितियों हेतु

नामनिर्दिष्ट किया गया है :

- अल्पसंख्यकों के कल्याण और विकास विभाग के अधीन असम अल्पसंख्यंक विकास और वित्त निगम लिमिटेड के कार्यकरण की मानीटरी के लिए परियोजना प्रबंध और मानीटरी समिति ।
- असम राज्य में भारत सरकार के सर्वोत्तम व्यवहारों के अनुरूप व्यवहारों को स्थापित करने हेतु उनकी परीक्षा करने और उन्हें समझने संबंधी समिति – (i) लोक उद्यम चयन बोर्ड द्वारा राज्य पीएसई में लोक उद्यम नीति, 2019 के अनुसार एमडी, महाप्रबंधकों और अन्य पदों पर अभ्यर्थियों के चयन हेतु ऑनलाइन रूप से आवेदन प्राप्त करने की प्रणाली, (ii) राज्य पीएसई के कर्मचारियों के लिए, असम पीएसई के कार्यपालन में सुधार लाए जाने के प्रति ऑनलाइन रूप से उनके कार्यपालन का मूल्यांकन और पुनर्विलोकन किए जाने संबंधी प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए ढांचा और कार्ययोजना तैयार करना ।

वर्ष के दौरान, इस संबंध में निम्नलिखित प्रस्तुतिकरण किए गए थे :

- लोक उद्यम विभाग, असम को ऐसे सरकारी पदधारियों, जिन्हें लोक उद्यम विभाग, असम सरकार के पीएसई के बोर्ड में नामनिर्दिष्ट किया जाता है, के कर्तव्यों, उत्तरदायित्वों और दायित्वों के संबंध में एक प्रारूप दस्तावेज के बारे में अंत:निवेश प्रस्तुत किए गए थे ।
- प्रारूप आंतरिक संपरीक्षा रिपोर्ट प्ररूप के संबंध में सुझाव ।

(XI) सरकार को अभ्यावेदन/तकनीकी अंत:निवेश

- शहरी स्थानीय निकायों के पदधारियों के लिए सक्षमता निर्माण, संबद्ध नगरपालिक अधिनियमों में स्थानीय निकायों में प्रोदभवन लेखांकन प्रणाली के कार्यान्वयन के संबंध में संशोधन करने तथा यूएलबी में प्रोदभवन लेखांकन तथा एएसएलबी के कार्यान्वयन के लिए अग्रणी परियोजनाओं संबंधी कार्यक्रमों के आयोजन की आवश्यकता पर अनेक राज्य सरकारों को प्रस्ताव भेजे गए थे ।
- पंचायती राज संस्थाओं, तेलगांना को, उसके प्रधान सचिव, पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्रालय, तेलगांना के माध्यम से लेखांकन और अन्य अवसंरचना संबंधी सुधारों को अपनाए जाने हेतु अग्रणी परियोजना आरंभ करने के लिए प्रस्ताव ।

(XII) अन्य पहलें

- भारत में 100 श्रेष्ठ नगरपालिका निकायों को यह अनुरोध करते हुए पत्र लिखे गए हैं कि वे समिति की अध्ययन परियोजनाओं के लिए अपने वित्तीय विवरण उपलब्ध कराएं तथा वर्ष 2020-21 के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए आईसीएआई के पुरस्कार प्रतियोगिता में भाग लें ।
- स्थानीय निकायों और केंद्रीय तथा राज्य पब्लिक सेक्टर उद्यमों को पत्र लिखकर उन्हें उनकी सक्षमता निर्माण पहलों में आईसीएआई की सहायता का प्रस्ताव किया गया है, जिससे उनकी लेखांकन, संपरीक्षा और वित्तीय प्रबंध प्रणाली को सुदृढ़ बनाया जा सके ।
- एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने भारत संप्रभू एडीबी सहायता प्राप्त परियोजनओं में संपरीक्षा की क्वालिटी से संबंधित मुद्दों का समाधान करने हेतु उपयुक्त उपाय करने के लिए आईसीएआई से सहयोग मांगा था । इस संबंध में आईसीएआई एआरएफ के माध्यम से समर्थन उपलब्ध कराया जा रहा है ।
- सचिवालय ने आईसीएआई के जर्नल के क्रमश: अप्रैल, 2021 और मई, 2021 के अंकों के लिए "स्थानीय निकायों को सशक्त बनाना – चार्टर्ड अकाउंटेटों के लिए मार्ग प्रशस्त करना" तथा "लोक वित्त प्रबंध के क्षेत्र में सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना" नामक लेखों का सहयोग दिया था ।

5.21 जन संपर्क समिति (पीआरसी)

जनसंपर्क समिति का उद्देश्य विभिन्न मार्गों और उपायों के माध्यम से, जिन्हें सीए अधिनियम के ढांचे के अंतर्गत उपयुक्त समझा जाए, एक अतिविशिष्ट लेखांकन निकाय और भारत में चार्टर्ड अकाउंटेंसी की वृत्ति के लिए एकमात्र विनियामक प्राधिकरण के रूप में आईसीएआई की छवि को विकसित करने, उसे सुदृढ़ बनाना तथा उसमें अभिवृद्धि करना है । पीआर समिति ने बेहतर संबंधों को स्थापित करने के लिए विभिन्न पहलें की थी और साथ ही बेहतर नेटवर्किंग अवसर उपलब्ध कराने और साथ ही आईसीएआई की छवि को ऊंचा उठाने हेतु बोद्धात्मक खाई को भरने के लिए अनेक उपाय किए थे ।

महत्वपूर्ण पहलें/उपलब्धियां

(I) इंडिया टूडे – काफी टेबल बुक

प्रत्येक वर्ष इंडिया टूडे समूह एक काफी टेबल बुक (सीटीबी) निकालता है, जिसे विशिष्ट व्यक्तियों – रोब रिपोर्ट के अभिदाताओं, बिजनेस टूडे सीईओ की सूची को वितरित किया जाता है और इसके अतिरिक्त उसे विमानपत्तन लाउजों के माध्यम से भी वितरित किया जाता है । संस्थान की ब्रांड छवि का निर्माण करने और उद्योग/पणधारियों तक पहुंच स्थापित करने के लिए सीटीबी ने एक दोहरी पृष्ठ का विज्ञापन प्रकाशित किया गया था । इस विज्ञापन की अंतर्वस्तु में वर्ष 2021-22 के लिए आईसीएआई की कार्ययोजना और की जाने वाली महत्वपूर्ण पहलों के संबंध में जानकारी को साझा किया गया था ।

(II) अध्यक्ष के साथ मीडिया की परस्पर क्रियाएं

अध्यक्ष के साथ मीडिया की परस्पर क्रियाओं के आयोजन के अंतर्गत महत्वपूर्ण वित्तीय दैनिक समाचार पत्रों/न्यूज वायर अभिकरणों के साथ 26 मार्च, 2021 को भौतिक और साथ ही वर्चुअल पद्धति से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था । इस परस्पर क्रिया के दौरान साझी की गई सुसंगत जानकारी को समाचार-पत्रों द्वारा प्रमुख रूप से प्रकाशित किया गया था :

- एचबीएल : संपरीक्षक का कार्य ब्लड हाउंड बनना नहीं है, आईसीएआई के नए प्रमुख का बयान ।
- ईटी : संपरीक्षक ब्लड हाउंड नहीं है : आईसीएआई प्रमुख ।
- पीटीआई : आईसीएआई के संवहनीय रिपोर्टिंग मानक बोर्ड अब एक बेहतर भूमिका निभाएगा : आईसीएआई अध्यक्ष ।

(III) मीडिया के साथ टेलीफोन पर परस्पर क्रियाएं

कोविड 19 महामारी फैलने के कारण अध्यक्ष की विभिन्न वित्तीय दैनिक समाचार पत्रों/ न्यूज वायर अभिकरणों, अर्थात् हिन्दू बिजनेस लाइन, बिजनेस वर्ल्ड, भारतीय प्रैस ट्रस्ट (पीटीआई), एजुकेशन टाइम आदि के साथ समय-समय पर टेलीफोन के माध्यम से परस्पर क्रियाएं की व्यवस्था की गई थी ।

(IV) सीए दिवस, 2021 संबंधी विज्ञापन

सीए दिवस, 2021 के संबंध में मुद्रण/इलैक्ट्रानिक मीडिया तथा रेडियों के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार किया गया था ।

- ➢ मुद्रण मीडिया : सीए दिवस, 2021 के संबंध में वित्तीय/प्रमुख प्रकाशनों में एक आयोजन पूर्व विज्ञापन (एक चौथाई पृष्ठ का) विज्ञापन प्रकाशित करके व्यापक प्रचार-प्रसार किया गया था । 1 जुलाई को प्रमुख/वित्तीय/क्षेत्रीय भाषा के प्रकाशनों में आधे पृष्ठ/एक चौथाई पृष्ठ के विज्ञापनों का प्रकाशन किया गया था ।
- ➢ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया : सीए दिवस के संबंध में बिजनेस /समाचार चैनलों, अर्थात् सीएनबीसी टीवी 18, सीएनबीसी आवास, सीएनबीसी टीवी 18 प्राइम एचडी, जी बिजनेस, एनडीटीवी 24x7, इंडिया टीवी और आज तक आदि पर प्रोमों को प्रसारित करके व्यापक प्रचार-प्रसार किया गया था ।
- ➢ रेडियो : सीए दिवस 2021 के संबंध में रेडिया सिटी (15 स्टेशन) के माध्यम से 1 जुलाई को पूरे दिन विज्ञापनों आदि का प्रसारण करके प्रचार-प्रसार किया गया था । केंद्रीय परिषद् के सदस्यों की आवाजों में प्रश्नोत्तर प्ररूप में रिकार्डिंग की गई थी और उन्हें रेडियो चैनलों पर प्रसारित किया गया था । अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, आईसीएआई का भी विभिन्न चैनलों पर वृत्तिक हित के विभिन्न विषयों और सीए पाठ्यक्रमों के संवर्धन के संबंध में साक्षात्कार लिए गए थे ।
- ➢ गुडविल संदेश : पूर्व व्यवहारों के अनुसार विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों के कार्यालयों को गुडविल संदेशों का अनुरोध करते हुए पत्र भेजे गए थे । इस मामले में अनुवर्ती कार्यवाही की गई थी और गणमान्य व्यक्तियों के कार्यालय से प्राप्त गुडविल संदेशों और अन्य संदेशों को आईसीएआई के जर्नल के विशेष अंक, अर्थात् जुलाई, 2021 अंक में प्रकाशन हेतु ई बोर्ड के साथ साझा किया गया था ।
- ➢ सोशल मीडिया : सीए दिवस के संबंध में विभिन्न सोशल मीडिया मंचों पर भी विज्ञापन जारी किए गए थे ।

(V) 71वां वार्षिक महोत्सव

71वें वार्षिक महोत्सव के संबंध में प्रमुख वित्तीय दैनिक समाचार-पत्रों में एक आधे पृष्ठ के विज्ञापन को जारी करके प्रचार-प्रसार किया गया था । सोशल मीडिया मंचों के लिए भी सामग्री को तैयार किया गया था और उसे सभी सोशल मीडिया मंचों पर रखे जाने हेतु आईसीएआई के डिजीटल दल के साथ साझा किया गया था ।

(VI) 7 जनवरी, 2020 को एमएसएमई संबंधी राष्ट्रीय सलाह – लॉकडाउन के पश्चात् पहला भौतिक कार्यक्रम

भारतीय अर्थव्यवस्था और रोजगार जनन क्षमताओं के विकास के साथ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को राष्ट्रीय आर्थिक संरचना की रीढ़ की हड्डी के रूप में माना जाता है । अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में इस शाखा के महत्व को ध्यान में रखते हुए आईसीएआई ने समिति द्वारा "आत्मनिर्भर भारत के प्रति एमएसएमई को सशक्त किया जाना" विषय पर आयोजित राष्ट्रीय सभा के दौरान एमएसएमई परामर्शदाता कार्यक्रम और एमएसएमई/जीएसटी के लिए 100 सहायता केंद्रों का शुभारंभ किया था । इस अवसर पर श्री ओम बिरला, माननीय अध्यक्ष, लोक सभा मुख्य अतिथि के रूप में प्रस्तुत हुए थे ।

सभा के दौरान, सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए फायदों तथा स्कीमों में भागीदारी करने हेतु एमएसएमई का समर्थन और सहयोग करने के लिए निम्नलिखित पहलों को आरंभ किया गया था :

- एमएसएमई परामर्शदाता कार्यक्रम – एसएमपी के रूप में व्यवसाय करने वाले सीए एमएसएमई को वित्तीय और नीतिगत परामर्श उपलब्ध कराएंगे तथा एमएसएमई के परामर्शदाता बनकर उनकी वित्तीय चुनौतियों का सामना करने, संसाधनों में वृद्धि करने और व्यय के संबंध में बुद्धिमता बरतने में सहायता करेंगे ।
- एमएसएमई की उनकी कारबार रणनीतियों को विकसित करने, कर अनुपालनों को सुनिश्चित करने और उन्हें इस संबंध में जानकारी देने की विभिन्न सरकारी स्कीमें किस प्रकार उनकी सहायता कर सकती हैं और साथ ही संसाधन जुटाने में उनकी सहायता करने आदि में एमएसएमई का मार्गदर्शन करने के लिए देश भर में 100 से अधिक अवस्थानों पर जीएसटी और एमएसएमई सहायता केंद्रों को आरंभ किया गया है ।
- एमएसएमई कारबार निरंतरता जांच सूची ।

  इस सभा में उद्योग से आय विशेषज्ञों के साथ एक विशेष तकनीकी सत्र का भी आयोजन किया गया था । इस तकनीकी सत्र में सम्मिलित किए गए विषयों में एमएसएमई को पुन: खड़ा करने, एमएसएमई के लिए विभिन्न सरकारी स्कीमों और एमएसएमई के लिए वित्तपोषण के वैकल्पिक स्रोतों जैसे विषयों को सम्मिलित किया गया था ।

(VII) 1 सितंबर, 2020 को वर्चुअल प्रैस सम्मेलन

इस महामारी के समय पर यद्यपि मीडिया को नियमित रूप से प्रैस विज्ञप्तियां जारी करके, मीडिया के विभिन्न प्रश्नों का, जब कभी वे प्राप्त होते हैं, उत्तर देकर तथा अध्यक्ष के साथ परस्पर क्रिया करने की व्यवस्था करके आईसीएआई द्वारा मीडिया को नियमित रूप से अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराए जाने संबंधी विभिन्न पहलें की जा रही हैं । इसी श्रृंखला में 1 सितंबर, 2020 को न्यायालयीन लेखांकन और अन्वेषण मानकों (एफएआईएस) को जारी किए जाने संबंधी प्रमुख पहल को साझा करने के लिए आईसीएआई के अध्यक्ष के पहले वर्चुअल प्रैस सम्मेलन का आयोजन किया गया था । इस प्रैस सम्मेलन में वर्चुअल रूप से लगभग 20 पत्रकारों ने भाग लिया था और इस परस्पर क्रिया के दौरान उनके द्वारा उठाए गए प्रश्नों का संबद्ध व्यक्तियों द्वारा समाधान किया गया था । इस प्रैस सम्मेलन के दौरान साझा की गई जानकारी को व्यापक रूप से 25 से अधिक प्रमुख कारबार और दैनिक समाचार पत्रों तथा ऑनलाइन पोर्टलों द्वारा प्रकाशित किया गया था ।

(VIII) फाउंडेशन पाठ्यक्रम में अनंतिम रजिस्ट्रीकरण के संबंध में डिजीटल रूप से प्रचार-प्रसार

फाउंडेशन पाठ्यक्रम में अनंतिम रजिस्ट्रीकरण के संबंध में प्रचार-प्रसार करने के लिए विभिन्न प्रकाशनों – प्रमुख/क्षेत्रीय भाषा के प्रकाशनों से संपर्क किया गया था और उनसे उनके डिजीटल मंचों अर्थात् ई-समाचार पत्र /डिजीटल साइट्स पर विज्ञापन प्रकाशित करने संबंधी दरों के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई थी । सक्षम प्राधिकारी ने पूरे भारत वर्ष को सम्मिलित करते हुए दैनिक अभिदाय के आधार पर मिश्रित रूप से प्रमुख प्रकाशनों को विज्ञापनों के प्रकाशन हेतु अनुमोदित किया था ।

डिजीटल बैनरों को तैयार किया गया था तथा उन्हें भिन्न-भिन्न आकारों में समायोजित करके 15 दिन की अवधि के लिए मोबाइल ऐप/प्रमुख प्रकाशनों के वेप मंचों पर रखा गया था ।

(IX) एचटी मीडिया के डिजीटल मंच पर सीए पाठ्यक्रमों का संवर्धन

महामारी के इस कठिन समय में अखिल भारतीय स्तर पर छात्रों और उनके माता-पिता तक पहुंच बनाने और उनसे संवाद करने के लिए एचटी मीडिया लिमिटेड ने अपनी डिजीटल साइट – http://hindustanshikshashetra.com/ के माध्यम से विभिन्न पाठ्यक्रमों के संबंध में परामर्श/प्रवेश प्राप्त करने के लिए एक डिजीटल शिक्षा मेले का आयोजन किया था ।

इस डिजीटल मेले में निम्नलिखित के माध्यम से सीए पाठ्यक्रम का संवर्धन किया गया :

- सीए पाठ्यक्रम के संबंध में दो लेख, पाठ्यक्रम के पूरा होने के पश्चात् उपलब्ध विभिन्न अवसर, आरंभ की गई विभिन्न स्कीमें और कोविड 19 महामारी के दौरान की गई पहलें आदि ।

- फाउंडेशन पाठ्यक्रम में अनंतिम रजिस्ट्रीकरण का संवर्धन करने के लिए डिजाइनों को विकसित किया गया था।
- आईसीएआई की ब्रांड छवि के निर्माण हेतु एचटी डिजीटल मीडिया मंच पर विभिन्न एवी चलाए गए थे।

(X) दूरदर्शिता रखने वाले व्यक्तियों से बुद्धिमता का खजाना (पूर्व अध्यक्षों के भाषण 1949-2020) – पुनरीक्षित संस्करण 2020

समिति ने, दूरदर्शिता रखने वाले व्यक्तियों से बुद्धिमता का खजाना – जिल्द 2 नामक प्रकाशन को पुनरीक्षित करने की पहल की है, जिसे वर्ष 2018 में अद्यतन किया गया था। इस प्रकाशन के पुनिरीक्षित 2020 संस्करण को नए आवरण पृष्ठ, ले आउट तथा आईसीएआई के पूर्व अध्यक्षों के वार्षिक समारोह के दौरान दिए गए अद्यतन भाषणों को सम्मिलित करते हुए प्रकाशित किया गया है।

(XI) रेडियो के माध्यम से सीए दिवस 2020 का प्रचार

सीए दिवस 2020 के संबंध में रेडिया सिटी (13 स्टेशन) के माध्यम से 1 जुलाई को पूरे दिन विज्ञापनों आदि का प्रसारण करके प्रचार-प्रसार किया गया था। केंद्रीय परिषद् के सदस्यों की आवाजों में प्रश्नोत्तर प्ररूप में रिकार्डिंग की गई थी और उन्हें रेडियो चैनलों पर प्रसारित किया गया था। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, आईसीएआई के भी विभिन्न चैनलों पर वृत्तिक हित के विभिन्न विषयों और सीए पाठ्यक्रमों के संवर्धन के संबंध में साक्षात्कार लिए गए थे और इस प्रकार आईसीएआई की ब्रांड छवि के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ था।

(XII) वीडियो टीजर – डब्ल्यूसीईओ लोगो

आईएफएसी परिषद् की बैठक के दौरान डब्ल्यूसीईओ के लोगो का अनावरण करते हुए एक वीडियो टीजर विकसित किया गया था। इस अवधारणा को आईए समिति के परामर्श से अंतिम रूप प्रदान किया गया था और तदनुसार इस वीडियो टीजर को विकसित किया गया था।

(XIII) महात्मा गांधी का 150वीं जयंती

कारपोरेट कार्य मंत्रालय से एक संसूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें महात्मा गांधी के जन्म की 150वीं जयंती को मनाने हेतु क्रियाकलाप करने की सलाह दी गई थी। 2 अक्तूबर, 2020 को भारत सरकार के सर्वशिक्षा अभियान का संवर्धन करते हुए आईसीएआई की प्रादेशिक परिषदों और शाखाओं द्वारा शैक्षणिक किटों को तैयार करने और उनका वितरण करने संबंधी एक प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया था। विनिर्दिष्ट दिशा-निर्देशों के अनुसार इस क्रियाकलाप को करने हेतु प्रादेशिक परिषदों और शाखाओं को एक संसूचना अग्रेषित की गई थी।

(XIV) कोविड 19 महामारी के दौरान सकारात्मक और बुद्धिमत्ता पूर्ण दृष्टिकोण बनाए रखने संबंधी वेबीनार

कोविड 19 महामारी के संकट के समय सकारात्मकता बनाए रखना : सिस्टर बी.के. शिवानी, आध्यात्मिक और प्रेरक वक्ता, ब्रह्म कुमारिज़ विश्व आध्यात्मिक विश्वविद्यालय द्वारा संबोधन।

माइंड मैटर्स : श्रीश्री रवि शंकर आध्यात्मिक गुरु द्वारा संबोधन।

(XVI) मीडिया द्वारा मिथ्या रिपोर्टिंग के प्रत्युत्तर में संपादकों को पत्र

हाल ही में आईसीएआई के सामने कतिपय ऐसी मीडिया रिपोर्टें आई हैं, जिनमें वृत्ति और उसके सदस्यों को प्रतिकूल रूप में दर्शाया गया है। आईसीएआई ने उस रीति के प्रति कठोर रूख अपनाया था, जिसमें इन समाचारों को प्रमुख समाचार-पत्रों में प्रकाशित किया गया था और जिसके कारण वृत्ति की ख्याति को ठेस पहुंची थी। तदनुसार, ऐसे समाचार-पत्रों के, जिन्होंने जनता की आंखों में चार्टर्ड अकाउंटेंट वृत्ति के सम्मान को ठेस पहुंचाने तथा वृत्ति की छवि को खराब करने वाली प्रतिकूल रिपोटों को प्रकाशित किया था, संपादकों को पत्र जारी किए गए थे। प्रकाशनों को संबद्ध मामलों में समुचित शुद्धि पत्र जारी करने के लिए कहा गया था।

(XVII) आईसीएआई ईयर-बुक 2020-21

संस्थान/समितियों/विभागों/प्रादेशिक कार्यालयों/शाखाओं द्वारा वर्ष के दौरान की गई पहलों और उनकी उपलब्धियों को समाविष्ट करते हुए एक व्यापक दस्तावेज "ईयर-बुक" नामक प्रकाशन के रूप में निकाला गया था। पीआर समिति ने सभी समितियों/शाखाओं /प्रादेशिक कार्यालयों से जानकारी को इकठ्ठा किया था और उसके पश्चात् सभी सामग्री का संकलन और संपादन करके ईयर बुक – 2020-21 निकाली है।

(XVII) अन्य पहलें

- मुद्रण/इलैक्ट्रानिक और ऑनलाइन मीडिया के अतिरिक्त सोशल मीडिया के माध्यम से संस्थान द्वारा की गई सभी प्रमुख पहलों का संवर्धन किया गया था ।
- मीडिया को सतत रूप से पाठ्यचर्या, वृत्ति और अन्य क्रियाकलापों तथा आयोजनों आदि से संबंधित नवीनतम घटनाओं से प्रैस विज्ञप्तियां जारी करके अवगत कराया गया था ।
- समिति ने, आज के निरंतर क्रियाशील संदर्भ में चार्टर्ड अकाउंटेंसी वृत्ति की संभावनाओं और परिधि क्षेत्र का, लेखों और साथ ही परस्पर क्रियाशील बैठकों/राष्ट्रीय/प्रादेशिक स्तर पर प्रैस को जारी की गई विज्ञप्तियों और विभिन्न टीवी चैनलों के माध्यम से संवर्धन किया था ।
- पीआर कार्य के भागरूप में मुद्रण और इलैक्ट्रानिक मीडिया में आईसीएआई की विभिन्न संगोष्ठियों/कार्यक्रमों/आयोजनों को उपयुक्त रूप से कवर किया गया था ।

5.22 अनुसंधान समिति

अनुसंधान समिति भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) की सबसे अधिक पुरानी तकनीकी समितियों में एक है, जिसकी स्थापना वर्ष 1955 में हुई थी । अनुसंधान समिति का मुख्य उद्देश्य, वृत्ति द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं की गुणवत्ता का मूल्यवर्धन करने के विचार से अनुसंधान संबंधी क्रियाकलाप करना है । अनुसंधान समिति का प्रमुख उद्देश्य वृत्ति द्वारा दी जाने वाली सेवाओं का मूल्यवर्धन करने के लिए लेखांकन और अन्य संबद्ध क्षेत्रों में अनुसंधान करना है । समिति सतत आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में समवर्ती विषयों पर अनुमोदित अनुसंधान परियोजनाएं आरंभ करती है, जिन्हें साधारण रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों से संबंधित मार्गदर्शन टिप्पणों, तकनीकी गाइडों, अध्ययनों, मोनाग्राफों आदि के रूप में प्रकाशित किया जाता है और इसके साथ ही समिति वृत्ति द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं का मूल्यवर्धन करने के लिए व्यवहारों को भी तैयार करती है ।

(I) प्रगतिशील परियोजनाएं

समिति निम्नलिखित विभिन्न परियोजनाओं पर कार्य कर रही है :

- साफ्टवेयर हेतु राजस्व मान्यता संबंधी मार्गदर्शक टिप्पण का पुनरीक्षण
- पदों के निर्वचन – घोर उपेक्षा, सम्यक् तत्परता की कमी, सारवान मिथ्या कथन को रिपोर्ट करने में असफल रहना तथा वृत्तिक निर्णय की कमी के संबंध में अध्ययन ।
- 'संपरीक्षा क्वालिटी के संबंध में संपरीक्षकों के आज्ञापक चक्रानुक्रम का प्रभाव' संबंधी अनुसंधान प्रस्ताव ।
- 'जोखिम प्रबंध का समाधान करने में संपरीक्षकों और सीएफओ की उभरती भूमिका : एक नया परिप्रेक्ष्य' संबंधी अनुसंधान प्रस्ताव ।
- कर्मचारियों को निकाले जाने संबंधी वैज्ञानिक मंथन के प्रभाव का मूल्यांकन : एक बहु राष्ट्रीय अध्ययन ।

(II) पुरस्कार

वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए आईसीएआई पुरस्कार

इन पुरस्कारों को वर्ष 1958 से वार्षिक रूप से प्रदान किया जा रहा है । विनिर्दिष्ट प्रवर्गों में पुरस्कार विजेताओं का चयन एक 3 टियर ठोस मूल्यांकन प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है : सर्वप्रथम प्रारंभिक मूल्यांकन तकनीकी पुनर्विलोककों द्वारा किया जाता है, जिसके पश्चात् शील्ड पैनल द्वारा सूचीबद्ध वार्षिक रिपोर्टों का पुनर्विलोकन किया जाता है और इनका अंतिम पुनर्विलोकन एक बाहरी ज्यूरी द्वारा किया जाता है ।

वर्ष 2019-20 की प्रतिस्पर्धा के लिए ज्यूरी की बैठक 22 दिसंबर, 2020 को नई दिल्ली में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता श्री श्री. दिनेश कुमार खरे, अध्यक्ष, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा की गई थी । ज्यूरी के अन्य सदस्यों में, डॉ अनिल अग्रवाल, संसद सदस्य, राज्य सभा, सीए. सीपी शुक्ला, विधान सभा सदस्य (एमएलए), सीए. सुनील गोयल, पूर्व अध्यक्ष, आईसीएआई, सीए. (डॉ.) गिरीश आहूजा, पूर्व अध्यक्ष - संपरीक्षा समिति, भारतीय स्टेट बैंक, सीए. अनुज माथुर, एमडी और सीईओ, केनरा एचएसबीसी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, सीए. वसुंधरा लाड, संयुक्त रजिस्ट्रार (एफएंडए), भारतीय वैज्ञानिक शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर), पुणे, श्री भरत कौशल, एमडी, हिताची इंडिया प्रा. लिमिटेड, सीए अनील गंभीर, मुख्य वित्त अधिकारी, ब्लू डार्ट एक्सप्रेस लिमिटेड, डॉ कश्मीर सिंह, सेवानिवृत्त आईपीएस, श्री नमित मेहता, आईएएस, श्री योगेश शर्मा, वरिष्ठ ईडी. एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड, सीए. जितेंद्र अग्रवाल, वरिष्ठ भागीदार, डेलॉइट हास्किन्स एंड सेल्स सम्मिलित थे ।

पुरस्कारों की स्कीम के अनुसार सर्वोत्तम प्रविष्टि और दूसरी सर्वोत्तम प्रविष्टि के लिए क्रमशः एक स्वर्ण शील्ड और एक रजत शील्ड पुरस्कार में प्रदान की जाती है। ऊपर उल्लिखित पुरस्कारों के अलावा सराहनीय प्रविष्टियों के लिए पट्टिकाएं पुरस्कार में दी जाती हैं। हाल ऑफ फेम पुरस्कार ऐसे अस्तित्वों को प्रदान किया जाता है, जो किसी विशिष्ट प्रवर्ग में लगातार पांच स्वर्ण शील्ड का विजेता रहा हो। वर्ष 2019-20 के लिए 'वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए आईसीएआई पुरस्कार' के विजेताओं को सम्मानित करने के लिए 17 जनवरी, 2021 को पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया था। श्री अर्जुन राम मेघवाल, संघ के माननीय मंत्री, भारत सारकार इस समारोह के मुख्य अतिथि थे। कुल 15 पुरस्कार प्रदान किए गए थे, जिनमें 5 स्वर्ण शील्ड, 5 रजत शील्ड और 5 पट्टिका सम्मिलित थीं। वर्ष 2020-21 के लिए प्रतिस्पर्धा में नगरपालिक निकायों संबंधी एक नए प्रवर्ग को सम्मिलित किया गया है तथा एकीकृत रिपोर्टिंग संबंधी प्रवर्ग को हटा दिया गया है।

आईसीएआई अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान पुरस्कार

यह पुरस्कार लेखांकन, संपरीक्षा, कराधान, वित्त और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अनुसंधान अध्येताओं के योगदान को मान्यता देने के लिए प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार का उद्देश्य लेखांकन, वित्त और कराधान तथा संबद्ध क्षेत्रों में अनुसंधान क्रियाकलापों को बढावा देने और वैश्विक अर्थव्यवस्था के समक्ष आने वाली चुनौतियों की पहचान करने के उद्देश्य से लेखांकन, संपरीक्षा, वित्त, अर्थशास्त्र और कराधान के क्षेत्र में किए गए अनुसंधान क्रियाकलापों में महत्वपूर्ण योगदान को अभिस्वीकृति प्रदान करना है जहां लेखांकन वृत्ति अनुसंधान और सहयोग के माध्यम से लोकहित में ऐसी सम्यक् भूमिका निभा सकती है, जो उभरते हुए विभिन्न वित्तीय और गैर वित्तीय जोखिमों को कम करने और वैकल्पिक रूप से लोकहित का संवर्धन करने के लिए सर्वोत्तम व्यवहारों का प्रतिपादन करने में नवीन व्यवहारों के लिए मार्ग प्रशस्त कर सकती है। दिए जाने वाले पुरस्कारों में स्वर्ण शील्ड, रजत शील्ड और कांस्ये शील्ड सम्मिलित हैं। ये पुरस्कार पांच व्यापक प्रवर्गों के अधीन प्रदान किए जाएंगे, अर्थात् लेखांकन, संपरीक्षा, अर्थशास्त्र, वित्त और कराधान।

'आईसीएआई अनुसंधान पुरस्कार, 2020' के संबंध में 23 दिसंबर, 2020 को एक ज्यूरी बैठक का आयोजन किया गया था। डॉ. इन की जू, पूर्व अध्यक्ष, आईएफएसी ज्यूरी के अध्यक्ष थे। ज्यूरी के अन्य सदस्यों में श्री एलन जॉनसन, अध्यक्ष, आईएफएसी, श्री वान टिन, अध्यक्ष, एएफए, श्री फ्लोरिन टोमा, अध्यक्ष, अकाउंटेंसी यूरोप, श्री विक्सन एनक्यूब, तत्काल पूर्व अध्यक्ष, पीएएफए, न्यायमूर्ति (सीए), अनिल आर दवे, पूर्व न्यायाधीश, भारत का उच्चतम न्यायालय, सुश्री येलेना रोड्रिग्ज ट्रूजिलो, ईडी, सीसीपीएपी, सीए. अतुल के गुप्ता, तत्काल पूर्व अध्यक्ष, आईसीएआई, पदेन ज्यूरी अध्यक्ष के रूप में और सीए निहार एन जम्बुसरिया, अध्यक्ष, आईसीएआई, पदेन ज्यूरी अध्यक्ष के रूप में सम्मिलित थे। आईसीएआई अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान पुरस्कार 2020 के लिए पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित करने के लिए पुरस्कार समारोह 17 जनवरी, 2021 को आयोजित किया गया था। इस समारोह के मुख्य अतिथि श्री अर्जुन राम मेघवाल, संघ के माननीय मंत्री, भारत सरकार थे। इस वर्ष 5 प्रवर्गों में कुल 15 पुरस्कार दिए गए।

(III) जारी किए गए प्रकाशन

- कारबार डाटा विश्लेषण में सांख्यिकीय परीक्षण और सॉफ्टवेयर संबंधी हैंडबुक – बिगनर्स मॉड्यूल
- शैक्षिक संस्थाओं (केंद्रीय विश्वविद्यालयों) में वित्तीय विवरणों के पुनरीक्षित प्रारूपों का उपयोग - एक प्रभाव संबंधी अध्ययन
- अनुसंधान समिति द्वारा प्रकाशित 'भारत में औद्योगीकरण की एनईओ आयात द्वारा प्रतिस्थापना' की संभावना संबंधी हैंडबुक - आईएसआई (कोविड-19)
- शेयर-आधारित संदायों के लिए लेखांकन संबंधी मार्गदर्शन टिप्पण (पुनरीक्षित 2020)
- एएस 25 और अंतरिम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आय-कर व्यय के मापमान का उपयोग किए जाने संबंधी मार्गदर्शन टिप्पण (पुनरीक्षित 2020)
- ई-वाणिज्य अस्तित्वों द्वारा लेखांकन संबंधी मार्गदर्शन टिप्पण
- प्रोद्भवन के आधार पर लेखांकन संबंधी मार्गदर्शन टिप्पण
- गैर-महानगरीय क्षेत्रों और चयनित महानगरीय क्षेत्रों में भारतीय स्टार्ट-अप का विश्लेषण और मूल्यांकन - एक अनकही कहानी
- बहु-राज्य शहरी सहकारी प्रत्यय सोसायटियों, भारत / विदेशों में अंगादियों और बैंकों - रत्न और आभूषण उद्योग "के माध्यम से" धन प्रतिशोधन और घोटाले
- भारत में बहु-राज्यीय शहरी सहकारी प्रत्यय सोसाइटियों के माध्यम से धन प्रतिशोधन और घोटाले - नकद निक्षेप
- राज्य के स्वामित्व वाले विश्वविद्यालयों में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली : आंतरिक नियंत्रण मैनुअल तैयार करने के लिए एक अध्ययन

- कर निश्चितता की ओर अग्रसर : सीमापार कराधान के लिए नियोटेरिक घरेलू विवाद तंत्र
- भारतीय विनिर्माण क्षेत्र में वित्तीय कार्यपालन के संबंध में डिजिटल परिवर्तन लाए जाने संबंधी रणनीतियों का प्रभाव
- कैसे भारतीय कंपनियां ऑस्ट्रेलिया को आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं ?
- भारत में बहु-राज्य शहरी सहकारी प्रत्यय सोसाइटियों/सहकारी बैंकों / प्राइवेट बैंकों के माध्यम से धन प्रतिशोधन और घोटाले - चीनी उद्योग
- विनियामक प्राधिकारियों द्वारा जारी परिपत्रों के कराधान पहलू - आईआरडीए परिपत्रों का एक अध्ययन

(IV) स्कीमें

आईसीएआई की डाक्ट्रेट संबंधी छात्रवृत्ति स्कीम – यह स्कीम संस्थान के ऐसे सभी सदस्यों के लिए खुली है, जो पीएचडी पाठ्यक्रम पूरा कर रहे हैं और जो आवेदन की अंतिम तारीख को 40 वर्ष से अधिक आयु के नहीं है । इस स्कीम का उद्देश्य दसवीं और बारहवीं कक्षा में उत्कृष्ट शैक्षिक रिकार्ड वाले पात्र अभ्यर्थियों को, जिनमें संपरीक्षा, कराधान, वाणिज्य, प्रबंध और लेखांकन अनुशासन जैसे अनुसंधान के क्षेत्रों में शैक्षिक अनुसंधान करने की प्रवृत्ति और प्रतिबद्धता है, छात्रवृत्ति उपलब्ध कराई जाती है । प्रत्येक वर्ष पांच अध्येताओं को तीन वर्ष के लिए पचास हजार रुपए प्रति मास छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी ।

आईसीएआई अनुसंधान परियोजना स्कीम – यह स्कीम संस्थान के ऐसे सदस्यों के लिए खुली है, जिनके पास व्यवसाय या नियोजन में 10 वर्ष से अधिक का अनुभव है । दस लाख रुपए की अधिकतम रकम को प्रतिपूर्ति व्यय के रूप में प्रदान किया जाएगा । आवेदकों को, अनुसंधान समिति द्वारा अनुसंधान परियोजना के अनुमोदन के पश्चात् अपनी अनुसंधान परियोजनाओं को पूरा करने के लिए छह मास का समय दिया जाएगा ।

वर्ष 2020 के लिए नामों को सूचीबद्ध करने वाली समिति की एक बैठक का आयोजन जुलाई, 2020 के दौरान किया गया था । सूचीबद्ध करने वाली समिति ने निम्नलिखित अनुसंधान परियोजनाओं के संबंध में सिफारिश की थी, जिन्हें अनुसंधान समिति द्वारा मंजूर किया गया था :

- गैर-महानगरीय क्षेत्रों और चयनित महानगरीय क्षेत्रों में भारतीय स्टार्ट-अप का विश्लेषण और मूल्यांकन - एक अनकही कहानी
- राज्य के स्वामित्व वाले विश्वविद्यालयों में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली : आंतरिक नियंत्रण मैनुअल तैयार करने के लिए एक अध्ययन
- कर निश्चितता की ओर अग्रसर : सीमापार कराधान के लिए नियोटेरिक घरेलू विवाद तंत्र
- भारतीय विनिर्माण क्षेत्र में वित्तीय कार्यपालन के संबंध में डिजिटल परिवर्तन लाए जाने संबंधी रणनीतियों का प्रभाव
- कैसे भारतीय कंपनियां ऑस्ट्रेलिया को आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं ?
- विनियामक प्राधिकारियों द्वारा जारी परिपत्रों के कराधान पहलू - आईआरडीए परिपत्रों का एक अध्ययन
- 'संपरीक्षा क्वालिटी के संबंध में संपरीक्षकों के आज्ञापक चक्रानुक्रम का प्रभाव' संबंधी अनुसंधान प्रस्ताव ।
- 'जोखिम प्रबंध का समाधान करने में संपरीक्षकों और सीएफओ की उभरती भूमिका : एक नया परिप्रेक्ष्य' संबंधी अनुसंधान प्रस्ताव ।
- कर्मचारियों को निकाले जाने संबंधी वैज्ञानिक मंथन के प्रभाव का मूल्यांकन : एक बहुराष्ट्रीय अध्ययन ।

(V) प्रशिक्षण कार्यक्रम

समिति ने, अनुसंधान पद्धति – कारबार डाटा विश्लेषण में सांख्यांकीय परीक्षा का उपयोग, बिगनर माड्यूल, अनुसंधान पद्धति - कारबार डाटा विश्लेषण में सांख्यांकीय परीक्षा का उपयोग, उन्नत माड्यूल, अनुसंधान पद्धति, निधियों का पीछा करने, पृष्ठभूमि छानबीन करने और विभिन्न मामला अध्ययनों के माध्यम से आर्थिक अपराध शाखा (डब्ल्यूओडब्ल्यू) के अन्वेषण अधिकारियों के लिए बैंककारी प्रणाली के डाटा संबंधी मुद्दों को समझने संबंधी एक पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था ।

(VI) सम्मेलन/वेबीनार/वर्चुअल सीपीई बैठकें

वेबीनार

समिति ने, अनुसंधान पद्धतियों में अपनाई जाने वाली विभिन्न तकनीकों, एमएसएमई उद्योगों के बीमारूपन और उसके उपचार सबंधी

अनुसंधान, स्वास्थ्य देखभाल उद्योग में चार्टर्ड अकाउंटेंटों की भूमिका, वृत्तिक आचार – अनुसंधान के लिए परिधि क्षेत्र, कोविड 19 – आगे के मार्ग के संबंध में सुझाव देने के लिए अनुसंधान के निष्कर्षों को साझा करना, यूएसए में भारतीय सीए की उभरती भूमिका संबंधी संवाद आरंभ करने वाले वेबीनार – वैश्विक रूप से वृत्तिक अकाउंटेंटों की उभरती भूमिका के संबंध में अनुसंधान अध्ययन करने के मार्ग को प्रशस्त करने, वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए आईसीएआई पुरस्कार – पूर्व नामांकनों में सामान्य रूप से पाए जाने वाले संप्रेक्षण, अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान आचार और उत्तम अनुसंधान पत्र लिखने के लिए टिप, गुणवत्ता बनाम परिमाण संबंधी अनुसंधान, समकालीन अनुसंधान करने में अनुसंधान प्रक्रिया का संक्षिप्त विवरण, वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए आईसीएआई पुरस्कार – पूर्व नामांकनों में सामान्य रूप से पाए जाने वाले संप्रेक्षणों के संबंध में परिचर्चा, सीमापार कर विवादों के लिए घरेलू विवाद समाधान तंत्र के संबंध में अनुसंधान निष्कर्ष, वाणिज्यिक और कर सलाह में विधिक अनुसंधान पद्धति का महत्व, लेखांकन अनुसंधान के उभरते क्षेत्र, अनुसंधान संबंधी प्रश्नोत्तर तैयार करने संबंधी गाइड, अनुसंधान में साहित्य का पुनर्विलोकन करने संबंधी व्यापक गाइड से संबंधित विषयों पर वेबीनारों का आयोजन किया था।

वर्चुअल सीपीई बैठक

समिति ने क्रिप्टो करेंसी : निवेश के लिए एक विकल्प, पूंजी बाजार में अनुसंधान संबंधी वृत्तिक अवसर, अनुसंधान प्रस्ताव तैयार करने संबंधी आशावादी मार्ग, औद्योगीकरण को प्रतिस्थापित करने के लिए आयात की संभावना संबंधी अनुसंधान निष्कर्षों को साझा करने, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में वित्तीय नीतियों और बाजारों पर उसके प्रभाव संबंधी परिणामों अध्ययन परिणामों को साझा करने, नई शिक्षा नीति, अनुसंधान उन्मुख शिक्षा हेतु मार्ग प्रशस्त करना, अनुसंधान के उद्देश्यों को साझा करना और आईसीएआई की अनुसंधान परियोजना स्कीम, 2020 के अधीन अनुसंधान प्रस्तावों के संबंध में अंत:निवेश प्राप्त करना, सीए द्वारा डाक्ट्रेट संबंधी अनुसंधान करने का आनंद और पीड़ा, सीए के लिए विश्लेषणात्मक उपकरण के रूप में अनुसंधान पद्धति को समझना, अनुसंधान – सीए के लिए उदाहरण और साहित्य का पुनर्विलोकन, भारत में बहुराज्य शहरी प्रत्यय सहकारी सोसाइटियों में धन शोधन करने की नीति, मानक और एकीकृत रिपोर्टिंग, प्रत्यक्ष कर और लाफेर कर्व के बीच संबंध के बारे में अनुसंधान निष्कर्ष, चौथी औद्योगिक क्रांति में चीन, भारत और कोरिया में कर प्रशासन को डिजीटल बनाने संबंधी अनुसंधान निष्कर्ष, अनुसंधान पद्धति के आधारभूत सिद्धांत, लेखांकन, वित्त और अन्य संबद्ध क्षेत्रों में परिमाणात्मक अनुसंधान की बारीकियां, सांख्यांकिय अनुसंधान करने के लिए उपकरणों, तकनीकों की प्रस्तावना, बीईपी पश्च विश्व में अंतरण कीमत निर्धारण –अमूर्त परिप्रेक्ष्य संबंधी अनुसंधान निष्कर्ष, लेखांकन और वित्त में अनुसंधान का भविष्य, किसी अनुसंधान विषय को कैसे चुने और अनुसंधान संरचना को किस प्रकार विरचित करें ? अनुसंधान में डाटा संग्रहण पद्धतियों का उपयोग करने का महत्व, अनुसंधान में अंतर्वलित नैतिक मुद्दों संबंधी गाइड, विदेश में वृत्तिक अवसरों संबंधी अनुसंधान निष्कर्ष, अनुसंधान में नमूना प्राप्त करने का सिद्धांत, एएटीईएफ से परे अनुसंधान : सूचना प्रौद्योगिकी अनुसंधानों में चार्टर्ड अकाउंटेंटों की भूमिका, संपरीक्षकों और सीएफओ की जोखिम प्रबंध का समाधान करने में उभरती भूमिका संबंधी अनुसंधान प्रस्ताव के संबंध में सुझाव प्राप्त करना : एक नया परिप्रेक्ष्य, आईसीएआई अनुसंधान परियोजना स्कीम, 2021 के अधीन प्रस्तुत 'संपरीक्षा गुणवत्ता के संबंध में संपरीक्षकों के आज्ञापक चक्रानुक्रम का प्रभाव' संबंधी अनुसंधान प्रस्ताव के संबंध में सुझाव प्राप्त करने संबंधी विषयों पर वर्चुअल सीपीई बैठकों का आयोजन किया गया था।

5.23 पूंजी बाजार और निवेशकों के संरक्षण संबंधी समिति (सीसीएमएंडआईपी)

पूंजी बाजार और निवेशकों के संरक्षण संबंधी समिति (सीसीएमएंडआईपी) सरकार/विनियामकों को प्रस्तुत किए जाने हेतु, पूंजी बाजार से संबंधित विभिन्न विधेयकों, विनियमों, अधिसूचनाओं, परिपत्रों और अन्य दस्तावेजों के संबंध में सुझाव उपलब्ध कराती है। इसके अतिरिक्त, यह समिति विभिन्न मुद्दों के संबंध में नियमित रूप से भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और भारतीय बैंक संघ (आईबीए) के साथ परस्पर क्रियाएं करती है उदाहरणार्थ निक्षेपकर्ताओं से संबंधित, गैर-निष्पादनकारी आस्तियों के प्रबंध, बैंक प्रचालन और पर्यवेक्षण से संबंधित, प्रतिभूतिकरण से संबंधित मुद्दों, गैर-बैंककारी वित्त कंपनियों – एनबीएफसी (आरबीआई का गैर बैंककारी वित्त कंपनियों संबंधी विभाग), सहकारी बैंकों के विनियामक प्राधिकरण, उनकी निवेश योजनाओं के संबंध में रणनीति/सिफारिशें, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड आदि। यह समिति प्राथमिक और गौण बाजारों, कंपनियों के अर्जन, समामेलन, विलयन (कर मुक्त क्षेत्र, भागीदारी टिप्पण, चलायमान मुद्रा, निगम शासन विनियामक अनुपालन आदि), परस्पर निधियां, विदेशी संस्थागत निवेशक, मध्यवर्ती, प्रतिभूति विधियां, आदि, अग्रिम बाजार आयोग (एफएमसी), जिसके अंतर्गत एनसीडीएक्स और एमसीएक्स, स्टाक एक्सचेंज भी हैं, पूंजी बाजार और निवेशकों की संरक्षा संबंधी मुद्दों के संबंध में भी सुझाव प्रस्तुत करती है।

(I) राष्ट्रीय निर्माण में भागीदारी

राष्ट्र निर्माण में एक अधिमानी भागीदार के रूप में उभरने और साधारण जनता में, वित्तीय प्रतिभूतियों में उनके धन को निवेश करने से संबंधित किए जाने वाले और न किए जाने वाले कार्यों के संबंध में जागरुकता का सृजन करने और वित्तीय साक्षरता का संवर्धन करने के उद्देश्य से भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान अपनी पूंजी बाजार और निवेशकों के संरक्षण संबंधी समिति (सीसीएमएंडआईपी) के माध्यम से कारपोरेट कार्य मंत्रालय की निवेशक शिक्षा और संरक्षा निधि प्राधिकरण (आईईपीएफए) के तत्वाधान में विभिन्न संसाधन व्यक्तियों और कार्यक्रम आयोजक इकाईयों (प्रादेशिक परिषदों, शाखाओं, अध्ययन सर्कलों, अध्ययन चैप्टरों और अध्ययन समूहों) अर्थात् अपने विभिन्न पीओयू के माध्यम से निवेशक जागरुकता कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है ।

(II) सदस्यों के लिए पहलें

क्षमता निर्माण

समिति को आईसीएआई के अखिल भारतीय सदस्यों के लिए एक प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम, अर्थात् विदेशी मुद्रा और खजाना प्रबंध संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम का संचालन करने का कार्य सौंपा गया है और समिति ने "व्युत्पन्नियों संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम" के प्रथम ऑनलाइन बैच को आरंभ किया ।

- समिति ने, विदेशी मुद्रा और खजाना प्रबंध संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के 55 आफलाइन बैचों और डिजीटल पठन केंद्र के माध्यम से 3 ऑनलाइन बैचों का सफलतापूर्वक संचालन किया है । इस अवधि के दौरान समिति ने विदेशी मुद्रा और खजाना प्रबंध संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के 3 ऑनलाइन बैचों को सफलतापूर्वक पूरा किया है, जिनमें आईसीएआई के कुल 384 सदस्यों ने उक्त प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के लिए नामांकन किया था ।
- समिति ने, डिजिटल पठन केंद्र के माध्यम से व्युत्पन्नियों संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम" के प्रथम ऑनलाइन बैच को आरंभ किया है, जिसमें आईसीएआई के कुल 92 सदस्यों ने उक्त प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के लिए नामांकन किया था ।

(III) सदस्यों के वृत्तिक संवर्धन के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन/संगोष्ठियां / कार्यशालाएं/ वेबकास्ट/आवासीय पुनश्चर्या पाठ्यक्रम (आरआरसी)

समिति सदस्यों के वृत्तिक संवर्धन के लिए अधिकाधिक संख्या में राष्ट्रीय सम्मेलन/संगोष्ठियां/कार्यशालाएं/वेबकास्ट/आवासीय पुनश्चर्या पाठ्यक्रम (आरआरसी) का आयोजन करके सक्रिय भूमिका निभा रही है । अवधि के दौरान, भविष्य को परिवर्तित करना : उत्कृष्टता को समर्थ बनाना, विश्वास में अभिवृद्धि करना, निवेशक शिक्षा संरक्षण और निधि प्राधिकरण (आईईपीएफए) की निवेशकों के बीच शिक्षा और जागरुकता का सृजन करने में भूमिका, कोविड 19 पश्च सीए वृत्ति – आगे का मार्ग, पूंजी बाजारों और अर्थव्यवस्था पर कोविड 19 का प्रभाव आदि विषयों पर आयोजन किए गए थे ।

5.24 संपरीक्षा समिति

संपरीक्षा समिति का गठन संस्थान की परिषद् द्वारा शासित होता है । संपरीक्षा समिति, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वित्तीय विवरण सत्य और उचित हैं, संस्थान की वित्तीय सूचना की रिपोर्टिंग प्रक्रिया और प्रकटन का पुनर्विलोकन करती है । यह समिति संस्थान की विभिन्न इकाईयों के लिए संपरीक्षकों की नियुक्ति करती है, संपरीक्षा रिपोर्टों का पुनर्विलोकन करती है, अनुवर्ती कार्रवाई करती है और संस्थान की विभिन्न इकाईयों के संपरीक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों के संबंध में उपयुक्त कार्रवाई की सिफारिश करती है । यह संस्थान की विभिन्न इकाईयों हेतु संपरीक्षकों की नियुक्ति करते समय स्वतंत्रता और ईमानदारी को सुनिश्चित करती है । संपरीक्षा समिति, उसकी प्रत्येक प्रादेशिक परिषदों में अवस्थित पांच प्रादेशिक संपरीक्षा समितियों के माध्यम से प्रचालन करती है ।

5.25 अंकीय पुन: इंजीनियरी और पठन निदेशालय (डीआरएलडी)

(I) क्रियाकलाप

- आईसीएआई डिजिटल पठन केंद्र - आईसीएआई डिजिटल पठन केंद्र ज्ञान का एक ऐसा एकल स्रोत है, जो सदस्यों और छात्रों के लिए वृत्तिक और शैक्षिक दोनों प्रकार की शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराने हेतु एक केंद्रीय भांडागार के रूप में कार्य करता है । https://learning.icai.org/iDH/icai/
- आईसीएआई डिजिटल पठन केंद्र – अंतर्राष्ट्रीय संस्थान गेटवे, आईसीएआई और भारत को एक वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने का प्रयास कर रहा है और इस दिशा में वह तकनीकी विशेषज्ञता और नवीनतम घटनाओं के संबंध में ज्ञान को साझा

करके तथा लेखांकन के क्षेत्र में कम विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के वृत्तिक कौशलों और सक्षमताओं में अभिवृद्धि करके सतत रूप से प्रयास कर रहा है। https://learning.icai.org/committee/irg/

- स्किल इंडिया पहल के तत्वधान में स्किल इंडिया हब लेखांकन और संबद्ध क्षेत्रों में मंत्रालयों और शासकीय निकायों के लिए सर्वोत्तम रूप से अनुकूल सक्षमताओं और क्षमताओं के निर्माण के लिए आईसीएआई के डिजिटल पठन केंद्र का उपयोग कर रहा है। https://learning.icai.org/committee/skill-india/
- नई और समुन्नत वेबसाइट ICAI.org का शुभारंभ
- आईसीएआई डिजिटल पठन केंद्र और आईसीएआई मोबाइल ऐप के लिए व्यापार-चिह्न रजिस्ट्रीकरण किया गया है।
- आईसीएआई के सभी लाइव वेबकास्टों के लिए एक समर्पित पोर्टल - https://live.icai.org/
- विक्रेता रजिस्ट्रीकरण प्ररूप - https://www.icai.org/vendorreg/
- आईसीएआई की मोबाइल ऐप, आईसीएआई नाउ और आईसीएआई के सोशल मीडिया मंच आईसीएआई के आयोजनों, आईसीएआई की प्रमुख उपलब्धियों और पहलों को बिना किसी लागत के आईसीएआई के छात्रों, सदस्यों और अन्य पणधारियों के बीच लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

  https://www.icai.org/mobile/

  https://www.icai.org/followus
- आईसीएआई आंतरिक टिप्पण पोर्टल - पोर्टल का शुभारंभ
- आईसीएआई के अखिल भारतीय अवस्थानों पर आईसीएआई के अभिलेखों का अंकीयकरण
- दस्तावेज़ प्रबंधन प्रणाली का विकास और कार्यान्वयन
- आईसीएआई के सदस्यों, छात्रों और आंतरिक पणधारियों के लिए सेवा परिदान की ऑनलाइन पद्धतियों को सुकर बनाया गया।
- आईसीएआई की लागतों में कमी किए जाने संबंधी पहल, अर्थात् इंटरनेट पर वीआईपी (सिट्रिक्स) को कॅन्फ़िगर करने संबंधी कार्यकरण, शाखाओं/प्रादेशिक कार्यालयों आदि में वीपीएन कनेक्टिविटी को हटाने, टेलीफोन और पीआरआई लाइनों से जुड़े व्ययों को कम किया जा रहा है।
- आईसीएआई के कार्यालयों में आईटी अवसंरचना शासन और अनुरक्षण।
- कोविड 19 - संसाधन पृष्ठ-संकलन – महत्वपूर्ण उद्घोषणाओं के संकलन को वेबसाइट, मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया पर आईसीएआई के सीए सदस्यों, छात्रों और कर्मचारियों के लिए कोरोना वायरस, कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए होस्ट किया गया है, जिसे नियमित रूप से अद्यतन किया जाता है।
- 'कोविड – 19 पश्च परिस्थितियों में वृत्ति का भविष्य – वर्चुअल लेखांकन फर्म' विषय पर वेबीनार का आयोजन किया गया।

5.26 क्वालिटी पुनर्विलोकन बोर्ड (क्यूआरबी)

क्वालिटी पुनर्विलोकन बोर्ड का गठन 28 जून, 2007 को केंद्रीय सरकार द्वारा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 28क के अधीन उसमें निहित शक्तियों के अनुसरण में किया गया था। क्वालिटी पुनर्विलोकन बोर्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 28ख के अधीन निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगा :

- ➢ संस्थान के सदस्यों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता के संबंध में परिषद् को सिफारिशें करना ;
- ➢ संस्थान के सदस्यों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता का पुनर्विलोकन करना, जिसके अंतर्गत संपरीक्षा सेवाएं भी हैं ; और
- ➢ संस्थान के सदस्यों को सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने तथा विभिन्न कानूनी और अन्य विनियामक अपेक्षाओं के पालन हेतु मार्गदर्शित करना।

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 15 की उपधारा (2) के खंड (ण) के अधीन परिषद् के कृत्यों में से एक कृत्य चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 28ख के खंड (क) के अधीन क्वालिटी पुनर्विलोकन बोर्ड की सिफारिशों पर विचार करना भी है तथा उनके संबंध में की गई कार्रवाई के ब्यौरे इसकी वार्षिक रिपोर्ट में प्रकाशित किए जाएंगे।

उपरोक्त उपबंधों के अनुसार, रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान परिषद् को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 28ख(क) के अधीन दो प्रतिनिर्देश संस्थान के सदस्यों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता के संबंध में क्वालिटी पुनर्विलोकन बोर्ड से प्राप्त हुए थे। उनके संबंध में परिषद् द्वारा वित्तीय वर्ष अप्रैल, 2020 से मार्च, 2021 के दौरान आयोजित हुई अपनी बैठक/बैठकों में विचार किया गया।

उनके संबंध में की गई कार्रवाई के ब्यौरे निम्नलिखित हैं :--

- आईसीएआई की अनुशासन तंत्र के अधीन आगे और अन्वेषण करने के लिए निदेशक (अनुशासन) को निर्दिष्ट प्रतिनिर्देशों की संख्या - 2
- प्रतिनिर्देशों की संख्या, जहां तकनीकी पुनर्विलोकक की टिप्पणियां सदस्यों/फर्मों को सलाह के रूप में जारी किए जाने का निर्णय लिया गया - शून्य।
- प्रतिनिर्देशों की संख्या, जिन्हें बंद करने का निर्णय लिया गया – शून्य।
- परिषद् के विचार हेतु लंबित प्रतिनिर्देशों की संख्या – शून्य।

5.27 प्रबंधन समिति

परिषद् की अस्थायी समिति के रूप में 2015 में गठित प्रबंधन समिति के लिए, शाखाओं के गठन, विदेश में चैप्टरों की स्थापना, राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय निकायों के साथ एमओयू/एमआरए, आईसीएआई के केंद्रीय संपरीक्षकों की नियुक्ति, संस्थान के वार्षिक लेखे, केंद्रीय सरकार और अन्य विनियामक निकायों, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 में संशोधनों के प्रस्तावों, तद्धीन विरचित नियमों और विनियमों, प्रादेशिक परिषदों और शाखाओं विषयक मामले, सदस्यों/सीए फर्मों/ एलएलपी/ विलयनों/ निर्विलयनों/नेटवर्किंग संबंधित विषयों और प्रशासनिक तथा नीतिगत विवक्षाओं वाली संस्थान की अन्य समितियों/विभागों से प्राप्त प्रस्तावों तथा जब कभी अपेक्षित हो, इसकी सिफारिशें परिषद् को करने से संबंधित विषयों पर विचार करने संबंधी कार्य करना आज्ञापक हैं।

5.28 मूल्यांकन मानक बोर्ड

मूल्यांकन मानक बोर्ड का विजन सर्वोत्तम वैश्विक व्यवहारों के साथ वृत्ति का विकास, उसे सशक्त करना तथा उसके मूल्यांकन में एकसमानता लाना है, इस विजन की पूर्ति हेतु बोर्ड का उद्देश्य भारत और भारत से बाहर, दोनों जगह आईसीएआई के मूल्यांकन मानक, 2018 के संबंध में जागरुकता का सृजन करना तथा उनके कार्यान्वयन को संवर्धित करना है और साथ ही वह ऐसे क्षेत्रों का पता लगाता है तथा उनके संबंध में सुझाव देता है जहां आईसीएआई मूल्यांकन मानक विकसित किए जाने की आवश्यकता है। ज्ञान के प्रचार-प्रसार के अलावा बोर्ड, अपने विजन की पूर्ति हेतु सरकार द्वारा ली गई पहलों के संबंध में सरकार के साथ निकट रूप से कार्यकरण भी कर रहा है।

महत्वपूर्ण उपलब्धियां और पहलें

(I) सरकार के साथ विधि निर्माण प्रक्रिया को सुकर बनाना

- **विशेषज्ञों की समिति द्वारा एक संस्थागत ढांचे और मूल्यांकन वृत्ति के विकास की आवश्यकता का परीक्षण –** विनियमन के लिए संस्थागत ढांचे तथा मूल्यांकन वृत्तिकों के विकास के परीक्षण हेतु कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया है। आईसीएआई भी इस समिति का सदस्य है और उसने समिति द्वारा किए गए विस्तृत विचार-विमर्श में महत्वपूर्ण रूप से भागीदारी की है। विशेषज्ञों की समिति ने भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, जिसके साथ प्रारूप मूल्यांकक विधेयक, 2020 को संलग्न किया गया है। आईसीएआई ने भी कारपोरेट कार्य मंत्रालय के समक्ष प्रारूप मूल्यांकक विधेयक, 2020 से संबंधित अपनी सिफारिशों को रखा है।
- **एमसीए द्वारा गठित मूल्यांकक विषयों पर विशेषज्ञ सलाह देने संबंधी समिति –** आईसीएआई मूल्यांकन विषयों पर सलाह देने संबंधी समिति का एक सदस्य है। उक्त समिति का गठन कंपनी (रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक और मूल्यांकन) नियम, 2017 के नियम 19 के अधीन किया गया है। समिति का सृजन केंद्रीय सरकार को मूल्यांकन मानकों को तैयार करने तथा उन्हें

अधिकथित करने तथा कंपनियों और रजिस्ट्रीकत मूल्यांककों द्वारा अनुपालन के लिए नीतियां तैयार किए जाने के संबंध में सिफारिशें करने के लिए किया गया है । आईसीएआई मूल्यांकक विषयों पर सलाह संबंधी समिति का एक सदस्य है और उसने समिति द्वारा जारी तीन रिपोर्टों के संबंध में अपनी विरोध दर्शित किया है ।

- **कारपोरेट कार्य मंत्रालय की आईसीएलएस अकादमी के साथ संयुक्त रूप से आईसीएलएस अधिकारियों के लिए मूल्यांकन पाठ्यक्रम का संचालन –** कारपोरेट कार्य मंत्रालय के भारतीय निगम विधि सेवा (आईसीएलएस) अकादमी ने यह वह वांछा की है कि आईसीएआई आईसीएलएस अधिकारियों के लिए मूल्यांकन संबंधी सेवारत कार्यक्रम का संचालन करे । इस संबंध में, 20 अधिकारियों के बैच आकार के साथ एक छह दिवसीय अवधि का एक ब्यौरेवार माड्यूल विकसित किया गया है । मूल्यांकन संबंधी सेवारत कार्यक्रम को शीघ्र ही आरंभ किया जाएगा ।

- **भारतीय दिवाला और अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) के साथ सहयोग तथा 27 मई, 2020 को आईबीबीआई के पदधारियों द्वारा वेबकास्ट का आयोजन –** बोर्ड विनियामक पहलूओं के संबंध में कार्य करने के विचार से भारतीय दिवाला और अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) के साथ सहयोग कर रहा है और साथ ही वह निकाले गए नए प्रस्तावों के संबंध में जागरुकता का सृजन कर रहा है । बोर्ड ने प्रारूप मूल्यांकक विधेयक, 2020 के संबंध में बेहतर समझ बनाने के लिए गोलमेज बैठकों और वेबकास्टों का आयोजन किया ।

  बोर्ड ने 27 मई, 2020 को प्रारूप मूल्यांकक विधेयक, 2020 के संबंध में परिचर्चा करने के लिए एक लाइव वेबकास्ट का आयोजन किया, जिसमें भारतीय दिवाला और अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) के अधिकारियों ने उक्त विधेयक के उपबंधों को स्पष्ट किया था । बोर्ड ने 23 अप्रैल, 2021 को "दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अधीन मूल्यांकन संबंधी मुद्दों" पर परिचर्चा करने के लिए एक लाइव वेबकास्ट का भी आयोजन किया था । बोर्ड ने इस वेबकास्ट को सबोधित करने तथा अपने परिप्रेक्ष्य को साझा करने हेतु भारतीय दिवाला और अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) के वरिष्ठ अधिकारियों को आमंत्रित किया था ।

(II) सरकार/कारपोरेट कार्य मंत्रालय को प्रस्तुति

- **कारपोरेट कार्य मंत्रालय के उस पत्र का उत्तर दिया गया था, जिसमें उसके द्वारा स्टार्ट अप इको सिस्टम के वित्तपोषण के संबंध में वित्त मंत्रालय की स्थायी समिति (2019-20) की 12वीं रिपोर्ट में अंतर्विष्ट सिफारिशों के संबंध में टीका-टिप्पणियों का अनुरोध किया गया था -** कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेट्स संस्थान को स्वतंत्र पक्षकारों के बीच किए जाने वाले संव्यवहारों में उचित बाजार मूल्य के सिद्धांतों को लागू किए जाने के संबंध में व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाए जाने तथा 'कीमत निर्धारण दिशानिर्देशों के सुव्यवस्थितिकरण' विषय पर प्रस्तुत सुझावों, जिन्हें स्टार्ट अप इको सिस्टम के वित्तपोषण के संबंध में वित्त मंत्रालय की स्थायी समिति की 12वीं रिपोर्ट में अंतर्विष्ट किया गया है, के संबंध में परीक्षा करने तथा सुझाव देने का अनुरोध किया था । माननीय समिति की रिपोर्ट के संबंध में सिफारिशों को तैयार किया गया है और उनमें निम्नलिखित बिन्दुओं को सम्मिलित किया गया है ।
  - शेयर मूल्यांकन के संबंध में विभिन्न विधियों के अधीन मूल्यांकन संबंधी अपेक्षाओं का तुलनात्मक विश्लेषण
  - आय-कर अधिनियम और अन्य निगम विधियों में असंगत मूल्यांकन व्यवहारों के कारण कंपनियों (या शेयरधारकों) के समक्ष आने वाली वाणिज्यिक चुनौतियां ।
  - विभिन्न विधियों के अधीन मूल्यांकन संबंधी अपेक्षाएं, ऐसे वृत्तिकों के संबंध में ब्यौरों सहित, जो विभिन्न अधिनियमों के अधीन मूल्यांकन करने हेतु पात्र हैं ।
  - आईवीएससी की तुलना में आईसीएआई मूल्यांकन मानकों की विशिष्टकारी विशिष्टियां ।
  - स्टार्ट कंपनियों के मूल्यांकन के संबंध में अवधारणा पत्र ।
  - अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार मूल्यांकन अपेक्षाओं संबंधी अध्ययन ।

- **प्रारूप मूल्यांकक विधेयक, 2020 के संबंध में आईसीएआई को सुझावों को 28 मई, 2020 को एमसीए के समक्ष प्रस्तुत किया गया –** विशेषज्ञों की समिति, जिसका गठन मूल्यांकन वृत्तिकों के विनियमन और विकास हेतु संस्थागत ढांचे की आवश्यकता के परीक्षण के लिए किया गया था, ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंप दी है, जिसके साथ प्रारूप मूल्यांकक विधेयक, 2020 संलग्न था । आईसीएआई भी समिति का सदस्य है और उसने समिति द्वारा किए गए विस्तृत विचार-विमर्श में भागीदारी की है । आईसीएआई ने भी अपनी सिफारिशें कारपोरेट कार्य मंत्रालय को सौंप दी हैं ।

(III) मूल्यांकनों को अनिवार्य करने तथा आईसीएआई मूल्यांकन मानक, 2018 को अंगीकृत करने के संबंध में विनियामकों/बैंकों को अभ्यावेदन

कारपोरेट कार्य मंत्रालय/सेबी/एसबीआई और आरबीआई को निम्नलिखित अभ्यावेदन प्रस्तुत किए गए हैं :--

- आय-कर अधिनियम, 1961 के अधीन मूल्यांकन को अन्य मूल्यांकन मानकों के अतिरिक्त आज्ञापक रूप से आईसीएआई के मूल्यांकन मानक, 2018 के अनुसार किए जाने के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) को 28 जनवरी, 2021 को अभ्यावेदन प्रस्तुत किए।
- मूल्यांकन के लिए आईसीएआई के मूल्यांकन मानक, 2018 को आज्ञापक बनाने के लिए विनियामक निकायों को अभ्यावेदन
    - भारतीय लेखांकन मानक के अधीन मूल्यांकन अनिवार्य करने के अनुरोध के संबंध में एमसीए को पत्र प्रस्तुत किया गया, जहां रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक द्वारा पृथक् मूल्यांकन रिपोर्ट जारी किया जाना अपेक्षित है और ऐसे मूल्यांकन के लिए आईसीएआई मूल्यांकन मानकों का अनुसरण किया जाना है।
    - भारतीय स्टेट बैंक को, पैनलित करने में अंतर्राष्ट्रीय मूल्यांकन मानक सम्मिलित न करने तथा राष्ट्रीय मानकों के रूप में आईसीएआई मूल्यांकन मानकों को अंगीकृत करने के लिए पत्र भेजा गया।
    - भारतीय रिजर्व बैंक को पैनलबद्ध किए जाने संबंधी प्रक्रिया में अंतर्राष्ट्रीय मूल्यांकन मानकों को सम्मिलित न किए जाने और भारत में विद्यमान आईसीएआई मूल्यांकन मानकों को राष्ट्रीय मानकों के रूप में अपनाए जाने संबंधी एक पत्र भेजा गया।
    - भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा जारी विनियमों और अन्य अपेक्षाओं के अधीन मूल्यांकन अनिवार्य करने के अनुरोध के साथ सेबी को पत्र भेजा गया, जहां रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक द्वारा पृथक् मूल्यांकन रिपोर्ट जारी किया जाना अपेक्षित है तथा ऐसे मूल्यांकन के लिए आईसीएआई मूल्यांकन मानक, 2018 को अनुसरित किया जाना है।
    - आय-कर अधिनियम, 1961 के अधीन रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक द्वारा मूल्यांकन अनिवार्य करने तथा ऐसे मूल्यांकन के लिए आईसीएआई मूल्यांकन मानक, 2018 का अनुसरण किए जाने के लिए अनुरोध।

(IV) अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन निकायों को सहयोग और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय बैठकें/सभाएं

- आईसीएआई द्वारा जारी किए गए आईसीएआई मूल्यांकन मानक, 2018 के आउटरीच के लिए साफा देशों के साथ परस्पर क्रियाएं – साफा देशों के बीच एकसमान मूल्यांकन मानक स्थापित किए जाने और साथ ही आईसीएआई के मूल्यांकन मानक, 2018 के अंगीकरण का संवर्धन किए जाने के विचार से दिसंबर, 2020 में साफा बोर्ड की 65वीं बैठक में एक प्रस्तुतिकरण किया गया था। इस संबंध में भी प्रस्ताव रखा गया था कि आईसीएआई संबद्ध देशों में किस प्रकार आईसीएआई मूल्यांकन मानक 2018 के कार्यान्वियन में सहयोग करेगा। साफा बोर्ड ने इस प्रस्ताव के संबंध में अपनी सहमति दी थी और यह विनिश्चय किया गया था कि आईसीएआई विभिन्न क्रियाकलापों द्वारा आईसीएआई मूल्यांकन मानक, 2018 के कार्यान्वियन में उन्हें सहयोग देगा।
- नेपाल के चार्टर्ड अकाउंटेट्स संस्थान के सदस्यों के लिए 7 जनवरी, 2021 को आईसीएआई के मूल्यांकन मानक, 2018 के संबंध में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन प्रशिक्षण - नेपाल के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान से प्राप्त एक प्रस्ताव, जिसके माध्यम से आईसीएआई मूल्यांकन मानक, 2018 के संबंध में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन करने का अनुरोध किया गया था, के उत्तर में बोर्ड ने संस्थान के सदस्यों के लिए 7 जनवरी, 2021 को आईसीएआई के मूल्यांकन मानक, 2018 के संबंध में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन प्रशिक्षण का आयोजन किया था। इस पहल का उद्देश्य साफा देशों में आईसीएआई मूल्यांकन मानक, 2018 के संबंध में जागरुकता का सृजन करना और पारदर्शिता तथा एकसमानता के लिए आईसीएआई मूल्यांकन मानकों के अंगीकरण का संवर्धन करना था। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को अत्यधिक सराहना प्राप्त हुई थी।

(V) प्रकाशन

- आईसीएआई मूल्यांकन मानक, 103 - मूल्यांकन दृष्टिकोण और पद्धतियों संबंधी शैक्षिक सामग्री।
- आईसीएआई मूल्यांकन मानक, 301 – कारबार मूल्यांकन संबंधी शैक्षिक सामग्री।
- प्रकाशन : मूल्यांकन - वृत्तिक अंतदृष्टि : श्रृंखला 5

- मूल्यांकन संबंधी तकनीकी गाइड (पुनरीक्षित 2021 संस्करण)
- उचित मूल्य संबंधी समग्र जानकारी संबधी अवधारणा पत्र
- मूल्यांकन रिपोर्टो के पियर पुनर्विलोकनों के निष्कर्षों संबंधी अवधारणा पत्र
- "विभिन्न विधियों के अधीन मूल्यांकन मानकों का अनुपालन और अन्य पहलू" विषय पर लाइव वेबकास्ट के दौरान उठाए गए प्रश्नों के उत्तर
- प्रकाशन : मूल्यांकन - वृत्तिक अंतदृष्टि : श्रृंखला 4
- प्रकाशन : मूल्यांकन - वृत्तिक अंतदृष्टि : श्रृंखला 6
- प्रकाशन श्रृंखला – मूल्यांकन संबंधी पुस्तिका : वीसीएमएटीक्यू : श्रृंखला 1-6

(VI) कार्यक्रम/ सम्मेलन/ वेबकास्ट/ पाठ्यक्रम

समिति ने मूल्यांकन और आईसीएआई मूल्यांकन मानक, 2018 के संबंध में एक 4 दिवसीय पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, रविवारों को मूल्यांकन विशेषज्ञों के साथ लाइव वीसीएम /वेबकास्ट श्रृंखलाओं, दिवाला ओर शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अधीन मूल्यांकन में अंतर्वलित मुददों, कंपनी अधिनियम, 2013 तथा आय-कर अधिनियम, 1961 के अधीन शेयरों का मूल्यांकन, कोविड 19 दशाओं के अधीन एनबीएफसी तथा मूल्यांकन तथा मूल्यांकन पर प्रभाव, प्रारूप मूल्यांकन विधेयक, 2020, मूल्यांकन और मूल्यांकन मानक – विभिन्न विधियों के अधीन अनुपालन और अन्य पहलूओं के संबंध में विभिन्न आयोजन किए।

5.29 कराधान संपरीक्षा गुणवत्ता पुनर्विलोकन बोर्ड (टीएक्यूआरबी)

विभिन्न (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष) कराधान विधियों के अधीन अनुपालन की रिपोर्टिंग के सुधारने के लिए कराधान संपरीक्षा क्वालिटी पुनर्विलोकन बोर्ड का गठन वर्ष 2018 में संस्थान द्वारा किया गया है। यह अनुकल्पना की गई है कि बोर्ड द्वारा किए गए पुनर्विलोकन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कराधान के अधीन विहित विभिन्न रिपोर्टों को प्रमाणित करते समय सदस्य अधिक सावधानी और तत्परता बरतेंगे तथा दीर्घ समय में उनके द्वारा की गई संपूर्ण रिपोर्टिंग तथा प्रमाणीकरण में सुधार होगा।

(I) क्रियाकलाप/पहलें

- परिषद् वर्ष 2018-19 और 2020-21 के दौरान चयनित कर संपरीक्षा रिपोर्टों के पुनर्विलोकन की प्रास्थिति

  बोर्ड ने परिषद् वर्ष 2018-19 और 2020-21 के दौरान प्रत्येक वर्ष के लिए 100 कंपनियों का चयन स्वप्रेरणा से क्रमश: निर्धारण वर्ष 2017-18 और 2019-20 के संबंध में उनकी कर संपरीक्षा रिपोर्टों के पुनर्विलोकन के लिए किया। इस संबंध में 189 कर संपरीक्षा रिपोर्टें कर संपरीक्षकों से प्राप्त हुई हैं। इन रिपोर्टों में से 176 रिपोर्टों का प्रारंभिक पुनर्विलोकन बोर्ड के पास पैनलबद्ध तकनीकी पुनर्विलोककों द्वारा पूर्ण किया गया है। इनमें से 132 प्रारंभिक पुनर्विलोकन रिपोर्टें उन रिपोर्टों को द्वितीयक पुनर्विलोकन के लिए विभिन्न बोर्ड सदस्यों के समन्वय के अधीन गठित कराधान संपरीक्षा गुणवत्ता पुनर्विलोकन समूहों को सौंपा गया है। इन समूहों की रिपोर्टों पर बोर्ड द्वारा विचार किया जा रहा है।

  पुनर्विलोककों के आधार पर :

  - सदस्यों को इस संबंध में सलाह जारी की जा रही है कि वे यह सुनिश्चित करें कि इस प्रकार की त्रुटियों को दोहराया न जाए।
  - कर संपरीक्षा रिपोर्ट ई-फाइलिंग उपयोगिता में परिवर्तनों के लिए सीबीडीटी को संप्रेक्षित किए जाने हेतु सुझावों की पहचान की गई है।
  - ऐसे सुझावों की पहचान की गई है, जिन्हें कर संपरीक्षा संबंधी मार्गदर्शन टिप्पण के आगामी संस्करण में सम्मिलित किया जा सकता है।
  - सदस्यों के बीच जागरुकता का सृजन करने के प्रयोजन के लिए कर संपरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय सामान्य रूप से पाई जाने वाली अनियमितिताओं तथा किए गए अननुपालनो की पहचान की गई है।

(II) टीएक्यूआरबी पर नामित होने के लिए सीबीआईसी को अनुरोध

इस तथ्य पर विचार करते हुए कि टीएक्यूआरबी के गठन का उद्देश्य कराधान विधियों के अधीन अनुपालनों की रिपोर्टिंग में सुधार करना है, इसलिए 11 फरवरी, 2021 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए आईसीएआई के कराधान संपरीक्षा क्वालिटी

पुनर्विलोकन बोर्ड की बैठकों में भागीदारी के लिए सीबीडीटी और सीबीआईसी से क्रमश: एक विशेष आमंत्रिती को नामित करने का अनुरोध किया गया है । उक्त अनुरोध के प्रत्युत्तर में सीबीआईसी के जीएसटी संबंधी नीति खंड ने श्री योगेन्द्र गर्ग, प्रधान आयुक्त, जीएसटी नीति खंड को टीएक्यूआरबी हेतु एक विशेष आमंत्रिती के रूप में नामित किया है ।

(III) सदस्यों के लिए पहलें

○ **प्रकाशन**

बोर्ड ने प्रत्यक्ष कर समिति के सहयोग से "आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 44कख के अधीन कर संपरीक्षा के प्रति दृष्टिकोण – जांच सूची" नामक एक नि:शुल्क प्रकाशन को तैयार किया था तथा ऑनलाइन रूप से जारी किया था, जिससे सदस्य उसे बिना किसी रुकावट के डाउनलोड कर सके । सदस्यों ने इस प्रकाशन की सराहना की है ।

○ **वेबीनार**

सदस्यों के बीच जागरुकता का सृजन करने के लिए बोर्ड ने सामान्य रूप से पाए जाने वाले अननुपालनों /त्रुटियों के संबंध में लाइव वेबकास्ट का आयोजन किया है । आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 44कख के अधीन प्ररूप संख्या 3गक/3गख/3गघ में कर संपरीक्षा रिपोर्ट, सामान्य रूप से पाए जाने वाले अननुपालनों/त्रुटियों - आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 44कख के अधीन प्ररूप संख्या 3गक/3गख/3गघ में कर संपरीक्षा रिपोर्ट, धारा 44कख - प्ररूप संख्या 3गक/3गख – सामान्य रूप से पाई जाने वाली अनियमितताएं आदि के संबंध में वेबीनारों का आयोजन किया गया और साथ ही आयोजित वेबीनारों के दौरान धारा 44कख के अधीन प्ररूप संख्या 3गक/3गख के संबंध में उठाई गई शंकाओं का समाधान ।

5.30 दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता संबंधी समिति (सीआईएंडबीसी)

आईसीएआई की दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता संबंधी समिति का गठन दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता पर विशेष जोर देने के लिए किया गया है । यह एक उभरता हुआ क्षेत्र है तथा इसने सदस्यों के लिए एक नए वृत्तिक अवसर का सृजन किया है । समिति का उद्देश्य विधि के व्यवहारिक पहलुओं तथा प्रक्रिया पर बड़े पैमाने पर सदस्यों में दिवाला समाधान के क्षेत्र में व्यवहारों तथा सदस्यों के बीच इस नए क्षेत्र तथा विधि की प्रक्रियाओं तथा व्यवहारिक पहलूओं के संबंध में जागरुकता लाना तथा सदस्यों को शिक्षित करना है ।

(I) राष्ट्र निर्माण में भागीदारी की ओर

- आईसीएआई भारत सरकार द्वारा दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के कार्यान्वियन के पुनर्विलोकन हेतु स्थायी समिति के रूप में गठित दिवाला विधि समिति के सदस्य के रूप में योगदान दे रहा है ।
- भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) ने निगम दिवाला समाधान प्रक्रिया में वृत्तिकों को नियोजित किए जाने संबंधी एक परिचर्चा पत्र प्रकाशित किया था और उसने उक्त पत्र द्वारा 14 मुद्दों पर जनता से टीका-टिप्पणियां मांगी थी । इस संबंध में, उक्त परिचर्चा पत्र पर आईसीएआई के सुझावों को जनवरी, 2021 के दौरान आईबीबीआई को प्रस्तुत किया गया था ।
- कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने पैकेज पूर्व दिवाला समाधान प्रक्रिया के संबंध में दिवाला विधि समिति की उप समिति की सिफारिशों पर जनता से टीका-टिप्पणियां आमंत्रित की थी । इस संबंध में, उक्त उप समिति की सिफारिशों पर आईसीएआई के सुझावों को जनवरी, 2021 के दौरान आईबीबीआई को प्रस्तुत किया गया था ।

(II) प्रकाशनों को जारी करना

- दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अधीन न्यायिक निर्णय - समिति ने आईसीएआई के भारतीय दिवाला वृत्तिक संस्थान के साथ उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों, एनसीएलएटी और एनसीएलटी द्वारा दिए गए निर्णयों के आधार पर संहिता के अधीन मुद्दों पर महत्वपूर्ण मामलों के विश्लेषण को सम्मिलित करते हुए "दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अधीन – न्यायिक उदघोषणाएं श्रृंखला 3" का प्रकाशन जून, 2020 के दौरान किया है ।
- देश में कोविड 19 महामारी फैलने के कारण दिवाला समाधान प्रक्रिया में सम्मिलित किए गए अनुतोष उपायों संबंधी पुस्तिका – समिति ने सितंबर, 2020 के दौरान कोविड 19 महामारी फैलने के कारण दिवाला समाधान प्रक्रिया में सम्मिलित किए गए अनुतोष उपायों संबंधी एक पुस्तिका जारी की है, जिसके अंतर्गत ऐसे न्यायिक, विधायी और आर्थिक उपायों को

सम्मिलित किया गया है, जिन्हें वर्तमान की अभूतपूर्व स्थिति तथा कारबार संबंधी वित्तीय परिसंकट के कारण आरंभ किया गया है।

- प्रकाशन – आईबीसी के अधीन महत्वपूर्ण विषयों के संबंध में सुगम्य पुस्तिका – समिति ने जून, 2021 के दौरान आईबीसी के अधीन महत्वपूर्ण विषयों संबंधी सुगम्य पुस्तिकाओं के रूप में निम्नलिखित प्रकाशन जारी किए हैं :
  - भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अधीन ऋण स्थगन संबंधी पुस्तिका।
  - भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अधीन समाधान योजना संबंधी पुस्तिका।
  - भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अधीन निगम ऋणियों के निजी प्रतिभू संबंधी पुस्तिका।
  - भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अधीन निगम दिवाला समाधान प्रक्रिया संबंधी पुस्तिका।
  - भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अधीन आईपीएस के संबंध में किए जाने वाले और न किए जाने वाले कार्यों संबंधी पुस्तिका।
  - भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अधीन दावों संबंधी पुस्तिका।

(III) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम का शुभारंभ

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के महत्व को तथा उसमें विद्यमान वृत्तिक अवसरों को ध्यान में रखते हुए समिति ने साधारण रूप से सदस्यों के फायदे के लिए भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम को आरंभ किया है।

(IV) आईबीसी मामला विधियों संबंधी अद्यतन

आईबीसी मामला विधियों संबंधी अद्यतन जानकारी नियमित आधार पर आईबीसी मामला विधियों से संबंधित अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराए जान संबंधी इस वर्ष की गई पहल के अनुसरण में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों, एनसीएलएटी और एनसीएलटी द्वारा भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर दिए गए निर्णयों के आधार पर महत्वपूर्ण मामलों से संबंधित विश्लेषण को सम्मिलित करते हुए समिति ने अभी तक 4 अद्यतन प्रकाशन निकाले हैं : आईबीसी मामला विधि अद्यतन – मार्च, 2021, आईबीसी मामला विधि अद्यतन – अप्रैल, 2021, आईबीसी मामला विधि अद्यतन – मई, 2021 और आईबीसी मामला विधि अद्यतन – जून, 2021।

(V) आईबीबीआई समिति दिवाला परीक्षा हेतु तैयारी करने संबंधी समिति द्वारा एक तीन दिवसीय पुनश्चर्या पाठ्यक्रम का आयोजन

आईबीबीआई समिति दिवाला परीक्षा हेतु तैयारी करने संबंधी समिति द्वारा एक तीन दिवसीय पुनश्चर्या पाठ्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिनकी मेजबानी आईसीएआई की विभिन्न शाखाओं द्वारा की गई थी।

(VI) वेबकास्ट/वर्चुअल सीपीई बैठकें (वीसीएम)

समिति ने, आईबीसी कार्यवाहियों पर कोविड 19 के प्रभाव, आईबीसी के अधीन अपवंचन संव्यवहार पुनर्विलोकन के संबंध में रेड फ्लैग, दिवाला विधि – भारत और ओमान, आईबीसी का पर्यावलोकन और उससे संबंधित कार्ययोजना तथा संहिता के अधीन सीए के लिए वृत्तिक अवसर, आईबीसी के अधीन निगम ऋणदाताओं के निजी प्रतिभू संबंधी विषयों पर लाइव वेबकास्टों/वर्चुअल सीपीई बैठकों का आयोजन किया गया था, इसके अतिरिक्त, आईबीसी के अधीन एमएसएमई के लिए पैकेज पूर्व दिवाला समाधान प्रक्रिया, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 से संबंधित नवीनतम घटनाओं के संबंध में पैनल परिचर्चा का आयोजन किया गया था। समिति द्वारा आईबीसी के अधीन सफल समाधान मामलों के संबंध में मामला अध्ययनों, अर्थात् एस्सार स्टील के समाधान, बिनानी सीमेंट समाधान, आर्किड फार्मा समाधान, रुचि सोया समाधान, प्रो मिनरलस समाधान, लैंकों तीस्ता हाइड्रो पावर समाधान, आदित्य एस्टेट समाधान आदि के संबंध में वेबकास्टों/वीसीएम की श्रृंखलाओं का आयोजन किया गया था।

5.31 महिला सदस्य सशक्तिकरण समिति (डब्ल्यूएमईसी)

राष्ट्र निर्माण में एक सच्चे भागीदार के रूप में आईसीएआई ने अपनी महिला सदस्यों के सशक्तिकरण के लिए योजनाएं, नीतियां और उपाय विरचित और कार्यान्वित करने के लिए एक समर्पित महिला सदस्य सशक्तिकरण समिति (डब्ल्यूएमईसी) की स्थापना की है।

डब्ल्यूएमईसी विशेष रूप से क्षमता निर्माण पहलों, कौशल विकास क्रियाकलापों, विभिन्न रोजगार के अवसरों के बारे में जागरुक करके तथा अन्य समान साधनों के माध्यम से महिला सदस्यों की क्षमता को बढ़ाने की दिशा में कार्य करती है । महिला सदस्य सशक्तिकरण समिति (डब्ल्यूएमईसी) का सृजन वर्ष 2014 में किया गया था और उसके पश्चात् वह महिला सदस्य सशक्तिकरण संबंधी समूह या महिला सदस्य सशक्तिकरण निदेशालय जैसे नामों के अधीन महिला सदस्यों के लिए विभिन्न पहलों को करके तथा उनके फायदे के लिए प्रयास करके महिला सदस्यों के कौशलों में वृद्धि करने तथा उनके सक्षमता निर्माण के संबंध में कार्य कर रही है ।

(I) क्रियाकलाप :

- समिति ने महिला सदस्यों के लिए प्रथम वर्चुअल राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया था, जिसकी मेजबानी आईसीएआई की डब्ल्यूआईआरसी की पुणे शाखा द्वारा की गई थी । सम्मेलन के सभी सत्रों का चयन क्रियाशील बाह्य कार्यकरण परिस्थितियों, समकालीन व्यवहार क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए तथा अपनी महिला सदस्यों को प्रेरित तथा उनका मार्गदर्शन करने के लिए सावधानीपूर्वक चुना गया था । इस सम्मेलन को इसमें भाग लेने वाले व्यक्तियों से अत्यधिक सराहना प्राप्त हुई थी ।
- समिति ने ऐसे सदस्यों के लिए, जो निगमों में निदेशक के पद धारण कर रहे हैं या उक्त पदधारण करने की वांछा करते हैं, "महिला निदेशकों की भूमिका संबंधी पुस्तिका" का प्रकाशन किया है । इस पुस्तिका में व्यापक सदर्भ सामग्री उपलब्ध कराई गई है, जो महिला सदस्यों को अनिवार्य विषयों के संबंध में व्यापक पर्यावलोकन उपलब्ध कराता है, जैसे कि निगम शासन, सम्यक् तत्परता हेतु जांच सूची, सामान्य अनुसचिवीय अनुपालन, संपरीक्षा समिति प्रभाविकता, निदेशकों के लिए आचार-संहिता, सरकार की निदेशकों से अपेक्षाएं आदि । इस पुस्तिका में विख्यात स्वतंत्र निदेशकों के साथ किए गए साक्षात्कारों और बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्नों को भी सम्मिलित किया गया है, जिससे महिला सदस्यों द्वारा निदेशक के पद से जुड़े व्यवहारिक पहलूओं को समझने में समर्थ बनाया जा सके ।
- "महिला सदस्यों की उपस्थिति को व्यवसाय के परिदृश्य में महसूस कराने और उन्हें दृश्यमान बनाने" विषय पर सेतु श्रृंखला कार्यक्रमों – व्यवसाय के मूल क्षेत्रों के संबंध में 360^0 पठन के अधीन समिति ने लघु तकनीकी वीडियो को डिजीटल पठन केंद्र पर अपलोड किया । इसके अतिरिक्त, इस श्रृंखला के अधीन समिति ने अनिवार्य सत्रों, जैसे कि आय-कर, प्रत्यक्ष करों के संबंध में आधारिक जानकारी, ऑनलाइन रूप से विवरणी फाइल किया जाना, लेखा और संपरीक्षा, भारतीय लेखांकन मानक, टीडीएस और टीसीएस, वित्त परियोजना को आरंभ करने, कंपनी अधिनियम के महत्वपूर्ण उपबंधों और बहु क्षेत्रों में वृत्तिक अवसरों के संबंध में विभिन्न वीसीएम का भी संचालन किया था ।
- समिति ने, महिला सदस्यों के बीच विभिन्न वृत्तिक आयामों के संबंध में उन्हें प्रोत्साहित करने तथा उनके बीच जागरुकता का सृजन करने के लिए विभिन्न वीसीएम और वेबीनारों का आयोजन किया था, जिनमें भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में वृत्तिक अवसरों तथा स्टार्ट-अप के लिए अनुपालन अपेक्षाओं से संबंधित सत्रों को भी सम्मिलित किया गया था ।
- डब्ल्यूएमईसी का एक "वुमन पोर्टल" नामक एक समर्पित पोर्टल है, जो महिला सदस्यों को चार्टर्ड अकाउंटेंसी वृत्ति के संबंध में अपने विचारों और चिंताओं को सामने रखने हेतु एक मंच उपलब्ध कराता है । इस पोर्टल को महिला सदस्यों को नमनीय कार्यकरण अवसरों के संबंध में अवगत कराने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है । पोर्टल पर एक मंच की व्यवस्था की गई है, जहां चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्में और महिला सदस्य सहबद्ध आईसीएआई प्रादेशिक परिषदों और शाखाओं के साथ अपने-अपने क्षेत्रों से संबंधित जानकारी फाइल करते हैं । समय की आवश्यकता और हमारे सदस्यों की परिवर्तनशील अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए समिति ने हाल ही में इस पोर्टल को उपांतरित/उसमें सुधार किया है । अब पोर्टल में कुछ नई विशिष्टियों और उपलब्ध अतिरिक्त जानकारी को सम्मिलित किया गया है, जिससे महिला सदस्यों की जानकारी को अद्यतन बनाए रखा जा सके । प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए रजिस्ट्रीकृत होने के लिए अपेक्षित आज्ञापक क्षेत्रों को भी कम किया गया है । जब कभी अपलोडिड की गई रिक्ति, नौकरी की वांछा करने वाली किसी सदस्य की अपेक्षा से मेल खाती है तो उन दोनों को इसके संबंध में जानकारी देते हुए ई-मेल से संसूचना भेजी जाती है ।
- समिति ने, अपने महिला पोर्टल पर अपनी महिला सदस्यों की सफलता की कहानियों को उपदर्शित किया गया है, जिससे अन्य महिला सदस्यों को स्वयं के लिए उच्चतर लक्ष्य तय करने और उनकी पूर्ति करने हेतु प्रेरित किया जा सके । समिति ने, अपनी ऐसी महिला सदस्यों को, जो वृत्ति के भीतर या वृत्ति के बाहर कारबार, निगम, स्टार्ट-अप, सामाजिक इंजीनियरिंग, एनजीओ, सिविल प्रशासन, शिक्षा के क्षेत्र आदि में सफल सिद्ध हुई हैं, अपनी सफलता की कहानियों को साझा करने हेतु आमंत्रित किया था ।

- डब्ल्यूएमईसी ने भारत सरकार की कुछ महिला सशक्तिकरण स्कीमों को विज्ञापनों, अपने ब्रोशरों और सोशल मीडिया मंचों के माध्यम से लोकप्रिय बनाकर उनके संवर्धन में सक्रिय भूमिका निभाई है ।
- महिला सदस्य सशक्तिकरण समिति (डब्ल्यूएमईसी) ने कतिपय प्रकाशन भी जारी किए हैं : महिला सदस्यों के लिए उपयोगी अंतर्दृष्टि, विभिन्न वित्तीय और गैर-वित्तीय फायदों के संबंध में जागरुकता का सृजन करके महिला सदस्यों को सशक्त करने, स्कीम और अवसर । यह प्रकाशन एक ऐसा प्रयास है, जिसके माध्यम से महिला सदस्यों के बीच अनिवार्य विषयों, जैसे कि महिलाओं के लिए सरकारी स्कीमों, पीओएसएच अधिनियम, एसडीजी 5 आदि के संबंध में जागरुकता का सृजन करके उन्हें मार्गदर्शन उपलब्ध कराने का प्रयास करता है ।
- अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अर्थात् 8 मार्च, 2021 को मनाने के लिए महिला सदस्य सशक्तिकरण समिति ने निम्नलिखित क्रियाकलाप किए :
  - अध्यक्ष, आईसीएआई तथा उपाध्यक्ष आईसीएआई के वीडियो वाइट रिकार्ड किए गए तथा संपूर्ण देश में महिला सदस्यों को उत्साहित तथा प्रोत्साहित करने के लिए महिला सदस्य कार्यक्रम के दौरान प्रसारित होने के लिए भारत में सभी शाखाओं को भेजे गए । उक्त वीडियो रिकार्डिंग को 8 मार्च को आईसीएआई के सोशल मीडिया मंचों पर भी अपलोड किया गया था, जिससे साधारण रूप से सभी पणधारियों को फायदा प्राप्त हो सके ।
  - विभिन्न सोशल मीडिया क्रियेटिव का सृजन किया गया तथा महिला सदस्य सशक्तिकरण के लिए आईसीएआई की पहलों को प्रचारित और संवर्धित करने के लिए महिला सदस्य सशक्तिकरण समिति के सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर अपलोड किया गया ।
  - महिला केन्द्रित कार्यक्रम : डब्ल्यूएमईसी के उत्तर में साधारण रूप से महिला सदस्यों के फायदे के लिए सामूहिक ई-मेल शाखाओं को बड़े पैमाने पर कार्यक्रम संवर्धित करने और आयोजित करने के लिए भेजे गए, देश भर में आईसीएआई की विभिन्न शाखाओं ने मार्च, 2021 मास के दौरान डब्ल्यूएमईसी के तत्वाधान में विभिन्न महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमों का आयोजन किया ।

5.32 एमएसएमई और स्टार्ट-अप संबंधी समिति

एमएसएमई क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने संबंधी समय की आवश्यकता को महसूस करते हुए आईसीएआई की परिषद् ने एमएसएमई और स्टार्ट-अप संबंधी समिति का एक प्रमुख अस्थायी समिति के रूप में गठन किया है । इस समिति का मुख्य उद्देश्य भारतीय एमएसएमई के लिए वहनीय ढांचे का विकास करके सक्षमता निर्माण उपायों को कार्यान्वित करना है ।

(I) पहलें - एमएसएमई

- **अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस**

  एमएसएमई और स्टार्ट-अप संबंधी समिति ने 27 जून, 2021 को बनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस के उपलक्ष्य में भारत के एमएसएमई की विभिन्न आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए तथा सीए भ्रांति संघ द्वारा उन आवश्यकताओं को पूरा करने में निभाई जाने वाली भूमिका के संबंध में "सीए के एमएसएमई की आवश्यकताओं के प्रति त्वरित प्रतिक्रिया" की केंद्रीय थीम के साथ ऑनलाइन ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों की एक श्रृंखला का आयोजन किया । इस विशेष अवसर संबंधी समारोह को मनाने के लिए आईसीएआई ने अपनी शाखाओं के माध्यम से अखिल भारतीय आधार पर एमएसएमई की स्थानीय आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए तथा भारत सरकार द्वारा इस संबंध में आरंभ की गई केंद्रीय और राज्य स्कीमों को लोकप्रिय बनाने के विचार से आयोजनों की एक श्रृंखला का आयोजन किया था ।

  श्री प्रताप चंद्र सारंगी, राज्य मंत्री, एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार ने मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होकर इस अवसर की शोभा बढ़ाई थी और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस समारोह में आईसीएआई के मुख्यालय से सीए भ्रातृसंघ को संबोधित किया था । 27 जून, 2021 को अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस के उपलक्ष्य में भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) ने एमएसएमई के सक्षमता निर्माण उपायों में अभिवृद्धि करने के लिए अपनी एमएसएमई और स्टार्ट-अप संबंधी समिति के माध्यम से एमएसएमई संबंधी एक प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम को और साथ ही आईसीएआई एमएसएमई इल्यूमनेशन एंड आईसीएआई एमएसएमई एक्सचेंज का भी शुभारंभ किया था ।

- **एमएसएमई एक्सचेंज**

  एमएसएमई एक्सचेंज की अवधारणा को एमएसएमई के विकास और वहनीयता के लिए महत्वपूर्ण विभिन्न आयामों के मूल्यवान सृजन हेतु एक उत्तम मंच की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए तैयार किया गया है । यह मंच उत्कृष्ट नेटवर्किंग, ज्ञान

को साझा करने, कौशल विकास, शंकाओं के समाधान संबंधी अवसरों तथा एमएसएमई इंको सिस्टम के संघटकों को विशेषज्ञ मार्गदर्शन की प्रस्तावना करता है।

- **सीए सेवा एक्सचेंज**

  एमएसएमई की विशेषीकृत आवश्यकताओं का समाधान करने के लिए समिति ने चार्टर्ड अकांउटेंटों की विशेषज्ञ सेवाओं को माउस के एक क्लिक के साथ एमएसएमई की पहुंच के भीतर लाने की पहल की है। सीए सेवा एक्सचेंज एक ऐसा मंच है, जिसके माध्यम से कोई भारतीय एमएसएमई आईसीएआई एमएसएमई इको सिस्टम के साथ रजिस्टर कर सकता है और चार्टर्ड अकाउंटेंटों द्वारा प्रस्तावित विभिन्न विशेषज्ञ सेवाओं की तलाश कर सकता है।

- **एमएसएमई सहायता पटल**

  एमएसएमई सहायता पटल समिति द्वारा आईसीएआई एमएसएमई एक्सचेंज के अधीन की गई महत्वपूर्ण पहलों में से एक है, जिसके माध्यम से आईसीएआई के सदस्यों के एक बड़े पूल की विशेषज्ञता को एमएसएमई के स्थानीय नगर में उसके द्वार पर लाकर खड़ा कर दिया गया है। शाखाएं और प्रादेशिक परिषदें, जो आईसीएआई के विस्तार खंड हैं, शाखा परिसरों में एमएसएमई सहायता पटल को सुकर बनाएंगे, जहां समर्पित विशेषज्ञ (अर्हित और अनुभवी चार्टर्ड अकाउंटेंट), स्थानीय एमएसएमई समूहों के मुद्दों का समाधान करेंगे।

- **एमएसएमई इल्युमिनेशन**

  एमएसएमई इल्युमिनेशन आईसीएआई एमएसएमई एक्सचेंज के अधीन समिति द्वारा की गई एक अन्य पहल है, जिसके माध्यम से आईसीएआई के साथ रजिस्ट्रीकृत एमएसएमई के सामने आने वाले किसी विनिर्दिष्ट मुद्दे के संबंध में विशेषज्ञ सलाह उपलब्ध कराई जाती है। एमएसएमई अपने सामने आने वाले मुद्दों को एक साधारण रजिस्ट्रीकरण प्रक्रिया का अनुसरण करने के पश्चात् ऑनलाइन रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। पाक्षिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिनमें एमएसएमई के सामने आने वाले सामान्य मुद्दों का समाधान विशेषज्ञों द्वारा किया जाएगा। एमएसएमई विशेषज्ञ राय की ईप्सा करते हुए इन कार्यक्रमों के दौरान विशेषज्ञों के साथ परस्पर क्रियाएं कर सकेंगे।

- **आईसीएआई एमएसएमई पोर्टल**

  आईसीएआई ने नेटवर्किंग, ज्ञान को साझा करने, शंकाओं के समाधान संबंधी तंत्र और सेवाओं के आदान-प्रदान के लिए एक समर्थ इको सिस्टम उपलब्ध कराने के लिए एक समर्पित पोर्टल को आरंभ किया है, जहां कोई एमएसएमई चार्टर्ड अकाउंटेंटों की विशेषज्ञता का फायदा ले सकता है।

- **एमएसएमई संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम**

  इस प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम का आशय चार्टर्ड अकाउंटेंटों को वृत्तिक सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु चार्टर्ड अकाउंटेंटों को सुसज्जित करना और साथ ही राष्ट्रीय उद्देश्य की पूर्ति में सहायता करने के लिए स्वयं एमएसएमई के क्षेत्र में प्रवेश करना है। ये प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम आईसीएआई के सदस्यों को एमएसएमई क्षेत्र के लिए कारबार समाधान प्रदाताओं के रूप में समर्थ बनाएगा।

(II) स्टार्ट-अप

- स्टार्ट-अप संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम।
- आईसीएआई स्टार्ट-अप गेटवे : सभी संबद्ध पणधारियों को संपूर्ण समाधान उपलब्ध कराने के लिए एक समर्पित पोर्टल।
- चार्टर्ड अकाउंटेंटों द्वारा स्थापित स्टार्ट-अप के लिए उदभवन केंद्र

(III) अन्य पहलें

- **समिति द्वारा कार्यबल और समूहों का गठन**

  समिति ने एमएसएमई और स्टार्ट-अप की सक्षमता निर्माण के लिए प्रादेशिक मानीटरी समूह, राज्यवार कार्यबलों और शाखा स्तरीय कार्यबलों का गठन किया।

- **कार्यक्रम**

  समिति ने एमएसएमई के लिए परियोजना वित्तपोषण, वी निर्यात प्रक्रिया और दस्तावेजीकरण, एमएसएमई के लिए पैकेज पूर्व दिवाला समाधान, एमएसएमई के वित्तपोषण के लिए वैकल्पिक प्रौद्योगिकी उन्मुख दृष्टिकोण – ई-वाणिज्य भागीदारी,

फिनटेक एंड पी 2 पी उधार और इलैक्ट्रानिक बिल बट्टा प्रणाली – टीआरईडी, किस प्रकार नेटवर्किंग का उपयोग करते हुए व्यवसाय का वर्धन करें, विलियन और बहु विधा भागीदारी, एमएसएमई समाधान – संदाय संबंधी विवादों के लिए त्वरित और सस्ते समाधान, वर्चुअल सीएफओ के रूप में सीए : एमएसएमई को किस प्रकार फायदा पहुंचाया जा सकता है, एमएसएमई निर्यात संवर्धन स्कीमें और स्कीमों का एमएसएमई को फायदा, एमएसएमई/ एमएसएमई निधियां जुटाना, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड से कोल्ड स्टोरेज सहायिकी और खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित प्रोत्साहन से जुड़ा उत्पादन, श्वेत माल, भेषजीय, वर्तमान समय में एमएसएमई के समक्ष चुनौतियां और समाधान तथा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में चार्टर्ड अकाउंटेंटों की नई उभरती भूमिका और अवसर, एसएमई एक्सचेंज, केंद्रीय और राज्य सरकारों की एमएसएमई को सहायिकियां, जीईएन और टीआरईडी, जैसे विषयों से संबंधित वेबीनारों/लाइव वेबकास्टों/वर्चुअल सीपीई बैठकों का आयोजन किया गया, मथुरा में 6 सीपीई घंटों वाली कार्यशाला तथा एमएसएमई संबंधी वर्चुअल प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के पहले और दूसरे बैच का संचालन किया गया ।

6. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, सेवा विकास और डब्ल्यूटीओ संबंधी समिति (सीडीआईटीएंडडब्ल्यूटीओ)

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, सेवा विकास और डब्ल्यूटीओ संबंधी समिति (सीडीआईटीएंडडब्ल्यूटीओ) आईसीएआई की एक गैर-स्थायी समिति है, जिसका गठन वर्ष 2018-19 के दौरान किया गया था । समिति को माननीय प्रधानमंत्री के विजन की रुपरेखा के अनुसार सृजित किया गया था, जिन्होंने लेखांकन और वित्त की निर्यात की संभावनाओं में वृद्धि करने वाले 12 चैंपियन सेक्टर सेवाओं में से एक के रूप में पहचान की थी । इसका प्रमुख उद्देश्य केवल विदेशी मुद्रा का अर्जन करना नहीं है अपितु आर्थिक क्रियाकलापों में अभिवृद्धि करना भी है । समिति सतत रूप से हमारे वृत्तिकों को वैश्विक रूप से अपने पंख फैलाने में समर्थ बनाने हेतु सतत प्रयास कर रही है । आईसीएआई की वैश्विक पहुंच को विस्तारित करने और उसके सदस्यों को वैश्विक रूप से वृत्तिक सेवाओं के संवर्धन के माध्यम से उनकी सक्षमता निर्माण करना समिति के उद्देश्यों में से एक है, जिससे कि वह अपने सदस्यों की समग्र रूप से सेवा करने में समर्थ हो सके और साथ ही उन्हें वृत्तिक विकास और नेटवर्किंग हेतु मंच उपलब्ध करा सके ।

(I) लेखांकन और वित्तीय सेवाओं के संवर्धन के लिए पहलें

लेखांकन और वित्तीय क्षेत्र (चैंपियन सेक्टर) के लिए निर्यात संभावनाओं में वृद्धि करने के लिए भारत सरकार का सहयोग करना ।

चैंपियन सेक्टर के लिए प्रस्ताव

तारीख 13 जुलाई, 2020 को आईसीएआई को कारपोरेट कार्य मंत्रालय से, 2020-21 की अवधि के दौरान वाणिज्य विभाग द्वारा अकाउंटेंसी तथा संबद्ध सेवाओं के निर्यात में वृद्धि करने के लिए आईसीएआई द्वारा प्रस्तुत किए गए निम्नलिखित प्रस्तावों के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किए जाने के संबंध में एक संसूचना प्राप्त हुई थी ।

- चार्टर्ड अकाउंटेंटों और अकाउंटेंटों के लिए विदेशों में कैम्पस नियोजन कार्यक्रम ।
- सदस्यों और छात्रों के लिए विदेशी भाषा के पाठ्यक्रम ।
- स्थानीय मांग की पूर्ति हेतु कौशल निर्माण के लिए लघु अवधि पाठ्यक्रम ।
- स्टार्ट-अप पहलें/उदभवन केंद्र ।
- लेखांकन प्रक्रिया आउट सोर्सिंग (एपीओ) को स्थापित करने के लिए विकास और प्रशिक्षण के लिए प्रस्ताव ।
- आईसीएआई – एआरएफ के माध्यम से ई-पठन द्वारा विशेषीकृत लघु अवधि पाठ्यक्रम/प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम/मॉड्युल ।
- अंतरराष्ट्रीय पाठ्यचर्चा के माध्यम से वैश्विक छात्रों को जोड़ना ।
- विदेश में लेखांकन व्यवसाय को मजबूत करना और सिखाना ।
- आईसीएआई – एआरएफ के माध्यम से विदेश मंत्रालय भारत सरकार के भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (आईटीईसी) कार्यक्रम के अधीन विदेशी नागरिकों को प्रशिक्षण पाठ्यक्रम देना ।
- चेप्टरों और प्रतिनिधि कार्यालयों के माध्यम से विश्व भर में ब्रांड भारतीय सीए का संवर्धन करना ।
- आईसीएआई डिजिटल पठन केंद्र का विश्वभर में संवर्धन करना ।

समिति ने, उपरोक्त प्रस्तावों के संबंध में कार्य करते समय मंत्रालय के साथ अपनी बातचीत को जारी रखा था और वह नियमित अंतरालों पर विभिन्न प्रस्तावों से संबंधित अद्यतन जानकारी उसे उपलब्ध कराती रही थी ।

वर्ष के दौरान हस्ताक्षरित समझ ज्ञापन

- सेवा निर्यात संवर्धन परिषद के साथ एमओयू - भारतीय चार्टर्ड अकांउटेंट संस्थान (आईसीएआई) ने 30 जून, 2020 को मुंबई में सीए सेवाओं के निर्यात के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, सेवा विकास और डब्ल्यूटीओ संबंधी समिति और तत्कालीन सीए सेवा निर्यात और डब्ल्यूटीओ संबंधी समिति (सीईएसडब्ल्यूटीओ) के तत्वाधान में सेवा निर्यात संवर्धन परिषद के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। एमओयू का उद्देश्य केन्द्रित और मानीटर की गई कार्ययोजना के कार्यान्वियन के माध्यम से लेखांकन और वित्त सेवाओं में भारत के निर्यात कि प्रतिस्पर्धा को बढाना है, जिसके लिए दोनों पक्षकार यह एमओयू पर हस्ताक्षर करने के लिए सहमत हुए।
- ईयूओयू और एसईजेड संबंधी निर्यात संवर्धन परिषद् – 27 सितंबर, 2020 को आयोजित वैश्विक सप्ताह के उदघाटन सत्र के दौरान ईयूओयू और एसईजेड संबंधी निर्यात संवर्धन परिषद् के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। यह समझौता ज्ञापन दो संस्थाओं को कौशल प्राप्त अकाउंटेंटों और कार्यबल की उपलब्धता, नवीनतम लेखांकन और वित्त संबंधी साफ्टवेयर, कम लागत पर श्रम तथा ग्राहकों को उच्च प्रतिभूति की उपलब्धता के निबंधनानुसार भारत की प्रमुख दृढ़ताओं की पहचान करने और उनके आलोक में वैश्विक अवसरों का लाभ लेने हेतु केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने में समर्थ बनाएगा।

भारत सरकार को दिए गए अभ्यावेदन/इनपुट

इस अवधि के दौरान चेंपियन सेक्टर पहल के अलावा इस समिति ने विभिन्न मंत्रालयों के साथ सीए सेवाओं के निर्यात या डब्ल्यूटीओ से संबंधित क्षेत्रों के संवर्धन हेतु इनपुट प्रदान करने के लिए बातचीत की, जो निम्नानुसार है :

- विदेशी व्यापार नीति (2015-2020) के अधीन विदेशी व्यापार महानिदेशालय के महानिदेशक को प्रस्तुत सेवा निर्यात प्रोत्साहन स्कीम (एसईआईएस) के संबंध में दावा आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख को विस्तारित करने का अनुरोध।
- लेखांकन/संपरीक्षा तथा बुक कीपिंग सेवा क्षेत्र में कोविड 19 महामारी के कारण निर्यातकों के सामने आने वाली चुनौतियां, उनके संबंध में सुझाए गए उपचारात्मक उपायों सहित।
- भारत और जापान के बीच भारत-जापान सीईपीए के अधीन लेखांकन सेवाओं के क्षेत्र में सहयोग के संबंध में जापान के दूतावास के वित्तीय अटैची के साथ बातचीत करने की पहल।
- लेखांकन सेवाओं में एफटीए पुनर्विलोकन संबंधी अंत:निवेश।
- भारत – ईयू के व्यापार संबंधी उप आयोग (एससीटी) की बैठक।
- कौशल विकास और रोजगार का सृजन से संबंधित मंत्रियों के समूह की बैठक – सेवा क्षेत्रों के लिए कौशल विकास के संबंध में टीका-टिप्पणियां।
- भारत – उज्बेकिस्तान के व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी सहयोग संबंधी अंत: शासकीय आयोग (आईजीसी) का 12वां सत्र – के संबंध में।
- लेखांकन के क्षेत्र में ओईसीडी – एसटीआरआई में सुधार करने संबंधी अवधारणा पत्र।
- भारत – फ्रांस संयुक्त आयोग का 18वां सत्र।
- कारपोरेट कार्य मंत्रालय को चैंपियन सेक्टर पहलों के अधीन विभिन्न प्रस्तावों के संबंध में दी गई अद्यतन जानकारी।
- भारत के सातवें टीपीआर के लिए सरकार की रिपोर्ट के संबंध में प्रतिक्रिया।
- भारत की अध्यक्षता के दौरान ब्रिक्स कलैंडर 2021 के लिए कार्यसूची मदों के संबंध में आईसीएआई के अंत:निवेश।
- ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग के लिए कार्ययोजना के संबंध में भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान का प्रस्तुतिकरण।
- जापान के साथ लेखांकन सेवाओं के क्षेत्र में एमआरए/एमओयू।
- भारत स्पेन संयुक्त आर्थिक सहयोग के 12वें सत्र के संबंध में अंत:निवेश।

- एक वर्चुअल बैठक और डीएमईओ एसटीआरआई टेम्पलेट फाइल करने के साथ लेखांकन सेवाओं में ओईसीडी सेवा व्यापार निर्बंधनकारी सूचकांक (एसटीआरआई) में सुधार संबंधी – बोर्ड ।
- निम्नलिखित सेवाओं में व्यापार के संबंध में इंडिया ईयू – बीटीआईए बातचीत :
  - ईयू के अनुरोध पर टीका-टिप्पणियां
  - डिजीटल व्यापार चेप्टर के संबंध में टीका-टिप्पणियां
- भारतीय मानकों के विकास के लिए राष्ट्रीय मानक निकाय के रूप में भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) की पहचान संबंधी 12 चैंपियन सेक्टर ।
- चीन में लेखांकन सेवाओं संबंधी आईसीएआई के अंत:निवेश ।
- विदेशी व्यापार सीमाओं – 2021 संबंधी यूएसटीआर रिपोर्ट के संबंध में अंत:निवेश ।
- भारत के लिए, जापान सरकार द्वारा किए गए व्यापक उपायों के संबंध में निवेश आकर्षित करने और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र में वित्तीय/आस्ति प्रबंध कंपनियों के लिए उपलब्ध अवसरों के संबंध में टीका-टिप्पणियां ।
- वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय को अग्रेषित अंत:मंत्रालयीय बैठक की कार्ययोजना संबंधी अद्यतन
- जानकारी डब्ल्यूटीओ में व्यापार सेवाओं के संबंध में सबसे कम विकसित देशों (एलडीसी) के साथ भारत के अधिमानी व्यवहार के लिए आईसीएआई के अंत:निवेश ।
- लेखांकन और संबद्ध सेवाओं के चैंपियन सेक्टर के अधीन निर्यात के संवर्धन के लिए 11 आईसीएआई स्कीमों के संबंध में अद्यतन प्रास्थिति कारपोरेट कार्य मंत्रालय को अग्रेषित की गई ।
- भारत - चिली पीटीए के दूसरे विस्तार संबंधी आईसीएआई के अंत:निवेश ।
- भारत – तुर्की आर्थिक और तकनीकी सहयोग संबंधी संयुक्त समिति (जेसीईटीसी) संबंधी आईसीएआई के अंत:निवेश ।
- भारत – यू.के. नि:शुल्क व्यापार करार के संबंध में आईसीएआई के अंत:निवेश ।

(II) सीए सेवाओं के निर्यात के संवर्धन के लिए की गई पहलें

सदस्यों के बीच विदेशी भाषा का संवर्धन

आईसीएआई ने भारत में विदेशी दूतावासों के शासकीय सांस्कृतिक भाषा केंद्रों के साथ अपने सदस्यों और छात्रों के लिए विदेशी भाषा पाठ्यक्रमों को आरंभ किए जाने के संबंध में ठहराव किए हैं, जिससे उन्हें विदेशी अवसरों के प्रति और अधिक स्वीकार्य बनाया जा सके । आज की तारीख तक आरंभ किए गए पाठ्यक्रमों की प्रास्थिति निम्नानुसार है :

- स्पेनीश भाषा पठन पाठ्यक्रम का संवर्धन करने के लिए इंस्टीट्यूटो सर्वेन्टिस, स्पेनीश दूतावास सांस्कृतिक केंद्र – 202 अभ्यर्थियों के साथ 17 बैच ।
- फ्रेंच भाषा पठन पाठ्यक्रम का संवर्धन करने के लिए एलायंस फ्रेन्केशे डे दिल्ली – 78 अभ्यर्थियों के साथ 6 बैच ।
- जापानी भाषा संबंधी पाठ्यक्रम का संवर्धन करने के लिए द जापान फाउंडेशन – 66 अभ्यर्थियों के साथ 5 बैच ।
- कारबार अंग्रेजी पठन पाठ्यक्रम - 55 अभ्यर्थियों के साथ 4 बैच ।

आईसीएआई के सदस्यों और छात्रों से विदेशी भाषा पाठ्यक्रम के संबंध में अधिमानतता की ईप्सा करने हेतु सर्वेक्षण

30 मार्च, 2020 को आईसीएआई के सदस्यों और छात्रों के लिए एक सर्वेक्षण आरंभ किया गया था, जिसकी अंतिम तारीख 15 अप्रैल, 2020 थी, जिस तक उन्हें कोई विदेशी भाषा पढ़ने हेतु अपनी अधिमानत: प्रस्तुत करनी थी । 12655 सदस्यों/छात्रों ने अपनी प्रतिक्रियाएं प्रस्तुत की थी । इसके अतिरिक्त, 30 मार्च, 2021 को आईसीएआई के सदस्यों और छात्रों के लिए एक अन्य सर्वेक्षण आरंभ किया गया था, जिसकी अंतिम तारीख 15 अप्रैल, 2021 थी, जिस तक उन्हें कोई विदेशी भाषा पढ़ने हेतु अपनी अधिमानत: प्रस्तुत करनी थी, जिससे आईसीएआई को विदेशी भाषा पाठ्यक्रम के भावी बैचों को प्रारंभ करने में सहायता प्राप्त होगी । सदस्यों और छात्रों से लगभग 16000 प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई थी, जिसमें उन्होंने निम्नानुसार अपनी अधिमानत: प्रस्तुत की थी :

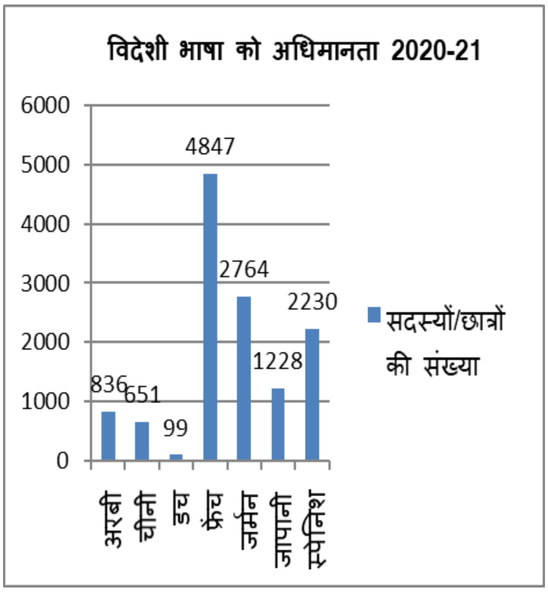

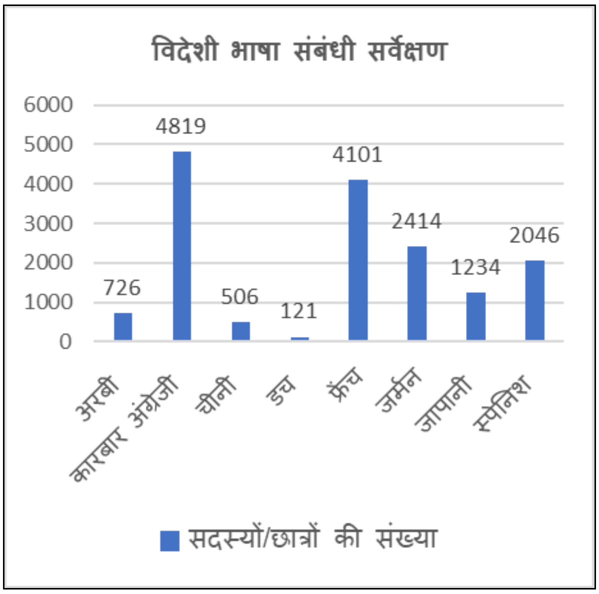

(III) सदस्यों के लिए सक्षमता निर्माण कार्यक्रम

समिति ने, विदेशों में वृत्तिक अवसरों का फायदा प्राप्त करने, सेवाओं के निर्यात पर कोविड 19 के प्रभाव और इस प्रभाव को कम करने के लिए उपाय, यूएसए में भारतीय लेखांकन वृत्ति का संवर्धन, इंड एएस बनाम आईएफआरएस : वैश्विक निवेशकों का परिप्रेक्ष्य, भारत में निवेश संवर्धन, आस्ट्रेलिया में लेखांकन वृत्तिकों की सक्षमताओं को समझना, भारत में संयुक्त उद्यम – देश में भागीदारी का निर्माण किए जाने संबंधी विदेशी निवेशकों के लिए परस्पर क्रियाशील सत्र, लेखांकन और वित्तीय सेवाओं का वैश्विक रूप से संवर्धन करने हेतु आईसीएआई वैश्विक सप्ताह, आईसीएआई स्टार्ट-अप मंथन 2.0 सप्ताह, स्टार्ट ट्राइलोजी के संबंध में : अनुपालन, प्रबंध और निधियां जुटाना, लेखांकन और वित्तीय सेवा उद्योग में भागीदारी करना, उद्योग मंथन, नई विदेशी व्यापार नीति के युग में चार्टर्ड अकाउंटेंटों की भूमिका, विदेशों से लेखांकन प्रक्रिया आउटसोर्सिंग सेवाओं के संबंध में सदस्यों के लिए प्रश्नोत्तर, भारत – जापान वित्तीय सिपोजियम में भागीदारी : “भारत में वित्तीय सुधार और उभरते अवसरों” विषय पर भारत – जापान वित्तीय सिपोजियम आदि के संबंध में लाइव वेबीनारों/वेबकास्टों / वैश्विक सप्ताह आदि का आयोजन किया गया ।

(IV) प्रकाशन

- लेखांकन प्रक्रिया आउटसोर्सिंग – प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के संबंध में एक अंत:दृष्टि नामक एक प्रकाशन को 17 से 19 दिसंबर, 2020 के दौरान आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान इलैक्ट्रानिक रूप से जारी किया गया था ।
- 27 सितंबर, 2020 से 1 अक्तूबर, 2020 के दौरान आयोजित वैश्विक सप्ताह के दौरान विदेशों में जाने की वांछा रखने वाले सदस्यों के फायदे के लिए “भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंटों के लिए विदेशों में वृत्तिक अवसर” के संबंध में संक्षिप्त अंत:दृष्टि संबंधी एक पुस्तिका को जारी किया गया ।
- पहली बार जून, 2020 में समिति के त्रैमासिक ई-न्यूज लैटर ग्लोबल गेटवे को जारी किया गया और उसके बाद सितंबर, 2020, दिसंबर, 2020, मार्च, 2021 और जून, 2021 के दौरान इस न्यूज लैटर के चार और संस्करणों को निकाला गया, जिनमें पाठकों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में नवीनतम अद्यतन जानकारी के संबंध में अंत:दृष्टि तथा समिति द्वारा वैश्विक रूप से वृत्तिक सेवाओं के संवर्धन के लिए की गई पहलों के संबंध में जानकारी तथा पिछले तीन मासों के दौरान समिति के अन्य विभिन्न क्रियाकलापों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराई गई थी ।

7. अन्य क्रियाकलाप

7.1 प्रबंध लेखांकन संबंधी समिति (सीएमए)

प्रबंध लेखांकन संबंधी समिति, प्रबंध लेखांकन और अन्य संबद्ध विषयों के संबंध में पाठ्यक्रमों/वेबीनारों, संगोष्ठियों आदि का आयोजन करके समुन्नत ज्ञान और विशेषीकृत प्रशिक्षण प्रदान करती है । आईसीएआई की प्रबंध लेखांकन संबंधी समिति का मुख्य उद्देश्य सदस्यों

को प्रबंध और कारबार वित्त के क्षेत्रों में बुद्धिमतता, विशेषज्ञता और गहन जानकारी प्राप्त करने में समर्थ बनाना है।

क्रियाकलाप/पहलें

(I) पीक्यूसी – प्रबंध और कारबार वित्त पाठ्यक्रम (डीएमबीएफ)

समिति ने, संस्थान के सदस्यों के बीच वित्त की बारीकियों से संबंधित गहन जानकारी का प्रसार करने के लिए वर्ष 2019 में पीक्यूसी – प्रबंध और कारबार वित्त पाठ्यक्रम (डीएमबीएफ) पाठ्यक्रम को आरंभ किया था। पीक्यूसी – प्रबंध और कारबार वित्त पाठ्यक्रम (डीएमबीएफ) पाठ्यक्रम के दूसरे बैच का संचालन पूरे भारत वर्ष में ऑनलाइन माध्यम से आईसीएआई के सदस्यों हेतु किया गया था और प्रथम बैच के सफलतापूर्वक समापन के पश्चात् संक्रमणकालीन उपबंध स्कीम के अधीन पीक्यूसी – प्रबंध और कारबार वित्त पाठ्यक्रम (डीएमबीएफ) पाठ्यक्रम का संचालन विभिन्न स्थानों, अर्थात् दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और बंगलूरू में ऐसे व्यक्तियों के लिए भी किया गया था, जिन्होंने पूर्ववर्ती पाठ्यक्रम, अर्थात् कारबार वित्त में मास्टर संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम को अर्हित किया था।

(II) संबंध स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय नेतृत्व, विख्यात व्यक्तियों के साथ बैठकें

समिति ने, पीक्यूसी – प्रबंध और कारबार वित्त पाठ्यक्रम (डीएमबीएफ) पाठ्यक्रम में भाग लेने वाले व्यक्तियों को संबोधित करने हेतु विभिन्न सीएफओ/वित्त निदेशकों को आमंत्रित किया था, जिन्होंने अपने अनुभवों को साझा करके उक्त पाठ्यक्रम में भाग लेने वाले व्यक्तियों को प्रोत्साहित किया था। इनमें श्री ए. के. तिवारी, निदेशक (वित्त), गेल (इंडिया) लिमिटेड, सीए. विनोद कुमार मिश्रा (निदेशक (वित्त), पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड), डॉ एस बी मित्रा (कार्यकारी निदेशक - विधि और मानव संसाधन, गेल (इंडिया) लिमिटेड), सीए. हरीश माधव (निदेशक (वित्त), ऑयल इंडिया लिमिटेड), सीए. जैमिन भट्ट (अध्यक्ष और समूह सीएफओ, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड), सुश्री सुजाता कुमारास्वामी (सीईओ, मणिपाल ग्लोबल एजुकेशन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड) और सीए. दीपक घईसास (अध्यक्ष, जेनकोवल स्ट्रेटेजिक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड) सम्मिलित थे।

समिति ने कार्यक्रमों (लाइव वेबिनार / वीसीएम) के दौरान विशेष संबोधन देने के लिए विभिन्न सीएफओ/निदेशक वित्त को भी आमंत्रित किया था, अर्थात् – सीए. डी.डी. गोयल (कार्यकारी निदेशक (वित्त), मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड), सीए. सत्यजीत घोषाल (सहायक उपाध्यक्ष - वित्त और लेखा, टाटा केमिकल्स लिमिटेड), सीए. भरत ठक्कर (सीएफओ, कोटक महिंद्रा प्राइम लिमिटेड), सी.एम.ए. परमिंदर चोपड़ा (निदेशक वित्त, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड), सीए. पंकज मिगलानी (निदेशक एससीएम, भारती एयरटेल लिमिटेड), सीए. अतुल सी. भेडा (अध्यक्ष, लेखा संपरीक्षा समिति, यस बैंक लिमिटेड), श्री पराग पारिख (सीएफओ, अदानी टोटल गैस लिमिटेड), सीए. ललित मलिक (सीएफओ, टोरेंट पावर लिमिटेड), सीए. जितेंद्र अत्रा (सीएफओ और प्रचालन प्रमुख, एडलवाइस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड), सीए. एस. रवि (अध्यक्ष और निदेशक, भारतीय पर्यटन वित्त निगम लिमिटेड), सीए. चरणजीत अत्रा (सीएफओ, भारतीय स्टेट बैंक), सीए. सौरभ छाजेर (सीएफओ, विंध्या टेलीलिंक्स लिमिटेड), सीए. करणदीप सिंह (सीएफओ, सिंपलीलर्न), सीए. संजीव महेश्वरी (निदेशक, भारतीय स्टेट बैंक) और सीए. राकेश गुप्ता (ग्रुप सीएफओ, अपोलो इंटरनेशनल लिमिटेड)।

(III) आईटी पहलें

कोविड 19 महामारी के कारण तथा परिस्थितियों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए समिति ने पीक्यूसी – प्रबंध और कारबार वित्त पाठ्यक्रम (डीएमबीएफ) पाठ्यक्रम के दूसरे बैच को ऑनलाइन पद्धति से आईसीएआई के सदस्यों के लिए पूरे भारत वर्ष में कराए जाने की घोषणा की थी। इसके अतिरिक्त, ई-माड्यूलों के प्रति संपरिवर्तन, जेबीआईएमएस, मुंबई के सहयोग से तीन सप्ताहंतों के ऑनलाइन कार्यक्रम का संचालन और पाठ्यक्रमों को आरंभ करने के लिए आईसीएआई के डिजीटल पठन केंद्र का उपयोग किए जाने जैसी पहलें की गई थी। इसके अतिरिक्त, वेबकास्टों, वेबीनारों और वीसीएम के माध्यम से समिति की आईटी पहलों के माध्यम से सदस्यों को फायदा पहुंचाया गया था तथा वृत्तिक सहयोग की स्थापना की गई थी।

(IV) सदस्य शिक्षा और सक्षमता निर्माण – वेबीनार/वर्चुअल सीपीई बैठकें (वीसीएम)

समिति ने, समिति ने खुदरा और एमएसएमई वित्तपोषण, कार्यकलाप आधारित लागत निर्धारण, उद्यम जोखिम प्रबंध, डिजिटल मार्केटिंग, विदेशी मुद्रा जोखिम प्रबंध - प्रमुख प्रबंध परिप्रेक्ष्य, उभरती प्रौद्योगिकियों संबंधी प्रबंध परिप्रेक्ष्य और वित्त पर इसका प्रभाव, लागत नेतृत्व के लिए रणनीति और नियंत्रण, पोर्टफोलियो प्रबंध, खजाना प्रबंध, प्रमुख प्रबंध, परिप्रेक्ष्य, विनिश्चय करने की कला और विज्ञान – प्रबंध परिप्रेक्ष्य, प्रबंध लेखांकन – प्रभावी कार्यकरण के लिए चुनौतियां और कारबार समाधान, प्रबंध लेखांकन रणनीति और

निगमों द्वारा कारबार योजना, लागत में कमी करने का प्रभाव और लाभ प्रदत्ता संबंधी नियंत्रण, प्रबंध योजना के संबंध में लागत निर्धारण संबंधी रणनीतियों को लागू करना, नियंत्रण और विनिश्चय करना, किसी संगठन में नीतिगत भागीदार के रूप में प्रबंध लेखापाल की भूमिका, प्रबंध लेखांकन - निगम सफलता की कुंजी, मूल्य निर्धारण में लागत की उभरती भूमिका, जोखिम और लागतों के प्रबंध में अंतर्वलित मुद्दे, कपट निवारण और नियंत्रण के एक उपकरण के रूप में प्रबंध लेखांकन, प्रबंधन लेखांकन अंतर्दृष्टि - आर्थिक पुनरुद्धार के लिए लागत प्रबंध नीतियां, कपट के निवारण और नियंत्रण के लिए एक उपकरण के रूप में प्रबंध लेखांकन, प्रबंधन लेखांकन संबंधी अंतर्दृष्टि - निगम सफलता की कुंजी, प्रबंधन लेखांकन संबंधी अंतर्दृष्टि – क्रियाकलाप आधारित लागत निर्धारण और नीतिगत लागत प्रबंध में हाल ही की घटनाएं, प्रबंध लेखांकन संबंधी अंतर्दृष्टि - एक अनुभवी परामर्शी के कौशल सेट, प्रबंध लेखांकन संबंधी अंतर्दृष्टि - प्रबंध सूचना रिपोर्टिंग, प्रबंध लेखांकन संबंधी अंतर्दृष्टि – लागत प्रबंध के माध्यम से कारबार जोखिम वहनीयता, प्रबंधन लेखांकन संबंधी अंतर्दृष्टि - उभरती प्रौद्योगिकियों के संबंध में प्रबंध परिप्रेक्ष्य और वित्त पर उसका प्रभाव, प्रबंध लेखांकन संबंधी अंतर्दृष्टि – लागत में कमी का प्रभाव और लाभप्रदता पर नियंत्रण, प्रबंधन लेखांकन संबंधी अंतर्दृष्टि – प्रणालियों के माध्यम से बैंकिंग का नया युग और उसका प्रभाव, प्रौद्योगिकीय पहलों के उपयोग के माध्यम से प्रबंध लेखांकन संबंधी अंतर्दृष्टि - सूचना और साइबर सुरक्षा शासन, प्रबंधन लेखा संबंधी अंतर्दृष्टि – सीएफओ द्वारा ध्यान केंद्रित की जाने वाली चीजें, प्रबंध लेखांकन संबंधी अंतर्दृष्टि – खजाना प्रबंध : चुनौतियां और अवसर, प्रबंधन लेखांकन संबंधी अंतर्दृष्टि - एनपीए प्रबंध में अंतर्वलित मुद्दे", प्रबंध लेखांकन संबंधी अंतर्दृष्टि - विदेशी मुद्रा जोखिम प्रबंध, अवधारणा और रणनीतियां विषयों पर विभिन्न वेबीनारों /वर्चुअल सीपीई बैठकों (वीसीएम) और पैनल परिचर्चाओं का आयोजन किया गया ।

7.2 उद्यमों और लोक सेवा में लगे सदस्यों संबंधी समिति (सीएमईएंडपीएस)

इस समिति के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है, आईसीएआई के उद्यमों में लगे सदस्यों और लोक सेवा में लगे सदस्यों के बीच अंतरापृष्ठ स्थापित करना, जिससे आईसीएआई की प्रभावोत्पादकता में वृद्धि करने संबंधी उनके विजन और परिप्रेक्ष्य को विचार में लिया जा सके और साथ ही हमारे सदस्यों के लिए नए-नए क्षेत्रों और अवसरों की खोज की जा सके ।

समिति को प्रारंभिक रूप से वर्ष 2011 में, लोक सेवा में लगे संस्थान के सदस्यों और सफल सीए उद्यमियों को आईसीएआई के क्रियाकलापों में सम्मिलित करने और उनके योगदान को मान्यता प्रदान करने के लिए गठित किया गया था । इससे लोक सेवा और उद्यमी सदस्यों के साथ परस्पर क्रियाओं में वृद्धि होगी और उन्हें संस्थान के क्रियाकलापों से संबंधित मुख्य धारा में लाया जा सकेगा । यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि ऐसे सदस्यों को संस्थान के क्रियाकलापों में सम्मिलित किया जाए, जो उद्यमियों के रूप में अत्यंत सफल हैं और लोक सेवा में प्रमुख पद धारण कर रहे हैं तथा उनके समृद्ध अनुभव, बुद्धिमता और ज्ञान को वृत्ति की बेहतरी के लिए उपयोग किया जा सके ।

(I) 29-31 जनवरी, 2021 के दौरान गोवा में लोक सेवा में आईसीएआई के सदस्यों की आवासीय बैठक

उद्यमों और लोक सेवा में लगे सदस्यों संबंधी समिति (सीएमईएंडपीएस) ने 29-31 जनवरी, 2021 के दौरान गोवा में लोक सेवा में आईसीएआई के सदस्यों की वार्षिक आवासीय बैठक का आयोजन किया था । अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, आईसीएआई के अलावा इस आवासीय बैठक में राजनीति, न्यायपालिका, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, आईटीएटी और अन्य सरकारी विभागों से आय भिन्न-भिन्न क्षेत्रों से संबंधित लोक सेवा में सेवारत 56 सदस्यों ने भाग लिया था ।

इस बैठक का उद्घाटन मुख्य अतिथि श्री पीयूष गोयल, माननीय रेल और वाणिज्य तथा उद्योग, उपभोक्ता मामले और खाद्य तथा लोक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार (वीडियो पद्धति के माध्यम से) किया था । माननीय मंत्री ने अपने विशेष संबोधन में राष्ट्र निर्माण में चार्टर्ड अकाउंटेंटों द्वारा निभाई जा रही महत्वपूर्ण भूमिका पर ध्यान केंद्रित किया । इस आवासीय बैठक में गणमान्य अतिथियों, अर्थात् सीए. सुरेश पी. प्रभु, संसद् सदस्य और प्रधान मंत्री के जी-7 और जी-20 के शेरपा, सीए. थामस छाजी कदन, संसद् सदस्य, सीए. सुभाष चंद्र बहेरिया, संसद् सदस्य और सीए. राघव चड्ढा, एमएलए, दिल्ली और डा. किरिट सौम्या, पूर्व संसद् सदस्य ने भी विशेष संबोधन प्रस्तुत किए ।

इस आवासीय बैठक में न्यायमूर्ति अनिल आर. दवे, उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश, न्यायमूर्ति डॉ. विनीत कोठारी, गुजरात उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश, न्यायमूर्ति भार्गव डी. करिया, न्यायाधीश, गुजरात उच्च न्यायालय, न्यायमूर्ति दिनेश मेहता, न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय और सीए. जयवंत एल, अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, तिरुवनंतपुरम् ने भी भाग लिया था और उन्होंने आईसीएआई की अनुशासन प्रणाली में सुधार के लिए तंत्रों के संबंध में विचार-विमर्श किया । इस बैठक में 13 आईएएस अधिकारी, 1 आईएफएस अधिकारी, 7 आईपीएस अधिकारी, 15 आईआरएस अधिकारी, 9 आईटीएटी सदस्य, जिनके अंतर्गत दो

उपाध्यक्ष और सीएजी, एसएफआईओ आदि जैसे विनियामक निकायों के अन्य अधिकारी शामिल थे । इस आवासीय बैठक में नए युग की वृत्ति - आईसीएआई विजन 2030 - रणनीति और आगे का मार्ग, आईसीएआई - सामाजिक-आर्थिक सुधारों का उत्प्रेरक ; मिशन- 5 ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था - सीए की भूमिका और पूंजी बाजार के उभरते मुद्दों जैसे समकालीन मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया था ।

(II) वेबकास्ट

समिति ने, 3 मई 2020 को "चार्टर्ड अकाउंटेंट्स - राष्ट्र निर्माण के लिए सिविल सेवा में प्रवेश कैसे करें" विषय पर एक वेबकास्ट का आयोजन किया । इस वेबकास्ट में सिविल सेवा, परीक्षा पैटर्न, पाठ्यचर्या, सिविल सेवा की तैयारी में सदस्यों के सामने आने वाली चुनौतियों और उनका सामना कैसे करें, का परिचय और उनका पर्यावलोकन शामिल है । इस वेबकास्ट के प्रमुख वक्ताओं में सीए महावीर सिंघवी आईएफएस, संयुक्त सचिव, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार, सीए. किर्लोश कुमार आईएएस, प्रबंध निदेशक, तमिलनाडु राज्य विपणन निगम और सीए. सारिका जैन आईआरएस, आयकर उपायुक्त, मुंबई सम्मिलित थे । सदस्यों ने इस वेबकास्ट की सराहना की थी और लगभग 37000 सदस्यों और छात्रों ने इसे देखा था । वेबकास्ट के दौरान, ऐसे छात्रों और सदस्यों के लिए, जो सिविल सेवा में प्रवेश के इच्छुक हैं, एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आरंभ करने का प्रस्ताव किया गया था ।

समिति ने 5 जून 2020 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक वेबकास्ट का आयोजन किया, जिसका उद्घाटन मुख्य अतिथि सीए सुरेश पी. प्रभु, माननीय संसद सदस्य (राज्य सभा) और प्रधान मंत्री के जी-7 और जी-20 के शेरपा द्वारा किया गया था । उन्होंने प्राकृतिक आस्तियों की लागत से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की ।

इस वेबकास्ट को सीए प्रवीण गर्ग, आईएसएस, अपर सचिव और वित्त सलाहकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ने जलवायु परिवर्तन- कोविड लॉकडाउन द्वारा सिखाए गए पाठ विषय पर अपना संबोधन दिया । उन्होंने जलवायु परिवर्तन के विषय में पूर्विकताओं और दृष्टिकोण के बारे में पुन: विचार करने के मुद्दे पर चर्चा की ।

सीएमए डॉ. पी.वी.एस. जगन मोहन राव, तत्काल पूर्व अध्यक्ष, साउथ एशियन फेडरेशन ऑफ एकाउंटेंट्स (साफा) ने पर्यावरणम - वास्तविक मुलायम और वास्तविक धन का सृजन – वृत्तिक अकाउंटेंटों की भूमिका विषय पर अपना संबोधन दिया ।

7.3 विधिक निदेशालय

1.4.2020 से 31.03.2021 की अवधि के दौरान विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21(6) (2006 के संशोधन से पूर्व यथा विद्यमान) के अधीन निपटाए गए मामलों की कुल संख्या 1 है ।

कोविड महामारी के कारण न्यायालयों ने वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से केवल अत्यावश्यक मामलों पर ही विचार किया है ।

30.06.2021 को विभिन्न फोरा में लंबित मामलों की कुल संख्या

क्रम सं.	मामले की प्रकृति	लंबित मामलों की संख्या
1.	चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21(5) (2006 के संशोधन से पूर्व यथा विद्यमान) के अधीन फाइल किए गए निर्देश मामले, जो विभिन्न उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित हैं निर्देश मामलों में उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध फाइल की गई विशेष इजाजत याचिका (एसएलपी)/अपील, जो उच्चतम न्यायालय में लंबित हैं	182
2.	चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21 के अधीन अनुशासन कार्रवाई से उदभूत होने वाली फाइल की गई रिट याचिकाएं	203
3.	विभिन्न न्यायालयों के समक्ष लंबित गैर अनुशासन संबंधी मामलों से संबंधित न्यायालय के मामले	143
4.	चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 24 के उल्लंघन से उदभूत होने वाले मामले, जो विभिन्न न्यायालयों के समक्ष लंबित हैं	24
5.	चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 24क के उल्लंघन से उदभूत होने वाले मामले, जो विभिन्न न्यायालयों के समक्ष लंबित हैं	2

6.	चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (संशोधन) अधिनियम, 2006 द्वारा यथा संशोधित चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 22क के अधीन गठित अपील प्राधिकरण के समक्ष लंबित अपीलें (चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 22छ के अधीन संस्थान के सदस्यों द्वारा फाइल की गई)	60
	मामलों की कुल संख्या	614

विधिक निदेशालय द्वारा निम्नलिखित क्रियाकलाप किए गए थे :

- विधिक रायों, अध्ययनों और रिपोर्टों के रूप में प्रभावी विधिक सहायता को उपलब्ध कराना, जैसा कि समय-समय पर संस्थान की परिषद्/कार्यपालक समिति/ विभिन्न गैर-स्थायी समितियों और विभागों द्वारा अपेक्षा की जाए।
- आईसीएआई के हित को ठोस रूप से सुनिश्चित करने के लिए संस्थान के प्रशासनिक कार्यकरण से उदभूत होने वाली विधि के सारवान और प्रक्रियात्मक प्रश्नों की विविध श्रृंखला पर उपयुक्त विधिक सलाह उपलब्ध कराना, जैसा कि प्रचालनात्मक विभागों द्वारा अपेक्षा की जाए।
- आईसीएआई के प्रचालन विभागों और विभिन्न समितियों द्वारा अपेक्षा किए गए अनुसार संविदाओं, निविदाओं, दस्तावेजों और अन्य विधिक दस्तावेजों के पुनर्विलोकन, उनके संबंध में बातचीत, उनके प्रारूपण और विधीक्षा संबंधी कार्य का पर्यवेक्षण और पर्यावलोकन करना।
- नीतियों की विरचना में विधिक बिन्दुओं पर विचार करने के लिए विभिन्न स्थायी और गैर-स्थायी समितियों, अध्ययन समूहों और कार्यबलों में अपेक्षा किए गए अनुसार सेवा प्रदान करना।
- जब कभी आवश्यक हो, विधिक उपचारों का अवलंब लेने के विषयों में सलाह देना और प्राप्त हुई विधिक सूचनाओं का उत्तर तैयार करने में प्रचालन विभागों और समितियों की सहायता करना।

7.4 अवसंरचना विकास संबंधी समिति (आईडीसी)

अवसंरचना विकास संबंधी समिति का सृजन वर्ष 2014 में संस्थान की एक गैर-स्थायी समिति के रूप में किया गया था। वर्ष 2014 से, आईसीएआई ने एक ठोस अवसंरचना नीति स्थापित की है, जो वित्तीय विवेक और अनुशासन को सुनिश्चित करती है। इस वर्ष समिति ने शाखाओं और प्रादेशिक परिषदों/कार्यालयों के लिए अवसंरचना नीति को उपांतरित किया है। यह नीति इस बात को परिभाषित करती है कि किस प्रकार की प्रसुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं, स्थानीय अवसरंचना समितियों की संरचना कैसी हो, भूमि/भवन के अर्जन के नीति और प्रक्रिया, संकेतात्मक क्षेत्र, प्रधान कार्यालय से अनुज्ञेय अनुदान, संस्थान के भीतर विभिन्न प्राधिकारियों में निहित शक्तियां और उनका प्रत्यायोजन। चूंकि नीति स्वयं वित्तीय शक्तियों को परिभाषित करती है इसलिए वर्ष 2014 के पश्चात् से सभी अवसंरचना परियोजनाएं वित्त समिति की बजाए आईडीसी द्वारा अनुमोदित की जा रही हैं। अवसंरचना नीति को विरचित किए जाने के समय से ही आईसीएआई ने निम्नलिखित परियोजनाओं को आरंभ किया है :

नई अवसंरचना का क्रय	अनुमोदित संनिर्माण संबंधी प्रस्ताव	संदान में प्राप्त संपत्ति
कन्नूर, जालंधर, जबलपुर, गोवा, गुरुग्राम, मुरादाबाद, पाली, आगरा, गोरखपुर, करनाल, किशनगढ़, लातूर, पटियाला, उज्जैन, रतलाम, चेंगलपट्टू और अहमदाबाद	अजमेर, सूरत, हुबली, भोपाल, राजमहेंद्रवरम, उत्कृष्टता केंद्र जयपुर, बठिंडा, बरेली, जोधपुर, रायपुर, कन्नूर, ग़ज़ियाबाद, गोवा, मुरादाबाद, गुटूंर, आगरा, गुरुग्राम, रोहिणी, रतलाम, पटियाला, किशनगढ़ और उज्जैन	बंगलूरु स्थित संदान में प्राप्त संपत्ति

आईसीएआई द्वारा अभी तक स्थापित कुल 164 शाखाओं में से, 99 शाखाओं के पास अपने स्वयं के परिसर हैं, जिनके अंतर्गत 14 ऐसी शाखाएं (जो वर्तमान में किराए के परिसरों से कार्यकरण कर रही हैं) भी हैं, जिन्होंने भूमि का उपापन किया है और जहां या तो उन्होंने संनिर्माण आरंभ कर दिया है या होने वाला है। 16 शाखाओं (जो अपने स्वयं के परिसरों से कार्यकरण कर रही हैं) ने भूमि का उपापन कर लिया है, जहां या तो संनिर्माण कार्य आरंभ हो गया है या आरंभ होने वाला है। 51 शाखाओं के पास अपने स्वयं की भूमि या भवन नहीं है। 31 मार्च, 2021 तक क्षेत्रवार ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

क्रम सं.	विशिष्टियां	टिप्पणियां					
		डब्ल्यूआईआरसी	एसआईआरसी	ईआईआरसी	सीआईआरसी	एनआईआरसी	योग
1.	शाखाओं की कुल संख्या	35	45	13	47	24	164
2.	अपने स्वयं का परिसर रखने वाली शाखाओं की संख्या	21	33	6	29	10	99
3.	ऐसी शाखाओं की संख्या, जिनके पास भूमि है और जिस पर संनिर्माण या तो आरंभ हो गया है या आरंभ होने वाला है (जो किराए के परिसरों से कार्यकरण कर रही हैं)	1	1	0	7	5	14
4.	ऐसी शाखाओं की संख्या, जिनके पास अपने परिसर के अलावा ऐसी भूमि भी है जिस पर संनिर्माण या तो आरंभ हो गया है या आरंभ होने वाला है (जो अपने स्वयं के परिसरों से कार्यकरण कर रही हैं)	5	2	1	7	1	16
5.	ऐसी शाखाओं की कुल संख्या, जिनके पास न तो भूमि है और न ही भवन	13	11	7	11	9	51

नए कार्यालयों का खोला जाना

हाल ही में आईसीएआई ने श्रीनगर और लेह में अपने नए प्रतिनिधि कार्यालयों को आरंभ किया है।

काफी टेबल बुक

एक काफी टेबल बुक तैयार की गई है, जो आईसीएआई की सभी शाखाओं और साथ ही उत्कृष्टता केंद्रों, प्रादेशिक कार्यालय, प्रधान कार्यालय और अपने स्वयं के परिसर से कार्यकरण करने वाले प्रादेशिक कार्यालयों से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराती है। इस पुस्तक में कक्षाओं, आईटीटी प्रयोगशालाओं, पठन कक्षों, पुस्तकालय, सम्मेलन/संगोष्ठी सभागृहों, बहु प्रयोजन हालों और सभागृहों जैसी अवसंरचना प्रसुविधाओं के ब्यौरे एक ही स्थान पर अंतर्विष्ट है, जिससे आईसीएआई की कार्ययोजना और लेखांकन वृत्ति के विकास हेतु रणनीतिगत संसाधनों के रूप में उनका प्रभावी और दक्ष उपयोग किया जा सके।

7.5 अंतरराष्ट्रीय कार्य समिति (आईएसी)

(I) विदेशों में वृत्तिक अवसरों की मान्यता के लिए आईएसी की पहलें

अंतर्राष्ट्रीय रूप से अपनी उपस्थिति को उपदर्शित करने के लिए आईसीएआई, सदस्यों की अर्हताओं को परस्पर रूप से मान्यता प्रदान करने के लिए वैश्विक लेखांकन निकायों के साथ अर्हता संबंधी परस्पर मान्यता हेतु करार कर रहा है। ये करार दो लेखांकन संस्थाओं के बीच कार्यकारी संबंधों की स्थापना करते हैं। ये करार वैश्विक रूप से कारबार के लिए दोनों ओर से नए आयामों को आरंभ करने के लिए वृत्तिकों के आदान-प्रदान में वृद्धि करने की ओर आगे बढ़ाया गया एक कदम है। अर्हता को मान्यता दिए जाने संबंधी करारों पर हस्ताक्षर करने के लिए विभिन्न लेखांकन संस्थानों के साथ बातचीत चल रही है। ऐसे विदेशी संस्थानों की सूची नीचे दी गई है, जिनके साथ वर्तमान में आईसीएआई का अर्हता संबंधी परस्पर ठहराव है :

- इंस्टिट्यूट आफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स इन आयरलैंड (सीपीईए आयरलैंड)।
- साऊथ अफ्रीका इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (एसएआईसीए)।
- सीपीए कनाडा।
- इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन इंग्लैड एंड वेल्स (आईसीएईडब्ल्यू)।

- इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आफ नेपाल (आईसीएएन) – भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान, आईसीएआई ने 22 अक्तूबर, 2020 को आयोजित एक वर्चुअल आयोजन में इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आफ नेपाल (आईसीएएन) के साथ एक परस्पर करार पर हस्ताक्षर किए हैं । दोनों लेखांकन निकायों के नेताओं के अतिरिक्त भारत और नेपाल के दूतावास की ओर से इस हस्ताक्षर किए जाने वाले समारोह में श्री होम प्रसाद ल्यूटेल, परामर्शी (शिक्षा और संस्कृति) नेपाल दूतावास, नई दिल्ली, श्री कपि ध्वज प्रताप सिंह, द्वितीय सचिव (वाणिज्य), भारतीय दूतावास, काडमांडु ने भाग लिया था । भारत सरकार की ओर से सीए. महावीर सिंघवी, संयुक्त सचिव (सीटी), विदेश मंत्रालय और श्री मनोज पांडे, संयुक्त सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने इस आयोजन में भाग लिया था ।
- मलेशियाई इंस्टीट्यूट आफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स (एमआईसीपीए) – आईसीएआई और एमआईसीपीए के बीच 4 दिसंबर, 2020 को एक वर्चुअल समारोह के दौरान एमआरए पर हस्ताक्षर किए गए थे । आईसीएआई और एमआईसीपीए के नेतृत्व के अलावा इस वर्चुअल समारोह को महामहिम श्री मृदुल कुमार, मलेशिया में भारत के माननीय उच्चायुक्त, भारतीय दूतावास तथा श्री मनोज पांडे, संयुक्त सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने संबोधित किया ।
- सीपीए आस्ट्रेलिया ।
- चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ।
- सीपीए आस्ट्रेलिया के साथ परस्पर मान्यता संबंधी करार के नवीकरण और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ एमआरए पर हस्ताक्षर किए जाने संबंधी प्रस्तावों को मंत्रिमंडल की बैठक से अनुमोदन प्राप्त हो गया है और इन पर शीघ्र ही हस्ताक्षर किए जाएंगे ।
- इसके अतिरिक्त, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड (सीएएएनजेड) और इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन इंग्लैंड एंड वेल्स (आईसीएईडब्ल्यू) ने आईसीएआई के सदस्यों के लिए अग्रणी पाथवे कार्यक्रमों की प्रस्थापना की है । ये प्रस्थापना द्विपक्षीय अर्हता संबंधी परस्पर मान्यता हेतु करारों के अलावा एकपक्षीय प्रस्थापना है ।

(II) आईसीएआई की ब्रांड ईक्विटी का वैश्वीकरण

आईसीएआई द्वारा वैश्विक छाप छोड़े जाने संबंधी कार्ययोजना – आईसीएआई के विदेशी चैप्टरों और प्रतिनिधि कार्यालयों के माध्यम से वैश्विक रूप से सीए की ब्रांड छवि में अभिवृद्धि –

आईसीएआई के पास 44 विदेशी चैप्टर और 26 प्रतिनिधि कार्यालय हैं, जो विश्व भर में फैले हैं और जो उसे बेहतर रूप से भारतीय सीए की वैश्विक ब्रांड छवि में अभिवृद्धि करके सदस्यों की सेवा करने में समर्थ बनाते हैं ; इसके अतिरिक्त उनका प्रयोजन और अधिक वृत्तिक अवसरों का सृजन करना और अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों के प्रति सहायता करना । आईसीएआई ने पूरे विश्व में 68 शहरों में अपनी उपस्थिति स्थापित कर ली है । इस अवधि के दौरान आईसीएआई ने 8 नए चैप्टरों का शुभारंभ किया, अर्थात् लक्ज़मबर्ग, यू.ए.ई (फुजैराह), यूएसए (ह्यूस्टन), यूएसए (न्यू इंग्लैंड क्षेत्र), यूएसए (वाशिंगटन डी.सी.), यूएसए (शिकागो), यूएसए (डेलस) और घाना (अकरा) । आईसीएआई की परिषद ने विदेशों में प्रतिनिधि कार्यालयों को आरंभ किए जाने संबंधी दिशानिर्देशों को अनुमोदित किया था । आईसीएआई ने विदेशों में ऐसे स्थानों पर अपने प्रतिनिधि कार्यालय खोलने का विनिश्चय किया है जहां वर्तमान में आईसीएआई चैप्टरों का सृजन नहीं किया जा सकता और इस प्रकार आईसीएआई विदेशों में स्थित अपने सदस्यों को एकसाथ लाकर तथा उन तक प्रभावी पहुंच को समर्थ बनाकर अपने सदस्यों को प्रभावी सेवा उपलब्ध कराता है और इस प्रकार वह 'भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंटों' की एक 'ब्रांड' के रूप में छवि को विश्व भर में मजबूत करने में सहायता करता है तथा भारतीय चार्टर्ड अकांउटेंटों के लिए अधिकाधिक वृत्तिक अवसरों के सृजन में योगदान देता है ।

वर्चुअल आयोजनों के माध्यम से आईसीएआई की वैश्विक उपस्थिति में विस्तार करना ।

- ➢ आईसीएआई ने 4 जुलाई, 2020 को "यूनाईट इन अमेरिका" नामक एक कार्यक्रम के दौरान यूएसए में आईसीएआई के निम्नलिखित पांच प्रतिनिधि कार्यालयों को आरंभ किया ।
    - यूएसए (शिकागो)
    - यूएसए (डेलस)
    - यूएसए (ह्यूस्टन, टेक्सस)
    - यूएसए (न्यू इंग्लैंड क्षेत्र)

- यूएसए (वाशिंगटन डी.सी.)

इस वर्चुअल आयोजन में सीए. पीयूष गोयल, माननीय रेल और वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया था। इस आयोजन में महामहिम श्री सुधाकर डलेला, उप मिशन प्रमुख, भारतीय दूतावास, वांशिगटन डीसी ने भी भाग लिया था। इस आयोजन में वेबीनार के माध्यम से 25000 से अधिक सदस्यों ने भाग लिया था।

➢ 30 जुलाई, 2020 को "आईसीएआई – नई सीमाओं के विजन को साकार करना" विषय संबंधी एक वर्चुअल बैठक के माध्यम से संस्थान के निम्नलिखित दो नए चैप्टरों को भी आरंभ किया :--

- लक्ज़मबर्ग
- फुजैराह, संयुक्त अरब अमीरात

इसके अतिरिक्त, आईसीएआई ने अफ्रीका और मध्य पूर्व क्षेत्र में अपने 12 नए प्रतिनिधि कार्यालयों (नोडल बिन्दुओं) को आरंभ किया, अर्थात् :--

- ✦ घाना (अकरा)
- ✦ रवांडा (किगाली)
- ✦ मॉरीशस (पोर्ट लुईस)
- ✦ कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (किंशासा)
- ✦ दक्षिण अफ्रीका (डरबन)
- ✦ दक्षिण अफ्रीका (जोहान्सबर्ग)
- ✦ मिस्र (काहिरा)
- ✦ जॉर्डन (अकाबा)
- ✦ सेशेल्स (माहे)
- ✦ मलावी (लिलोंग्वे)
- ✦ मलावी (ब्लेन्ट्रे)
- ✦ मोज़ाम्बिक (मापुटो)

दो नए चैप्टरों और 12 नए प्रतिनिधि कार्यालयों का शुभारंभ श्री अनुराग सिंह ठाकुर, संघ के माननीय राज्य वित्त और कारपोरेट कार्य मंत्री के शुभ हाथों से किया गया था। इस वर्चुअल वेबीनार के सम्मानित अतिथि श्री संतोष झा, यूरोपीय संघ में भारत के माननीय राजदूत और श्रीमती देवी गोपीनाथ, प्रथम सचिव (राजनीति) थे तथा इस वेबीनार को विभिन्न वर्चुअल मंचों के माध्यम से दस हजार से अधिक सदस्यों ने देखा था।

➢ आईसीएआई ने भारतीय विचार-गोष्ठी 2020 : भारत और यूरोपीय संघ के बीच कारबार की संभावनाओं का पता लगाना, विषय पर एक वर्चुअल आयोजन किया था, जिसे 10 दिसंबर, 2020 को यूरोप में आईसीएआई के निम्नलिखित तीन प्रतिनिधि कार्यालयों के शुभारंभ के अवसर को मनाने के लिए आयोजित किया गया था।

- ✦ बेल्जियम
- ✦ फ्रांस
- ✦ स्विट्ज़रलैंड

इस आयोजन में सीए. सुरेश प्रभु, माननीय संसद् सदस्य (राज्य सभा), भारत और भारत के जी-7 और जी-20 के शेरपा और महामहिम संतोष झा, यूरोपीय संघ में भारत के दूतावास, बेल्जियम और लग्जमबर्ग ने भाग लेकर इसकी शोभा बढ़ाई।

➢ आईसीएआई ने 24 दिसंबर, 2020 को आयोजित किए गए एक वर्चुअल आयोजन के माध्यम से संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए) में निम्नलिखित चार नए प्रतिनिधि कार्यालयों का शुभारंभ किया।

- अटलांटा
- फ्लोरिडा

- न्यू जर्सी
- सिएटल

इस समारोह को मनाने के लिए आईसीएआई ने 24 दिसंबर, 2020 को सीए. सुरेश प्रभु, माननीय संसद सदस्य (राज्य सभा), भारत और भारत के जी-7 और जी-20 के शेरपा, श्री असीम कुमार, कोंसल (चांसरी प्रमुख), भारत के अटलांटा में कोंसल जर्नल, सीए महावीर सिंघवीं, आईएफएस, संयुक्त सचिव, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार, अध्यक्ष, आईसीएआई और उपाध्यक्ष, आईसीएआई की उपस्थिति में 'आईसीएआई को अमेरिका में नए आयामों तक ले जाना : आईसीएआई के चार प्रतिनिधि कार्यालयों का शुभारंभ' नामक एक वेबीनार का आयोजन किया था।

इसके अतिरिक्त, ह्युस्टन में एक नए स्थापित प्रतिनिधि कार्यालय को 8 नवंबर, 2020 को एक विदेशी चैप्टर में परिवर्तित किया गया था और इस प्रकार आईसीएआई के चैप्टरों की संख्या 37 हो गई है। इस अवसर पर, भारत के कोंसल जर्नल, ह्युस्टन श्री असीम आर. महाजन, सीए. महावीर सिंघवी, आईएफएस, संयुक्त सचिव, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार, अध्यक्ष, आईसीएआई और उपाध्यक्ष आईसीएआई ने भाग लेकर इसकी शोभा बढ़ाई।

- ❖ आईसीएआई का 38वें चैप्टर - द न्यू इंग्लैंड, यूएसए स्थित आईसीएआई के नए चैप्टर का 24 जनवरी, 2021 को एक वर्चुअल आयोजन के माध्यम से उदघाटन किया गया। यह यूएसए में चौथा चैप्टर है। इस आयोजन में श्री रणधीर जयसवाल, भारत के माननीय कोंसल जर्नल, न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया तथा सीए. महावीर सिंघवी, संयुक्त सचिव, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार ने भी गणमान्य अतिथि के रूप में इस आयोजन की शोभा बढ़ाई थी। इस आयोजन के दौरान "आईसीएआई न्यू इंग्लैंड – विश्वसनीय और नवप्रवर्तनशील वैश्विक अग्रणियों के रूप में उन्नत करना" विषय पर एक पैनल चर्चा का भी आयोजन किया गया था, जिसमें यूएसए के विश्वविद्यालयों के साथ भविष्य के सहयोग और निवेश के माहौल को बढ़ाने के लिए रणनीतिगत भागीदारी करने संबंधी मार्गों और उपायों पर चर्चा की गई और इसमें हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, यूएसआईबीसी, टाई बोस्टन और सीआईआई के प्रतिभागियों ने भी भाग लिया।

- ❖ भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान का 39वें चैप्टर - वाशिंगटन डीसी। आईसीएआई के चैप्टर का उद्घाटन 6 फरवरी, 2021 को किया गया है। इस आयोजन में यूएसए में भारत के राजदूत श्री तरनजीत सिंह संधू मुख्य अतिथि के रूप में तथा मेरी लैंड स्टेट के सीनेटर, जेम्स रोसापेप, विशिष्ट अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए।

- ❖ आईसीएआई ने 2 अप्रैल 2021 को वियतनाम में हनोई और हो ची मिन्ह प्रतिनिधि कार्यालयों का उद्घाटन किया। इस वर्चुअल आयोजन का उद्घाटन वियतनाम में भारत के राजदूत श्री प्रणय वर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में किया था। डॉ मदन मोहन सेठी, भारत के कोंसल जर्नल, हो ची मिन्ह सिटी, वियतनाम, सीए. महावीर सिंघवी, आईएफएस, संयुक्त सचिव, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने अतिथि वक्ताओं के रूप में इस आयोजन को संबोधित किया।

- ❖ आईसीएआई ने 24 अप्रैल, 2021 को शिकागो, यूएसए में अपने 40वें चैप्टर का उद्घाटन किया। इससे संबंधित वर्चुअल समारोह में शिकागो, यूएसए में भारत के माननीय कोंसल जर्नल श्री अमित कुमार, सीए. महावीर सिंघवी, संयुक्त सचिव, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने अतिथि वक्ताओं के रूप में भाग लिया।

- ❖ आईसीएआई ने डॉ. सुयश चवण, कोंसुल (चांसरी के प्रमुख), म्यूनिख, सीए। महावीर सिंघवी, संयुक्त सचिव, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार और अन्य गणमान्य अतिथि वक्ताओं की उपस्थिति में 7 मई 2021 को आईसीएआई के जर्मन (म्यूनिख) और फ़िनलैंड (हेलसिंकी) प्रतिनिधि कार्यालयों का उद्घाटन किया।

- ❖ 22 मई, 2021 को भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान के 41वें चैप्टर का वर्चुअल पद्धति के माध्यम से उद्घाटन किया गया। इस समारोह में श्री असीम आर महाजन, आईएफएस, भारत के माननीय कोंसल जर्नल, ह्यूस्टन, यूएसए, सीए. महावीर सिंघवी, संयुक्त सचिव, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार और अन्य गणमान्य अतिथि वक्ताओं ने भाग लिया।

- ❖ गैबॉन (लिब्रेविल) और आइवरी कोस्ट (आबिदजान) स्थित 2 प्रतिनिधि कार्यालयों के साथ अकरा, घाना में 42वें चैप्टर का उद्घाटन 10 जून, 2021 को एक वर्चुअल समारोह के माध्यम से किया गया। इस अवसर पर महामहिम श्री सुगंध राजाराम, घाना में भारत के माननीय उच्चायुक्त, सीए. महावीर सिंघवी, संयुक्त सचिव, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार और अन्य गणमान्य अतिथि वक्ताओं ने भाग लिया।

संस्थान के अब 45 देशों में फैले विश्व के 68 शहरों में 44 विदेशी चैप्टर और 26 प्रतिनिधि कार्यालय विद्यमान हैं।

(III) आईसीएआई के विदेशी चैप्टरों का सर्वोच्च व्यापार और उद्योग संगठनों के तत्समान होना

विदेश मंत्रालय, भारत सरकार ने आईसीएआई के विदेशी चैप्टरों को आर्थिक नियोजन, कोंसल संबंधी सुविधाओं जैसे कि पासपोर्ट जारी करने और वाणिज्यिक दस्तावेजों का अधिप्रमाणन करने के प्रयोजन के लिए अन्य सर्वोच्च व्यापार और उद्योग संगठनों के समान समझा। यह आईसीएआई और उसके विदेशी चैप्टरों के लिए एक प्रमुख मान्यता है, जो उसके विदेशों स्थिति भारतीय कोंसुलेटों के साथ संबंधों को सुदृढ़ बनाएगी किंतु उसी समय वह भारत सरकार की 'आत्मनिर्भर भारत' के लक्ष्य की पूर्ति में सीए वृत्ति से अत्यधिक प्रत्याशाओं को भी उपदर्शित करती है।

(IV) सिंगापुर में आईसीएआई के द्वितीय विदेशी कार्यालय का उदघाटन

10 दिसंबर, 2020 को एक ई-उदघाटन समारोह के माध्यम से सीए. अरुण सिंह, माननीय संसद् सदस्य (राज्य सभा), महामहिम पी. कुमारन, सिंगापुर में भारतीय के माननीय उच्चायुक्त की उपस्थिति में सिंगापुर में आईसीएआई के द्वितीय विदेशी कार्यालय के कार्यकरण को आरंभ किया गया। आईसीएआई का सिंगापुर कार्यालय दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगम (एशियान) देशों में आईसीएआई के एक हजार से अधिक सदस्यों की सहायता करेगा और उन्हें सदस्यों के क्षेत्रों और इन देशों में सदस्यता प्राप्त करने से संबंधित सेवाएं उपलब्ध कराएगा।

➢ **भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान की विदेश नीति।**

आईसीएआई ने 8 फरवरी, 2020 को संस्थान की अंतर्राष्ट्रीय कार्य संबंधी नीति का शुभारंभ श्री वी. मुरलीधरन, माननीय विदेश राज्य मंत्री, भारत सरकार के माध्यम किया, जो अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में सम्यक् परिसीमाओं और निर्बंधनों को सम्यक् मान्यता प्रदान करते हुए आईसीएआई के संगठित और केंद्रित दृष्टिकोण के संबंध में उपबंध करती है। इस समिति का उद्देश्य वैश्विक रूप से सदस्यों की सेवा करना और आज के क्रियाशील युग में ज्ञान और कौशल सेटों के प्रसार में विश्व गुरू के रूप में कार्य करना है।

➢ **आईसीएआई के सर्वोत्तम विदेशी चैप्टर पुरस्कार, 2020**

वर्ष 2013 से अंतर्राष्ट्रीय कार्य संबंधी समिति (आईएसी) विदेशों में स्थित अपने चैप्टरों के लिए आईसीएआई के सर्वोत्तम विदेशी चैप्टर पुरस्कारों का आयोजन कर रही है, जिसका उद्देश्य 'भारतीय सीए' की ब्रांड छवि में अभिवृद्धि करने में चैप्टर का प्रबंध करने वाली समिति के प्रयासों की सराहना की जाती है और साथ ही इस बात के लिए भी उसकी प्रशंसा की जाती है कि वह सदस्यों को नेटवर्किंग हेतु एक मंच उपलब्ध करा रही है और इस प्रकार विदेशी जमीन पर सदस्यों के बीच अपनेपन की भावना का सृजन कर रही है। ये पुरस्कार चैप्टरों के विशिष्ट प्रयासों और उदाहरणात्मक उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करते हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी वृत्ति के विस्तार क्षेत्र में निरंतर बढ़ोतरी कर रहे हैं। सर्वोत्तम विदेशी चैप्टर का चयन समय-समय पर यथा अनुमोदित परिभाषित पैरामीटरों के आधार पर किया जाता है।

सर्वोत्तम चैप्टर पुरस्कार प्रतिस्पर्धा 2021 हेतु मानदंडों को अद्यतन किया गया है और यह विनिश्चय किया गया है कि ऐसे विदेशी चैप्टरों के प्रयासों को मान्यता प्रदान की जाए, जिन्होंने मूल्यांकनाधीन अवधि के दौरान सराहनीय रूप से कार्यपालन किया है किंतु जो इन तीन प्रवर्गों के अधीन शीर्ष स्थान बनाने में सफल नहीं हो सके हैं और इसलिए उन्हें सराहना प्रमाणपत्र प्रदान किए गए थे।

(V) आयोजित वेबीनार/वर्चुअल कार्यक्रम

❖ 13 अप्रैल, 2020 को "रिपोर्टिंग और आश्वासन पर कोविड 19 महामारी का प्रभाव" विषय पर आईसीएआई वैश्विक वेबिनार – अंतर्राष्ट्रीय कार्य समिति ने अप्रैल 2020 में पर "रिपोर्टिंग और आश्वासन पर कोविड 19 महामारी का प्रभाव" विषय पर आईसीएआई वैश्विक वेबिनार का आयोजन किया, जिसमें कोविड 19 महामारी फैलने के कारण सामने आई चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया था और साथ ही वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं पर पड़े उसके प्रभाव और विशेष रूप से विश्व भर के लेखांकन, रिपोर्टिंग और आश्वासन परिप्रेक्ष्य से जुड़े वृत्तिकों और निगमों के समक्ष आई चुनौतियों का समाधान करने पर ध्यान केंद्रित किया गया था। इस वेबिनार को वैश्विक नेताओं ने संबोधित किया था, जिनके अंतर्गत : सीए. सुरेश प्रभु, माननीय संसद् सदस्य (राज्य सभा) और प्रधान मंत्री के जी 7 और जी 20 के शेरपा ; डॉ. इन की जू, अध्यक्ष, आईएफएसी ; श्री फ्लोरिन टोमा, अध्यक्ष, अकाउंटेंसी यूरोप ; श्री सल्वाडोर मरिन, अध्यक्ष, यूरोपीय एसएमई के अकाउंटेंट और संपरीक्षक संघ (ईएफएए) ; श्री वान टिन, अध्यक्ष, एशियान फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स ; श्री टॉम सीडेनस्टीन, अध्यक्ष, आईएएएसबी ; श्री एलन जॉनसन, उपाध्यक्ष, आईएफएसी और श्री अर्जुन हेराथ, अध्यक्ष, पीएओडीसी, आईएफएसी भी थे।

❖ 30 अप्रैल, 2020 को "जोखिम विविधीकरण रणनीतियां - भारत में वैश्विक विनिर्माताओं के लिए अवसर – कोविड-19 पश्च" विषय पर वैश्विक वेबिनार – कोविड-19 महामारी वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के लिए गंभीर चुनौतियां प्रस्तुत कर रही है और इसका अनेक देशों पर लंबा प्रभाव पड़ेगा । इस वेबिनार में सीए पीयूष गोयल, माननीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री और रेल मंत्री, सीए. अरुण सिंह, माननीय संसद् सदस्य इस वेबिनार ई-पद्धति के माध्यम से उपस्थित हुए थे । इस वेबीनार को गणमान्य वक्ताओं के एक पैनल ने संबोधित किया था, जिसमें डॉ. राजीव कुमार, उपाध्यक्ष, नीति आयोग, श्री राजकिरण राय जी, एमडी और सीईओ, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, श्री सतीश मराठे, निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, सीए. गोपाल कृष्ण अग्रवाल, अर्थशास्त्री, सीए. राजीव कुमार सिंह, स्वतंत्र निदेशक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और सीए. उमेश चंद्र पांडे, पूर्व स्वतंत्र निदेशक, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड सम्मिलित थे, जिन्होंने वेबीनार के विषय पर अपने विचारों को साझा किया, जिसके पश्चात् विदेशी चैप्टरों ने माननीय मंत्री सीए पीयूष गोयल के साथ प्रश्नोत्तर सत्र का आयोजन किया ।

❖ 14 मई, 2020 को विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए भारत में भविष्य की निवेश नीति पर सुझाव मांगने के लिए वीडियो कॉल के माध्यम से चैप्टर प्रतिनिधियों के साथ बैठक - अंतर्राष्ट्रीय कार्य संबंधी समिति ने 14 मई, 2020 को विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए भारत में भविष्य की निवेश नीति पर सुझाव मांगने के लिए वीडियो कॉल के माध्यम से आईसीएआई के नेतृत्व और आईसीएआई के विदेशी चैप्टरों के प्रतिनिधियों के साथ परस्पर क्रियाशील बैठक का आयोजन किया । इस बैठक में इस बात पर विचार-विमर्श किया गया कि आईसीएआई, राष्ट्र निर्माण में एक भागीदार के रूप में देश के आर्थिक विकास में किस प्रकार योगदान दे सकता है ।

❖ इंग्लैंड और वेल्स के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान और सीपीए ऑस्ट्रेलिया के साथ समझौता ज्ञापन को बढ़ावा देने के लिए आईसीएआई सदस्यों के लिए जागरूकता सत्र - आईसीएईडब्ल्यू और सीपीए ऑस्ट्रेलिया के साथ हस्ताक्षर किए गए करारों के संबंध में जागरुकता का सृजन करने और उन्हें बढ़ावा देने की पहल के साथ समय-समय पर वेबिनार आयोजित किए गए, जिन्हें सदस्यों से सराहना प्राप्त हुई ।

❖ 27 जून, 2020 को एडिनबर्ग समूह के सहयोग से वेबिनार – अंतर्राष्ट्रीय कार्य संबंधी समिति ने व्यवसायरत सदस्यों संबंधी समिति के सहयोग से 27 जून, 2020 को अंतर्राष्ट्रीय एसएमपी दिवस की पूर्व संध्या पर भविष्य के तैयार एसएमपी – वैश्विक अर्थवस्था के लिए महत्वपूर्ण विषय पर एक आईसीएआई-एडिनबर्ग समूह वैश्विक एसएमपी वेबिनार का आयोजन किया । इस वेबीनार में सुश्री मोनिका फ़ॉस्टर, अध्यक्ष, आईएफएसी की एसएमपी समिति ; श्री ईमोन सिगिन्स, अध्यक्ष, एडिनबर्ग समूह और सीई, सीपीए आयरलैंड; सुश्री केडी वालर, लोक व्यवसाय प्रमुख, सीपीए ऑस्ट्रेलिया ; श्री मार्क एडमंडसन, अध्यक्ष और सीईओ, इनफ्लो ; सीए. सतीश कुमार गुप्ता, अध्यक्ष, व्यवसायरत सदस्यों संबंधी समिति और अध्यक्ष, साफा की एसएमपी समिति ने ई-पद्धति से भाग लिया था । यह वेबीनार अत्यधिक सफल सिद्ध हुआ था ।

❖ 6 जुलाई, 2020 को आत्मनिर्भर भारत के विजन को कार्यान्वित करने के संबंध में आईसीएआई को विदेश सचिव का वर्चुअल संबोधन - समिति ने श्री हर्षवर्धन श्रृंगला के आईसीएआई को आत्मानिर्भर भारत के विजन के कार्यान्वयन के संबंध में वर्चुअल संबोधन का आयोजन किया । उन्होंने यह कथन किया कि इस अभियान का उद्देश्य न केवल लघु अवधि में महामारी के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव को कम करना है, अपितु हमारे कारबार और उद्योगों जगत में विश्वास संचार करना भी है, जिससे हमारा विनिर्माण वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धाशील बनेगा, हमारी कृषि और छोटे किसान वैश्विक खाद्य आपूर्ति श्रृंखलाओं से एकीकृत हो जाएंगे तथा इस प्रकार निवेश और प्रौद्योगिकी, दोनों का समावेश होगा । अभियान के अधीन आर्थिक अनुतोष और प्रोत्साहन उपायों का आकार भारत के सकल घरेलू उत्पाद के 10% के बराबर है । आईसीएआई जैसे उद्योग संघ हमारी आर्थिक कूटनीति और पहुंच का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं । ऐसे संघ नीति निर्माण में महत्वपूर्ण हितधारक हैं । वे विदेशों में हमारी आर्थिक संभावना को प्रदर्शित करने और बढ़ावा देने में भी सारवान योगदान देते हैं । इस आयोजन को लगभग 10000 प्रतिभागियों ने देखा ।

❖ 16 सितंबर, 2020 को "डिजिटल विश्व में वित्त कार्यकरण को भविष्य हेतु तैयार करना" विषय पर वेबिनार – अंतर्राष्ट्रीय कार्य समिति ने डिजिटल लेखांकन और आश्वासन बोर्ड के साथ संयुक्त रूप से 16 सितंबर को आईसीएईडब्ल्यू के सहयोग से "डिजिटल विश्व में वित्त कार्यकरण को भविष्य हेतु तैयार करना" विषय पर एक वर्चुअल वेबीनार का आयोजन किया । इस आयोजन के दौरान भारत और यूके के आईसीएईडब्ल्यू और आईसीएआई के बीच अपने किस्म के पहले सहयोग के रूप में वित्तीय कार्यकरणों के संचालन संबंधी परिप्रेक्ष्यों को उपदर्शित करते हुए संयुक्त अनुसंधान को आरंभ किया गया ।

❖ आईसीएआई इंटरनेशनल वर्चुअल सम्मेलन 2020 - "लेखांकन वृत्ति : आर्थिक वहनीयता का अनुकूलतम उपयोग" विषय पर एक वृहत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन पहली बार वर्चुअल रूप से 17-19 दिसंबर, 2020 के दौरान किया गया । इस

सम्मेलन हेतु में भाग लेने हेतु 5,500 से अधिक रजिस्ट्रीकरण प्राप्त हुए थे और विनिर्दिष्ट रूप से सृजित वर्चुअल मंचों के माध्यम से विश्व के भिन्न-भिन्न भागों से 58 वक्ताओं ने इस सम्मेलन को संबोधित किया था । इस सम्मेलन को यू-ट्यूब पर लाइव दिया गया था और वेबकास्ट लिंक का सृजन किया गया था, जिससे बड़ी संख्या में सदस्य इस ऐतिहासिक वर्चुअल सम्मेलन का लाभ प्राप्त कर सके । इस सम्मेलन में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रूप से विख्यात गणमान्य वक्ताओं ने भाग लिया था, जो सरकार, उद्योग और लेखांकन वृत्ति से संबंध रखते हैं, जिनमें श्री एलन जॉनसन, अध्यक्ष, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स (आईएफएसी) ; श्री अनुराग सिंह ठाकुर, वित्त और कॉर्पोरेट कार्य के राज्य मंत्री और सीए पीयूष गोयल, माननीय रेल, वाणिज्य एवं उद्योग तथा उपभोक्ता मामले मंत्री सम्मिलित थे ।

- 27 जून 2021 को साफा वैश्विक एसएमपी वेबिनार - भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) ने 27 जून, 2021 को अंतर्राष्ट्रीय एसएमपी दिवस के समारोह को मनाने के लिए "कोविड पश्च युग में डिजिटली एसएमपी का निर्माण" विषय पर साफा वैश्विक एसएमपी वेबिनार की मेजबानी की थी । इस आयोजन को सीए निहार एन. जंबुसरिया, अध्यक्ष आईसीएआई, सीए. (डॉ.) देबाशीष मित्रा, उपाध्यक्ष आईसीएआई, सीए. सतीश कुमार गुप्ता, अध्यक्ष, लघु और मध्यम व्यवसायियों संबंधी समिति, साफा, श्री ए के एम डेलवर हुसैन, अध्यक्ष, साफा, श्री क्लॉस बेंन्ट्रम, उपाध्यक्ष, आईएफएसी एसएमपी सलाहकार समूह ने उक्त वेबिनार में "परिवर्तनशील विश्व में एसएमपी का डिजिटल संपरिवर्तन" विषय पर एक प्रस्तुति दी ।

(VI) तकनीकी सहयोग संबंधी करार

आईसीएआई ऐसे देशों, जहां लेखांकन अवसंरचना की कमी है, को तकनीकी सहयोग का ढांचा उपलब्ध कराने में भी सहबद्ध है । आईसीएआई ने सर्टिफाइड प्रैक्टिसिंग अकाउंटेंस, पीएनजी ; हायर कालेजज आफ टेक्नालॉजी, यूएई ; वेरेनीजिंग वान रजिस्टरकट्रोलर्स (वीआरसी), नीदललैंड और कतर फाइनेशनल सेंटर (क्यूएफसी) के साथ रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान तकनीकी सहयोग संबंधी करारों पर हस्ताक्षर किए हैं और वर्तमान में आईसीएआई ने निम्नलिखित संस्थानों के साथ, उनके देशों में लेखांकन वृत्ति के संस्थागत विकास के लिए तकनीकी सहयोग संबंधी करार किए हैं :

- कॉलेज फार बैंकिंग एंड फाइनेशनल स्टडीज, ओमान
- इंस्टिट्यूट आफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आफ नेपाल (आईसीएएन)
- बहरीन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस (बीआईबीएफ)
- नेशनल बोर्ड ऑफ अकाउंटेंट्स एंड ऑडिटर्स, तंजानिया
- इंस्टिट्यूट आफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स आफ केन्या (आईसीपीएके)
- कुवैत अकाउंटेंट्स एंड ऑडिटर्स एसोसिएशन (केएएए)
- सऊदी आर्गनाइजेशन आफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स (एसओसीपीए)
- सर्टिफाइड प्रेक्टिसिंग अकाउंटेंट्स, पीएनजी
- हायर कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, यूएई
- वेरेनिगिंग वैन रजिस्टरकंट्रोलर्स (वीआरसी), नीदरलैंड्स
- कतर फाइनेशल सेक्टर (क्यूएफसी)
- सीपीए अफगानिस्तान

7.6 अकाउंटेंटों की विश्व कांग्रेस संबंधी कार्यकरण समिति (डब्ल्यूसीओए)

परिषद् ने 18 नवंबर, 2022 से 21 नवंबर, 2022 के दौरान जिओ वर्ल्ड सेंटर, बीकेसी, मुंबई में आयोजित की जाने वाली अकाउंटेंटों की विश्व कांग्रेस (डब्ल्यूसीओए) के आयोजन संबंधी भिन्न-भिन्न कार्यों को पूरा करने हेतु चालू परिषद् वर्ष में एक गैर-स्थायी समिति, अर्थात् अकाउंटेंटों की विश्व कांग्रेस संबंधी कार्यकरण समिति का गठन किया है ।

समिति ने इस अवधि के दौरान निम्नलिखित क्रियाकलाप किए हैं :

- ➢ अकाउंटेंटों की विश्व कांग्रेस 2022 के आयोजन संबंधी तैयारियां चल रही हैं और शीघ्र ही डब्ल्यूसीओए – 2022 हेतु रजिस्ट्रीकरण और अन्य क्रियाकलाप आरंभ किए जाएंगे ।
- ➢ वर्ष के दौरान आईएफएसी के उपाध्यक्ष और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने डब्ल्यूसीओए – 2022 के आयोजन स्थल का दौरा किया था ।
- ➢ आईसीएआई भवन, बीकेसी, मुंबई में बेहतर समन्वयन हेतु एक पूर्णकालिक समर्पित कर्मचारिवृंद के साथ एक पूर्णरूपेण कार्यकरण करने वाले सचिवालय की स्थापना भी की गई है ।
- ➢ डब्ल्यूसीओए – 2022 के वृत्तिक सम्मेलन आयोजक की नियुक्ति के लिए आरएफपी को अंतिम रूप प्रदान करने हेतु प्रक्रिया की जा रही है ।
- ➢ डब्ल्यूसीओए – 2022 के लोगो (प्रतीक चिह्न) को अंतिम रूप प्रदान कर दिया गया है और इससे संबंधित वेबसाइट को तैयार करने संबंधी प्रक्रिया चल रही है और साथ ही डब्ल्यूसीओए – 2022 का विज्ञापन करने वाले सोशल मीडिया पृष्ठों को भी तैयार किया जा रहा है ।
- ➢ डब्ल्यूसीओए के विभिन्न प्रचालनों की देखभाल करने हेतु उप समितियों का सृजन किया गया है ।

7.7 रणनीति, परिप्रेक्ष्य योजना और मानीटरी समिति (एसपीपीएंडएमसी)

रणनीति, परिप्रेक्ष्य योजना और मानीटरी समिति का मुख्य उद्देश्य एक प्रमुख रूप से केंद्रित और क्रियाशील संस्थान के रूप में आईसीएआई को रणनीति और अन्य उभरते क्षेत्रों में विकसित करने और एक व्यापक आधार प्रदान करने हेतु लेखांकन वृत्ति की मूल सक्षमताओं की पहचान करना, उन पर ध्यान केंद्रित करना, उनकी खोज करना, उनके संबंध में विचार-विमर्श करना तथा उन्हें विकसित करना है ।

समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम

3 मई, 2020 को "मेकिंग आफ न्यू इंडिया" विषय पर रणनीति, परिप्रेक्ष्य योजना और मानीटरी समिति द्वारा एक वेबकास्ट का आयोजन किया गया था, जिसके मुख्य वक्ताओं में श्री नीतिन गड़करी, माननीय सड़क परिवहन और राजमार्ग तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री सम्मिलित थे और उन्होंने सदस्यों को कोविड और कोविड पश्च युग में आने वाली चुनौतियों और मुद्दों के संबंध में संबोधित किया था ।

माननीय मंत्री द्वारा निम्नलिखित मुद्दों के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत किए गए थे :

- मेक इन इंडिया
- उत्तम नीति द्वारा निवेशों को आकर्षित करना
- नवाचार और प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए उत्पादकता में वृद्धि करना
- निर्यात में वृद्धि करना
- आयात में कमी करना
- आत्मनिर्भरता
- नए सेक्टर संबंधी विकास
- वहनीयता

श्री श्रीपाद येसो नायक, माननीय आयुष राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और रक्षा राज्यमंत्री, भारत सरकार ने भी सदस्यों को सरकार द्वारा कोविड संक्रमण का सामना करने हेतु किए जा रहे प्रयासों और वृत्ति के सदस्यों द्वारा निभाई जा रही महत्वपूर्ण भूमिका के संबंध में संबोधित किया था । इस वेबकास्ट को प्रोफेसर आशा कौल, प्रोफेसर, संसूचना, भारतीय प्रबंध संस्थान (आईआईएम), अहमदाबाद ने भी संबोधित किया था, जिन्होंने निजी ब्रांडिंग के महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपने विचार व्यक्त किए थे । इस वेबकास्ट को लगभग एक लाख से अधिक व्यक्तियों द्वारा देखा गया था ।

7.8 सीएसआर समिति

सीएसआर समिति का गठन वर्ष 2020 में सीएसआर विनियमों का सृजन करने, उन्हें बनाए रखने और उनके संबंध में जागरुकता और उनके अनुपालनों में सुधार करने; अर्थपूर्ण और गुणवान पहलें करने, ऐसे क्रियाकलाप करने, जो ऐसी रीति में सामाजिक उत्तरदायित्व के

सही सार को पकड़ना और ऐसे मार्गों को अपनाना, जो समाज हेतु मूल्य के सृजन का पथ प्रदर्शित करें, पारदर्शिता और भावी शासन के माध्यम से पर्यावरण के साथ सुमेलित रूप से संवहनीय विकास का संवर्धन करने के लिए किया गया ।

किए गए क्रियाकलाप

(I) जारी किए गए प्रकाशन :

- सीएसआर निधियों के उपयोग संबंधी स्वतंत्र व्यवसायियों की रिपोर्ट के संबंध में सलाह – 29.05.2020
- 29.04.2020 को आयोजित लाइव वेबकास्ट के दौरान सीएसआर नियमों, लेखांकन और कराधान संबंधी उठाए गए प्रश्नों के उत्तर – 9.6.2020
- निगम सामाजिक उत्तरदायित्व क्रियाकलापों संबंधी व्यय के लेखांकन संबंधी तकनीकी गाइड – 01.07.2020
- कोविड 19 के दौरान चार्टर्ड अकांउटेंटों के द्वारा किए जाने वाले सामाजिक क्रियाकलापों संबंधी पुस्तिका – 24.12.2020
- सीएसआर क्रियाकलापों की संपरीक्षा संबंधी पुस्तिका – 11.01.2021
- प्ररूप सीएसआर-1 के प्रमाणन संबंधी पुस्तिका – 09.02.2021
- तृतीय पक्षकारों द्वारा सीएसआर निधियों के लेखांकन संबंधी तकनीकी गाइड - 09.02.2021

(II) साफ्टवेयर का विकास

https://csr.icai.org/ नामक एक सीएसआर पोर्टल को आरंभ किया गया है । यह साइट निगम सामाजिक उत्तरदायित्व के क्षेत्र में नवीनतम घटनाओं के संबंध में अद्यतन जानकारी, समिति के प्रकाशनों, समिति द्वारा प्रस्थापित पाठ्यक्रमों के संबंध में जानकारी, शासकीय अधिसूचनाओं, परिपत्रों आदि को उपलब्ध कराती है । इसके अतिरिक्त, आईसीएआई की शाखाएं और अन्य इकाईयों उनके द्वारा किए गए सीएसआर क्रियाकलापों से संबंधित जानकारी को भी कार्यक्रम के ब्यौरों, फोटो, वीडियो आदि सहित इस साइट पर अपलोड कर सकती हैं । इस पोर्टल को हाल ही में पूरी तरह नवीकृत किया गया है और इसे अधिक उपयोक्ता मित्र बनाया गया है, जहां आईसीएआई की शाखाओं आदि द्वारा किए गए क्रियाकलापों तक उपयोक्ता सुगमता से पहुंच बना सकते हैं । सदस्यों और छात्रों को निकट लाने और सीएसआर संबंधी उनके विचारों तथा शंकाओं को साझा करने के लिए सीएसआर सामुदायिक मंचों का भी https://csrforum.icai.org/ के रूप विद्यमान पोर्टल पर सृजन किया गया है, जहां सदस्य और छात्र सीएसआर के संबंध में शंकाओं को प्रस्तुत कर सकते हैं और उनके संबंध में लॉगिन-इन करके उत्तर भी प्राप्त कर सकते हैं ।

सीएसआर सामुदायिक केंद्र को आईसीएआई के डिजीटल पठन केंद्र पर https://learning.icai.org/iDH/icai/ के रूप में सृजित किया गया है, जहां व्यष्टिक सदस्य और छात्र उनके द्वारा किए गए सामाजिक क्रियाकलापों के ब्यौरे अपलोड कर सकते हैं । वैकल्पिक रूप से ऐसे क्रियाकलापों के ब्यौरे csr.isr@icai.in मेल भी किए जा सकते हैं । सीएसआर समिति को प्रस्तुत किए गए व्यष्टि सामाजिक क्रियाकलाक्रियाकलापों को समिति द्वारा अनुमोदित किया जाता है ।

(III) वेबीनार और वीसीएम

सीएसआर समिति ने इस अवधि के दौरान, सीएसआर विधियों, लेखांकन और कराधान, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस समारोह, 150वीं गांधी जयंती के उपलक्ष्य में स्वच्छता से समृद्धि तक, सीएसआर विधियां, लेखा और संपरीक्षा, कंपनी (सीएसआर नीति) संशोधन, 2021 पर परिचर्चा, सीएसआर : वैश्विक परिप्रेक्ष्य, जीएसटी आईटीसी से संबंधित जटिलताएं और समस्याएं तथा सीएसआर व्यय के संबंध में आईटीसी की अनुज्ञेयता, सीएसआर समिति की कार्ययोजना का कार्यान्वयन, कंपनी (सीएसआर नीति) संशोधन, 2021 और सीएसआर व्ययों के संबंध में कर विवक्षाएं, आज के संदर्भ में योग के साथ रहें, स्वयं को सशक्त करें, वृहत वृक्षा रोपण अभियान का शुभारंभ आदि विषयों से संबंधित वेबीनारों का आयोजन किया था ।

(IV) सरकार के साथ भागीदारी

राष्ट्र निर्माण में एक भागीदार के रूप में सीएसआर समिति ने निम्नलिखित विषयों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत किए हैं :

- प्रारूप कंपनी (निगम सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) संशोधन नियम, 2020 के संबंध में एमसीए को अभ्यावेदन ।
- कारपोरेट कार्य मंत्रालय के राष्ट्रीय सीएसआर पुरस्कार, 2020 के संबंध में सक्रिय योगदान ।

- कंपनी (निगम सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) संशोधन नियम, 2021 के संबंध में बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्नों के संबंध में एमसीए को अभ्यावेदन अग्रेषित किया गया।
- निगम सामाजिक उत्तरदायित्व और व्यष्टिक सामाजिक उत्तरदायित्व और सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाओं, परिपत्रों के संबंध में सरकार के निदेशों को व्यापक रूप से परिचालित किया गया था, जिससे सामाजिक उत्तरदायित्व के संबंध में जागरुकता का सृजन किया जा सके तथा उससे संबंधित अपने उद्देश्य की पूर्ति की जा सके।

(V) समाज के संपर्क में रहना

सीएसआर समिति ने व्यष्टिक सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा को भी प्रतिपादित किया है तथा उसने सामाजिक हेतु के लिए सदस्यों और छात्रों को इसमें सम्मिलित किया है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व वन्य जीव दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस आदि जैसे महत्वपूर्ण दिवसों के संबंध में विनिर्दिष्ट सूचनाओं को परिचालित किया गया। इस कार्यवाही का उद्देश्य सीए भ्रातृसंघ को महत्वपूर्ण वहनीय विकास लक्ष्यों के संबंध में जागरुक बनाना है, जिन्हें वर्ष 2015 में निर्धनता को समाप्त करने, ग्रह की सुरक्षा करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि वर्ष 2030 तक सभी व्यक्ति शांति और समृद्धि का आनंद लें और साथ ही व्यष्टिक सामाजिक क्रियाकलापों को सुमेलित करने, जिससे वहनीय लक्ष्यों का पूर्ति की जा सके, के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंगीकृत किया गया था।

(VI) व्यष्टिक सामाजिक उत्तरदायित्व

आईसीएआई की सीएसआर समिति सदस्यों और छात्रों के बीच व्यष्टिक सामाजिक उत्तरदायित्व (आईएसआर) की अवधारणा का संवर्धन कर रही है। आईसीएआई के डीएलएच मंच पर एक आईएसआर सामुदायिक केंद्र का सृजन किया गया है, जहां व्यष्टि सदस्य और छात्र उनके द्वारा किए गए सामाजिक क्रियाकलापों को उपदर्शित कर सकते हैं, जिससे अन्य व्यक्तियों को सामाजिक हेतु के लिए प्रेरणा मिल सके। साथ ही सदस्य और छात्र उनके द्वारा किए गए सामाजिक क्रियाकलापों के संबंध में संक्षिप्त जानकारी को csr.isr@icai.in पर मेल कर सकते हैं, जैसे कि किसी सीए छात्र द्वारा रेलवे स्टेशन के निकट रहने वाले बालकों का अध्यापन किया गया।

(VII) सीएसआर समिति द्वारा प्रस्थापित पाठ्यक्रम

सीएसआर समिति ने वर्ष 2020 से सीएसआर संबंधी ऑनलाइन प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम को आरंभ किया है। इस पाठ्यक्रम का आयोजन ऑनलाइन पद्धति से आईसीएआई के डिजीटल पठन केंद्र के माध्यम से किया जाता है। उक्त पाठ्यक्रम के पांच बैचों को सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। 396 सदस्यों ने उक्त पाठ्यक्रम के लिए रजिस्ट्रीकरण किया था, जिनमें से 269 सदस्यों ने उसे अर्हित किया है। इस प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम की अवधि सात दिन है और इस पाठ्यक्रम के दौरान विख्यात संकाय द्वारा प्रत्येक दिन 4 घंटें के लाइव व्याख्यान दिए जाते हैं। इस पाठ्यक्रम हेतु परियोजना कार्य को भी प्रस्तुत किया जाता है। पाठ्यक्रम के पूरा हो जाने पर सीपीई घंटों सहित प्रमाणपत्र प्रदान किया जाता है।

(VIII) सीएसआर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के फ्लायर

प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के अलावा सीएसआर समिति ने दो माड्यूल पाठ्यक्रम भी आरंभ किए हैं, अर्थात् निगम सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधी पर्यावलोकन और निगम सामाजिक उत्तरदायित्व को शासित करने वाली विधियां। 3031 सदस्यों ने रजिस्ट्रीकरण किया था, जिनमें से 438 सदस्यों ने इसे अर्हित किया है। ये माड्यूलर पाठ्यक्रम एक घंटे की अवधि के हैं और इन पाठ्यक्रमों के लिए रजिस्ट्रीकरण कराए जाने पर पूर्व में रिकार्ड किए गए वीडियो तक पहुंच बनाई जा सकती है। इन माड्यलूर पाठ्यक्रमों को आईसीएआई के डिजीटल पठन केंद्र के माध्यम से प्रस्थापित किया जा रहा है और वर्तमान में वे नि:शुल्क हैं।

(IX) कोविड 19 महामारी के दौरान समाज को योगदान – 2020

कोविड 19 महामारी की अवधि के दौरान आईसीएआई समुदाय के साथ खड़ा हुआ और उसने संकटग्रस्त लोगों की पीड़ा को दूर करने में सक्रिय रूप से भाग लिया, उसने समाज को इस महामारी के प्रसार को रोकने के लिए उठाए जाने वाले कदमों के प्रति शिक्षित किया और साथ ही अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने में सक्रिय भूमिका निभाई। सीए भ्रातृसंघ को बार-बार इस प्रभाव की संसूचनाएं अग्रेषित की गई कि वे इस संकट के समय समाज के साथ खड़े रहे और इस आपदा के प्रभाव को न्यूनतम करने के लिए योगदान करें/उसे न्यूनतम करने वाले क्रियाकलापों में भाग लें। सीएसआर समिति ने लॉकडाउन के पश्चात् प्रचालनों को पुन: आरंभ करने के लिए ली जाने वाली सावधानियों के संबंध में सदस्यों, छात्रों और साधारण जनता को शिक्षित करने हेतु ई-मेल भेजी।

शिक्षाप्रद ई-मेल भेजने के अलावा समिति ने शिक्षाप्रद वीडियो भी जारी किए, जो https://csr.icai.org पर और साथ ही यू-ट्यूब के हाइपर लिंक https://youtu.be/usWFago34dM पर उपलब्ध हैं।

सीएसआर समिति के बार-बार अनुरोध किए जाने पर सीए. भ्रातृसंघ ने वर्ष 2020 के दौरान प्रवासी कर्मकारों को भोजन और चिकित्सा किटें उपलब्ध कराई और साथ ही व्यष्टिक रूप से प्रधानमंत्री अनुतोष निधि, पीएम केयर निधि आदि में योगदान दिया । ऐसे व्यष्टिकों को सराहना प्रमाणपत्र भी जारी किए गए थे, जिन्होंने इस संकटकाल में उत्तम कार्य किया, जिससे उनके द्वारा किए गए कार्य को मान्यता प्रदान की जा सके । चार्टर्ड अकाउंटेंटों के सामाजिक क्रियाकलापों का दस्तावेजीकरण किया गया है और वे https://csr.icai.org/wp-content/uploads/2021/01/ICAI-CSR-Book-Landscape-Final-for-web.pdf पर उपलब्ध हैं ।

(X) कोविड 19 संबंधी कार्यबल – 2021

आईसीएआई की सीएसआर समिति की सलाह पर पूरे भारत वर्ष में स्थित आईसीएआई की शाखाओं ने विशेष कोविड कार्यबलों को विरचित किया और सदस्यों, छात्रों और उनके परिवारों और साधारण रूप से समाज के लिए अस्पताल बिस्तरों, आक्सीजन, दवाईयों, प्लाज्मा, भोजन आदि की व्यवस्था की । शाखाओं ने जमीनी स्तर पर कार्य किया और वे जरुरतमंद व्यक्तियों के सीधे संपर्क में रही । कार्यबलों के सदस्य काल किए जाने पर सुगमता से उपलब्ध थे और वे बीमार व्यक्तियों को तुरंत समर्थन और राहत उपलब्ध करा रहे थे ।

(XI) रक्तदान – 2021

सदस्यों और छात्रों का समर्थन करने के लिए आईसीएआई की शाखाओं से यह अनुरोध किया गया था कि वे रक्तदान/प्लाज्मा दान शिविरों का आयोजन करें क्योंकि कोविड 19 महामारी के द्वितीय वेव के दौरान रक्त की आपूर्ति काफी कम थी । सीएसआर समिति द्वारा रक्तदान शिविर आयोजित करने के लिए 7500 रुपए तक के व्ययों की प्रतिपूर्ति के लिए अनुदान की घोषणा की गई थी । अंतिम तीन मासों के दौरान 25 ऐसी शाखाओं से रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं, जहां रक्त के 1000 से अधिक यूनिटों को एकत्रित किया गया था । सदस्यों और छात्रों ने सक्रिय रूप से इस पहल में भाग लिया । आईसीएआई की डब्ल्यूआईआरसी की शोलापुर शाखा द्वारा रक्तदान अभियान चलाया गया था ।

(XII) सदस्यों, छात्रों और कुटुंब सदस्यों का टीकाकरण – 2021

अप्रैल, 2021 से ही भिन्न-भिन्न चरणों में सदस्यों, छात्रों और उनके कुटुंब के सदस्यों के फायदे के लिए शाखाओं द्वारा टीकाकरण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है । आरंभिक चरण में वरिष्ठ नागरिकों और कोमोरबीडिटिज वाले व्यष्टियों का टीकाकरण किया गया था । मई, 2021 से विभिन्न शाखाओं द्वारा 18 वर्ष से अधिक आयु के सदस्यों और छात्रों के लिए टीकाकरण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है । सीएसआर समिति द्वारा 7500 रुपए तक के व्ययों की प्रतिपूर्ति के लिए अनुदान की घोषणा की गई थी । पिछले तीन मासों के दौरान आईसीएआई की शाखाओं द्वारा किए गए प्रयासों के कारण पूरे देश में विभिन्न स्थानों पर 15,454 से अधिक सदस्यों और छात्रों तथा उनके कुटुंब के सदस्यों को टीकाकरण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 83 से अधिक टीकाकरण शिविरों को उपलब्ध कराया गया था । अन्य शाखाओं ने भी टीका उपलब्ध हो जाने के पश्चात् सदस्यों और छात्रों के टीकाकरण को सुकर बनाने संबंधी अपनी इच्छा अभिव्यक्त की है । सीएसआर समिति संपूर्ण सीए कुटुंब से यह अनुरोध करती है कि वह विश्व रोग-प्रतिरक्षा सप्ताह, 2021 के अवसर पर स्वयं का टीकाकरण करवाएं ।

7.9 यूडीआईएन निदेशालय

यूडीआईएन निदेशालय, चूंकि सीए के नाम से नकली अधिप्रमाणन पत्र विभिन्न बैंकों/वित्तीय संस्थाओं/सरकारी विभागों को धोखा दे रहे थे, जो विभिन्न प्रयोजनों के लिए उन पर विश्वास कर रहे थे और इस प्रकार राष्ट्रीय खजाने को हानि हो रही थी इसलिए आईसीएआई ने एक अद्वितीय अवधारणा को आकार देकर एक अग्रणी पहल की है, जिसे "अद्वितीय दस्तावेज पहचान संख्या (यूडीआईएन) – अधिप्रमाणन की मुद्रा" नाम प्रदान किया गया है । इस अवधारणा के माध्यम से विनियामक और पणधारी वास्तविक समय आधार पर माउस के एक साधारण क्लिक द्वारा दस्तावेजों की सत्यतता को स्थापित करने में समर्थ होंगे, जो इस प्रकार के दुरुपयोगों को समाप्त करेगा तथा सीए वृत्ति के भरोसे और विश्वसनीयता में अभिवृद्धि करेगा । भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान की परिषद् द्वारा वर्ष 2019 में यूडीआईएन के क्रियान्वयन और इस संबंध में प्रगति की तथा वास्तविक समय आधार पर उसके दैनिक कार्यकरण की मानीटरी करने के लिए यूडीआईएन निदेशालय को गठित किया गया है ।

(I) विनियामकों, बैंकों और पणधारियों द्वारा - यूडीआईएन

- यूडीआईएन के प्रयोजनों की प्रभावी रूप से पूर्ति के लिए यूडीआईएन निदेशालय सतत रूप से यूडीआईएन के महत्व और उसकी आवश्यकता पर बल देते हुए विभिन्न विनियामकों को संसूचनाएं अग्रेषित करता है तथा वह उनके सभी प्ररूपों/रिपोर्टों, जिन्हें सीए द्वारा प्रमाणित किया जाना अपेक्षित है, एक आज्ञापक स्तंभ सम्मिलित करने के लिए अनुवर्ती कार्रवाई भी करता है ।

- हाल ही में सीबीडीटी ने सभी आईटी प्ररूपों और रिपोटों में यूडीआईएन के लिए एक आज्ञापक स्तंभ को सम्मिलित किया है। इसके अतिरिक्त, सीबीडीटी ऐसे सभी प्ररूपों और रिपोर्टों को विधिमान्य के रूप में माने जाने के लिए वास्तविक समय आधार पर उनमें उल्लिखित यूडीआईएन का विधिमान्यकरण भी कर रहा है। यह पहल न केवल गलत और मिथ्या रिपोर्टों को समाप्त करने में सहायता करेगी अपितु धीरे-धीरे सीए सदस्यों द्वारा प्रमाणित आय-कर रिपोर्टों/प्रमाणपत्रों/दस्तावेजों की वास्तविक संख्या धीरे-धीरे वास्तविक समय में ज्ञात हो सकेगी। आईबीए द्वारा सभी बैंकों को दी गई सलाह के अनुसार उनसे यह अनुरोध किया गया है कि वे सीए द्वारा जारी किसी दस्तावेज को स्वीकार करते समय यूडीआईएन पर बल दें। कुछ राज्यों के सेबी और रेरा ने सीए द्वारा प्रमाणित किए जाने वाले उनके प्ररूपों में यूडीआईएन को सम्मिलित करने के लिए एक स्तंभ सम्मिलित किया है।
- यूडीआईएन निदेशालय ने विभिन्न विनियामकों, जैसे कि कारपोरेट कार्य मंत्रालय, एमओआरडी, एमओईआईटी, एनएचएआई, विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, सीबीआईसी, सभी राज्यों के प्रमुख सचिवों, सभी राज्यों के रेरा प्राधिकारियों आदि से भी आईसीएआई की इस अवधारणा का उपयोग करने और साथ ही सीए द्वारा प्रमाणित किए जाने वाले अपने सभी प्ररूपों में यूडीआईएन के उल्लेख हेतु एक आज्ञापक स्तंभ सम्मिलित करने का अनुरोध करते हुए संपर्क किया है।
- इसके अतिरिक्त, वर्ष के दौरान आरबीआई द्वारा आयोजित विभिन्न राज्यस्तरीय समन्वयन समिति (एसएलसीसी) की बैठकों, जिसमें संबद्ध राज्य के मुख्य सचिव, सेबी, एनसीए, ईडी, एसएफआईओ, सीबीआई के प्रतिनिधि भाग लेते हैं, में आईसीएआई के प्रतिनिधियों द्वारा यूडीआईएन के महत्व और आवश्यकता के संबंध में प्रस्तुतिकरण किया गया।

(II) बैठकें और अभ्यावेदन

- निदेशक, एसआईएफओ के साथ यूडीआईएन के संबंध में बैठक : 12 जून, 2020 को श्री अमरजीत सिंह भाटिया, निदेशक, एसआईएफओ और उनके दल के साथ एक वर्चुअल बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें उनके साथ यूडीआईएन की अवधारणा को साझा किया गया था तथा सीए द्वारा प्रमाणित किए जाने वाले सभी प्ररूपों में उसके महत्व के संबंध में जानकारी दी गई थी।
- भारतीय बैंककारी संघ (आईबीए) के साथ बैठक : आईसीएआई के प्रतिनिधियों ने 3 अक्तूबर, 2020 को मालेगाम समिति द्वारा की गई विनिर्दिष्ट सिफारिश के संबंध में तथा भारतीय बैंक संघ की जोखिम प्रबंध समिति द्वारा ऐसे दस्तावेजों/रिपोर्टों की पहचान, जिनमें यूडीआईएन को बढ़ते एनपीए पर लगाम लगाने के लिए आज्ञापक बनाया जा सकता है तथा बैंककारी क्षेत्र में होने वाले अन्य कपटों को रोका जा सकता है, के संबंध में सुझाए गए कार्य बिन्दुओं पर विचार-विमर्श करने के लिए आयोजित उप समूह की बैठक में भाग लिया था। इस बैठक में विभिन्न पीएसयू बैंकों के प्रतिनिधियों के अलावा जेपी मोर्गन चेज बैंक और स्टैणर्ड चार्टर्ड बैंक के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया था।
- साफा कार्यबल : 13 अगस्त, 2020 को साफा सदस्य निकायों में यूडीआईएन के कार्यान्वयन के लिए साफा कार्यबल की दूसरी बैठक का आयोजन किया गया था। बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल और अफगानिस्तान के प्रतिनिधियों ने इस बैठक में भाग लिया था और उन्होंने इस अवधारणा की सराहना करते हुए अपने देशों में यूडीआईएन के कार्यान्वयन के लिए आईसीएआई के समर्थन का अनुरोध किया था। हाल ही में, 22 जून, 2021 को साफा सदस्य निकायों में यूडीआईएन के कार्यान्वयन के लिए साफा कार्यबल की तीसरी बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें आईसीएआई के प्रतिनिधियों और अध्यक्ष, साफा कार्यबल और संयोजक, यूडीआईएन निदेशालय ने भारत में कार्यबल की दूसरी बैठक के पश्चात् सामने आई अद्यतन घटनाओं के संबंध में एक प्रस्तुतिकरण किया था।
- विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय वृत्तिक लेखांकन संगठनों, जैसे कि इंस्टिट्यूट आफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आफ नेपाल, इंस्टिट्यूट आफ इंडोनेशिया चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (इकातन अकुन्तन इंडोनेशिया), कोरपुल एक्सपर्टीलोर कोन्टाबिल्सी कोन्टाबिलिलोर, आटोरिजाटीडीन रोमानिया (सीईसीसीएआर), रोमानिया, नेशनल बोर्ड आफ अकाउंटेंट्स एंड आर्डिटर्स, तंजानिया, इंस्टिट्यूट आफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आफ नाइजीरिया (आईसीएएन), इंस्टिट्यूट आफ सिंगापुर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (सिंगापुर), चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, कॉलेज आफ बैंकिंग एंड फाइनेशल स्टडीज, एसोशिएशन आफ नेशनल अकाउंटेंट्स आफ नाइजीरिया के साथ यूडीआईएन के संबंध में परस्पर क्रियाशील बैठकें।
- बैंक आफ बड़ोदा को अभ्यावेदन : 15 अप्रैल, 2021 को बैंक आफ बड़ोदा एक अभ्यावेदन भेजा गया था, जिसके माध्यम से उनसे यह अनुरोध किया गया था कि वे एसबीए संपरीक्षा रिपोर्ट, घोष और गिलानी समिति रिपोर्ट, एसबीए से सभी प्रमाणपत्रों और एलएफएआर के प्रावरण पत्र के लिए चार भिन्न यूडीआईएन उल्लिखित करने की अपेक्षा को पुनरीक्षित करें

और उसके स्थान पर संस्थान द्वारा चार्टर्ड अकाउंटेंटों को जारी सलाह के अनुरूप एसबीए द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली बैंक संपरीक्षा रिपोर्ट के लिए केवल एक यूडीआईएन को स्वीकार करें ।

- 15 सीबी प्ररूपों की दशा में यूडीआईएन का प्रपुंज अद्यतन उपलब्ध कराए जाने के लिए अभ्यावेदन : जेडी आईटी, सीबीडीटी को 12 मई, 2021 को एक अभ्यावेदन भेजा गया था, जिसमें यह अनुरोध किया गया था कि 15 सीबी प्ररूपों की दशा में यूडीआईएन का प्रपुंज अद्यतन की सुविधा उपलब्ध कराई जाए । वर्तमान में, 15 सीबी प्ररूपों को प्रपुंज में अपलोड किए जाने की सुविधा केवल ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध है ।

(III) यूडीआईएन का प्रभाव

यूडीआईएन के कार्यान्वयन के पश्चात्, दुष्कृत्य करने वाले व्यक्तियों द्वारा किए जा रहे अनेक दुर्व्यवहारों की संख्या कम हो रही है क्योंकि उनका भेद खुल गया है । पणधारियों से ऐसी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं जिनमें सीए के नाम से गैर-सीए द्वारा किए जा रहे कपटों का पता लग रहा है । यूडीआईएन को केवल सीए द्वारा हस्ताक्षरित अधिप्रमाणन को स्थापित करने के लिए विनियामकों/पणधारियों द्वारा सत्यापित किया जा रहा है ।

सभी व्यवसायरत सीए के लिए यह आज्ञापक है कि वे उनके द्वारा जारी किए जाने वाले सभी दस्तावेजों के लिए यूडीआईएन का सृजन करें और 22 जुलाई, 2021 तक 1.26 लाख से अधिक सीए ने यूडीआईएन पोर्टल पर रजिस्ट्रीकरण किया है और उनके द्वारा जुलाई, 2021 तक 2.42 करोड़ से अधिक यूडीआईएन का सृजन किया गया । इस बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए सदस्यों को और अधिक सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आईसीएआई के यूडीआईएन निदेशालय ने प्रमाणपत्रों के लिए प्रपुंज में यूडीआईएन के सृजन के लिए एक उपबंध को सम्मिलित किया है, जिसे एक्सएल फाइल को अपलोड करके सृजित किया जा सकता है ।

(IV) यूडीआईएन को नियमित बनाने के लिए माफी स्कीम

आईसीएआई को अनावधानीवश सृजित न किए गए यूडीआईएन के लिए माफी नामें हेतु सदस्यों से विभिन्न अभ्यावेदन प्राप्त हो रहे हैं क्योंकि यह एक नई पहल है और साथ ही एक लंबे लॉकडाउन और कार्यालयों के बंद रहने आदि के कारण आईसीएआई ने 1 फरवरी, 2019 से 31 जनवरी, 2021 की अवधि के दौरान हस्ताक्षरित दस्तावेजों के लिए यूडीआईएन को नियमित बनाने के लिए 31 मार्च, 2021 तक एक आम माफी स्कीम की घोषणा की है ।

(V) कार्यक्रम और प्रकाशन

- आईसीएआई द्वारा आज्ञापक बनाई गई हाल ही की यूडीआईएन पहल के संबंध में सदस्यों और पणधारियों के सामने आने वाले विभिन्न मुद्दों का समाधान करने के लिए आईसीएआई की गोवा शाखा ने 12 अगस्त, 2020 को "यूडीआईएन संबंधी व्यवहारिक मुद्दे" विषय पर एक वर्चुअल सीपीई बैठक का आयोजन किया था, जिसकी मेजबानी यूडीआईएन निदेशालय द्वारा की गई थी ।
- सीबीडीटी द्वारा कार्यान्वित सभी आईटी प्ररूपों के यूडीआईएन विधिमान्यकरण के संबंध में सीए के बीच जागरुकता का सृजन करने के लिए "यूडीआईएन का विधिमान्यकरण" विषय पर एक वेबकास्ट का आयोजन 29 सितंबर, 2020 को सीबीडीटी के सहयोग से किया गया था ।
- व्यवसायरत सीए के समक्ष यूडीआईएन के संबंध में आने वाले व्यवहारिक मुद्दों के संबंध में जागरुकता का सृजन करने के लिए "यूडीआईएन में व्यवहारिक मुद्दे - प्रश्नोत्तर" विषय पर 24 जून, 2021 को एक वीसीएम का आयोजन किया गया था, जिसे 4500 से अधिक सदस्यों ने देखा था ।
- यूडीआईएन संबंधी रिपोर्ट (2020-21) और यूडीआईएन संबंधी एफएक्यू (पुनरीक्षित 2021) नामक प्रकाशनों को यूडीआईएन निदेशालय द्वारा 9 फरवरी, 2021 को वार्षिक समारोह के दौरान जारी किया गया ।

7.10 प्रकाशन और सीडीएस निदेशालय

संस्थान का प्रकाशन निदेशालय मुख्य रूप से निम्नलिखित तीन क्षेत्रों के संबंध में कार्य करता है ।

- छात्रों के लिए अध्ययन सामग्री का मुद्रण और सदस्यों से संबंधित प्रकाशन ।
- केंद्रीयकृत वितरण प्रणाली के माध्यम से प्रकाशनों का विक्रय और वितरण ।
- स्टॉक लेखा, विक्रय लेखा को बनाए रखना और स्टॉक को सुमेलित करना ।

(I) निकाले गए नए प्रकाशन

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, 1 अप्रैल, 2020 से 30 जून, 2021 के दौरान प्रकाशन निदेशालय ने अध्ययन बोर्ड और अन्य समितियों की ओर से विभिन्न नए प्रकाशनों का मुद्रण किया ।

(II) केंद्रीयकृत वितरण प्रणाली

जुलाई, 2017 से आईसीएआई के सभी प्रकाशन, जिनमें अध्ययन सामग्री, पुनरीक्षण प्रश्न-पत्र और सदस्यों से संबंधित प्रकाशन सम्मिलित हैं, को केंद्रीय वितरण प्रणाली पोर्टल (www.icai-cds.org) के माध्यम से केंद्रीयकृत रूप से रजिस्ट्रीकृत छात्रों तथा सीडीएस पोर्टल पर क्रय आदेश देने वाले व्यक्तियों को प्रेषित किया जाता है । सीडीएस पोर्टल पर विभिन्न प्रकार के अनुस्मारक भी विद्यमान है, जैसे टाई, कफलिंग, लेपल पिन, डायरी और कलैंडर ।

(III) छात्रों से संबंधित प्रकाशन

अवधि	रजिस्ट्रीकरण के प्रति प्रेषित पुस्तकें	विक्रय की गई पुस्तकें
1.4.2020 से 31.3.2021	पुस्तकों की किस्म – 94 रजिस्ट्रीकरण के प्रति प्रेषित पुस्तकों की कुल मात्रा - 1705556	पुस्तकों की किस्म– 240 रजिस्ट्रीकरण के प्रति प्रेषित पुस्तकों की कुल मात्रा - 57064
1.4.2021 से 30.6.2021	पुस्तकों की किस्म – 50 रजिस्ट्रीकरण के प्रति प्रेषित पुस्तकों की कुल मात्रा – 447472	पुस्तकों की किस्म– 185 रजिस्ट्रीकरण के प्रति प्रेषित पुस्तकों की कुल मात्रा – 29562

(IV) भावी प्रयास

निदेशालय के भावी प्रयासों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं :

- सीडीएस पोर्टल पर विक्रय हेतु सीए ब्रांडिंग के साथ नए उच्च गुणवता के अनुस्मारकों को रखा जाना ।
- क्रय हेतु आदेश की गई सामग्री के परिदान के लिए टर्न अराउड समय में कमी लाना ।
- डिजीटल पद्धति के माध्यम से पठन का संवर्धन करने के लिए सीडीएस पोर्टल पर डिजीटल पठन ।

7.11 विशेष प्रयोजन निदेशालय – संपरीक्षा क्वालिटी केंद्र (सीएक्यू)

आईसीएआई के उपलब्ध सर्वोत्तम वैश्विक व्यवहारों के प्रति लेखांकन वृत्ति के मानदंडों को स्थापित करने के अभियान के भाग रूप में पहले ही भारतीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए प्रकटन और आश्वासन संबंधी वैश्विक मानकों के साथ उसे अभिसरित किया गया है । वृत्ति का भविष्य उसकी परिवर्तन के सामर्थ्य, विकसित होने के सामर्थ्य और परिवर्तनशील परिस्थितियों हेतु स्वयं को अनुकूल बनाने में निहित है, जो सुधारों का एक केंद्रीय घटक है और आईसीएआई की मानक निर्धारक भूमिका का एक अहम लक्ष्य है ।

आईसीएआई ने इस तथ्य को मान्यता प्रदान करते हुए कि उच्च स्तरीय "क्वालिटी ढांचा", एक दक्ष, उच्च गुणवता वाली लेखांकन वृत्ति के विकास के लिए एक ठोस आधार उपलब्ध कराता है, जयपुर उत्कृष्टता केंद्र में "संपरीक्षा क्वालिटी केंद्र" की स्थापना की है । यह संपरीक्षा क्वालिटी केंद्र भावी अकांउटेंटों और/या संपरीक्षकों के लिए समकालीन शिक्षा और प्रशिक्षण में सतत निवेश करने का उद्देश्य रखता है और साथ ही उसका उद्देश्य संपरीक्षा दलों और कार्यालयों को सहायता करने के लिए मार्गदर्शन और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विकास करना है, जिससे वे प्रभावी मूलभूत विश्लेषण करने में समर्थ हो सके और साथ ही निष्कर्षों के पहचान किए गए कारणों के संबंध में परिचर्चा करने के लिए समूह पठन सत्रों का आयोजन करना तथा कार्यान्वित किए जाने वाले समाधानों, संपरीक्षा क्वालिटी सूचकांकों की स्थापना करना भी है और इस प्रकार वह संपरीक्षा क्वालिटी परिपक्वता माडल तैयार करने में समर्थ हो सकेगा । संपरीक्षा क्वालिटी परिपक्वता माडल लेखांकन फर्मों के लिए एक स्वैच्छिक स्व:मूल्यांकन की प्रक्रिया अधिकथित करने संबंधी पहल करेगा, जिससे वे उनके द्वारा किए जा रहे संपरीक्षा और लेखांकन संबंधी कृत्यों से संबंधित संपरीक्षा क्वालिटी के संबंध में अपने-अपने परिपक्वता स्तर का मूल्यांकन कर सकेंगे । सीएक्यू संस्थान को संपरीक्षा कृत्यों के गुणवाचक पहलुओं पर परिचर्चा करने में और इस क्षेत्र में अनुसंधान परियोजनाएं करने के लिए एक अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने में समर्थ बनाएगा ।

पहलें

- कार्यपालक मास्टर कार्यक्रम संबंधी ऑनलाइन प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम – नए युग के संपरीक्षक के तीन बैचों का आयोजन – इस पाठ्यक्रम को प्रतिभागियों से काफी सराहना प्राप्त हुई है । इस पाठ्यक्रम की पृष्ठभूमि सामग्री को दो समूहों द्वारा तैयार किया गया है – एक भाग क के लिए – लेखांकन और आश्वासन शासन से संबंधित आधारिक जानकारी और दूसरा भाग ख के लिए – लेखांकन और अनुपालन में डिजीटल युग ।
- अंतिम संपरीक्षा क्वालिटी परिपक्वता माडल – पाठ 1.0 (एक्यूएमएम वी 1.0) को जारी करना – यह एक आईसीएआई द्वारा सक्षमता निर्माण उपाय है और इस मूल्यांकन मेट्रिक्स का उद्देश्य एकल स्वामियों और संपरीक्षा फर्मों को उनके वर्तमान संपरीक्षा परिपक्वता स्तर का स्व:मूल्यांकन करने में समर्थ बनाना, ऐसे क्षेत्रों की पहचान करना, जहां उनके पास उत्तम क्षमताएं हैं या ऐसे क्षेत्र, जहां वे पिछड रहें हैं और उसके पश्चात् परिपक्वता के उच्चतर स्तर को प्राप्त करने के लिए एक भावी कार्ययोजना तैयार करना है । प्रारंभ में एक्यूएमएम वी 1.0 सिफारिशात्मक प्रकृति का होगा और एक वर्ष पश्चात् परिषद् इसका पुनर्विलोकन करेगी और उस तारीख को नियत करेगी, जिससे इसे आज्ञापक बनाया जाएगा ।

7.12 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

सूचना के अधिकार को अंतर्निहित रूप से संविधान द्वारा गारंटी प्रदान की गई है । तथापि, भारत के नागरिकों को अधिकार के रूप में सूचना उपलब्ध कराने हेतु एक व्यवहारिक व्यवस्था की स्थापना करने के विचार से भारतीय संसद् ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 को अधिनियमित किया था । सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का आधारिक उद्देश्य नागरिकों को सशक्त करना, प्रत्येक लोक प्राधिकारी के कार्यकरण में पारदर्शिता और जवाबदेही का संवर्धन करना है । भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई), जो संसद् के एक अधिनियम, अर्थात् चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 के अधीन स्थापित एक कानूनी निकाय है, जो कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2(ज) में परिकल्पित किए गए अनुसार एक लोक प्राधिकारी है । सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के उपबंधों और केन्द्रीय सूचना आयोग के निर्देश के अनुपालन में इस लोक प्राधिकरण द्वारा अपने अधिकारियों को केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी, प्रथम अपील प्राधिकारी (एफएए) और पारदर्शिता अधिकारी के रूप में पदाभिहित किया गया है ।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(ख) के अधीन प्रकटन

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(ख) के निबंधनों के अनुसार संस्थान द्वारा आवश्यक प्रकटन किए गए हैं और उन्हें संस्थान की वेबसाइट www.icai.org पर रखा गया है और उसे समय-समय पर अद्यतन किया जाता है । वर्ष 2020-21 की अवधि के दौरान, कुल 50490 (पचास हजार चार सौ नब्बे) आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें ऐसे आवेदन भी सम्मिलित हैं, जिनमें आईसीएआई द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है ।

इसके अतिरिक्त, केंद्रीय सूचना आयोग के समक्ष 07 संख्या में सुनवाई में भाग लिया गया है और प्रथम अपील अधिकारी से प्राप्त हुए बड़ी संख्या आदेशों का प्रत्युत्तर दिया गया है ।

7.13 एक्सबीआरएल

विनियामकों, तकनीकी व्यक्तियों, निगमों और शिक्षाविदों को भारत में एक्सबीआरएल के संवर्धन हेतु संस्थान के प्रयासों में प्रभावी भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए, संस्थान ने एक्सबीआरएल इंडिया के एक धारा 25 (जो वर्तमान में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तत्समान है) की कंपनी के रूप में निगमन को सुकर बनाया है, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत में इलेक्ट्रॉनिक कारबार रिपोर्टिंग के मानक के रूप में एक्सबीआरएल के अपनाए जाने का संवर्धन और प्रोत्साहन करना है, यह कार्य वर्गीकरणों के विकास, एक्सबीआरएल संबंधी शिक्षा और प्रशिक्षण को सुकर बनाकर पूरा किया जाता है । इसके साथ ही, अंतर्राष्ट्रीय रूप से एक्सबीआरएल की बढ़ती महता को ध्यान में रखते हुए, एक्सबीआरएल इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय रूप से एक्सबीआरएल फाइलिंग को सुकर बनाने तथा उसके संबंध में अद्यतन जानकारी प्राप्त करने हेतु एक्सबीआरएल इंटरनेशनल इंक की सदस्यता प्राप्त की है । एक्सबीआरएल इंडिया को एक्सबीआरएल इंटरनेशनल की भारतीय अधिकारिता के रूप में स्थापित किया गया है ।

एक्सबीआरएल इंडिया कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) के लिए एक्सबीआरएल वर्गीकरणों का विकास और अनुरक्षण कर रहा है ।

- कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा एक्सबीआरएल फाइलिंग संबंधी अपेक्षाएं : वर्तमान में, दो वर्गीकरण लागू हैं, अर्थात् भारतीय लेखांकन मानकों का अनुसरण करने वाली कंपनियों के लिए वाणिज्यिक और औद्योगिक (सीएंडआई) वर्गीकरण तथा I जीएएपी (विद्यमाल लेखांकन मानक) का अनुसरण करने वाली कंपनियों के लिए एक अन्य वर्गीकरण।
- इंड एएस वर्गीकरण : इंड एएस और इंड एएस के अनुरूप अनुसूची 3 की अपेक्षाओं पर आधारित एक्सबीआरएल वर्गीकरण को पहले ही एक्सबीआरएल प्ररूप में वित्तीय विवरणों को फाइल करने हेतु स्थापित कर दिया गया है।

  निम्नलिखित परिवर्तनों को सम्मिलित करते हुए इंड एएस वर्गीकरण का संशोधन किया गया है :

  क) इंड एएस 116, 'पट्टे'

  ख) अवधि के दौरान लागू एमसीए की अधिसूचनाओं के अनुसार अन्य इंड एएस में संशोधन।

  (ग) कंपनी (सीएसआर नीति) संशोधन नियम, 2021

  उपरोक्त परिवर्तनों को सम्मिलित करने के पश्चात् इंड एएस वर्गीकरण को एक्सबीआरएल इंडिया की वर्गीकरण विकास और पुनविलोकन समिति द्वारा अंतिम रूप प्रदान किया गया है। उन्हें एमसीए को प्रस्तुत किया जा रहा है।
- सी एंड आई वर्गीकरण (विद्यमान एएस आधारित) : इंड एएस वर्गीकरण में संशोधनों के अतिरिक्त कंपनी (सीएसआर नीति) संशोधन नियम, 2021 के संदर्भ में सीएंड आई वर्गीकरण (विद्यमान एएस आधारित) को अद्यतन बनाने में संशोधन करने संबंधी कार्य भी किया जा रहा है। आशा की जाती है कि उन्हें शीघ्र ही एमसीए को प्रस्तुत किया जाएगा।
- आउटरीच कार्यक्रम : एक्सबीआरएल इंडिया ने 15 जून, 2021 को "इंड एएस वर्गीकरण (वित्तीय वर्ष 2020-21) में संशोधनों के उदभासन प्रारूप संबंधी एक आउटरीच कार्यक्रम" का सफलतापूर्वक आयोजन किया था। इस कार्यक्रम से संबंधित ब्यौरों के लिए कृपया https://in.xbrl.org/trainings-and-events/ लिंक पर जाएं।

7.14 आईसीएआई – एआरएफ

लेखांकन अनुसंधान फाउंडेशन (आईसीएआई एआरएफ) को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 (जो अब कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 है) के अधीन जनवरी, 1999 में लेखांकन, संपरीक्षा, पूंजी बाजारों, राजकोषीय और धनीय नीतियों के क्षेत्रों में मूल अनुसंधान करने के लिए आईसीएआई द्वारा स्थापित किया गया था। गत वर्ष के दौरान, आईसीएआई एआरएफ द्वारा आरंभ की गई परियोजनाओं के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :--

- भारतीय रेल के सभी ज़ोनल रेल कार्यालयों और उत्पादन इकाईयों में प्रोदभवन लेखांकन को लागू किया जाना – इस परियोजना के अंतिम चरण में आईसीएआई एआरएफ द्वारा भारतीय रेल को भारतीय रेल में सूचना प्रौद्योगिकी उपयोजनों का विस्तारण करने संबंधी योजना के विकास, परीक्षण और लागू करने में सहयोग कर रहा है।
- भारतीय रेल के लिए वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 तथा 31 मार्च, 2018 और 31 मार्च, 2019 को यथाविद्यमान तुलन-पत्र के लिए वित्तीय विवरणों के डाटा का संकलन और उन्हें तैयार करना तथा वित्तीय वर्ष 2015-16 और 2016-17 के लिए वित्तीय विवरणों के संकलन के दौरान लागू किए जाने के प्रक्रम पर पाई गई डाटा/प्रणाली संबंधी कमियों के संबंध में अध्ययन करना और उसमें सुधार करना – आईसीएआई एआरएफ को उक्त परियोजना प्रदान की गई है, जिसमें निम्नलिखित पांच अध्ययन सम्मिलित हैं :
  - भारतीय रेल के प्रोदभवन आधारित वित्तीय विवरणों के संबंध में इंड एएस को लागू किए जाने संबंधी ढांचा।
  - 31.03.2017 को यथा विद्यमान उत्तर रेलवे के रॉलिंग स्टॉक डाटा को रेल बोर्ड के साथ सुमेलित करने के लिए अग्रणी अध्ययन।
  - उत्तर रेलवे में पट्टाधृत आस्तियों और अपनी स्वयं की आस्तियों की पहचान के लिए तंत्र विकसित करने संबंधी अग्रणी अध्ययन।
  - 31 मार्च, 2017 को एफए – 13 में प्राप्त सीडब्ल्यूआईपी डाटा पर आधारित एनआर को एफएआर को अंतरित करने तथा सीडब्ल्यूआईपी से अनुमति प्राप्त करने हेतु ढांचा विकसित किए जाने संबंधी अग्रणी अध्ययन।
  - 31 मार्च, 2017 को यथाविद्यमान भारतीय रेल द्वारा विभिन्न अनुषंगियों, सहबद्ध कंपनियों तथा संयुक्त उद्यमों में किए गए निर्देशों को सुमेलित किए जाने संबंधी अग्रणी अध्ययन।

  इन सभी बिन्दुओं पर कार्य जारी है और इसे शीघ्र ही समाप्त किए जाने की संभावना है।

- अग्रणी लेखांकन सहायक स्कीम – बहियों को तैयार करने, जीएसटी और आय-कर अनुपालनों संबंधी कौशल सेटों के विकास के लिए सफलतापूर्वक प्रशिक्षण को सुनिश्चित करके कौशल विकास और हमारे युवाओं नियोजन योग्य बनाए जाने के प्रति सहयोग करने के अपने सतत प्रयास में आईसीएआई एआरएफ ने एक अग्रणी लेखांकन सहायक स्कीम आरंभ की थी, जिसका शुभारंभ हमीरपुर और बिलासपुर जिला के, हिमाचल प्रदेश, श्री अनुराग सिंह ठाकुर, माननीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य राज्य मंत्री ने किया था । यह उपाय स्थानीय युवाओं को सुगमतापूर्वक स्थानीय रूप से नियोजन योग्य बनाने तथा अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा का भाग बनने में उनकी सहायता करने हेतु उठाया गया है ।

7.15 आईसीएआई रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन

आईसीएआई रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा सृजित एक धारा 8 प्राइवेट कंपनी है, जिसका गठन कंपनी (रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक और मूल्यांकन) नियम, 2017 के अनुसरण में और उससे आनुषंगिक कृत्यों को करने के लिए रजिस्ट्रीकृत मूल्यांककों या मूल्यांकक सदस्यों को उसके सदस्य के रूप में नामांकित और उनका विनियमन करने के लिए किया गया था ।

(I) आईसीएआई रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन द्वारा शैक्षिक पाठ्यक्रम (50 घंटे), जो रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक बनने के लिए एक पूर्व शर्त है :

- आईसीएआई रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन अपने प्रारंभिक चरण में अपनी सदस्यता के आधार को व्यापक बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है और इसके साथ ही अपने मूल्यांकक सदस्यों के लिए एक 50 घंटे के शैक्षिक पाठ्यक्रम का संचालन भी कर रहा है, जो रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक बनने के लिए एक पूर्व शर्त है तथा संगठन शैक्षिक पाठ्यक्रम के लिए शैक्षिक सामग्री को भी तैयार कर रहा है ।
- इस दिशा में, 1 अप्रैल, 2020 से 30 जून, 2021 की अवधि के दौरान, आईसीएआई आरवीओ ने देश भर में 50 घंटे के इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के 9 ऑनलाइन बैचों का संचालन किया है ।
- आज की तारीख तक इस शैक्षिक पाठ्यक्रम के कुल 48 बैचों का संचालन किया गया है ।
- 30 जून, 2021 तक आईसीएआई आरवीओ द्वारा उसके 50 घंटे के शैक्षिक पाठ्यक्रम के अधीन 3200 से अधिक सदस्यों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है ।

(II) आईसीएआई रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन द्वारा शैक्षिक पाठ्यक्रम (50 घंटे), जो रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक बनने के लिए एक पूर्व शर्त है, की ऑनलाइन कक्षाओं का आयोजन :

- कोविड-19 महामारी के फैल जाने के कारण भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड द्वारा ऑनलाइन पद्धति से शैक्षिक पाठ्यक्रमों की ऑनलाइन कक्षाओं के संचालन को अनुज्ञात किया गया है ।
- उल्लिखित अवधि के दौरान, आईसीएआई आरवीओ ने इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के 9 ऑनलाइन बैचों का संचालन किया है और 500 से अधिक सदस्यों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है ।

(III) आस्ति वर्ग की प्रतिभूतियों या वित्तीय आस्तियों के लिए आईबीबीआई के साथ रजिस्ट्रीकृत मूल्यांककों का रजिस्ट्रीकरण :

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड ने आस्ति वर्ग की प्रतिभूतियों या वित्तीय आस्तियों के लिए 30 जून, 2021 तक कुल 1664 रजिस्ट्रीकृत मूल्यांककों का रजिस्ट्रीकरण किया है, जिनमें से 821 रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक आईसीएआई आरवीओ के सदस्य हैं ।

(IV) आईसीएआई आरवीओ पठन प्रबंध प्रणाली का शुभारंभ और उसे नियमित रूप से अद्यतन किया जाना

आईसीएआई आरवीओ ने अपनी पठन प्रबंध प्रणाली का शुभारंभ किया है, जो एक ई-पठन मंच है, जो ऐसी अध्ययन सामग्री के रूप में, जो बहु विकल्प वाले प्रश्नोत्तरों को अंतर्विष्ट करने वाली मोक परीक्षा द्वारा संपूरित है, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड द्वारा विहित पाठ्यचर्या की विभिन्न अवधारणाओं को स्पष्ट करती है । यह पठन प्रबंध प्रणाली ऐसे सदस्यों हेतु, जो आईसीएआई आरवीओ के प्राथमिक सदस्य हैं, आईबीबीआई मूल्यांकक परीक्षा की तैयारी को सुकर बनाती है । एलएमएस को नियमित आधार पर नई प्रस्तुतियों और प्रश्नों के माध्यम से अद्यतन बनाया जा रहा है ।

(V) प्रकाशन

आईसीएआई रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन ने आईसीएआई के मूल्यांकन मानक बोर्ड के साथ संयुक्त रूप से निम्नलिखित प्रकाशन निकाले हैं :

- मूल्यांकन : वृत्तिक अंत:दृष्टि (श्रृंखला V और VI)
- मूल्यांकन रिपोर्टो के पियर पुनर्विलोकन संबंधी निष्कर्षों से संबंधित अवधारणा पत्र (फरवरी, 2021)
- आईसीएआई मूल्यांकन मानक 301 – कारबार मूल्यांकन संबंधी शैक्षिक सामग्री
- आईसीएआई मूल्यांकन मानक 103 – मूल्यांकन संबंधी दृष्टिकोण और पद्धतियां संबंधी शैक्षिक सामग्री

(VI) सतत शैक्षिक कार्यक्रम

आईसीएआई आरवीओ ने अपने सतत शिक्षक कार्यक्रमों के भागरूप में रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान अपने रजिस्ट्रीकृत मूल्यांककों के लिए मूल्यांकन से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर 36 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया है ।

(VII) रजिस्ट्रीकृत मूल्यांककों को व्यवसाय प्रमाणपत्र प्रदान करने हेतु सॉफ्ट कौशलों संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम

आईसीएआई आरवीओ ने रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान रजिस्ट्रीकृत मूल्यांककों को व्यवसाय प्रमाणपत्र प्रदान करने हेतु सॉफ्ट कौशलों संबंधी 9 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया है ।

7.16 आईसीएआई का भारतीय दिवाला वृत्तिक संस्थान (आईआईआईपीआई)

आईसीएआई का भारतीय दिवाला वृत्तिक संस्थान (आईआईआईपीआई), जो भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान का एक पूर्ण स्वामित्व वाला समनुषंगी है, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा सृजित एक धारा 8 पब्लिक कंपनी है, जिसका गठन दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 और उससे संबद्ध विनियमों और कृत्यों के अनुसरण में उसके सदस्यों को दिवाला वृत्तिकों के रूप में नामांकित करने और उनका विनियमन करने हेतु किया गया है ।

इसे संघ के माननीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली द्वारा 28 नवंबर, 2016 को दिल्ली में भारत के प्रथम दिवाला वृत्तिक अभिकरण के रूप में रजिस्ट्रीकृत प्रमाणपत्र प्रदान किया गया था । आईआईआईपीआई ने भिन्न-भिन्न क्षेत्रों से, जिनके अंतर्गत चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सचिव, लागत लेखापाल, अधिवक्ता और प्रबंध संबंधी वृत्तिक भी हैं, सदस्यों को अपनी ओर आकर्षित किया है । 30 जून, 2021 को भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) के साथ रजिस्ट्रीकृत कुल 3689 दिवाला वृत्तिकों में से 2309 वृत्तिक आईआईआईपीआई से संबंधित हैं ।

सदस्यता अभियान

रजिस्ट्रीकृत सदस्यों की आईपीएवार, वर्षवार प्रास्थिति											
क्रम सं.	आईपीए का नाम	31 March 2018	%	31 मार्च 2019	%	31 मार्च 2020	%	31 मार्च 2021	%	30 जून 2021	%
क	आईआईआईपीआई	1100	60.71	1518	61.71	1860	61.71	2184	62.05	2309	62.59
ख	आईपीए आईसीएसआई	562	31.02	738	30.00	903	29.96	1025	29.12	1060	28.73
ग	आईपीए आईसीएमएआई	150	8.28	204	8.29	251	8.33	311	8.84	320	8.67
	आईबीबीआई के साथ रजिस्ट्रीकृत कुल सदस्य	1812	100	2460	100	3014	100	3520	100	3689	100

*** स्रोत : आईबीबीआई डाटा**

आईआईआईपीआई के प्रचालनों के प्रारंभिक चरण में सदस्यता आधार को व्यापक बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया था । तथापि, सदस्यता आधार को सुदृढ़ बनाए जाने के पश्चात् क्रियाकलापों को और अधिक व्यापक बनाया गया है ।

पहलें

(I) सदस्यों और पणधारियों का सक्षमता निर्माण

- 01.04.2020 से 30.06.2021 की अवधि के दौरान आईआईआईपीआई ने अपने सदस्यों की सक्षमता निर्माण के लिए निम्नलिखित कार्यक्रमों का आयोजन किया है :

    - समकालीन विषयों संबंधी 29 वेबीनारों और सम्मेलनों का संचालन, जिनके अंतर्गत एनपीए समाधान, समकालीन मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, लोक हित/आचार, आईएफसी वाशिगंटन के साथ संयुक्त रूप से आयोजित कोविड 19 के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया और ब्रिटिश उच्चायुक्त के साथ संयुक्त रूप से पूर्व पैकेज दिवाला ढांचे संबंधी वेबीनार ।
    - आईबीबीआई के साथ परामर्श से 12 गोलमेज सम्मेलन, जिनमें अपवंचन संव्यवहार – सर्वोत्तम व्यवहार, नया एमएसएमई ढांचा, रिकार्ड प्रतिधारण करने संबंधी नीति जैसे क्षेत्र तथा सदस्यों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने हेतु आईबीबीआई द्वारा उपलब्ध कराए गए विभिन्न विषय और साथ ही सर्वोत्तम व्यवहारों संबंधी पत्र विकसित करने आदि जैसे विषय सम्मिलित थे ।
- सीआईआरपी के दौरान प्रबंधकीय कौशलों में सुधार किए जाने संबंधी कार्यकारी विकास कार्यक्रम के चार बैचों का आयोजन ।
- 23 जनवरी, 2021 को प्रथम एलआईई परीक्षा तैयारी हेतु कक्षा (वर्चुअल) कार्यक्रम का शुभारंभ । इस कार्यक्रम में 5 सप्ताहांतों के दौरान 40 घंटे का पठन सम्मिलित है ।
- एलआईई (सीमित दिवाला परीक्षा) परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों के लिए ई-एलएमएस की अद्यतन सामग्री का शुभारंभ/नया सुधार किया गया पाठ जारी करना ।
- बैंकों के पदधारियों के लिए आईबीसी के संबंध में एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ । ऐसे दो कार्यक्रमों का आयोजन 20 फरवरी, 2021 और 5 जून, 2021 को किया गया था ।
- नीचे उल्लिखित विषयों के संबंध में 2 कार्यकारी समूह द्वारा अध्ययन किया गया था और उसे प्रकाशित किया गया था और साथ ही आईआईआईपीआई की वेबसाइट पर भी रखा गया है :
    - समूह दिवाला के प्रकियात्मक और सारवान पहलू : व्यवहारिक अनुभवों से सीख ।
    - आईबीसी के अधीन सीआईआरपी ने सीओसी की भूमिका : सर्वोत्तम व्यवहारों के संबंध में सिफारिशें ।
    - सीआईआरपी के दौरान आईपी द्वारा वृत्तिकों का नियोजन ।
- आईबीसी के अधीन मुकदमेबाजी को समय पर पूरा करने और उसकी प्रभाविकता से संबंधित एक अनुसंधान-सह-अध्ययन को आईआईआईपीआई की वेबसाइट पर रखा गया था ।
- आउटरीच में संवर्धन करने के लिए लिंक्डइन, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर सोशल मीडिया संबंधी पहलों को आरंभ किया गया ।
- हाल ही में, आईआईआईपीआई की वेबसाइट में पूर्ण रूप से सुधार किया गया है ।
- आवधिक अनुसंधान जर्नल 'द रिजोल्यूशन प्रोफेशनल' के अक्टूबर, 2020 के पश्चात् के तीन संस्करणों का प्रकाशन किया गया है ।
- साप्ताहिक न्यूज लैटरों और आईबीसी मामला विधि कैप्सूलों का प्रकाशन ।
- सदस्यों को उनकी चिकित्सा संबंधी आपातकालीन आवश्यकताओं का प्रबंध करने में सहायता करने के लिए देश भर में 4 कोविड हेल्पलाइनों को सक्रिय बनाया गया ।
- वृत्तिक प्रकृति की शंकाओं के संबंध में उत्तर/प्रतिक्रिया की वांछा करने वाले सदस्यों के लिए 'परिचर्चा मंच' का शुभारंभ ।
- अध्ययन समूह की सिफारिशों/जर्नल के साथ गणमान्य व्यक्तियों तक पहुंच, जिनके अंतर्गत एमसीए/आरबीआई/आईबीए/बैंक आदि हैं ।
- सीआईआई, यूके – एफसीडीओ, सीआईबीसी – आईसीएआई, क्रिसिल और ईटी – एसएफओ जैसे उद्योगों/मीडिया/अंतर्राष्ट्रीय निकायों के साथ संयुक्त कार्यक्रमों के आयोजन के लिए सहबद्धता । आईसीएईडब्ल्यू – यूके के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के लिए विचार-विमर्श चल रहा है ।

(II) दिवाला वृत्तिकों के कार्यपालन की मॉनिटरिंग

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 204 के अनुसार, आईआईआईपीआई के मूल कृत्यों में से एक कृत्य उसके सदस्यों के कार्यपालन की मॉनिटरिंग करना है और उसने एक मॉनिटरिंग नीति के साथ एक मॉनिटरिंग समिति की स्थापना की है । तदनुसार, आईआईआईपीआई निम्नलिखित पैरामीटरों के आधार पर अपने सदस्यों के कार्यपालन की मॉनिटरिंग करता है :--

- सदस्यों द्वारा आईआईआईपीआई और आईबीबीआई की वेबसाइट पर संवीक्षा और विश्लेषण के माध्यम से सतत मॉनिटरिंग के द्वारा प्रस्तुतियां, ये प्रस्तुतियां आईबीबीआई द्वारा जारी विभिन्न परिपत्रों, जो आईबीसी और उसके विनियमों के भाग बनते हैं, द्वारा शासित होती हैं।
- पूर्वोक्त विश्लेषण के आधार पर अपनी वेबसाइट पर व्यतिक्रती व्यक्तियों की सूची को अपलोड करके।
- एएफए (समनुदेशन के लिए प्राधिकार) जारी करने से पूर्व अनुपालनों को सुनिश्चित करके तथा विधिमान्य एएफए के साथ समनुदेशन होने की दशा में आईपी की मॉनिटरिंग करके।
- नियमित निरीक्षणों का संचालन करके, अर्थात् नैमितिक और ट्रिगर आधारित । आईआईआईपीआई ने 1.4.2020 से 30.06.2021 की अवधि के दौरान 28 दिवाला वृत्तिकों का निरीक्षण किया है।
- आईबीबीआई द्वारा जारी नए संशोधनों /परिपत्रों/दिशानिर्देशों को साझा करके अपने सदस्यों की जानकारी को अद्यतन बनाना।

(III) अनुशासनिक कार्रवाई

आईआईआईपीआई की अनुशासनिक समिति ने आज की तारीख तक अपने सदस्यों के विनियमन में उच्च नैतिक और वृत्तिक मानकों को बनाए रखने हेतु अपने सदस्यों के विरुद्ध 21 आदेश जारी किए हैं।

8. अन्य मामले

8.1 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (सीए) दिवस - 1 जुलाई, 2021

1 जुलाई, 2021 अर्थात् सीए दिवस को आईसीएआई ने अपनी गौरवान्वित विद्यमानता के 72 वर्षों को पूरा किया। कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण और बड़ी संख्या में लोगों को एकत्रित न करने संबंधी शासकीय दिशानिर्देशों का पालन करते हुए सीए दिवस समारोह का आयोजन वर्चुअल पद्धति से किया गया। इन समारोह के भागरूप में 29 जून, 2021 से 1 जुलाई, 2021 के दौरान "अपने गौरवान्वित अस्तित्व का अनुस्मरण और भविष्य की परिकल्पना" विषय पर एक तीन दिवसीय वेबीनार का आयोजन किया गया था, जिसमें भ्रातृसंघ के लिए हित के व्यापक विषयों को सम्मिलित किया गया था, जैसे कि वहनीयता, डिजीटल युग के साथ कदम मिलाकर चलना, वित्तीय और कर साक्षरता, वैश्विक न्यूनतम वैकल्पिक कर, स्टार्ट-अप, कोविड पश्च विकास दर को पुन: स्थापित करने के लिए कार्ययोजना आदि। सीए वृत्ति के लिए यह अत्यधिक सम्मान का क्षण था जब सीए पीयूष गोयल, संघ के माननीय रेल, वाणिज्य और उद्योग तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और लोक वितरण मंत्री ने 1 जुलाई, 2021 को सदस्यों और छात्रों को संबोधित किया। एक राष्ट्रीय वृहत वृक्षारोपण अभियान आरंभ किया गया था, जिसके अधीन चालू वर्ष के दौरान 5 क्षेत्रीय परिषदों और 164 शाखाओं के एक बहुत बड़े नेटवर्क का उपयोग करते हुए लगभग 10,00,000 वृक्षों को लगाने का लक्ष्य रखा गया है। श्री अर्जुन राम मेघवाल, संघ के संसदीय कार्य, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा पुनरुजीविन राज्य मंत्री ने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दिवस के अवसर पर परिषद को संबोधित किया। 3 दिवसीय वेबिनार, जिसमें विभिन्न सत्रों को समग्र क्षेत्रों तथा ऐसे विभिन्न क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए, जहां वृत्ति साधारण रूप से समाज का सहयोग कर रही है, सत्रों को निर्धारित किया गया था, जिनके दौरान जीवन के सभी वर्गों से आए विभिन्न वक्ताओं ने श्रोताओं के साथ अपने जीवन के समृद्ध अनुभवों को साझा किया था।

8.2 केन्द्रीय परिषद पुस्तकालय

संस्थान का केंद्रीय परिषद् पुस्तकालय उसके पणधारियों की सूचना संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करता है। इसका उद्देश्य, आईसीएआई के वर्तमान और भावी सदस्यों/छात्रों, अनुसंधान अध्येताओं और पदधारियों को प्रारंभिक और द्वितीय मुद्रण और गैर-मुद्रण सामग्रियों का व्यापक और अद्यतन संग्रह उपलब्ध कराना है। पुस्तकालय ने समितियों, विभागों में जानकारी प्रदान करने और मूल्यवान सूचना का प्रसार करने के वृहत्तर उत्तरदायित्व को ग्रहण किया है। यह इस उत्तरदायित्व का निर्वहन पुस्तकों, ई-पुस्तकों, जर्नलों, पत्रिकाओं, ऑनलाइन डाटाबेसों, मुद्रित समाचारपत्रों और साथ ई-समाचारपत्रों के माध्यम से करता है। केंद्रीय परिषद् पुस्तकालय विभिन्न समितियों के कार्य के लिए अपेक्षित जर्नलों और पुस्तकों को उपलब्ध कराने तथा उन्हें अद्यतन करने के लिए उत्तरदायी है।

केंद्रीय परिषद् पुस्तकालय पूर्णतया कंप्यूटरीकृत है और वह लिबर्टी-एक पुस्तकालय प्रबंधन साफ्टवेयर के माध्यम से कार्य करता है। पुस्तकालय की सामग्रियों, जिनके अंतर्गत पुस्तकों, जर्नलों और लेखों का डाटा बेस भी है, के लिए विषय, लेखक, शीर्षक, टापिक, कुंजी शब्द और प्रकाशक के माध्यम से खोज की जा सकती है। ये अभिलेख पुस्तकालय में इंटरनेट ऑनलाइन सर्विस www.icai.org पर "सेंट्रल काउंसिल लाइब्रेरी" पुस्तकों, जर्नलों, लेखों आदि के लिए पुस्तकालय में ऑनलाइन सर्च ओपीएसी लिबर्टी के अधीन उपलब्ध हैं।

संस्थान के जर्नल के स्तंभ "अकाउंटेंट्स ब्राउजर" के अधीन लेखांकन वृत्ति से सुसंगत लेखों की अनुक्रमणिका को प्रत्येक मास 'द चार्टर्ड अकाउंटेंट' जर्नल में प्रकाशित किया जाता है। यह उल्लेखनीय है कि "अकाउंटेंट्स ब्राउजर" पूर्ववर्ती लेखों के अभिलेखागार के साथ महत्वपूर्ण/वृत्तिक लेखों की एक अनुक्रमणिका है। निर्देश सेवा विभिन्न शोधकर्ताओं और अध्येताओं, संकाय और छात्रों तथा सदस्यों को प्रदान की जाती है।

पुस्तकालय द्वारा अनेक ऑन लाईन डाटाबेस भी अर्जित किए गए हैं जिनके ब्यौरे https://www.icai.org/post/central-council-library पर उपलब्ध हैं। पुस्तकालय ने इन ऑनलाइन ज्ञान डाटाबेसों को केन्द्रीय परिषद् पुस्तकालय में प्रतिष्ठापित किया है और सदस्यों, संकाय और अनुसंधान अध्येताओं द्वारा अपेक्षित सामग्री की तलाश को सुकर बनाने के लिए इन तक केवल आंतरिक रूप से पहुंच बनाई जा सकती है। पुस्तकालय द्वारा अनेक ई-जर्नलों की ग्राहकी भी प्राप्त की गई है। केंद्रीय परिषद् पुस्तकालय के क्रमश: प्रधान कार्यालय और नोएडा कार्यालय में स्थित पुस्तकालयों में वित्तीय वर्ष 2020-2021 के दौरान जोड़े गए नए संसाधनों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

केंद्रीय परिषद् पुस्तकालय (मुख्यालय)

क्रम सं.	शीर्षक	आंकड़े
1.	जर्नल (मुद्रण) राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय	28
2.	ऑनलाइन संसाधन	18
3.	अवधि के दौरान जोड़ी गई पुस्तकों की संख्या	163

केंद्रीय परिषद् पुस्तकालय, सेक्टर 62 नोएडा

क्रम सं.	शीर्षक	आंकड़े
1.	जर्नल (मुद्रण) राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय	17
2.	ऑनलाइन संसाधन	16
3.	अवधि के दौरान जोड़ी गई पुस्तकों की संख्या	51

केंद्रीय परिषद् पुस्तकालय नियमित रूप से अपने संसाधनों को अद्यतन बना रहा है ताकि वृत्तिक सदस्यों, छात्रों, संकायों और अन्य पणधारियों को नवीनतम और अद्यतन जानकारी और सूचना उपलब्ध कराई जा सके।

8.3 संपादक बोर्ड

संपादक बोर्ड भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) की एक गैर-स्थायी समिति है जिसका उद्देश्य सदस्यों को नियमित रूप से वृत्तिक ज्ञान, वृत्ति से हितबद्ध अन्य विषयों पर एक संरचित रीति में 'द चार्टर्ड अकाउंटेंट' जर्नल के माध्यम से जानकारी उपलब्ध कराना है। जर्नल की पहुंच और प्रभाव का अनुमान इसके परिचालन से संबंधित आंकड़ों से लगाया जा सकता है, जो आज के दिन 3,40,000 से अधिक है, जिसमें ई-जर्नल और मुद्रित प्रतियां, दोनों सम्मिलित हैं।

यह आईसीएआई का 'ब्रांड अम्बेसडर' है और सदस्यों, छात्रों तथा बाह्य श्रोताओं के लिए संस्थान के प्रोफाइल को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। आज द चार्टर्ड अकाउंटेंट विश्व की ख्याति प्राप्त पत्रिकाओं से टक्कर ले रहा है। विभिन्न विषयों और मुद्दों पर आईसीएआई के सदस्यों और द चार्टर्ड अकाउंटेंट जर्नल के अन्य पाठकों की विभिन्न विषयों और मुद्दों पर जानकारी को अद्यतन बनाए रखने के अपने मिशन को आगे बढ़ाते हुए संपादक बोर्ड निरंतर प्रयासरत है और साथ ही वह आईसीएआई में होने वाली विभिन्न नवीनतम घटनाओं के संबंध में सूचना का भी प्रचार-प्रसार करता है।

1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 की अवधि के दौरान संपादक बोर्ड द्वारा प्राप्त की गई अत्यधिक महत्वपूर्ण उपलब्धियां निम्नानुसार हैं :

(I) राष्ट्र निर्माण में भागीदारी संबंधी पहलें

संपादक बोर्ड ने अपने मासिक जर्नल, द चार्टर्ड अकाउंटेंट और साथ ही अन्य माध्यमों से ज्ञान का उन्नयन और प्रसार करके राष्ट्र निर्माण में भागीदारी संबंधी अनेक पहलों को आरंभ किया है। इस संबंध में, की गई महत्वपूर्ण पहलें निम्नानुसार हैं :-

(1) राष्ट्रीय/वृत्तिक हित के प्रकाशन – अवधि के दौरान, विभिन्न और समकालीन वृत्तिक मुद्दों से संबंधित बड़ी संख्या में लेखों को आईसीएआई के जर्नल में सम्मिलित किया गया था। इसके अतिरिक्त, जर्नल में वृत्तिक हित के अन्य नियमित फीचरों को भी सम्मिलित किया गया था। कोविड 19 महामारी से सामने आई परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आत्मनिर्भर भारत, एमएसएमई और अन्य तकनीकी विषयों के संबंध में ज्ञान का प्रसार करने हेतु विशेष अंक निकाले गए थे।

(2) 'आई गो ग्रीन विद आईसीएआई' पहल - आईसीएआई के बहु आयामी हरित अभियान के भागरूप में, हरित क्रांति की सोच रखने वाले सदस्यों और द चार्टर्ड अकाउंटेंट जर्नल के अन्य पाठकों को एक विकल्प लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया था, जिसके अधीन वे वृक्षों को बचाने के लिए जर्नल की हार्ड प्रति को न लेकर जर्नल के विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक पाठों का विकल्प ले सकते थे। आईसीएआई का यह डिजीटल पाठ अत्यंत लोकप्रिय हो रहा है। सदस्यों को ई-जर्नल का विकल्प लेने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में सदस्यों ने पर्यावरण के लिए अनुपयुक्त मुद्रित भौतिक प्रतियां न लेने का विकल्प लिया है। इन प्रयासों के साथ मुद्रित प्रतियों की संख्या में महत्वपूर्ण रूप से कमी आई है और इन प्रतियों की संख्या, जो मार्च, 2020 में 1,74,815 थी, मार्च, 2021 में कम होकर मात्र 1,04,574 रह गई है।

कोविड 19 महामारी के कारण अप्रैल, 2020 से नवंबर, 2020 की अवधि के दौरान इस जर्नल का प्रकाशन नहीं किया गया था। इस अवधि के दौरान केवल ई-जर्नल को ही उपलब्ध कराया गया था।

(II) सदस्यों/छात्रों के लिए पहलें

संपादक बोर्ड, अपने मासिक जर्नल द चार्टर्ड अकाउंटेंट के माध्यम से सदस्यों/छात्रों के ज्ञानवर्धन और वृत्तिक विकास के लिए पहलें करने में सदैव सक्रिय रहा है। इस संबंध में कुछ महत्वपूर्ण पहलें निम्नानुसार हैं :

द चार्टर्ड अकाउंटेंट जर्नल में क्वालिटी और समकालीन अंतर्वस्तु को सम्मिलित किया जाना :

- ➢ विषयों की व्यापक रेंज को सम्मिलित किया जाना : अप्रैल, 2020 से मार्च, 2021 तक के जर्नल के अंकों में विभिन्न नवीन और समकालीन मुद्दों के अधीन 155 से अधिक लेखों/फीचरों का प्रकाशन किया गया था। इसके अतिरिक्त, जर्नल में अन्य नियमित फीचरों को भी सम्मिलित किया गया था, जिनमें मानक, विधिक अद्यतन जानकारी, विशेषज्ञों की राय, आचार और मीडिया में आईसीएआई जैसे विषय सम्मिलित थे, जिन्हें आईसीएआई की विभिन्न समितियों के सहयोग से प्राप्त किया गया था।
- ➢ 'इंड एएस अलर्ट' फीचर : 'इंड एएस अलर्ट' फीचर सदस्यों/पाठकों को भारतीय लेखांकन मानकों के संबंध में नवीनतम घटनाओं की अद्यतन जानकारी प्रदान करता है।
- ➢ जुलाई, 2020 के आईसीएआई के जर्नल के अंक को कलेक्टर्स संस्करण के रूप में निकाला जाना : सीए दिवस के उपलक्ष्य में जुलाई, 2020 के अंक को कलेक्टर्स संस्करण के रूप में निकाला गया था, जिसमें 148 पृष्ठ सम्मिलित थे। इस विशेष अंक में व्यापक रूप से गणमान्य व्यक्तियों द्वारा लेखांकन वृत्ति के संबंध में जर्नल हेतु विशेष रूप से लिखे गए 35 लेखों का प्रकाशन करके समारोह की भावना में अभिवृद्धि की गई थी। इसके अतिरिक्त, जर्नल में 12 महत्वपूर्ण गणमान्य व्यक्तियों से सीए दिवस से संबंधित प्रेरक संदेशों को भी प्रकाशित किया गया था, जिनमें श्री एम. वेंकैया नायडू, भारत के माननीय उपराष्ट्रपति; श्री नरेंद्र मोदी, भारत के माननीय प्रधान मंत्री; श्री अमित शाह, भारत के माननीय गृह मंत्री; श्रीमती निर्मला सीतारमण, माननीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री; सीए. पीयूष गोयल, माननीय रेल और वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री; श्री नितिन गडकरी, माननीय सड़क परिवहन और राजमार्ग और एमएसएमई मंत्री; श्री रविशंकर प्रसाद, माननीय विधि और न्याय, दूरसंचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री; श्री थावरचंद गहलोत, माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री; श्री अनुराग सिंह ठाकुर, माननीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य राज्य मंत्री; श्री सुरेश अंगादी, माननीय रेल राज्य मंत्री; श्री प्रताप चंद्र सारंगी, माननीय एमएसएमई, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री; सीए. सुरेश प्रभु, माननीय संसद सदस्य, राज्यसभा और प्रधान मंत्री के जी 7 और जी 20 में शेरपा सम्मिलित थे। जुलाई 2020 के अंक के प्रमुख आकर्षण में

वैश्विक लेखांकन निकायों के नेताओं के नौ लेख शामिल थे, जिनमें इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लेख भी सम्मिलित थे। पांच पूर्व अध्यक्षों के लेखों को भी प्रमुख विषयों पर उनके परिप्रेक्ष्यों को उपलब्ध कराने हेतु इस अंक में सम्मिलित किया गया था। इस अंक की अन्य मुख्य विशेषताओं में रणनीति, 71 अभूतपूर्व वर्ष – फोटों के माध्यम से यात्रा, आईसीएआई के जर्नल के प्रथम अंक से कोट और उसकी यादों को ताजा करते हुए सामग्री को सम्मिलित किया गया था।

- जर्नल का अद्यतन विधिक जानकारी संबंधी भाग : जर्नल में मामला संबंधी रिपोर्टों को शीर्ष टिप्पणों के साथ प्रकाशित किया गया था। इसके साथ ही मामला विधियों के संपूर्ण विवरणों को संस्थान की वेबसाइट पर समिति के पृष्ठ के अधीन ऑनलाइन रूप से प्रकाशित किया गया था।

सदस्यों और छात्रों की सुविधा हेतु द चार्टर्ड अकाउंटेंट जर्नल के अंकीय पाठों के अनेक रूपों का उन्नयन

- डिजीटल पठन केंद्र संबंधी जर्नल : जर्नल के इलैक्ट्रानिक पाठ को, जो ऑनलाइन रूप से उपयोक्ता मित्र ई-पत्रिका के रूप में आईसीएआई की वेबसाइट www.icai.org पर उपलब्ध है, को और अधिक समुन्नत किया गया था तथा उसे डिजीटल पठन केंद्र के भाग रूप में सम्मिलित किया गया था। इससे आईसीएआई के हरित अभियान को समर्थन देने के अलावा आईसीएआई की पठन प्रबंध प्रणाली के माध्यम से ज्ञान के प्रसार में सहायता प्राप्त हुई थी। ई-जर्नल का एससीओआरएम अनुरूप पाठ और अधिक तीव्र, प्रतिक्रियाशील है और उसमें बेहतर उपयोक्ता अनुभव प्राप्त होता है तथा वह बेहतर मोबाइल अनुरूपता की प्रस्थापना करता है, जो नई पीढ़ी के चार्टर्ड अकाउंटेंटों की अपेक्षाओं को पूरा करता है। फिल्प पुस्तक के रूप में भी ई-जर्नल को वेबसाइट पर रखा जाता है, जिसमें सौंदर्यबोधी रूप से आकर्षक अंतर्वस्तु उपलब्ध कराई जाती है।
- पीडीएफ प्ररूप में जर्नल : पाठकों के लिए और अधिक तथा वैकल्पिक सुविधाओं को आरंभ करने, विशिष्ट रूप से अंतर्वस्तु-वार पृथक् डाउनलोड के लिए जर्नल को पीडीएफ प्ररूप में वेबसाइट पर रखे जाने को जारी रखा गया है। जुलाई, 2002 के आगे से अंकीय जर्नल के पिछले सार संग्रह आईसीएआई की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।
- मोबाइल पर जर्नल : यह ई-जर्नल अब मोबाइल पर भी उपलब्ध है तथा यह आईओएस (आई पैड/आई फोन आदि) और एंड्रयाड युक्तियों के समनुरूप है। इस जर्नल तक पहुंच को http://www.icai.org/ के अधीन 'ई-जर्नल' टैब पर सुकर बनाया जा सकता है। यह ई-जर्नल आईसीएआई मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है।
- जर्नल हाईलाईट ईमेलर्स : एक अतिरिक्त सेवा के रूप में जर्नल के प्रत्येक अंक की विशिष्टियों को संक्षिप्त रूप में तथा जर्नल में सम्मिलित अध्यक्ष के संदेश को सभी सदस्यों को ई-मेल किया जाता है।
- जर्नलों की डीवीडी : चार्टर्ड अकाउंटेंट जर्नल के सभी पाठकों को एकल बिन्दु संदर्भिका उपलब्ध कराने की एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में तथा उनकी बेहतर रूप से सेवा करने में प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के विचार से, जर्नल के सभी पूर्व अंकों की एक डीवीडी भी पाठकों और अन्य पणधारियों के लिए उपलब्ध कराई गई है। यद्यपि, दस वर्ष के जर्नलों (जुलाई, 2002 – जून, 2012) की एक डीवीडी पीडीएफ प्ररूप में न्यूनतम लागत पर पाठकों के लिए निकाली गई थी, अभी हाल ही में एक एचटीएमएल कृत डीवीडी, जिसमें द चार्टर्ड अकाउंटेंट जर्नल के 63 वर्षों के सभी अंक (जुलाई, 1952 से जून, 2015) अंतर्विष्ट हैं, भी जारी की गई है। इस एचटीएमएल – पाठ डीवीडी में खोज पद्धति समाविष्ट है, जिससे पाठक अंतर्वस्तु को लेखांकन, संपरीक्षा, कराधान आदि जैसे कुंजी शब्दों और साथ ही मास, वर्ष, जिल्द, प्रवर्ग (जैसे कि परिपत्र और अधिसूचना, आईसीएआई समाचार, विधिक निर्णय, लेखक आदि) के माध्यम से खोज सकेंगे।

9. सदस्य

9.1 सदस्यता

31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान आईसीएआई द्वारा 19,843 नए सदस्यों को दर्ज किया गया था, जिससे 1 अप्रैल, 2021 को आईसीएआई की कुल सदस्यता संख्या 3,27,081 हो गई है।

पिछले वर्ष सम्मिलित किए गए 642 अध्येताओं की तुलना में 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान 4254 सहबद्ध सदस्यों को अध्येता के रूप में सम्मिलित किया गया।

1 अप्रैल, 2021 को सदस्यों की कुल संख्या

सदस्यों का प्रवर्ग	अध्येता (1)	सहयोजित (2)	स्तंभ (1) और (2) का योग
पूर्णकालिक व्यवसाय में	87000	57136	144136
अंशकालिक व्यवसाय में	2231	4772	7003
जो व्यवसाय में नहीं हैं	14506	161436	175942
योग	103737	223344	327081

9.2 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कल्याण निधि

दिसम्बर, 1962 में स्थापित चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कल्याण निधि ऐसे जरूरतमंद व्यक्तियों को, जो संस्थान के सदस्य हैं या रहे हैं और उनके आश्रितों को, उनके भरण पोषण तथा शिक्षा और चिकित्सा आदि की उभरती अत्यावश्यकताओं को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

कोविड 19 महामारी के दौरान, जरुरतमंद सदस्यों को और/या उनके आश्रितों को उनके द्वारा विहित मानदंड पूरा किए जाने पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई।

निधि की वित्तीय और अन्य विशिष्टियां निम्नानुसार हैं :

सदस्यता के ब्यौरे

1.	31 मार्च, 2020 को कुल आजीवन सदस्य	1,37,775
2.	31 मार्च, 2021 को कुल आजीवन सदस्य	1,38,835
3.	नए आजीवन सदस्यों में कुल वृद्धि (31 मार्च, 2021 को यथाविद्यमान)	1,060

वित्तीय विशिष्टियों के ब्यौरे

	विशिष्टियों	31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान (रुपए)	31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान (रुपए)
1.	दी गई कुल वित्तीय सहायता	3,96,56,000	93,98,000
2.	प्रशासनिक व्यय	शून्य	15,000
3.	वर्ष के दौरान निधि में अधिशेष	(1,35,82,000)	1,94,70,000
4.	निधि का अतिशेष	5,52,17,000	6,87,99,000
5.	कोरपस का अतिशेष	22,71,03,000	21,68,98,000

9.3 एस. वैद्यनाथ अय्यर स्मारक निधि

31 मार्च, 2021 को निधि के आजीवन सदस्यों की संख्या 9,589 है। निधि के पास 31 मार्च, 2020 को 61,64,000 रुपए के मुकाबले 31 मार्च, 2021 को 70,12,000 रुपए हैं।

9.4 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स छात्र कल्याण निधि (सीएएसबीएफ)

आईसीएआई के साथ रजिस्ट्रीकृत छात्रों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लक्ष्य और उद्देश्यों से अगस्त, 2008 में इस निधि की स्थापना की गई थी । 31 मार्च, 2020 को 13,31,54,000/- रुपए की तुलना में 31 मार्च, 2021 को 15,87,36,000 रुपए साधारण निधि में अतिशेष के रूप में जमा थे ।

सदस्यों के आंकड़े

1.4.2021 को यथाविद्यमान

अध्येता :	पूर्णकालिक व्यवसाय में	87000
	अंशकालिक व्यवसाय में	2231
	जो व्यवसाय में नहीं है	14506
		103737
सहबद्ध :	पूर्णकालिक व्यवसाय में	57136
	अंशकालिक व्यवसाय में	4772
	जो व्यवसाय में नहीं है	161436
		223344
कुल सदस्यता :		327081

	अध्येता				सहबद्ध				
	व्यवसाय में				व्यवसाय में				
क्षेत्र	पूर्णकालिक	अंशकालिक	जो व्यवसाय में नहीं है	योग	पूर्णकालिक	अंशकालिक	जो व्यवसाय में नहीं है	योग	सकल योग
पश्चिमी	25388	620	4014	30022	19217	1673	58344	79234	109256
दक्षिणी	18359	581	3453	22393	9617	1029	31960	42606	64999
पूर्वी	8014	170	1301	9485	3819	358	12259	16436	25921
मध्य	17787	344	2068	20199	13059	748	27782	41589	61788
उत्तरी	17452	516	3670	21638	11424	964	31091	43479	65117
योग	87000	2231	14506	103737	57136	4772	161436	223344	327081

10. अध्ययन बोर्ड

संस्थान का अध्ययन बोर्ड, चार्टर्ड अकाउंटेंसी पाठयचर्या के प्रशासन और चार्टर्ड अकाउंटेंसी पाठयक्रम करने वाले छात्रों को सैद्धांतिक

अनुदेश प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है । इस अवधि के दौरान बोर्ड की महत्वपूर्ण पहलों और उपलब्धियों को नीचे उल्लिखित किया गया है :

10.1 अध्ययन बोर्ड (शैक्षिक)

राष्ट्र निर्माण में भागीदारी संबंधी पहलें

(I) ऐसे छात्रों के लिए सीए पाठ्यक्रम फीस की छूट, जिन्होंने कोविड 19 महामारी के दौरान अपने माता-पिता को खो दिया है

सभी सीए पाठ्यक्रमों के सभी स्तरों, जिसके अंतर्गत आईसीआईटीएसएस [सूचना प्रौद्योगिकी से युक्त (आईटी) और अनुकूलन कार्यक्रम] और एआईसीटीएसएस [उन्नत सूचना प्रौद्योगिकी से युक्त (उन्नत आईटी) और प्रबंध तथा संपर्क कौशल (एमसीएस) पाठ्यक्रम] सम्मिलित हैं, के लिए ऐसे छात्रों को रजिस्ट्रीकरण फीस से छूट दी जाएगी, जिन्होंने कोविड 19 महामारी के दौरान अपने किसी माता-पिता को खो दिया है, इस छूट हेतु उन्हें सीए पाठ्यक्रम हेतु रजिस्ट्रीकरण करते समय अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे ।

(II) चार्टर्ड अकाउंटेंसी अर्हता का स्नातकोत्तर डिग्री के समतुल्य होना

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने चार्टर्ड अकाउंटेंसी अर्हता को शैक्षिक रूप से स्नातकोत्तर डिग्री के समतुल्य रखा है । इसके परिणामस्वरूप, हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट सदस्य अब 108 विश्वविद्यालयों, दो आईआईटी, 7 आईआईएम, जो वर्तमान में पीएच.डी. कार्यक्रम में रजिस्ट्रीकरण के विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंसी अर्हता को मान्यता प्रदान करते हैं, की तुलना में सभी भारतीय विश्वविद्यालयों में पीएच.डी. करने में समर्थ हो सकेंगे । चार्टर्ड अकाउंटेंसी पाठ्यक्रम को स्नातकोत्तर डिग्री के समतुल्य बन जाने के कारण चार्टर्ड अकाउंटेंट अब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (एनईटी) में बैठ सकेंगे । यह चार्टर्ड अकाउंटेंटों को पूरे भारत वर्ष में स्थित विश्वविद्यालयों में कनिष्ठ अनुसंधान अध्येता/सहायक प्रोफेसर बनने हेतु पात्र बनाएगा ।

(III) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के बी.काम (साधारण) और बी.काम (आनर्स) के लिए प्रारूप एलओसीएफ (पठन परिणामों पर आधारित पाठ्यचर्या ढांचा) का पियर पुनर्विलोकन

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने उच्चतर शिक्षा संस्थाओं (एचईआई) की गुणवत्ता में अभिवृद्धि हेतु एक गुणवत्ता संबंधी आदेश निकाला है, जिसमें यूजीसी द्वारा की जाने वाली दस पहलों को सम्मिलित किया गया है । इस दिशा में की जाने वाली प्रमुख पहलों में से एक पहल बी.काम (साधारण) और बी.काम (आनर्स) के लिए पठन परिणामों पर आधारित पाठ्यचर्या ढांचा (एलओसीएफ) तैयार करना है ।

(IV) सीआरईटी का गठन – आशय, प्रयोजन और पद्धति -

चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के इच्छुक अभ्यर्थियों को उनके लक्ष्य की पूर्ति में समर्थ बनाने हेतु ऐसी सक्षमता अर्जित करने के लिए, जो किसी वृत्तिक के लिए अपेक्षित है, आईसीएआई ने 17 मई, 2021 को यह अवधारण करने के लिए कि क्या विद्यमान शिक्षा प्रणाली विद्यमान अपेक्षाओं और परिवर्तनशील परिस्थितियों के संदर्भ में पर्याप्त है, विद्यमान शिक्षा प्रणाली और प्रशिक्षण का पुनर्विलोकन के आधारिक उद्देश्य से "शिक्षा और प्रशिक्षण पुनर्विलोकन समिति (सीआरईटी)" का गठन किया है ।

(V) राष्ट्रीय शिक्षा नीति का सीए पाठ्यक्रम पर प्रभाव

राष्ट्रीय शिक्षा नीति का आईसीएआई के सीए पाठ्यक्रम पर प्रभाव के संबंध में विचार करने के लिए एक समूह का गठन किया गया था, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का सीए पाठ्यक्रम पर प्रभाव के संबंध में विचार कर रहा है । इस समूह ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और उसे शिक्षा और प्रशिक्षण पुनर्विलोकन समिति (सीआरईटी) द्वारा विचार में लिया जाएगा ।

(VI) आईसीएआई की अंतर्राष्ट्रीय पाठ्यचर्या का शुभारंभ

भारत सरकार के, नई शिक्षा नीति, 2020 में यथा अनुष्ठापित उच्चतर शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण के उद्देश्य की पूर्ति करने तथा अंतर्राष्ट्रीय वृत्तिक अकांउटेंसी शिक्षा के क्षेत्र में मजबूत पकड़ बनाने के लिए आईसीएआई ने 8 फरवरी, 2021 को श्री वी. मुरलीधरन, माननीय विदेश राज्य मंत्री के हाथों अपनी अंतर्राष्ट्रीय पाठ्यचर्या का शुभारंभ किया है ।

(VII) हिंदी महाविद्यालय (एचएमवी), हैदराबाद, खालसा महाविद्यालय, अमृतसर, पंजाब और सावित्रीबाई फुले, पुणे विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू)

पाठ्यचर्या की संरचना, प्रस्तावित पाठ्यक्रमों की पाठ्यचर्या के विकास और संकाय विकास कार्यक्रम के माध्यम से संकाय को प्रशिक्षित

करने में समर्थन देने के लिए (i) हिंदी महाविद्यालय (एचएमवी), हैदराबाद, (ii) खालसा महाविद्यालय, अमृतसर, पंजाब और (iii) सावित्रीबाई फुले, पुणे विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

छात्रों के लिए पहल

(I) प्रवेश अपेक्षा में परिवर्तन

कक्षा 10 की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् फाउंडेशन पाठ्यक्रम में अनंतिम रूप से छात्रों को रजिस्टर करने हेतु अनुज्ञात करने के उद्देश्य से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 25ङ, 25च और 28च में संशोधन किए गए हैं, जो अभ्यर्थी को 10वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् आईसीएआई के फाउंडेशन पाठ्यक्रम में अनंतिम रूप से रजिस्टर करने हेतु समर्थ बनाता है।

(II) नि:शुल्क वर्चुअल कोचिंग कक्षाएं

अध्ययन बोर्ड (शैक्षिक) ने नवंबर, 2020 और मई, 2021 में होने वाली सीए परीक्षाओं के लक्ष्य से छात्रों के लिए जुलाई, 2020 से फाउंडेशन, इंटर और अंतिम पाठ्यक्रमों से संबंधित नि:शुल्क वर्चुअल कोचिंग कक्षाओं (वीसीसी) को आरंभ किया। इन कक्षाओं से लगभग 2.7 लाख छात्रों ने लाभ उठाया।

(III) मोबाइल ऐप – "आईसीएआई – बीओएस" का शुभारंभ

मोबाइल प्रौद्योगिकियों के उपयोग में यह संभावना अंतरनिहित है कि वह छात्रों को परस्पर क्रियाशील पठन और क्वालिटी सेवाएं उपलब्ध करा सकती है। यह छात्रों के साथ एक सुदृढ़ संबंध स्थापित करेगी। इस उद्देश्य से आईसीएआई के अध्ययन बोर्ड (शैक्षिक) ने सीए छात्रों के लिए मोबाइल ऐप – "आईसीएआई – बीओएस" को विकसित किया है। 1 जुलाई, 2021 को 73वें सीए दिवस के उपलक्ष्य में सीए छात्रों के लिए "आईसीएआई – बीओएस" मोबाइल ऐप का शुभारंभ सीए. पीयूष गोयल, संघ माननीय रेल, वाणिज्य और उद्योग तथा उपभोक्ता कार्य, खाद्य और लोक वितरण मंत्री के शुभ हाथो से किया गया। छात्र इस मोबाइल ऐप के एंड्रायड वर्जन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं।

(IV) पाठ्यचर्या में विषयों को सम्मिलित किया जाना/विषयों को पाठ्यचर्या से बाहर किया जाना

यह सुनिश्चित करने के लिए कि सीए पाठ्यचर्या सदैव परिवर्तनशील आर्थिक परिस्थितियों में समकालीन बनी रहे, अध्ययन बोर्ड (शैक्षिक) समय-समय पर इसके विभिन्न विषयों की पाठ्यचर्या का पुनर्विलोकन करता है। पाठ्यचर्या से बाहर किए गए विषय नवंबर, 2021 और उसके पश्चात् होने वाली परीक्षाओं के संबंध में लागू होंगे तथा सम्मिलित किए जाने वाले मई, 2022 और उसके पश्चात् कराई जाने वाली परीक्षाओं के लिए लागू होंगे, जिससे छात्रों को नए विषयों के संबंध में तैयारी करने के लिए युक्तियुक्त समय प्राप्त हो सके।

(V) मौक परीक्षा पत्र

मौक परीक्षा पत्रों का ऑनलाइन रूप से संचालन मई और अक्टूबर, 2020 के दौरान किया गया था तथा मार्च और अप्रैल, 2021 में उक्त परीक्षा पत्रों का आयोजन भौतिक/वर्चुअल, दोनों पद्धतियों के माध्यम से किया गया था, जिससे छात्र परीक्षाओं से काफी समय पूर्व अपनी तैयारियों का मूल्यांकन करने में समर्थ हो सकें।

(VI) व्यवहारिक प्रशिक्षण के निर्धारण हेतु कंप्यूटर आधारित परीक्षा

छात्रों के बीच तीन वर्ष के व्यवहारिक प्रशिक्षण को पूरा करने के संबंध में छात्रों के बीच गंभीरता का सृजन करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि पठन हेतु छात्रों के लिए अपेक्षित सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, आईसीएआई ने व्यावहारिक प्रशिक्षण के प्रथम और द्वितीय वर्ष के पूरा हो जाने के पश्चात् छात्रों के लिए सितंबर, 2018 से ऑनलाइन एमसीक्यू आधारित परीक्षाओं का आयोजन आरंभ किया था। दोनों स्तरों पर 1,15,000 छात्रों को सम्मिलित करते हुए सितंबर, 2018 से आरंभ करते हुए दिसंबर, 2019 तक 15 केंद्र आधारित परीक्षाओं का आयोजन किया गया था।

कोविड 19 महामारी के कारण वर्ष 2020 में केंद्र आधारित परीक्षाओं का आयोजन नहीं किया जा सका था। अत:, यह विनिश्चय किया गया था कि घर से ही व्यवहारिक प्रशिक्षण निर्धारण का संचालन किया जाए, इस श्रृंखला में प्रथम पांच परीक्षाओं का आयोजन अक्टूबर, 2020 से जून, 2021 के दौरान किया गया था, जिसमें 97,702 छात्रों ने दोनों स्तरों पर भाग लिया था।

(VII) अत्यधिक छुट्टी के कारण औद्योगिक प्रशिक्षण और अनुपूरक लेखों के संबंध में प्रारूप संशोधन

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 51, 54 और 58 में संशोधनों के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन को अपनी तारीख 11 जून, 2021 की ई-मेल द्वारा संसूचित किया था, जिसके साथ विधायी विभाग द्वारा पेंसिल से सम्यक् रूप से विधीक्षित प्रारूप संशोधन भी आगे आवश्यक कार्रवाई हेतु प्राप्त हुए थे । तदनुसार, प्रारूप विनियमों में किए गए संशोधनों को 22 जून, 2021 को राजपत्र में अधिसूचित किया गया था ।

(VIII) डिजीटल पठन केंद्र संबंधी ई-पुस्तकें

बोर्ड ने आईसीएआई डिजीटल पठन केंद्र के माध्यम से सीए पाठ्यक्रम के सभी तीन स्तरों के लिए ई-पुस्तकों को जारी किया है । हाल ही में, फाउंडेशन और मध्यवर्ती पाठ्यक्रमों की अध्ययन सामग्री को श्रव्य रूप में संपरिवर्तित करके पुनरीक्षित एससीओआरएम फाइल सृजन संबंधी कार्य को पूरा किया गया है ।

(IX) प्रकाशनों का जारी किया जाना

अध्ययन सामग्री को और अधिक छात्र मित्र बनाते हुए पिक्टोरियल, फ्लो चार्ट और सारणियों आदि के माध्यम से अवधारणात्मक समझ के लिए और अधिक उदाहरणों/दृष्टांतों/प्रश्नों को सम्मिलित करके सभी तीन स्तरों के सभी विषयों की शिक्षा सामग्रियों की गुणवता में अभिवृद्धि करने के लिए एक व्यापक कार्यवाही आरंभ की गई है । इन मूल्यवर्धित शिक्षा सामग्रियों और एमसीक्यू संबंधी पुस्तिकाओं और मामला विधियों का आशय छात्रों के पठन को और अधिक प्रभावी बनाना है ।

- एमसीक्यू तथा मामला विधियों संबंधी पुस्तिकाएं – सभी तीन स्तरों पर अध्ययन सामग्री के पुनरीक्षित संस्करण के अलावा पहली बार अध्ययन बोर्ड ने मध्यवर्ती और फाइनल स्तर के चुनिंदा प्रश्न-पत्रों के संबंध में प्रश्न-पत्रवार एमसीक्यू तथा मामला विधियों से संबंधित पुस्तिकाएं निकाली हैं । इन पुस्तिकाओं में मध्यवर्ती स्तर पर 1300 से अधिक एमसीक्यू तथा फाइनल स्तर के लगभग 1000 एमसीक्यू को सम्मिलित किया गया है ।

- फाइनल स्तर पर मामला अध्ययन सार संग्रह – अध्ययन बोर्ड ने छात्रों की मामला अध्ययन आधारित प्रश्न-पत्र का उत्तर देने में सहायता करने के प्रयास के भागरूप में छह वैकल्पिक प्रश्न-पत्रों (प्रश्न-पत्र 6क से 6च) में से प्रत्येक के संबंध में एक मामला अध्ययन सार-संग्रह तथा फाइनल स्तर पर मूल प्रश्न-पत्र 5 : नीतिगत लागत प्रबंध और कार्यपालन मूल्यांकन के संबंध में मामला अध्ययन सार-संग्रह निकाला है ।

महत्वपूर्ण घटनाएं

(I) विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के लिए स्नातकों की नियोजन संबंधी योग्यता में अभिवृद्धि करने संबंधी राष्ट्रीय सहयोगात्मक कार्यक्रम

भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एआईयू) और भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) ने 13 जनवरी, 2021 को वर्चुअल मंच के माध्यम से विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के लिए स्नातकों की नियोजन संबंधी योग्यता में अभिवृद्धि करने संबंधी राष्ट्रीय सहयोगात्मक कार्यक्रम का आयोजन किया था । इस कार्यक्रम में आईसीएआई के प्रतिनिधियों डा. भूषण पटवर्धन, उपाध्यक्ष, यूजीसी, डा. (सुश्री) पंकज मित्तल, महासचिव, एआईयू ने पूरे भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों के 170 से अधिक कुलपतियों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया था ।

(II) वर्चुअल कोचिंग कक्षाओं के संकाय के साथ परस्पर क्रियाशील सत्र

आईसीएआई के अध्ययन बोर्ड (शैक्षिक) ने 10 सितंबर, 2020 को वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से वर्चुअल कोचिंग कक्षाओं के संकाय के साथ परस्पर क्रियाशील सत्र का आयोजन किया था ताकि इन सहयोग को अभिस्वीकृति प्रदान की जा सके और साथ ही उनसे इस संबंध में सुझाव मांगे गए थे कि व्याख्यान प्रस्तुत किए जाने हेतु किस प्रकार इस मंच को और अधिक सुदृढ़ बनाया जा सकता है ।

10.2 छात्र कौशलों में अभिवृद्धि करने संबंधी बोर्ड (अध्ययन बोर्ड – प्रचालन)

(I) आर्टिकल नियोजन और औद्योगिक प्रशिक्षण पोर्टल

आईसीएआई के छात्र कौशलों में अभिवृद्धि करने संबंधी बोर्ड (अध्ययन बोर्ड – प्रचालन) ने 14 जून, 2020 को एक लाइव वेबीनार के माध्यम से आर्टिकल नियोजन और औद्योगिक प्रशिक्षण पोर्टल का शुभारंभ किया है । यह एक ऐसा मंच है जो छात्रों और कंपनियों, दोनों को परस्पर एक दूसरे का चयन करने हेतु एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करने का अवसर उपलब्ध कराता है । यह पोर्टल नामांकन हेतु पात्र छात्रों की संख्या और साथ ही उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए उपलब्ध सदस्यों की संख्या को उपदर्शित करता है । यह पोर्टल रजिस्ट्रीकृत कंपनियों और उनमें उपलब्ध रिक्तियों के क्षेत्रवार, विशेषज्ञतावार और उनकी संख्या के संबंध में ब्यौरे भी दर्शित करता है ।

यह पोर्टल छात्रों को सही समय पर प्रणाली के माध्यम से औद्योगिक प्रशिक्षण हेतु उनकी पात्रता के बारे में ई-मेल/एसएमएस के माध्यम से संसूचित करेगा । यह पोर्टल ऐसे उद्योगों को ऑनलाइन अनुमोदन भी प्रदान करता है, जो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट विनियमों के अनुसार सीए बनने के इच्छुक छात्रों को औद्योगिक प्रशिक्षण प्रदान करने का आशय रखते हैं।

(II) छात्र क्रियाकलाप संबंधी पोर्टल

छात्र क्रियाकलाप संबंधी पोर्टल छात्रों की, प्रादेशिक परिषदों और शाखाओं द्वारा आयोजित किए जाने वाले विभिन्न छात्र संबंधी कार्यक्रमों हेतु रजिस्टर करने में सहायता करता है । यह कार्यक्रम आयोजक इकाईयों और छात्र कौशलों में अभिवृद्धि करने संबंधी बोर्ड (अध्ययन बोर्ड – प्रचालन) के स्तर पर छात्र क्रियाकलापों के प्रणालीगत प्रबंध में सहायता करता है । इस पोर्टल पर 912 कार्यक्रमों को रजिस्ट्रीकृत किया गया है ।

(III) पठन कक्ष पोर्टल

देश भर में सीए छात्रों को पठन संबंधी अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने के लिए 177 पुस्तकालय/पठन कक्ष/अतिरिक्त पठन कक्षों को कार्यरत बनाया गया हैं । छात्र अपने यूजर नेम और पासवर्ड का उपयोग करते हुए पठन कक्ष पोर्टल पर लॉग-इन कर सकते हैं और कहीं भी किसी भी समय स्वयं को रजिस्टर कर सकते है । छात्र केंद्र पर फीस का संदाय करके अपने लिए स्थान सुरक्षित कर सकते हैं । इस पोर्टल पर छात्रों को अपनी पसंद के केंद्र हेतु रजिस्टर करने हेतु पोर्टल पर ही अद्यतन जानकारी उपलब्ध है ।

(IV) सीए छात्रों के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन और सीए छात्र सम्मेलन

छात्र कौशलों में अभिवृद्धि करने संबंधी बोर्ड (अध्ययन बोर्ड – प्रचालन) ने वर्ष 2020-21 के दौरान पूरे भारत वर्ष में "ऐप्टिट्यूट, एटीट्यूट, अल्टीट्यूट" विषय पर छात्र सम्मेलनों का आयोजन किया था । कोविड 19 महामारी के कारण प्रादेशिक परिषदों और शाखाओं ने शासकीय दिशानिर्देशों के आधार पर वर्चुअल पद्धति/भौतिक पद्धति/वर्चुअल-सह-भौतिक पद्धति के माध्यम से छात्र सम्मेलनों का आयोजन किया था । इसके अतिरिक्त, 12 सीए छात्र सम्मेलनों के अलावा रायपुर, पुणे और विजयवाडा शाखाओं के साथ एनआईआरसी, डब्ल्यूआईआरसी और सीआईआरसी द्वारा पांच राष्ट्रीय सम्मेलनों का भी आयोजन किया गया था । इन सम्मेलनों में पांच हजार से अधिक छात्रों ने भाग लिया था ।

(V) सीए छात्रों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन

छात्र कौशलों में अभिवृद्धि करने संबंधी बोर्ड (अध्ययन बोर्ड – प्रचालन) और अध्ययन बोर्ड (शैक्षिक) ने संयुक्त रूप से 16 और 17 जनवरी, 2021 के दौरान अहमदाबाद में भौतिक-सह-वर्चुअल पद्धति के माध्यम से सीए छात्रों के लिए "ऐप्टिट्यूट, एटीट्यूट, अल्टीट्यूट" विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजन किया था । इस सम्मेलन की मेजबानी आईसीएआई की डब्ल्यूआईआरसी की अहमदाबाद शाखा और डब्ल्यूआईसीएएसए की अहमदाबाद शाखा द्वारा की गई थी, जिसमें 1000 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया था । श्री अनुराग ठाकुर, वित्त और कॉर्पोरेट कार्य राज्य मंत्री (वर्चुअल पद्धति से), पूज्य ज्ञानवत्सल स्वामी, सीए (डॉ.) विनीत कोठारी, न्यायाधीश, गुजरात उच्च न्यायालय, आईएएस अंजू शर्मा, प्रधान सचिव, उच्च शिक्षा, आईआरएस सचिन गुसिया, एमडी गुजरात इंफॉर्मेटिक्स लिमिटेड ने अपनी उपस्थिति से इस सम्मेलन की शोभा बढ़ाई थी, इसके साथ ही प्रो लक्ष्मण आर. वतावाला, अध्यक्ष, इंस्टिट्यूट आफ सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स आफ श्रीलंका ने भी इस सम्मेलन के उदघाटन सत्र में (वर्चुअल पद्धति से) भाग लिया था और इसके अलावा डॉ गिरीश आहूजा ने तकनीकी सत्रों और साथ ही देश भर से पत्र प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों के साथ इन प्रेरक सत्रों में भाग लिया था और साफा देशों के अंतर्राष्ट्रीय निकायों से अनेक छात्र और 100 से अधिक छात्रों ने वर्चुअल पद्धति के माध्यम से इस सम्मेलन में भाग लिया था ।

(VI) पुस्तिका का शुभारंभ

"चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए कौशल सेट और इच्छा सेट" शीर्षक वाली दोहरी श्रृंखला वाली एक पुस्तिका को 16-17 जनवरी, 2021 के दौरान अहमदाबाद में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान जारी किया गया था । इस पुस्तिका की प्रथम श्रृंखला में 25 सर्वोत्तम लेख और पुस्तिका की द्वितीय श्रृंखला में 23 सर्वोत्तम लेख सम्मिलित हैं ।

(VIII) छात्रवृत्ति प्रदान किए जाने के लिए 100 करोड़ रुपए की निधि का उद्दिष्ट कॉर्पस

आईसीएआई द्वारा अपने योग्य और जरुरतमंद छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए 100 करोड़ रुपए के कारपस के साथ एक निधि का सृजन किया गया है । इस निधि का उपयोग विभिन्न प्रवर्गों के अधीन, अर्थात् योग्यता, योग्यता-सह-आवश्यकता आधारित और आवश्यकता आधारित तथा कमजोर वर्ग के छात्रों को त्रैमासिक आधार पर और अधिक छात्रवृत्तियां प्रदान करने हेतु किया जाएगा ।

(IX) छात्रवृत्ति प्रक्रिया के डिजीटलीकरण का आरंभ

आईसीएआई के मध्यवर्ती और फाइनल पाठ्यक्रम के छात्रों के लिए 1 अप्रैल, 2021 को छात्रवृत्ति प्रक्रिया के डिजीटलीकरण का आरंभ किया गया था । छात्र स्व:सेवा पोर्टल (एसएसपी) पर लॉगिन-इन करके छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन रूप से आवेदन कर सकते हैं । छात्रों के लिए छात्रवृत्ति के चयन के लिए मानवीय हस्तक्षेप के बिना पूर्णतया ऑनलाइन रूप से आवेदन प्रस्तुत किए जाने को सुकर बनाया जाएगा । स्वचालित छात्रवृत्ति प्रक्रिया विभिन्न प्रवर्गों के अधीन, अर्थात् योग्यता, योग्यता-सह-आवश्यकता आधारित और आवश्यकता आधारित तथा कमजोर वर्ग के छात्रों का चयन करेगी ।

(X) वर्चुअल तीन दिवसीय संकाय विकास कार्यक्रम

अध्ययन बोर्ड – प्रचालन (एसएसईबी) ने ऐसे सभी संकाय सदस्यों के लिए, जो वर्तमान में अनुकूलन पाठ्यक्रम की कक्षाएं ले रहे हैं "वर्चुअल तीन दिवसीय संकाय विकास कार्यक्रम" का आयोजन किया ।

(XI) वर्चुअल एमसीएस और समुन्नत आईटीटी पाठ्यक्रम

एमसीएस और समुन्नत आईटीटी संबंधी वर्चुअल पाठ्यक्रमों को ऐसे छात्रों के लिए आरंभ किया गया था, जिन्होंने मई, 2019, नवंबर, 2019, नवंबर, 2020 और मई, 2021 की परीक्षाओं में फाइनल परीक्षा को उत्तीर्ण कर लिया है । इन छात्रों को कोविड-19 संक्रमण के कारण उत्पन्न हुई स्थिति को ध्यान में रखते हुए भौतिक रूप से उपस्थित होकर एमसीएस और समुन्नत आईटी कक्षाओं में भाग लेने के संबंध में एकबार की शिथिलता मंजूर की गई है और इस प्रकार उन्हें वर्चुअल पद्धति के माध्यम से इसे पूरा करने की अनुज्ञा प्रदान की गई है । छात्रों के पूर्वोक्त प्रवर्ग के लिए वर्चुअल एमसीएस कक्षाएं 28 अप्रैल, 2020 से आरंभ हुई थी और समुन्नत आईटीटी छात्रों के लिए ये परीक्षाएं 12 मई, 2020 से आरंभ हुई थी ।

(XII) सीए फाइनल परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों के लिए एकबार स्वर्णिम अवसर – किसी भी समय और किसी भी स्थान से वर्चुअल एमसीएस समुन्नत आईटीटी को पूरा करें और आईसीएआई के सदस्य बनें

संस्थान ने यह विनिश्चय किया है कि ऐसे छात्रों को, जिन्होंने सीए फाइनल परीक्षा को अर्हित किया है, किंतु एमसीएस/समुन्नत आईटीटी पाठ्यक्रम को पूरा न कर पाने के कारण संस्थान की सदस्यता हेतु आवेदन करने में असमर्थ हैं, एकबार अवसर प्रदान किया जाए । ऐसे छात्र अब वर्चुअल पद्धति के माध्यम से एमसीएस/ समुन्नत आईटीटी पाठ्यक्रम को पूरा कर सकते हैं और शीघ्रताशीघ्र आईसीएआई की सदस्यता के लिए आवेदन कर सकते हैं । रजिस्ट्रीकरण की अंतिम तारीख 30 सिंतबर, 2021 है ।

(XIII) 1 मई, 2021 से आईसीएआई के प्रादेशिक और शाखा कार्यालयों में नए समुन्नत आईटीटी पाठ्यक्रम का क्रियान्वयन

1 मई, 2021 से आईसीएआई की प्रादेशिक परिषदों और शाखाओं में "एआईसीएआईटीएसएएस में न्यायालयीन संपरीक्षा तकनीकों को आरंभ किया जाना – समुन्नत सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण पाठ्यचर्या" नामक एक नए समुन्नत आईटीटी पाठ्यक्रम को क्रियान्वित किया गया है । इस पाठ्यक्रम के क्रियान्वयन की प्रास्थिति निम्नानुसार है :

बैचों का आयोजन करने वाली शाखाओं की कुल संख्या	82
आरंभ किए गए कुल बैच	259
नामांकित/रजिस्ट्रीकृत कुल छात्र	7421
पाठ्यक्रम को पूरा करने वाले कुल छात्र	5500

(XIV) प्रादेशिक परिषदों और शाखाओं के माध्यम से छात्रों के लिए आयोजित आईटी और सॉफ्ट कौशल संबंधी पाठ्यक्रम (भौतिक और ऑनलाइन, दोनों रूपों में) (01 अप्रैल, 2020 to 30 जून, 2021)

पाठ्यक्रम	पीओयू की संख्या	बैचों की संख्या	प्रशिक्षित छात्रों की संख्या
एमसीएस पाठ्यक्रम	118	856	53284
अग्रिम आईटीटी	122	997	51886

सूचना प्रौद्योगिकी	137	1171	43961
अनुकूलन कार्यक्रम	126	950	42646
कुल योग	**503**	**3974**	**191777**

(XV) आईसीएआई के आईटीटी केंद्रों पर आफिस 365 अनुज्ञप्तियों का प्रतिष्ठापन

समुन्नत नई आईटीटी पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या के आधार पर 162 आईटीटी केंद्रों को आफिस 365 अनुज्ञप्तियां उपलब्ध कराई गई हैं, जिससे संकाय और छात्रों को ऐसे नवीनतम उपकरणों और प्रौद्योगिकियो से लैस किया जा सके, जो न्यायालयीन संपरीक्षा के संबंध में ज्ञान का अर्जन और कारबार परिस्थितियों में उसके उपयोग के लिए अपेक्षित हैं ।

(XVI) सीए छात्रों के लिए लाइव वेबीनार

सीए छात्रों के लिए छात्रों हेतु स्किल ग्रीड मैट्रिक्स को विकसित करने के लिए लाइव वेबिनार की एक श्रृंखला का आयोजन किया गया था, अर्थात् मेरे पास चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए कौशल-सेट और इच्छा-सेट है, कौशल विकास (वृत्तिक अर्हता में अभिवृद्धि), एमएस एक्सेल, वित्तीय वृत्तिकों के लिए सहायक उपकरण, आर्टिकलशिप और औद्योगिक प्रशिक्षण का महत्व, सीए और सीए छात्रों के लिए विदेशों में अवसर, सपनों से परे सफलता प्राप्त करना सीखें, स्व:प्रेरणा और अपने जुनून को जीवित रखें, समय प्रबंध और अध्ययन रणनीति, कौशल विकास का महत्व और प्रशिक्षण की भूमिका - औद्योगिक प्रशिक्षण पोर्टल का आरंभ, नए सीए से उद्योग की आशाएं, औद्योगिक प्रशिक्षण पर प्रोन्नति, कमजोर लेकिन अजेय-परीक्षाओं के प्रति दृष्टिकोण ।

11. कैरियर परामर्श निदेशालय

कैरियर परामर्श संबंधी समिति (तत्कालीन कैरियर परामर्शी निदेशालय) को फरवरी, 2015 में माध्यमिक/ उच्चतर माध्यमिक, स्नातक/स्नातकोत्तर छात्रों और साथ ही विभिन्न अन्य पणधारियों के बीच सीए पाठ्यक्रमों के संबंध में विशेष ध्यान आकर्षित करने हेतु वाणिज्य संबंधी शिक्षा का संवर्धन करने के उद्देश्य से गठित किया गया था ।

अवधि के दौरान निदेशालय द्वारा किए गए क्रियाकलाप निम्नानुसार हैं :--

- आईसीएआई वाणिज्यिक क्वीज, 2020 - पहली बार 29 जून, 2020 को ऑनलाइन पद्धति के माध्यम से आईसीएआई वाणिज्य क्वीज 2020 का आयोजन किया गया, जिसमें 600 विद्यालयों/ महाविद्यालयों से 29000 छात्रों ने भाग लिया ।
- आईसीएआई द्वारा कैरियर मेलों में भाग लेना
    - 29 फरवरी, 2020 को श्रीराम कॉलेज ऑफ़ कॉमर्स, दिल्ली द्वारा एक मेले का आयोजन किया गया था, जिसमें 800 से अधिक छात्रों ने भाग लिया था ।
    - 31 अक्टूबर, 2020 को एडमिजायॅन्स परिसर द्वारा पहले वर्चुअल कैरियर मेले का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 1500 अभ्यर्थियों ने भाग लिया ।
- विद्यालयों/महाविद्यालयों कैरियर परामर्शी कार्यक्रमों का आयोजन

शाखाओं का प्रवर्ग	सूक्ष्म	लघु	मध्यम	बड़ी	वृहत्त	योग
कार्यक्रमों की संख्या	61	46	36	17	282	442
भाग लेने वालों की संख्या	33734	11200	8348	3400	68139	124821

- वृहत्त कैरियर परामर्शी कार्यक्रमों का आयोजन
    - एर्नाकुलम शाखा ने 23 मई, 2020 को सीसीसी के तत्वाधान में आईसीएआई के वर्चुअल वृहत कैरियर परामर्शी कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें लगभग 30000 छात्रों ने भाग लिया ।
    - आईसीएआई की दक्षिणी भारत प्रादेशिक परिषदों (एसआईआरसी) चेन्नई ने 9 अप्रैल, 2021 से 11 अप्रैल, 2021 के दौरान वर्चुअल वृहत्त कैरियर परामर्शी कार्यक्रम का आयोजन किया ।

12. प्रादेशिक परिषदें और उनकी शाखाएं

आईसीएआई की पांच प्रादेशिक परिषदें हैं, अर्थात् पश्चिमी भारत प्रादेशिक परिषद्, दक्षिणी भारत प्रादेशिक परिषद्, पूर्वी भारत प्रादेशिक परिषद्, मध्य भारत प्रादेशिक परिषद् और उत्तरी भारत प्रादेशिक परिषद्, जिनके मुख्यालय क्रमशः मुम्बई, चैन्नई, कोलकाता, कानपुर और नई दिल्ली में स्थित हैं। इस समय इसके पास पूरे भारत में 164 शाखाएं और भारत से बाहर 44 विदेशी चैप्टर तथा 2 विदेशी कार्यालय हैं।

सर्वोत्तम प्रादेशिक परिषद्, प्रादेशिक परिषद् की सर्वोत्तम शाखा, सर्वोत्तम छात्र संघ और छात्र संघ की सर्वोत्तम शाखा के लिए पुरस्कार :

ये पुरस्कार आईसीएआई द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रदान किए जाते हैं। ये पुरस्कार सकल कार्यपालन और स्थापित संनियमों के आधार पर प्रदान किए जाते हैं। वर्ष 2020 के लिए ये शील्डें 9 फरवरी, 2021 को आयोजित वार्षिक समारोह में निम्नलिखित विजेताओं को दी गई थी।

1. सर्वोत्तम प्रादेशिक परिषद्

प्रथम पुरस्कार: आईसीएआई की पश्चिमी भारत प्रादेशिक परिषद् (डब्ल्यूआईआरसी) और आईसीएआई की दक्षिणी भारत प्रादेशिक परिषद् (एसआईआरसी) को संयुक्त रूप से

दूसरा पुरस्कार: आईसीएआई की पूर्वी भारत प्रादेशिक परिषद् (ईआईआरसी)

2. प्रादेशिक परिषदों की सर्वश्रेष्ठ शाखा :-

(I) बृहत्त श्रेणी

प्रथम पुरस्कार: आईसीएआई की सीआईआरसी की इंदौर शाखा और आईसीएआई की एसआईआरसी की बंगलूरू शाखा को संयुक्त रूप से

दूसरा पुरस्कार: आईसीएआई की डब्ल्यूआईआरसी की पुणे शाखा

तीसरा पुरस्कार : आईसीएआई की डब्ल्यूआईआरसी की अहमदाबाद शाखा और आईसीएआई की एसआईआरसी की हैदराबाद शाखा को संयुक्त रूप से

(II) बड़ी शाखा प्रवर्ग

प्रथम पुरस्कार: आईसीएआई की एसआईआरसी की एर्नाकुलम शाखा और आईसीएआई की एसआईआरसी की विजयवाडा शाखा को संयुक्त रूप से

दूसरा पुरस्कार: आईसीएआई की डब्ल्यूआईआरसी की पिंपरी चिंचवाड शाखा

तीसरा पुरस्कार : आईसीएआई की सीआईआरसी की कोटा शाखा और आईसीएआई की एनआईआरसी की लुधियाना शाखा को संयुक्त रूप से

(III) मध्यम शाखा प्रवर्ग

प्रथम पुरस्कार: आईसीएआई की ईआईआरसी की सिलिगुडी शाखा

दूसरा पुरस्कार: आईसीएआई की एनआईआरसी की जम्मू-कश्मीर शाखा

तीसरा पुरस्कार : आईसीएआई की सीआईआरसी की भिलाई शाखा

(IV) लघु शाखा प्रवर्ग

प्रथम पुरस्कार: आईसीएआई की एसआईआरसी की सालेम शाखा

दूसरा पुरस्कार: आईसीएआई की एसआईआरसी की बेलगावी शाखा

तीसरा पुरस्कार : आईसीएआई की एसआईआरसी की तिरुपूर शाखा

(V) सूक्ष्म शाखा प्रवर्ग

प्रथम पुरस्कार: आईसीएआई की एसआईआरसी की शिवाकाशी शाखा

3. प्रादेशिक परिषद् का सर्वश्रेष्ठ छात्र संघ

प्रथम पुरस्कार: आईसीएआई की डब्ल्यूआईआरसी की डब्ल्यूआईसीएएसए

दूसरा पुरस्कार: आईसीएआई की एसआईआरसी की एसआईसीएएसए

तृतीय पुरस्कार : आईसीएआई की एनआईआरसी की एनआईसीएएसए

4. छात्र संघ की सर्वश्रेष्ठ शाखा

I. बड़ी शाखा प्रवर्ग

प्रथम पुरस्कार: आईसीएआई की डब्ल्यूआईआरसी की डब्ल्यूआईसीएएसए की अहमदाबाद शाखा

दूसरा पुरस्कार: आईसीएआई की डब्ल्यूआईआरसी के डब्ल्यूआईसीएएसए की पुणे शाखा

तीसरा पुरस्कार : आईसीएआई की सीआईआरसी के सीआईसीएएसए की जयपुर शाखा

II. बड़ी शाखा प्रवर्ग

प्रथम पुरस्कार: आईसीएआई की सीआईआरसी की सीआईसीएएसए की इंदौर शाखा

दूसरा पुरस्कार: आईसीएआई की एसआईआरसी की एसआईसीएएसए की एर्नाकुलम शाखा

III. मध्यम शाखा प्रवर्ग

प्रथम पुरस्कार: आईसीएआई की डब्ल्यूआईआरसी की डब्ल्यूआईसीएएसए की राजकोट शाखा

दूसरा पुरस्कार: आईसीएआई की सीआईआरसी की सीआईसीएएसए की जोधपुर शाखा

IV. लघु शाखा प्रवर्ग

प्रथम पुरस्कार: आईसीएआई की एसआईआरसी की एसआईसीएएसए की सलेम शाखा

दूसरा पुरस्कार: आईसीएआई की सीआईआरसी की सीआईसीएएसए की कोटा शाखा

तीसरा पुरस्कार : आईसीएआई की ईआईआरसी की ईआईसीएएसए की सिलिगुड़ी शाखा और आईसीएआई की डब्ल्यूआईआरसी की डब्ल्यूआईसीएएसए की जलगांव शाखा को संयुक्त रूप से

V. सूक्ष्म शाखा प्रवर्ग

प्रथम पुरस्कार: आईसीएआई की एसआईआरसी की एसआईसीएएसए की शिवकाशी शाखा

दूसरा पुरस्कार: आईसीएआई की सीआईआरसी की सीआईसीएएसए की बिलासपुर शाखा

तीसरा पुरस्कार: आईसीएआई की डब्ल्यूआईआरसी की डब्ल्यूआईसीएएसए की पिंपरी-चिंचवाड शाखा और आईसीएआई की डब्ल्यूआईआरसी की डब्ल्यूआईसीएएसए की नांदेड शाखा को संयुक्त रूप से

सीएसआर क्रियाकलापों के लिए प्रशंसा प्रमाणपत्र

मध्य भारत प्रादेशिक परिषद् (सीआईआरसी) को पीएम केयर निधि में उसके अतुलनीय योगदान के लिए "सीएसआर क्रियाकलापों के लिए प्रशंसा प्रमाणपत्र" प्रदान किया गया था, जिसके लिए प्रादेशिक परिषद् ने अपने सदस्यों से योगदान हेतु धन एकत्रित करने के लिए सर्वोत्तम प्रयास किए थे । वैश्विक महामारी – कोविड 19 द्वारा जीवन को खतरे में डालने के कारण हुई अराजकता के बीच सीआईआरसी ने सफलतापूर्वक रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया था, जिसकी राष्ट्रीय स्तर पर सराहना की गई थी और इससे वृत्ति को वाहवाही प्राप्त हुई थी ।

II. विकेन्द्रीकृत कार्यालय

आईसीएआई की परिषद् ने, त्वरित और व्यक्तिगत सेवा के मूल्य को मान्यता प्रदान करते हुए, जिन्हें विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, निम्नानुसार रूप से 5 विकेन्द्रीकृत कार्यालयों की स्थापना की है :

मुंबई चेन्नई कोलकाता कानपुर नई दिल्ली

13. वित्त और लेखा

31 मार्च, 2021 को यथाविद्यमान तुलन पत्र और उसी तारीख को समाप्त वर्ष के आय-व्यय का लेखा, जो संपरीक्षकों द्वारा सम्यकत: संपरीक्षित है, इसमें इसके पश्चात् प्रकाशित किए गए हैं।

14. अनुशंसा

परिषद् व्यवसाय के उन सदस्यों की आभारी है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 के अधीन गठित संस्थान के बोर्डों/समितियों में सहयोजित सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट हुए थे, प्रादेशिक परिषदों, उनकी शाखाओं और उनके सदस्यों तथा गैर-सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करती है, जिन्होंने वर्ष 2020-21 के दौरान परिषद् के शैक्षिक, तकनीकी, अन्य विकास क्रियाकलापों में और उसकी परीक्षाओं के संचालन में परिषद् की सहायता की, के प्रति भी आभार व्यक्त करती है।

परिषद् की हार्दिक कामना है कि वर्ष 2020-21 के दौरान केन्द्रीय सरकार और परिषद् में उनके मनोनीत सदस्यों द्वारा दी गई निरंतर सहायता और समर्थन की प्रशंसा अभिलेख पर अंकित की जाए।

परिषद् आईसीएआई द्वारा की गई अनेक पहलों में केंद्रीय और विभिन्न प्रादेशिक राज्य सरकारों द्वारा दिखाई गई गहन रूचि और की गई पहल के अनुसरण में उनके द्वारा पहले ही उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों की प्रशंसा करती है।

परिषद्, आईसीएआई के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा वर्ष 2020-21 के दौरान और उसके पश्चात् उनके द्वारा किए गए निष्ठापूर्ण और समर्पित प्रयासों के लिए उनकी अनुशंसा करती है।

सांख्यिकी एक दृष्टि में

सदस्य रजिस्ट्रीकरण

(1 अप्रैल, 2007 से)

सारणी 1

वर्ष (को यथाविद्यमान)		पश्चिमी क्षेत्र	दक्षिणी क्षेत्र	पूर्वी क्षेत्र	मध्य क्षेत्र	उत्तरी क्षेत्र	योग
1 अप्रैल, 2007	सहयुक्त	31159	18237	7829	9642	14182	81049
	अध्येता	16896	13646	6488	8882	12880	58792
	योग	48055	31883	14317	18524	27062	139841
1 अप्रैल, 2008	सहयुक्त	32364	19203	7939	10045	14642	84193
	अध्येता	17646	14034	6738	9472	13398	61288
	योग	50010	33237	14677	19517	28040	145481
1 अप्रैल, 2009	सहयुक्त	34294	20666	8193	10578	15951	89682
	अध्येता	18442	14516	7002	10007	13951	63918
	योग	52736	35182	15195	20585	29902	153600
1 अप्रैल, 2010	सहयुक्त	36390	21733	8512	11252	17104	94991
	अध्येता	19181	15076	7192	10615	14461	66525
	योग	55571	36809	15704	21867	31565	161516
1 अप्रैल, 2011	सहयुक्त	38608	22998	9154	12329	18547	101636
	अध्येता	19831	15612	7406	11182	14943	68974
	योग	58439	38610	16560	23511	33490	170610

1 अप्रैल, 2012	सहयुक्त अध्येता योग	45273 20510 65783	25505 16132 41637	11069 7578 18647	15963 11720 27683	23332 15431 38763	121142 71371 192513
1 अप्रैल, 2013	सहयुक्त अध्येता योग	52846 21522 74368	28020 16918 44938	13258 7815 21073	20606 12327 32933	27743 16051 43794	142473 74633 217106
1 अप्रैल, 2014	सहयुक्त अध्येता योग	56595 22313 78908	29401 17460 46861	14035 8007 22042	22978 12915 35893	29467 16508 45975	152476 77203 229679
1 अप्रैल, 2015	सहयुक्त अध्येता योग	60229 22838 83067	30126 17864 47990	14514 8137 22651	24702 13441 38143	31137 16986 48123	160708 79266 239974
1 अप्रैल, 2016	सहयुक्त अध्येता योग	64235 23700 87935	31919 18495 50414	15046 8223 23269	27353 14071 41424	32774 17521 50295	171327 82010 253337
1 अप्रैल, 2017	सहयुक्त अध्येता योग	67746 25742 93488	33591 19711 53302	15580 8718 24298	30036 15618 45654	34632 18933 53565	181585 88722 270307
1 अप्रैल, 2018	सहयुक्त अध्येता योग	70683 26736 97419	34733 20280 55013	15606 8912 24518	32094 16494 48588	36988 19667 56655	190104 92089 282193
1 अप्रैल, 2019	सहयुक्त अध्येता योग	72296 28747 101043	34352 21437 55789	15547 9418 24965	33522 18337 51859	37129 20895 58024	192857 98841 291698
1 अप्रैल, 2020	सहयुक्त अध्येता योग	74285 28860 103145	38405 21495 59900	15735 9295 25030	38453 19017 57470	40877 20816 61693	207755 99483 307238
1 अप्रैल, 2021	सहयुक्त अध्येता योग	79234 30022 109256	42606 22393 64999	16436 9485 25921	41589 20199 61788	43479 21638 65117	223344 103737 327081

सदस्य

(1 अप्रैल, 1950 से)

सारणी 2

	सहयुक्त	अध्येता	योग
1 अप्रैल, 1950 को	1,120	569	1,689
1 अप्रैल, 1951 को	1,285	672	1,957
1 अप्रैल, 1961 को	4,059	1,590	5,649
1 अप्रैल, 1971 को	7,901	3,326	11,227
1 अप्रैल, 1981 को	16,796	8,642	25,438
1 अप्रैल, 1991 को	36,862	22,136	58,998
1 अप्रैल, 2001 को	51,603	44,789	96,392
1 अप्रैल, 2002 को	54,666	47,064	1,01,730
1 अप्रैल, 2003 को	60,619	49,637	1,10,256
1 अप्रैल, 2004 को	63,384	52,707	1,16,091
1 अप्रैल, 2005 को	68,052	55,494	1,23,546
1 अप्रैल, 2006 को	73,778	57,168	1,30,946
1 अप्रैल, 2007 को	81,049	58,792	1,39,841
1 अप्रैल, 2008 को	84,193	61,288	1,45,481
1 अप्रैल, 2009 को	89,682	63,918	1,53,600
1 अप्रैल, 2010 को	94,991	66,525	1,61,516
1 अप्रैल, 2011 को	1,01,636	68,974	1,70,610
1 अप्रैल, 2012 को	1,21,142	71,371	1,92,513
1 अप्रैल, 2013 को	1,42,473	74,633	2,17,106
1 अप्रैल, 2014 को	1,52,476	77,203	2,29,679
1 अप्रैल, 2015 को	1,60,708	79,266	2,39,974
1 अप्रैल, 2016 को	1,71,327	82,010	2,53,337
1 अप्रैल, 2017 को	1,81,585	88,722	2,70,307
1 अप्रैल, 2018 को	1,90,104	92,089	2,82,193
1 अप्रैल, 2019 को	1,92,857	98,841	2,91,698
1 अप्रैल, 2020 को	2,07,755	99,483	3,07,238
1 अप्रैल, 2021 को	2,23,344	1,03,737	3,27,081

रजिस्ट्रीकृत छात्र

(31 मार्च, 2009 से)

वर्ष के दौरान	नए सीआरईटी के अनुसार फाउंडेशन	फाइनल	नया फाइनल	सीपीटी	पीसीसी	आईपीसीसी एवं आईआईपीसीसी	मध्यवर्ती	एटीसी	योग
2009-10	-	24,172	-	1,67,073	1,860	80,745	-	3,376	2,77,226
2010-11	-	57,175	-	1,55,217	329	67,984	-	1,906	2,82,611
2011-12	-	47,515	-	1,61,712	-	85,053	-	2,099	2,96,379
2012-13	-	45,102	-	1,61,084	-	1,02,406	-	2,615	3,11,207
2013-14	-	39,348	-	1,54,742	-	96,285	-	3,209	2,93,584
2014-15	-	36,950	-	1,41,241	-	66,570	-	881	2,45,642
2015-16	-	31,669	-	1,25,140		77,962	-	1,249	2,36,020
2016-17	-	27,611	-	1,07,392		81,886	-	1,430	2,18,319
2017-18	9,788	26,291	14,056	73,804	-	22,657	63,693	-	2,10,289
2018-19	45,048	-	27,966	-	-	-	53,654	-	126,668
2019-20	63,228	-	67,090	-	-	-	87,949	-	2,18,267
2020-21	1,09,968	-	26,366	-	-	-	46,563	-	1,82,897

परिषद् की संरचना - (2021-22)

	परिषद् के सदस्य	
अध्यक्ष	**निर्वाचित सदस्य**	
सीए. निहार एन जम्बुसरिया	सीए. अनिल सत्यनारायण भंडारी	मुंबई
	सीए. जय छायरा	सूरत
	सीए. प्रफुल्ल प्रेमसुख छाजेड	मुंबई
उपाध्यक्ष	सीए. चंद्रशेखर वसंत चितले	पुणे
सीए. (डा.) देबाशीष मित्रा	सीए. तरुण जमनादास घिया	मुंबई
	सीए. नंदकिशोर चिदम्बर हेगड़े	मुंबई
	सीए. निहार एन जम्बुसरिया	मुंबई
	सीए. श्रीनिवास यशवंत जोशी	मुंबई
	सीए. दुर्गेश कुमार काबरा	मुंबई
	सीए. धीरज कुमार खंडेलवाल	मुंबई
	सीए. अनिकेत सुनील तलाती	अहमदाबाद
	सीए. बाबु अब्राहम कल्लीवयालिल	कोच्ची
	सीए. दयानिवास शर्मा	हैदराबाद
	सीए. प्रसन्ना कुमार डी.	विशाखापट्टनम
परिषद् के सचिव	सीए. राजेन्द्र कुमार पी.	चेन्नई

सीए. (डा.) जय कुमार बत्रा कार्यवाहक सचिव	सीए. जी. शेखर	चेन्नई
	सीए. एम.पी. विजय कुमार	चेन्नई
	सीए. रंजीत कुमार अग्रवाल	कोलकाता
	सीए. सुशील कुमार गोयल	कोलकाता
	सीए. (डा.) देबाशीष मित्रा	गुवाहाटी
	सीए. मनु अग्रवाल	कानपुर
	सीए. प्रमोद कुमार बूब	जयपुर
	सीए. अनुज गोयल	गाजियाबाद
	सीए. सतीश कुमार गुप्ता	जयपुर
	सीए. प्रकाश शर्मा	जयपुर
	सीए. केमिशा सोनी	इंदौर
	सीए. हंसराज चुघ	नई दिल्ली
	सीए. अतुल कुमार गुप्ता	गुरुग्राम
	सीए. प्रमोद जैन	नई दिल्ली
	सीए. चरणजोत सिंह नंदा	नई दिल्ली
	सीए. राजेश शर्मा	नई दिल्ली
	सीए. (डा.) संजीव कुमार सिंघल	नई दिल्ली
सरकार के नामनिर्देशिती	श्री मनोज पांडे, संयुक्त सचिव, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय	नई दिल्ली
	श्री ज्ञानेश्वर कुमार सिंह, संयुक्त सचिव, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय	नई दिल्ली
	सुश्री रितिका भाटिया, प्रधान निदेशक (वाणिज्य-2) भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यालय	नई दिल्ली
	डा. रवि गुप्ता, सहबद्ध प्रोफेसर, श्रीराम कालेज ऑफ कामर्स, दिल्ली विश्वविद्यालय	नई दिल्ली
	श्री सुनील कनोरिया	कोलकाता
	श्री चन्द्र वाधवा	नई दिल्ली
	डॉ. पी.सी. जैन	नई दिल्ली
	अधिवक्ता विजय कुमार झालानी	नई दिल्ली

शाह गुप्ता एंड कं.
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

रवि राजन एंड कं. एलएलपी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

स्वतंत्र संपरीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में,

परिषद्, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान

वित्तीय विवरणों की संपरीक्षा संबंधी रिपोर्ट

राय

हमने भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान ("संस्थान") के संलग्न वित्तीय विवरणों, जिसमें 31 मार्च, 2021 को यथा विद्यमान तुलनपत्र और उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए संलग्न आय और व्यय लेखा तथा नकद प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखाकंन नीतियों के संक्षिप्त विवरण को सम्मिलित करने वाले वित्तीय विवरणों संबंधी टिप्पणों की संपरीक्षा की है ।

हमारी राय में, 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए पूर्वोक्त वित्तीय विवरण चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 के अनुसार सभी सारवान अपेक्षाओं को पूरा करते हुए तैयार किए गए हैं और वे भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए संस्थान के वित्तीय कार्यपालन और उसके नकद प्रवाह के संबंध में एक सत्य और उचित मत प्रदान करते हैं ।

राय के लिए आधार

हमने अपनी संपरीक्षा को आईसीएआई द्वारा जारी संपरीक्षा मानकों (एसए) के अनुसार पूरा किया है, उन मानकों के अधीन हमारे उत्तरदायित्वों को आगे हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरणों की संपरीक्षा हेतु संपरीक्षक के उत्तरदायित्वों संबंधी खंड में वर्णित किया गया है । हम ऐसी नैतिक अपेक्षाओं, जो वित्तीय विवरणों की हमारी संपरीक्षा के लिए सुसंगत हैं, के अनुसार संस्थान से स्वतंत्र हैं और हमने इन अपेक्षाओं के अनुसार अपने नैतिक उत्तरदायित्वों को पूरा किया है । हम यह विश्वास करते हैं कि हमारे द्वारा अभिप्राप्त किए गए संपरीक्षा संबंधी साक्ष्य हमारी राय का आधार प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं ।

वित्तीय विवरणों के संबंध में प्रबंधमंडल का उत्तरदायित्व

संस्थान का प्रबंधमंडल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 के अनुसार, इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने और उन्हें उचित रूप से प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी है और इस प्रयोजन के लिए ऐसे आंतरिक नियंत्रण आवश्यक हैं, जिन्हें प्रबंधमंडल अवधारित करे, जिससे ऐसे वित्तीय विवरणों के तैयार किए जाने को समर्थ बनाया जा सके, जो सारवान मिथ्या कथनों, चाहे वे किसी कपट के कारण हों अथवा किसी त्रुटि के कारण, से मुक्त हैं ।

इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, प्रबंधमंडल, एक गोईंग कर्न्सन के रूप में बने रहने संबंधी संस्थान के सामर्थ्य का निर्धारण करने, यथा लागू प्रकटन करने, गोईंग कर्न्सन से संबंधित विषयों का निर्धारण करने और लेखांकन के गोईंग कर्न्सन के आधार का उपयोग करने के लिए तब तक उत्तरदायी है जब तक कि प्रबंधमंडल का आशय या तो संस्थान का परिसमापन करना है या उसके प्रचालनों को बंद करना है या उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई अन्य वास्तविक विकल्प उपलब्ध नहीं है ।

प्रबंधमंडल संस्थान की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया का पर्यावलोकन करने के लिए उत्तरदायी है ।

वित्तीय विवरणों की संपरीक्षा के संबंध में संपरीक्षक के उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य इस बारे में युक्तियुक्त आश्वासनों को प्राप्त करना है कि क्या वित्तीय विवरण सकल रूप से सारवान मिथ्या कथनों से मुक्त हैं, चाहे वे कपट के कारण हों अथवा किसी त्रुटि के कारण और ऐसी संपरीक्षा संबंधी रिपोर्ट को जारी करना है, जिसमें हमारी राय सम्मिलित हो । युक्तियुक्त आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, किंतु यह इस बात की गारंटी नहीं करता है कि एसए के अनुसार की गई संपरीक्षा सदैव सारवान कथनों का उस समय पता लगाने में समर्थ होगी, जब वे विद्यमान होते हैं । मिथ्या कथन, कपट या त्रुटि, किसी भी कारण से उदभूत हो सकते हैं और उन्हें उस समय सारवान समझा जाता है, यदि व्यष्टिक रूप से या सकल रूप से उनसे युक्तियुक्त रूप से यह प्रत्याशा की जा सकती है कि वे इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए जाने वाले उपयोक्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करेंगे ।

एसए के अनुसार की जाने वाली संपरीक्षा के भागरूप में, हम अपने वृत्तिक विवेक का प्रयोग करते हैं और पूर्ण संपरीक्षा के दौरान वृत्तिक संदेहों को भी बनाए रखते हैं । हम भी :

- कपट या त्रुटि के कारण वित्तीय विवरणों में सारवान मिथ्या कथनों की पहचान करते हैं और उनसे संबंधी जोखिमों का निर्धारण करते हैं, उन जोखिमों के प्रत्युत्तर में संपरीक्षा संबंधी प्रक्रियाओं को तैयार और उनका निष्पादन करते हैं तथा ऐसे संपरीक्षा संबंधी साक्ष्य अभिप्राप्त करते हैं, जो हमारी राय का आधार उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हों । किसी

कपट के परिणामस्वरूप होने वाले किसी सारवान मिथ्या कथन की पहचान न करने का जोखिम किसी त्रुटि के परिणामस्वरूप आए सारवान मिथ्या कथन से कहीं अधिक है, क्योंकि कपट में दुरभिसंधि, जालसाजी, साशय लोप, मिथ्या प्रस्तुतियां या आंतरिक नियंत्रणों की अवहेलना अंतर्वलित हो सकती है।

- संपरीक्षा से सुसंगत आंतरिक नियंत्रणों की समझ को प्राप्त करते हैं, जिससे ऐसी संपरीक्षा प्रक्रियाओं को तैयार किया जा सके, जो मामले की परिस्थितियों में उपयुक्त हैं, किंतु जो संस्थान के आंतरिक नियंत्रण की प्रभाविकता के संबंध में राय अभिव्यक्त करने के प्रयोजन के लिए अभिप्रेत नहीं है।
- प्रयुक्त की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन करते हैं और प्रबंधमंडल द्वारा दिए गए लेखांकन प्राक्कलनों और संबद्ध प्रकटनों के औचित्य का भी मूल्यांकन करते हैं।
- प्रबंधमंडल द्वारा लेखांकन के गोईंग कर्न्सन के आधार के उपयोग की उपयुक्तता के संबंध में निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं तथा प्राप्त किए गए संपरीक्षा संबंधी साक्ष्यों के आधार पर यह तय करते हैं कि क्या किन्हीं घटनाओं या परिस्थितियों से संबंधित कोई सारवान अनिश्चितता विद्यमान है, जो एक गोईंग कर्न्सन के रूप में बने रहने के संस्थान के सामर्थ्य के संबंध में महत्वपूर्ण संदेह उत्पन्न करती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई सारवान अनिश्चितता विद्यमान है तो हम से यह अपेक्षा की जाती है कि हम हमारी संपरीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबद्ध प्रकटनों की ओर ध्यान आकर्षित करें या यदि ऐसे प्रकटन अपर्याप्त हैं तो हमारी राय को उपांतरित करें। हमारे निष्कर्ष, हमारी संपरीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक हमारे द्वारा प्राप्त किए गए संपरीक्षा साक्ष्यों पर आधारित होते हैं। तथापि, भावी घटनाएं या परिस्थितियां यह प्रभाव उत्पन्न कर सकती हैं कि संस्थान एक गोईंग कर्न्सन के रूप में अपना कार्यकरण जारी रखना बंद कर दे।

हम ऐसे व्यक्तियों से परस्पर संपर्क करते हैं, जिन्हें अन्य विषयों के साथ संपरीक्षा के योजनाबद्ध विस्तार क्षेत्र, समय और महत्वपूर्ण संपरीक्षा निष्कर्षों से संबंधित विषयों को शासित करने का प्रभार सौंपा गया है, जिसके अंतर्गत आंतरिक नियंत्रण में ऐसी कोई महत्वपूर्ण कमियां भी हैं, जिनकी हम हमारी संपरीक्षा के दौरान पहचान करते हैं।

अन्य विषय

(क) संस्थान ने भारत में और विदेशों में बड़ी संख्या में चैप्टरों को प्राधिकृत किया है। संस्थान ने हमें यह निवेदन किया है कि चूंकि यह चैप्टर पृथक् अस्तित्व हैं इसलिए उनके लेखाओं को समेकित किया जाना अपेक्षित नहीं है।

(ख) हमने संस्थान के विकेन्द्रीकृत कार्यालयों, कंप्यूटर केंद्रों, छात्र संघों, प्रादेशिक परिषदों और विदेशी शाखाओं सहित उनकी शाखाओं (जो एकीकृत रूप में शाखाओं के नाम से ज्ञात हैं) के वित्तीय विवरणों की संपरीक्षा नहीं की है, जिनके वित्तीय विवरण कुल 1,03,524 लाख रुपए की कुल आस्तियों, 8,866 लाख रुपए का कुल राजस्व और 41 लाख रुपए की रकम का शुद्ध नकद प्रवाह/(बर्हिगामी) उपदर्शित करते हैं। इन शाखाओं के वित्तीय विवरणों की संपरीक्षा अन्य संपरीक्षकों द्वारा की गई है, जिनकी रिपोर्टें प्रबंधमंडल द्वारा हमें प्रस्तुत की गई हैं। इन वित्तीय विवरणों के संबंध में हमारी राय, जहां तक उसका संबंध इन शाखाओं के संबंध में सम्मिलित की गई रकमों और प्रकटनों से है, पूर्णतया उन अन्य संपरीक्षकों की रिपोर्टों पर आधारित है।

वित्तीय विवरणों के संबंध में हमारी राय और नीचे दी गई विनियामक अपेक्षाओं को, अन्य संपरीक्षकों द्वारा किए गए कार्य और उनकी रिपोर्टों तथा प्रबंधमंडल द्वारा प्रमाणित वित्तीय विवरणों के संबंध में हमारे विश्वास के आधार पर अन्य मामलों के संबंध में उपांतरित नहीं किया गया है।

अन्य विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

हम यह और रिपोर्ट करते हैं कि :

क) हमने ऐसी सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमारी संपरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे ;

ख) हमारी राय में, जहां तक लेखा बहियों की हमारी परीक्षा से प्रतीत होता है, संस्थान द्वारा समुचित लेखा बहियां रखी गई हैं और हमारी संपरीक्षा के प्रयोजन के लिए विकेन्द्रीकृत कार्यालयों, कंप्यूटर केंद्रों, छात्र संघों, प्रादेशिक परिषदों और उनकी शाखाओं से समुचित और पर्याप्त विवरणियां प्राप्त हुई हैं ;

ग) इस रिपोर्ट से संबंधित संस्थान का तुलन पत्र, आय और व्यय लेखा और नकद प्रवाह विवरण, लेखा बहियों के अनुरूप है।

कृते शाह गुप्ता एंड कं.
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म रजि. सं. 109574W

ह./-
सीए. राजीव बसंल
भागीदार, सदस्यता सं. 088598
यूडीआईएन : 21088598AAAABK3108

कृते रवि राजन एंड कं. एलएलपी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म रजि. सं. 009073N/N500320

ह./-
सीए. दीपक गुप्ता
भागीदार, सदस्यता सं. 516002
यूडीआईएन : 21516002AAAADJ1365

स्थान : नई दिल्ली ।
तारीख : 20 सितंबर, 2021

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान

आईसीएआई भवन, इंद्रप्रस्थ मार्ग, नई दिल्ली-110 002

31 मार्च, 2021 को यथाविद्यमान तुलन पत्र

		विशिष्टियां	**टिप्पण सं.**	31 मार्च, को यथा विद्यमान	
				2021	**2020**
I	**निधियों के स्रोत :**			(रुपए लाख में)	
	i. अधिशेष और उद्दिष्ट निधियां				
	क	आरिक्षितियां और अधिशेष	3	1,46,155	1,36,373
	ख	उद्दिष्ट निधियां	4	1,03,828	90,601
	ii. गैर चालू दायित्व				
	क	अन्य दीर्घकालिक दायित्व	5	1,483	2,112
	ख	दीर्घकालिक प्रावधान	6	26,715	28,975
	iii. चालू दायित्व				
	क	व्यापार संबंधी देय	7	6,386	4,944
	ख	अन्य चालू दायित्व	8	16,383	20,240
	ग	अल्पकालिक प्रावधान	6	2,047	959
		योग		**3,02,997**	**2,84,204**
II निधियों का उपयोजन					
	i. गैर चालू आस्तियां				
	क	संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर	9	62,949	64,725

	ख	अमूर्त आस्तियां	10	43	30
	ग	चालू पूंजी संकर्म	11	6,292	4,816
	घ	गैर-चालू निवेश	12	1,38,342	1,09,757
	ङ	उद्दिष्ट और अन्य निधियों के लिए धारित आस्तियां	13	5,665	5,140
	च	दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम	14	3,111	3,845
	छ	अन्य गैर चालू आस्तियां	15	3,777	2,645
	ii. चालू आस्तियां				
	क.	चालू निवेश	12	11,004	8,009
	ख.	उद्दिष्ट और अन्य निधियों के लिए धारित आस्तियां	13	52,660	67,754
	ग.	वस्तु-सूचियां	16	431	480
	घ.	नकद और नकद समतुल्य	17	10,015	8,748
	ङ.	अल्पकालिक ऋण और अग्रिम	14	4,995	4,291
	च.	अन्य चालू आस्तियां	15	3,713	3,964
योग				**3,02,997**	**2,84,204**

संलग्न टिप्पण 1 से 27 देखें, जो वित्तीय विवरणों का अभिन्न भाग हैं।

परिषद् के लिए और उसकी ओर से

ह./-	ह./-	ह./-	ह./-
सीए. सुदीप श्रीवास्तव	सीए. (डा.) जय कुमार बत्रा	सीए. (डा.) देबाशीष मित्रा	सीए. निहार एन जम्बुसरिया
संयुक्त सचिव	कार्यवाहक सचिव	उपाध्यक्ष	अध्यक्ष

हमारी सम तारीख की निर्दिष्ट रिपोर्ट में

कृते शाह गुप्ता एंड कं.
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म रजि. सं. 109574W

ह./-
सीए. राजीव बसंल
भागीदार, सदस्यता सं. 088598

कृते रवि राजन एंड कं. एलएलपी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म रजि. सं. 009073N/N500320

ह./-
सीए. दीपक गुप्ता
भागीदार, सदस्यता सं. 516002

नई दिल्ली, 20 सितंबर, 2021

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान

आईसीएआई भवन, इंद्रप्रस्थ मार्ग, नई दिल्ली-110 002

31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा

विशिष्टियां		टिप्पण सं.	31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए	
			2021	2020
			(रुपए लाख में)	
I	**आय**			
	क) फीस	18	52,848	71,249
	ख) संगोष्ठियां	19	1,694	4,289
	ग) अन्य आय	20	16,926	18,134
	कुल आय		**71,468**	**93,672**
II	**व्यय**			
	क) संगोष्ठियां और प्रशिक्षण कार्यक्रम	21	1,186	5,012
	ख) कर्मचारी फायदा संबंधी व्यय	22	13,677	15,017
	ग) मुद्रण और लेखन सामग्री		3,706	5,585
	घ) परीक्षकों और परामर्शियों को संदत्त वृत्तिक फीस		8,652	10,220
	ङ) अवक्षयण और परिशोधन संबंधी व्यय	9-10	3,291	3,392
	च) अन्य व्यय	23	19,729	24,527
	कुल व्यय		**50,241**	**63,753**
III	**शुद्ध अधिशेष (I-II)**		**21,227**	**29,919**
IV	**निधियों/आरक्षितियों को विनियोग:**			
	क) शिक्षा निधि [टिप्पण 2.06(iii) देखें]		5,456	6,391
	ख) कर्मचारी कल्याण निधि [टिप्पण 2.06(iv) देखें]		92	81
	ग) सदस्य कल्याण निधि [टिप्पण 24.17 देखें]		-	1,076
	घ) उद्दिष्ट निधियां और अन्य निधियां (व्ययों का शुद्ध)		6,352	4,951
	ङ) सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण आरक्षितियां [टिप्पण 2.06(vii) देखें]		939	1,874
	च) सिंकिंग निधि [टिप्पण 2.06(viii) देखें]		2,248	1,303
	छ) अकाउंटेंटों की विश्व कांग्रेस (डब्ल्यूसीओए),		1,500	1,500

	2022 [टिप्पण 24.14 देखें] ज) साधारण आरक्षिती		4,640	12,743
	योग		**21,227**	**29,919**

संलग्न टिप्पण 1 से 27 देखें, जो वित्तीय विवरणों का अभिन्न भाग हैं।

परिषद् के लिए और उसकी ओर से

ह./-	ह./-	ह./-	ह./-
सीए. सुदीप श्रीवास्तव	सीए. (डा.) जय कुमार बत्रा	सीए. (डा.) देबाशीष मित्रा	सीए. निहार एन जम्बुसरिया
संयुक्त सचिव	कार्यवाहक सचिव	उपाध्यक्ष	अध्यक्ष

हमारी सम तारीख की निर्दिष्ट रिपोर्ट में

कृते शाह गुप्ता एंड कं.
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म रजि. सं. 109574W

ह./-
सीए. राजीव बसंल
भागीदार, सदस्यता सं. 088598

कृते रवि राजन एंड कं. एलएलपी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म रजि. सं. 009073N/N500320

ह./-
सीए. दीपक गुप्ता
भागीदार, सदस्यता सं. 516002

नई दिल्ली, 20 सितंबर, 2021

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान

आईसीएआई भवन, इंद्रप्रस्थ मार्ग, नई दिल्ली-110 002

31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरण

विशिष्टियां		**31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए**	
		2021	**2020**
		(रुपए लाख में)	
I.	**प्रचालन क्रियाकलापों से नकद प्रवाह**		
	पूर्वावधि समायोजनों के पश्चात् शुद्ध अधिशेष	21,227	29,919
	निम्नलिखित के लिए समायोजन :		

	- अवक्षयण और परिशोधन संबंधी व्यय	3,291	3,392
	- ऐसे प्रावधान, जो अब अपेक्षित नहीं हैं, अपलिखित	(131)	(255)
	- संदेहास्पद अग्रिमों के लिए प्रावधान	35	-
	- आरक्षितियों को अंतरित सुमेलन प्रभाव	1,151	(1)
	- ब्याज संबंधी आय	(14,155)	(13,523)
	- सदस्यों से प्रवेश फीस, जिसे सीधे आरक्षिती को आबंटित किया गया है	386	604
	कार्यकरण पूंजी परिवर्तनों से पूर्व प्रचालन अधिशेष	**11,804**	**20,136**
	कार्यकरण पूंजी में परिवर्तन :		
	प्रचालन संबंधी आस्तियों में (वृद्धि)/कमी के लिए समायोजन :		
	- वस्तु सूचियां	49	(1)
	- दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम	1	(198)
	- अल्पकालिक ऋण और अग्रिम	(739)	(996)
	- अन्य चालू आस्तियां	(881)	(2,354)
	प्रचालन संबंधी दायित्वों में वृद्धि/(कमी) के लिए समायोजन		
	- अन्य दीर्घकालिक दायित्व	(629)	521
	- दीर्घकालिक प्रावधान	(2,260)	3,684
	- व्यापार संबंधी देय	1,573	1,067
	- अन्य चालू दायित्व	(3,873)	(3,815)
	- अल्पकालिक प्रावधान	1,088	(669)
		6,133	**17,375**
	आय-कर (संदत्त)/प्राप्त (शुद्ध)	733	(214)
	प्रचालन क्रियाकलापों से हुई आय (अ)	**6,866**	**17,161**
II.	**निवेश संबंधी क्रियाकलापों से नकद प्रवाह**		
	- गैर-चालू निवेशों का विक्रय/मोचन/(क्रय)	(28,585)	8,420
	- चालू निवेशों का विक्रय/मोचन/(क्रय)	(2,995)	(3,092)
	- संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर संबंधी पूंजी व्यय	(3,098)	(7,001)
	- संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर के विक्रय से आगम	110	646
	- अन्य निधियों के लिए धारित आस्तियों में वृद्धि/कमी	14,569	(29,726)
	- प्राप्त ब्याज आय	14,155	13,523
	निवेश संबंधी क्रियाकलापों में (प्रयुक्त) नकद (आ)	**(5,844)**	**(17,230)**

III.	**वित्तीय क्रियाकलापों से नकद प्रवाह**		
	- भवनों के लिए प्राप्त संदान	1	-
	- प्राप्त अभिदाय	76	154
	- प्राप्त/(प्रयुक्त) अन्य निधि	168	(49)
	वित्तीय क्रियाकलापों से नकद (इ)	**245**	**105**
	नकद और नकद समतुल्यों में शुद्ध वृद्धि/(कमी) (अ+आ+इ)	1,267	36
	वर्ष के प्रारंभ में नकद और नकद समतुल्य	8,748	8,712
	वर्ष के अंत में नकद और नकद समतुल्य	**10,015**	**8,748**

संलग्न टिप्पण 1 से 27 देखें, जो वित्तीय विवरणों का अभिन्न भाग हैं ।

परिषद् के लिए और उसकी ओर से

ह./-	ह./-	ह./-	ह./-
सीए. सुदीप श्रीवास्तव	सीए. (डा.) जय कुमार बत्रा	सीए. (डा.) देबाशीष मित्रा	सीए. निहार एन जम्बुसरिया
संयुक्त सचिव	कार्यवाहक सचिव	उपाध्यक्ष	अध्यक्ष

हमारी सम तारीख की निर्दिष्ट रिपोर्ट में

कृते शाह गुप्ता एंड कं.
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म रजि. सं. 109574W

ह./-
सीए. राजीव बसंल
भागीदार, सदस्यता सं. 088598

कृते रवि राजन एंड कं. एलएलपी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म रजि. सं. 009073N/N500320

ह./-
सीए. दीपक गुप्ता
भागीदार, सदस्यता सं. 516002

नई दिल्ली, 20 सितंबर, 2021

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान

वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाली टिप्पणियां

1. साधारण जानकारी

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान ("संस्थान या आईसीएआई") जिसका प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है, को 1 जुलाई, 1949 को संसद् के एक अधिनियम, अर्थात् चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 के अधीन भारत में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की वृत्ति का विनियमन करने के प्रयोजन के लिए स्थापित किया गया था । उक्त अधिनियम के निबंधनों के अनुसार संस्थान की परिषद् को, संस्थान के कार्यों के प्रबंध का कार्य सौंपा गया है । इस प्रयोजन के लिए, परिषद् ने अभी तक मुंबई, कोलकाता, कानपुर, चैन्नई और नई दिल्ली प्रत्येक में एक और कुल 5 प्रादेशिक परिषदों, 5 विकेन्द्रीकृत कार्यालयों, 2 उत्कृष्टता केंद्रों, 164 शाखाओं और दुबई तथा सिंगापुर में 2 विदेशी कार्यालय का भी गठन किया है ।

2. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का संक्षिप्त विवरण

2.01 लेखांकन तैयार करने का आधार

वित्तीय विवरणों को, जिनमें तुलन पत्र, आय और व्यय लेखा तथा नकद प्रवाह विवरण, उन पर टिप्पणों के साथ सम्मिलित हैं, भारत में साधारण रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (भारतीय जीएएपी) और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 के अनुसार तैयार किया जाता है। यहां भारतीय जीएएपी में भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक और अन्य उदघोषणाएं सम्मिलित हैं। वित्तीय विवरणों को, जब तक कि अन्यथा कथित न हो, गोईंग कन्सर्न संबंधी ऐतिहासिक लागत अभिसमय के अधीन तथा प्रोदभवन आधार पर तैयार किया जाता है। वित्तीय विवरणों को तैयार करने में अपनाई गई लेखांकन नीतियां, पूर्व वर्ष में अपनाई गई नीतियों से संगत हैं।

2.02 प्राक्कलनों का उपयोग

भारतीय जीएएपी के अनुसार वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति प्रबंध मंडल से यह अपेक्षा करती है कि वे ऐसे प्राक्कलन और पूर्वानुमान करें, जो वर्ष के दौरान आस्तियों और दायित्वों की रिपोर्ट की गई रकमों (जिसके अंतर्गत आकस्मिक दायित्व भी हैं) और आय और व्यय की रिपोर्ट की गई रकमों हेतु विचार में लिए जाते हैं। प्रबंध मंडल यह विश्वास करता है कि वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयुक्त प्राक्कलन विवेकपूर्ण और तर्कसंगत हैं। वास्तविक परिणाम उन प्राक्कलनों से भिन्न हो सकते हैं और वास्तविक परिणामों तथा प्राक्कलनों के बीच अंतर को ऐसी अवधियों में मान्यता प्रदान की जाती है, जिनमें परिणामों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है/ वे कार्यान्वित किए जाते हैं।

2.03 वस्तु-सूचियां

वस्तु-सूचियों में प्रकाशन, अध्ययन सामग्रियां, लेखन सामग्रियां और अन्य भंडारों की वस्तु-सूचियां सम्मिलित होती हैं। इन वस्तु-सूचियों का मूल्यांकन प्रथम आगम, प्रथम जावक ("एफआईएफओ") पद्धति के आधार पर, जिसके दौरान जहां आवश्यक समझा जाए, अप्रचलन और अन्य हानियों के लिए प्रावधान करने के पश्चात् संगणित निम्नतर लागत और शुद्ध वसूलनीय मूल्य के आधार पर किया जाता है।

लागत में माल को विक्रय के बिन्दु पर लाने संबंधी सभी प्रभार सम्मिलित होते हैं, जिसके अंतर्गत अन्य उदग्रहण, प्रवहन बीमा और अनुषंगी प्रभार भी हैं।

2.04 नकद और नकद समतुल्य

नकद में, हाथ में नकदी और बैंकों में मांगदेय निक्षेप अंतर्विष्ट हैं। नकद समतुल्य ऐसे अल्पकालिक अतिशेष हैं (जिनकी मूल परिपक्वता, उनके अर्जन की तारीख से तीन मास या उससे कम की अवधि है), जो अत्यधिक रूप से चल निवेश हैं, जिन्हें सुगम रूप से नकद की ज्ञात रकमों में परिवर्तित किया जा सकता है और जो मूल्य में परिवर्तन के महत्वहीन जोखिम के अधीन हैं।

2.05 नकद प्रवाह विवरण

नकद प्रवाहों को अप्रत्यक्ष पद्धति का उपयोग करते हुए रिपोर्ट किया जाता है, जिसमें गैर-नकद प्रकृति के संव्यवहारों के प्रभावों और पूर्ववर्ती या भावी नकद प्राप्तियों या संदायों में किसी आस्थगन या प्रोदभवनों के लिए शुद्ध अधिशेष को समायोजित किया जाता है। संस्थान के प्रचालन, निवेश और वित्तपोषण संबंधी क्रियाकलापों से होने वाले नकद प्रवाहों को उपलब्ध जानकारी के आधार पर पृथक् किया जाता है।

2.06 आरक्षितियों में विनियोग और उद्दिष्ट निधियों को आबंटन

i) संस्थान के अध्येता के रूप में प्रवेश हेतु सदस्यों से प्राप्त फीस को अवसंरचना संबंधी आरक्षित खाते में जमा किया जाता है।

ii) भवनों के लिए प्राप्त संदानों को सीधे अवसंरचना आरक्षिती खाते में जमा किया जाता है।

iii) दुरस्थ शिक्षा फीस के 25 प्रतिशत, जो वर्ष के शुद्ध अधिशेष के 50 प्रतिशत से अधिक न हो, शिक्षा निधि को अंतरित किया जाता है।

iv) सदस्यता फीस (वार्षिक और व्यवसाय प्रमाणपत्र संबंधी फीस) के 0.75 प्रतिशत को कर्मचारी कल्याण निधि को अंतरित किया जाता है।

v) उद्दिष्ट निधियों से शिक्षा आरक्षिती खाते को निम्नलिखित अंतरण किए जाते हैं :

(क) अनुसंधान भवन निधि लेखांकन से	लेखांकन अनुसंधान भवन निधि से संबंधित भवन निधियों में अभिवृद्धियों की लागत (कटौतियों का शुद्ध, यदि कोई हों) का 100 प्रतिशत
(ख) शिक्षा निधि से	नियत आस्तियों से संबंधित अभिवृद्धियों की लागत (कटौतियों का शुद्ध, यदि कोई हों) का 50 प्रतिशत

vi) उद्दिष्ट निधियों के निवेश से होने वाली आय को उद्दिष्ट निधियों में जोड़ा जाता है । इस आय को, संबद्ध उद्दिष्ट निधियों के प्रारंभिक अतिशेष के आधार पर, भारित औसत का आधार बनाते हुए आबंटित किया जाता है ।

vii) वर्ष के दौरान प्राप्त सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण (आईटीटी)/उन्नत सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम फीस के 25 प्रतिशत को कंप्यूटरों तथा अन्य आईटीटी केंद्र अवसंरचना के प्रतिस्थापन हेतु अन्य आरक्षितियों में अंतरित किया जाता है ।

viii) वर्ष के लिए अवक्षयण के समतुल्य राशि (आईटीटी आरक्षिती को अंतरित रकम को छोड़कर) को आस्तियों की मरम्मत और प्रतिस्थापन हेतु सिंकिंग निधि में अंतरित किया जाता है ।

2.07 संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर

संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर को उस समय मान्यता प्रदान की जाती है जब यह संभावना हो कि मद से सहबद्ध भावी आर्थिक फायदे संस्थान को प्राप्त होंगे और मद की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है । संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर का कथन संचयी अवक्षयण और संचयी हानिकरण हानि, यदि कोई हो, को घटाकर लागत पर किया जाता है । संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर की लागत में उसकी क्रय कीमत, किन्हीं व्यापार बट्टों और छूटों के शुद्ध, आयात शुल्कों और अन्य करों (कर प्राधिकारियों से पश्चातवर्ती रूप से वसूलनीय से भिन्न) सहित सम्मिलित होती है, जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से आस्ति को उसके आशयित उपयोग हेतु तैयार करने के लिए होने वाले व्यय से प्रत्यक्षत: जोड़ा जा सकता है । आशयित उपयोग हेतु आस्ति को तैयार किए जाने की तारीख तक अर्हित संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर के अर्जन के संबंध में होने वाले अन्य आनुषंगी व्ययों और उसके संबंध में लिए गए उधारों पर ब्याज का भी पूंजीकरण किया जाता है ।

2.08 अमूर्त आस्तियां

अमूर्त आस्तियों का कथन, संचयी परिशोधन और संचयी हानिकरण, यदि कोई हों, को घटाकर लागत पर किया जाता है । किसी अमूर्त आस्ति की लागत में, उसकी क्रय लागत, छूट और बट्टों के शुद्ध के रूप में सम्मिलित होती है, जिसके अंतर्गत लगने वाले आयात शुल्क और अन्य कर (उनसे भिन्न, जो पश्चातवर्ती रूप से कर अधिकारियों से वसूलनीय होते हैं), किसी आस्ति को उसके आशयित उपयोग हेतु तैयार करने के लिए होने वाली कोई प्रत्यक्ष लागत भी है । किसी आस्ति को उसके आशयित उपयोग के लिए तैयार करने हेतु होने वाली कोई प्रत्यक्ष लागत, अन्य अनुषंगी व्यय और आशयित उपयोग के लिए आस्ति के तैयार होने की तारीख तक अर्हित आस्तियों के अर्जन के मद्दे लिए गए उधारों पर ब्याज भी है । अमूर्त आस्तियों के क्रय/उनके पूर्ण होने के पश्चात् उनसे संबंधित पश्चातवर्ती व्यय को केवल उस दशा में पूंजीकृत किया जाता है, यदि ऐसे व्ययों के परिणामस्वरूप उसके पूर्व में निर्धारित कार्यपालन संबंधी मानक से परे ऐसी आस्ति से होने वाले किन्हीं भावी फायदों में वृद्धि होती है ।

2.09 चालू पूंजी संकर्म

ऐसी आस्तियों के, जो उनके आशयित उपयोग के लिए तैयार नहीं हैं, संनिर्माण पर उपगत व्यय को, चालू पूंजी संकर्म के अधीन हानिकरण, यदि कोई हों, को घटाकर लागत पर संगणित किया जाता है । इस लागत में, सामग्रियों की क्रय लागत सम्मिलित होती है, जिसके अंतर्गत लागतों से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े आयात-शुल्क और गैर-प्रतिदेय कर भी हैं ।

2.10 अवक्षयण और परिशोधन

क) आस्तियों के संबंध में अवक्षयणीय रकम आस्ति की लागत या लागत के रूप में प्रतिस्थापित अन्य रकम है ।

संपत्ति/संयंत्र और उपस्कर पर अवक्षयण को संस्थान की परिषद् द्वारा यथा अनुमोदित निम्नलिखित दरों पर अपलिखित मूल्य पद्धति पर उपलब्ध कराया जाता है ।

	संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर का वर्ग	**अवक्षयण की दर**
i)	भवन	5%
ii)	लिफ्ट, इलैक्ट्रिकल प्रतिष्ठापन और फिटिंग्स	10%
iii)	कंप्यूटर	60%
iv)	फर्नीचर और फिक्सचर	10%
v)	वातानुकूलक और कार्यालय उपस्कर	15%
vi)	वाहन	20%
vii)	पुस्तकालय की पुस्तकें	100%

ख) पट्टाधृत भूमि का परिशोधन पट्टे की अवधि या उसके उपयोगी जीवन, इनमें से जो भी कम हो, के आधार पर किया जाता है ।

ग) अमूर्त आस्तियों का परिशोधन उनके प्राक्कलित उपयोगी जीवन के आधार पर तीन वर्ष तक स्ट्रेट लाइन पद्धति पर किया जाता है ।

2.11 राजस्व मान्यता

राजस्व को निम्नानुसार मान्यता प्रदान की जाती है :

i) छात्रों से प्राप्त दूरस्थ शिक्षा फीस को संबद्ध पाठ्यक्रम की अवधि के आधार पर अनुपातत: मान्यता प्रदान की जाती है ।

ii) कक्षा प्रशिक्षण फीस में प्रबंध और संसूचना कौशल पाठ्यक्रम ("एमसीएस"), सूचना प्रौद्योगिकी और साफ्ट कौशलों संबंधी एकीकृत पाठ्यक्रम ("आईसीआईटीएसएस"), उन्नत सूचना प्रौद्योगिकी और साफ्ट कौशलों संबंधी एकीकृत पाठ्यक्रम ("एआईसीआईटीएसएस") और अनुकूलन कार्यक्रम ("ओपी") के लिए प्राप्त फीस सम्मिलित होती है । कक्षा प्रशिक्षण और कोचिंग कक्षाओं संबंधी आय को उस समय मान्यता प्रदान की जाती है, जब सेवाओं को प्रदान किया जाता है और संबंद्ध लागतों को उपगत किया जाता है ।

iii) परीक्षा फीस को उस समय राजस्व के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है, जब संस्थान संबद्ध सेवा प्रदान करता है, अर्थात् जब परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है ।

iv) संगोष्ठी फीस को उस समय राजस्व के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है, जब संस्थान संबद्ध सेवा प्रदान करता है, अर्थात् जब संगोष्ठियों का आयोजन किया जाता है ।

v) वार्षिक सदस्यता फीस (जिसके अंतर्गत व्यवसाय प्रमाण-पत्र और उसे पुन: स्थापित करने की फीस भी सम्मिलित है) और प्रवेश फीस से मिलकर बनने वाली सदस्यता फीस को निम्नानुसार मान्यता प्रदान की जाती है :

(क) वार्षिक सदस्यता फीस (जिसके अंतर्गत व्यवसाय प्रमाणपत्र के लिए फीस भी है) को उस समय आय के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है, जब वह वर्ष के दौरान शोध्य हो जाती है । सदस्य के नाम को पुन: प्रविष्ट करने संबंधी फीस को, उसके प्राप्त होने पर मान्यता प्रदान की जाती है ।

(ख) प्रवेश फीस :

- सहबद्ध सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति को प्रवेश दिए जाने के समय एकत्रित प्रवेश फीस के एक-तिहाई भाग को उस वर्ष की प्रवेश संबंधी आय के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है और शेष भाग को अवसंरचना आरक्षिती में मान्यता प्रदान की जाती है।
- अध्येता सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति को प्रवेश दिए जाने के समय एकत्रित प्रवेश फीस को अवसंरचना आरक्षिती में मान्यता प्रदान की जाती है।

vi) छात्र रजिस्ट्रीकरण फीस को उस समय मान्यता दी जाती है, जब छात्र को पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रदान किया जाता है।

vii) छात्र संगमों संबंधी आय को उस समय मान्यता दी जाती है, जब छात्रों को पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश प्रदान किया जाता है।

viii) अर्हता-पश्च पाठ्यक्रमों और प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों के राजस्वों को उस अवधि में मान्यता प्रदान की जाती है, जिसमें सेवाएं दी जाती हैं।

ix) प्रमाणपत्र/अर्हता-पश्च पाठ्यक्रम/डिप्लोमा पाठ्यक्रम के प्रारंभ से पूर्व प्रवेश रद्द किए जाने की दशा में फीस के 10 प्रतिशत की कटौती की जाती है और उस दशा में, जब पाठ्यक्रम आरंभ हो गया हो, फीस का प्रतिदाय नहीं किया जाता है किंतु सदस्य को भविष्य में आयोजित किए जाने वाले बैचों में पाठ्यक्रम के शेष भाग को पूरा करने का विकल्प प्रदान किया जाएगा।

2.12 अन्य आय

क) प्रकाशन के विक्रय से होने वाली आय को उस समय मान्यता प्रदान की जाती है जब जोखिम और पुरस्कारों को क्रेता को अंतरित किया जाता है, जो सामान्यत: माल के परिदान के समय होता है। इस आय में, प्राप्त हुआ यह प्राप्य प्रतिफल, बट्टों का शुद्ध और अन्य विक्रय संबंधी कर (यदि कोई हों) सम्मिलित हैं।

ख) छात्र न्यूज लैटर और जर्नल के अभिदाय से होने वाली आय को अभिदाय की अवधि के अनुसार अनुपातत: मान्यता प्रदान की जाती है।

ग) कैम्पस साक्षात्कारों और विशेषज्ञ सलाहकार फीस से होने वाली आय को उस समय मान्यता दी जाती है, जब सेवाएं प्रदान की जाती हैं और संबद्ध लागतों को उपगत किया जाता है।

घ) ब्याज संबंधी आय को अनुपात आधार पर मान्यता प्रदान की जाती है।

2.13 निवेश

क) संस्थान के निवेशों में केंद्रीय और राज्य सरकारों द्वारा जारी घरेलू सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में लिखतें, भारत में अधिवासी राष्ट्रीयकृत बैंकों में सावधि निक्षेप और लाभ न कमाने वाले अस्तित्वों के शेयर सम्मिलित होते हैं।

ख) निवेशों को एएस 13, निवेशों के अनुसार चालू और दीर्घकालिक निवेशों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। चालू निवेश वे हैं, जिन्हें सुगमता से वसूल किया जा सकता है और उन्हें, निवेश किए जाने की तारीख से एक वर्ष से अनधिक अवधि तक धारित करने का आशय रखा जाता है। कोई दीर्घकालिक निवेश कोई ऐसा निवेश है, जो चालू निवेश से भिन्न है।

ग) निवेशों को प्रारंभिक रूप से लागत पर लेखबद्ध किया जाता है और इस लागत में अर्जन की लागतें, जैसे दलाली, फीस और शुल्क सम्मिलित होते हैं। क्रय के समय संदत्त प्रोदभूत ब्याज का मुजरा ब्याज की प्रथम प्राप्ति के विरुद्ध किया जाता है।

घ) केंद्रीय और राज्य सरकारों द्वारा जारी घरेलू सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में निवेश मुक्त रूप से परिषद् के विवेक पर उपलब्ध हैं, सिवाय उद्दिष्ट निधियों के योग की सीमा तक।

ङ) प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख को चालू निवेशों को लागत और उचित मूल्य के निम्नतर पर अग्रनीत किया जाता है। दीर्घकालिक निवेशों को लागत पर अग्रनीत किया जाता है। तथापि, मूल्य में कमी के लिए प्रावधान को सम्मिलित किया जाता है, जिससे निवेशों के मूल्य में अस्थायी से भिन्न किसी कमी को मान्यता प्रदान की जा सके। क्रय के समय संदत्त प्रीमियम का परिशोधन निवेशों की शेष परिपक्वता की अवधि हेतु किया जाता है। प्रीमियम के परिशोधन को 'निवेशों से ब्याज' शीर्ष के अधीन आय के प्रति समायोजित किया जाता है।

2.14 विदेशी मुद्रा संव्यवहार

विदेशी मुद्रा संव्यवहारों को, संव्यवहार की तारीख को लागू विनिमय दरों पर लेखांकित किया जाता है।

तुलन-पत्र की तारीख को बकाया विदेशी मुद्रा धनीय मदों को वर्ष के अंत में विद्यमान दरों पर पुन: कथित किया जाता है। संस्थान की गैर-धनीय मदों का लेखांकन ऐतिहासिक लागत पर किया जाता है।

विदेशी मुद्रा धनीय आस्तियों और दायित्वों के समाधान/पुनर्कथन पर उदभूत होने वाले विनिमय संबंधी अंतरों को आय और व्यय के विवरण में आय और व्यय के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है।

2.15 कर्मचारी फायदे

कर्मचारी फायदों में भविष्य निधि, उपदान निधि, प्रतिपूरित अनुपस्थिति, दीर्घ सेवा पुरस्कार, पेंशन स्कीम और सेवा-पश्च चिकित्सीय फायदे सम्मिलित हैं।

i) अल्पकालिक कर्मचारी फायदे

अल्पकालिक कर्मचारी फायदों (जैसे कि वेतन, भत्ते, अनुग्रह आदि) की बट्टा रहित रकम को, कर्मचारियों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के बदले संदत्त किए जाने की आशा की जाती है, जिसे वर्ष के दौरान उस समय मान्यता प्रदान की जाती है जब कर्मचारी सेवा प्रदान करते हैं। अल्पकालिक कर्मचारी फायदे संभावी रूप से उस अवधि के अंत के 12 मास के पश्चात् उत्पन्न होते हैं, जिसमें कर्मचारियों द्वारा संबंधित सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

अल्पकालिक प्रतिपूरित अनुपस्थिति की लागत को निम्नानुसार लेखांकित किया जाता है :

क) एकत्रित प्रतिपूरित अनुपस्थितियों की दशा में, जब कर्मचारी ऐसी सेवाएं प्रदान करते हैं, जो उनकी भावी प्रतिपूरित अनुपस्थितियों की हकदारी में वृद्धि करती हैं ; और

ख) गैर-एकत्रित प्रतिपूरित अनुपस्थितियों की दशा में, जब अनुपस्थितियां दर्ज की जाती हैं।

ii) नियोजन पश्च फायदे

नियोजन पश्च फायदे कर्मचारियों को दिए जाने वाले ऐसे फायदे हैं, जो सेवा समापन फायदों से भिन्न हैं और जो नियोजन के पूरा होने के पश्चात् संदेय होते हैं। नियोजन पश्च फायदों का लेखांकन, सुसंगत योजनाओं के वर्गीकरण पर निर्भर करता है, जैसे कि उन्हें या तो परिभाषित फायदा योजना (डीबीपी) या परिभाषित अभिदाय योजना (डीसीपी) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। नियोजन पश्च फायदा योजनाएं, जहां संस्थान किसी पृथक् अस्तित्व या निधि को कोई नियत संदाय करता है और वह उस दशा में किन्हीं अन्य अभिदायों को करने की बाध्यताओं के अधीन नहीं होगा यदि पृथक् अस्तित्व या निधि के पास चालू और पूर्व अवधि में कर्मचारी की सेवा से संबंधित सभी कर्मचारी फायदों का संदाय करने के लिए पर्याप्त आस्तियां विद्यमान नहीं हैं। दूसरी ओर, डीसीपी के रूप में वर्गीकृत योजनाओं से भिन्न नियोजन पश्च फायदा योजनाओं को डीबीपी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

क) परिभाषित फायदा योजनाएं

उपदान और सेवानिवृत्ति पश्च पेंशन के रूप में परिभाषित फायदा योजनाओं के लिए, फायदे उपलब्ध कराने की लागत का अवधारण प्रक्षेपित यूनिट प्रत्यय पद्धति का उपयोग करते हुए किया जाता है, जिसके दौरान प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख को बीमांकिक मूल्यांकन किया जाता है। बीमांकिक अभिलाभों और हानियों को उस अवधि के आय और व्यय विवरण में मान्यता प्रदान की जाती है, जिसमें वे उदभूत होते हैं। पूर्व सेवा संबंधी लागत को, फायदों के पहले से ही निहित किए जाने की सीमा तक तुरंत मान्यता प्रदान की जाती है और उन्हें अन्यथा फायदों के निहित हो जाने तक की औसत अवधि के अनुसार सीधी कटौती पद्धति के आधार पर परिशोधित किया जाता है। मान्य ठहराई गई सेवानिवृत्ति फायदे संबंधी बाध्यता, गैर-मान्यताप्राप्त पूर्व सेवा लागत के लिए यथा समायोजित परिभाषित फायदा बाध्यता के वर्तमान मूल्य को उपदर्शित करती है, जिसमें से स्कीम संबंधी अस्तियों के उचित मूल्य को घटा दिया गया हो। इस परिगणना के पारिणामिक कोई आस्ति, पूर्व सेवा लागत धन उपलब्ध प्रतिदायों और स्कीमों में भावी अभिदायों में कमी के वर्तमान मूल्य तक सीमित है। उपदान संबंधी दायित्व को भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा वित्तपोषित किया जाता है।

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान भविष्य निधि न्यास ('न्यास') को भविष्य निधि स्कीम के मद्दे किए गए अभिदाय को चालू वर्ष के लिए परिभाषित फायदा योजना के रूप में विचार में लिया जाता है और उसे एक ऐसे व्यय के रूप में प्रभारित किया जाता है, जो किए जाने के लिए अपेक्षित अभिदाय की रकम पर आधारित है, जब कर्मचारियों द्वारा सेवाएं प्रदान की जाती हैं। इस न्यास का प्रबंध संस्थान द्वारा निर्वाचित शासी निकाय द्वारा किया जाता है।

इन परिभाषित फायदा बाध्यताओं के वर्तमान मूल्य को लेखांकन मानक (एएस) – 15, कर्मचारी फायदे के अनुसार एक स्वतंत्र बीमांकिक मूल्यांकनकर्ता द्वारा अभिनिश्चित किया जाता है।

ख) पेंशन स्कीम

संस्थान अपने कर्मचारियों को पेंशन के रूप में कर्मचारी फायदों की प्रस्थापना करता है। तुलन-पत्र की तारीख को इस बाध्यता के वर्तमान मूल्य को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्यता प्रदान की जाती है।

ग) सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके पति-पत्नी को सेवानिवृत्ति पश्च चिकित्सा स्कीम फायदा

संस्थान अपने कर्मचारियों को चिकित्सा स्कीम के रूप में कर्मचारी फायदों की प्रस्थापना करता है।

iii) दीर्घकालिक कर्मचारी फायदे

ऐसी प्रतिपूरित अनुपस्थितियां, जिनकी उस अवधि के अंत के पश्चात् बारह मास के भीतर उत्पन्न होने की संभावना नहीं है, जिसमें कर्मचारी द्वारा दी गई संबद्ध सेवाओं को तुलन-पत्र की तारीख को परिभाषित फायदा बाध्यता के वर्तमान मूल्य पर एक ऐसे दायित्व के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है, जिसमें से योजना आस्तियों के उचित मूल्य को घटा दिया गया हो और जिसमें से बाध्यताओं के समाधान होने की आशा की जाती है।

2.16 पट्टे

संस्थान लेखांकन और प्रकटन प्रयोजनों के लिए पट्टों को वित्त और प्रचालन पट्टें के रूप में वर्गीकृत करता है। ऐसे पट्टों को, जहां संस्थान स्वामित्व संबंधी सभी जोखिम और पुरस्कारों को सारवान रूप से स्वीकार करता है, वित्तीय पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ऐसे पट्टों को, जहां पट्टाकर्ता और न कि संस्थान स्वामित्व संबंधी सभी जोखिम और पुरस्कारों को सारवान रूप से स्वीकार करता है, प्रचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

प्रचालन पट्टों के अधीन पट्टा किरायों को पट्टे की अवधि के अनुसार सीधे कटौती पद्धति के आधार पर आय और व्यय के विवरण में मान्यता प्रदान की जाती है। वित्तीय पट्टे की दशा में, आस्तियों को पट्टाकृत आस्ति के उचित मूल्य और न्यूनतम पट्टा संदाय के वर्तमान मूल्य के निम्नतर पर पूंजीकृत किया जाता है। पट्टा संबंधी संदायों को वित्तीय प्रभार और पट्टा दायित्व के पुन: संदाय के बीच परिशोधित किया जाता है। पट्टाधृत आस्तियों का अवक्षयण पट्टे की अवधि या आस्ति के उपयोगी जीवन के निम्नतर पर किया जाता है।

2.17 संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर तथा अमूर्त आस्तियों का हानिकरण

प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख को आस्तियों के अग्रेषण मूल्य को हानिकरण हेतु पुनर्विलोकित किया जाता है। यदि हानिकरण का कोई संकेत विद्यमान होता है तो ऐसी आस्तियों की वसूलनीय रकम को प्राक्कलित किया जाता है और हानिकरण को उस समय मान्यता प्रदान की जाती है, यदि इन आस्तियों की अग्रनीत रकम उनकी वसूलनीय रकम से अधिक हो जाती है। वसूलनीय रकम, वह शुद्ध विक्रय कीमत और उनके उपयोग मूल्य दोनों में से उच्चतर है। उपयोग मूल्य की गणना, भावी नकद प्रवाहों को एक समुचित बट्टा कारक के आधार पर बट्टा देते हुए उनके वर्तमान मूल्य के आधार पर की जाती है। जब इस बात का कोई संकेत प्राप्त होता है कि किसी आस्ति के लिए पूर्ववर्ती लेखांकन अवधियों के दौरान मान्यता प्रदान किया गया हानिकरण अब विद्यमान नहीं है या उसमें कोई कमी आई है तो ऐसे हानिकरण की वापसी को आय और व्यय के विवरण में मान्यता प्रदान की जाती है।

2.18 आय पर कर

संस्थान को आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग)(**iv**) और धारा 11 के अधीन आय-कर से छूट प्रदान की गई है। इस प्रकार, आय-कर के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है और आस्थगित कर आस्ति और दायित्व के लिए किसी प्रावधान को आवश्यक नहीं समझा गया है।

2.19 अन्य निधियों के लिए धारित आस्तियां

बैंकों में निक्षेपों के रूप में धारित ऐसी अन्य निधियों को, जो तुलन-पत्र की तारीख से बारह मास की अवधि के पश्चात् परिपक्व हो रहे हैं, गैर-चालू और अन्य निधियों को चालू निधियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

2.20 प्रावधान और आकस्मिकताएं

किसी प्रावधान को उस समय मान्यता दी जाती है, जब किन्हीं पूर्व घटनाओं के परिणामस्वरूप संस्थान की कोई बाध्यता विद्यमान है और इस बात की संभावना है कि ऐसी बाध्यता को पूरा करने के लिए संसाधनों का बर्हिगमन अपेक्षित होगा, जिसके संबंध में कोई विश्वसनीय प्राक्कलन किया जा सकता है।

आकस्मिक दायित्व ऐसी संभाव्य बाध्यता है, जो किन्हीं पूर्व घटनाओं से उदभूत होती है और जिसकी विद्यमानता की पुष्टि एक या अधिक अनिश्चित ऐसी भावी घटनाओं के घटित या घटित न होने पर निर्भर हो सकती है, जो पूर्णतया संस्थान के नियंत्रणाधीन नहीं है या जो कोई ऐसी वर्तमान बाध्यता है, जो किसी पूर्व घटना से उदभूत हुई है, किंतु जिसे या तो इस कारण से कि यह संभाव्य नहीं है कि उस बाध्यता को पूरा करने के लिए आर्थिक फायदों को समाविष्ट करने वाले संसाधनों का बहिगर्मन अपेक्षित होगा या इस कारण से कि बाध्यता को पूरा करने के लिए किसी रकम का विश्वसनीय प्राक्कलन नहीं किया जा सकता है, मान्यता प्रदान नहीं की गई है। आकस्मिक दायित्वों का प्रकटन किया जाता है और उन्हें मान्यता प्रदान नहीं की जाती है।

आकस्मिक आस्तियों को न तो मान्यता प्रदान की जाती है और न ही उनका प्रकटन किया जाता है।

टिप्पण # 3. आरक्षितियां और अधिशेष

(रुपए लाख में)

विशिष्टियां	साधारण		शिक्षा		अवसंरचना		अन्य*		योग	
	31 मार्च को यथाविद्यमान		31 मार्च को यथाविद्यमान		31 मार्च को यथाविद्यमान		31 मार्च को यथाविद्यमान		31 मार्च को यथाविद्यमान	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
वर्ष के आरंभ में अतिशेष	**77,976**	**75,233**	**46,130**	**42,682**	**6,673**	**6,072**	**5,594**	**3,769**	**1,36,373**	**1,27,756**
जोड़ें: आय और व्यय लेखा से विनियोग	4,640	12,743	-	-	-	-	939	1,874	**5,579**	14,617
साधारण आरक्षिति, अवसंरचना आरक्षिति और अन्य आरक्षिति से/(को) अंतरण	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	-
उद्दिष्ट निधियों से/(को) अंतरण	1,785	(10,000)	712	3,446	-	-	-	-	**2,497**	(6,554)
दाखिला फीसें और आबंटित प्रवेश फीसें	-	-	-	-	386	604	-	-	**386**	604
भवन के लिए प्राप्त संदान	-	-	-	-	1	-	-	-	**1**	-
(उपयोग)/परिवृद्धियां	1,249	-	-	2	(98)	(3)	168	(49)	**1,319**	(50)
वर्ष के अंत में अतिशेष	**85,650**	**77,976**	**46,842**	**46,130**	**6,962**	**6,673**	**6,701**	**5,594**	**1,46,155**	**1,36,373**

* अन्य आरक्षितियों में, पुस्तकालय आरक्षितियां, कक्षा प्रशिक्षण आरक्षितियां और विदेशी मुद्रा विनिमय आरक्षिति आदि सम्मिलित हैं।

टिप्पण : #4. उद्दिष्ट निधियां

(रुपए लाख में)

विशिष्टियां	अनुसंधान		लेखांकन अनुसंधान भवन निधि		शिक्षा निधि		मेडल और पुरस्कार निधि		छात्रों की छात्रवृत्ति निधि		सदस्य कल्याण निधि		कर्मचारी कल्याण निधि		आस्तियों की मरम्मत और प्रतिस्थापन के लिए सिंकिंग निधि		अन्य निधियां		योग	
	31 मार्च को यथाविद्यमान		**31 मार्च को यथाविद्यमान**		**31 मार्च को यथाविद्यमान**		**31 मार्च को यथाविद्यमान**		**31 मार्च को यथाविद्यमान**		**31 मार्च को यथाविद्यमान**		**31 मार्च को यथाविद्यमान**		**31 मार्च को यथाविद्यमान**		**31 मार्च को यथाविद्यमान**		**31 मार्च को यथाविद्यमान**	
	2021	**2020**	**2021**	**2020**	**2021**	**2020**	**2021**	**2020**	**2021**	**2020**	**2021**	**2020**	**2021**	**2020**	**2021**	**2020**	**2021**	**2020**	**2021**	**2020**
वर्ष के प्रारंभ में अतिशेष	2,886	2,677	997	924	39,221	33,608	289	280	10,231	186	3,384	2,138	1,069	923	24,150	21,166	8,374	6,689	**90,601**	68,591
आय और व्यय के विवरण से विनियोग	-	-	-	-	5,456	6,391	-	-	-	-	-	1,076	92	81	2,248	1,303	1,500	1,500	**9,296**	10,351
आरक्षितियों और अधिशेष से/(को) अंतरण	-	-	-	-	(712)	(3,446)	-	-	-	10,000	(3,384)	-	-	-	-	-	1,599	-	**(2,497)**	6,554
वर्ष के दौरान प्राप्त अभिदाय/परिवृद्धियां	-	-	-	-	-	-	46	15	-	38	-	-	-	-	-	-	30	101	**76**	154
वर्ष के दौरान आय और व्यय के विवरण के माध्यम से विनियोग की गई ब्याज आय	254	209	85	73	3,120	2,668	23	17	817	12	-	170	85	73	1,938	1,681	72	84	**6,394**	4,987
वर्ष के दौरान उपयोजित	-	-	-	-	-	-	(17)	(23)	(5)	(5)	-	-	(11)	(8)	-	-	(9)	-	**(42)**	(36)
वर्ष के अंत में अतिशेष	**3,140**	**2,886**	**1,082**	**997**	**47,085**	**39,221**	**341**	**289**	**11,043**	**10,231**	**-**	**3,384**	**1,235**	**1,069**	**28,336**	**24,150**	**11,566**	**8,374**	**1,03,828**	**90,601**

टिप्पण : 1. 1,03,828 लाख रुपए (पूर्व वर्ष में 90,601 लाख रुपए) की उद्दिष्ट निधियों को सावधि निक्षेपों और सरकारी प्रतिभूतियों में धारित किया गया है (टिप्पण 12 और 13 देखें)

2. 1500 लाख रुपए को, अकाउंटेंटों की विश्व कांग्रेस, जिसका आयोजन 2022 में किया जाना है, के लिए 4500 लाख रुपए के प्राक्कलित व्यय के वित्तपोषण हेतु विनियोजित किया गया है। (टिप्पण 24.14 देखें)

3. सदस्य कल्याण निधि को साधारण आरक्षिति को अंतरित किया गया है [टिप्पण 24.17 देखें]

(रुपए लाख में)

टिप्पण #5 : अन्य दीर्घकालिक दायित्व	**31 मार्च को यथा विद्यमान**	
	2021	2020
अग्रिम में प्राप्त फीस		
i) शिक्षा फीस	**1,474**	2,103
ii) जर्नल का अभिदाय	**9**	9
योग	**1,483**	**2,112**

टिप्पण #6 : प्रावधान	**31 मार्च को यथा विद्यमान**		**31 मार्च को यथा विद्यमान**	
	2021	**2020**	**2021**	**2020**
	दीर्घकालिक	**दीर्घकालिक**	**अल्पकालिक**	**अल्पकालिक**
कर्मचारी फायदों के लिए प्रावधान				
क) नियोजन पश्च फायदे				
i) उपदान	-	-	**785**	-
ii) पेंशन	**15,023**	14,282	**506**	557
iii) भविष्य निधि	-	-	**178**	-
ख) छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान	**5,059**	5,133	**578**	402
	4,900	4,200	-	-
ग) शाखा कर्मचारियों के लिए प्रावधान (टिप्पण 24.12)				
घ) वेतन पुनरीक्षण के लिए प्रावधान (टिप्पण 24.13)	**1,733**	5,360	-	-
योग	**26,715**	**28,975**	**2,047**	**959**

टिप्पण #7 : व्यापार संबंधी देय	**31 मार्च को यथा विद्यमान**	
	2021	**2020**
व्यापार संबंधी देय		
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के कुल बकाया शोध्य	**1,015**	1,574
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से भिन्न के कुल बकाया शोध्य	**5,371**	3,370
योग	**6,386**	**4,944**

(रुपए लाख में)

टिप्पण #8 : अन्य चालू दायित्व				**31 मार्च को यथा विद्यमान**	
				2021	**2020**
	क)	अग्रिम में प्राप्त फीस			
		i)	परीक्षा फीस	**1,140**	6,967
		ii)	जर्नल अभिदाय	**17**	21
		iii)	सदस्यता फीस	**1,054**	1,447
		iv)	शिक्षा फीस	**10,191**	7,504
		v)	अर्हता पश्च पाठ्यक्रम फीस	**455**	442
		vi)	प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम फीस	**118**	250
		vii).	संगोष्ठी फीस :		
			क) संगोष्ठी सदस्य	**133**	129
			ख) संगोष्ठी छात्र	**45**	26
		viii)	कक्षा प्रशिक्षण फीस	**242**	155
		ix)	कोचिंग कक्षा फीस	**71**	108
		x)	अन्य फीस	**68**	73
			योग (क)	**13,534**	**17,122**
	ख)	अन्य दायित्व			
		i)	पूंजी ऋणदाता	**44**	28
		ii)	संदेय भविष्य निधि और वृत्तिक कर	**167**	254
		iii)	प्रतिधारण कर	**473**	534
		iv)	जीएसटी देय	**787**	724
		v)	प्रतिभूति और जमा किया गया बयाना धन	**711**	668
		vi)	संदेय प्रतिधारण धन	**94**	105
		vii)	अन्य	**573**	805
		योग (ख)		**2,849**	3,118
		योग (क+ख)		**16,383**	**20,240**

(रुपए लाख में)

टिप्पण 9. # संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर		सकल ब्लॉक				अवक्षयण				
विशिष्टियां	31 मार्च को यथाविद्यमान	वर्ष के प्रारंभ में लागत	वर्ष के दौरान परिवृद्धियां	वर्ष के दौरान अंतरण/विलोपन	वर्ष के अंत में लागत	वर्ष के आरंभ के संचयी अवक्षयण	वर्ष के लिए प्रभारित	वर्ष के दौरान अंतरण/विलोपन	वर्ष के अंत में संचयी अवक्षयण	वर्ष के अंत में शुद्ध बही मूल्य
पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	2021	21,090	433	(2,852)	**18,671**	-	-	-	**-**	**18,671**
	2020	18,311	3,082	(303)	**21,090**	-	-	-	**-**	**21,090**
पट्टाधृत भूमि	2021	7,518	100	2,734	**10,352**	939	149	(25)	**1,063**	**9,289**
	2020	7,794	5	(281)	**7,518**	844	95	-	**939**	**6,579**
भवन	2021	40,644	253	-	**40,897**	10,635	1,563	-	**12,198**	**28,699**
	2020	38,735	1,958	(49)	**40,644**	9,002	1,633	-	**10,635**	**30,009**
लिफ्ट, इलैक्ट्रीकल प्रतिष्ठापन और फीटिंग्स	2021	2,436	-	(20)	**2,416**	1,391	108	(12)	**1,487**	**929**
	2020	2,314	124	(2)	**2,436**	1,269	122	-	**1,391**	**1,045**
कंप्यूटर	2021	7,261	233	(36)	**7,458**	5,779	859	(35)	**6,603**	**855**
	2020	5,417	2,052	(208)	**7,261**	5,102	880	(203)	**5,779**	**1,482**
फर्नीचर और फिक्सचर	2021	5,043	331	(14)	**5,360**	2,667	245	(12)	**2,900**	**2,460**
	2020	4,835	209	(1)	**5,043**	2,417	252	(2)	**2,667**	**2,376**
वातानुकूलक और कार्यालय उपस्कर	2021	5,878	235	(21)	**6,092**	3,755	323	(15)	**4,063**	**2,029**
	2020	5,624	265	(11)	**5,878**	3,410	351	(6)	**3,755**	**2,123**
वाहन	2021	138	-	-	**138**	117	4	-	**121**	**17**
	2020	136	2	-	**138**	114	5	(2)	**117**	**21**
पुस्तकालय की पुस्तकें	2021	1,081	13	(5)	**1,089**	1,081	13	(5)	**1,089**	**-**
	2020	1,059	22	-	**1,081**	1,061	22	(2)	**1,081**	**-**
योग	**2021**	**91,089**	**1,598**	**(214)**	**92,473**	**26,364**	**3,264**	**(104)**	**29,524**	**62,949**
	2020	**84,225**	**7,719**	**(855)**	**91,089**	**23,219**	**3,360**	**(215)**	**26,364**	**64,725**

(रुपए लाख में)

टिप्पण 10.# अमूर्त आस्तियां	**31 मार्च को यथाविद्यमान**	
	2021	**2020**
वर्ष के प्रारंभ में लागत	**796**	768
परिवृद्धियां	**40**	34
अंतरण/विलोपन	**-**	(6)
वर्ष के अंत में लागत	**836**	**796**
वर्ष के प्रारंभ में परिशोधन	**766**	734
वर्ष के लिए प्रभार	**27**	32
अंतरण/विलोपन	**-**	-
वर्ष के अंत में परिशोधन	**793**	**766**
वर्ष के अंत में शुद्ध बही मूल्य	**43**	**30**
वर्ष के प्रारंभ में शुद्ध बही मूल्य	**30**	34

टिप्पण 11. #: चालू पूंजी संकर्म	**31 मार्च को यथाविद्यमान**	
	2021	**2020**
प्रारंभिक अतिशेष	**4,816**	5,555
जोड़े : वर्ष के दौरान परिवृद्धियां	**1,800**	1,562
घटाएं : वर्ष के दौरान पूंजीकृत/ समायोजित रकम	**(324)**	(2,301)
अंतिम अतिशेष	**6,292**	**4,816**

(रुपए लाख में)

टिप्पण : 12. # निवेश*			**31 मार्च को यथाविद्यमान**		**31 मार्च को यथाविद्यमान**	
(लागत पर, मूल्य में ह्रास को घटाकर)			**2021**	**2020**	**2021**	**2020**
			गैर-चालू	**गैर-चालू**	**चालू**	**चालू**
क.	**केंद्रीय सरकार की प्रतिभूतियां**					
		कोट की गई प्रतिभूतियां				
	1	8.27% भारत सरकार 2020	**-**	-	**-**	2,508
	2	7.80% भारत सरकार 2021	**-**	2,530	**2,501**	-
	3	7.40% भारत सरकार 2035(1)	**534**	-	**-**	-
	4	7.40% भारत सरकार 2035	**543**	-	**-**	-
	5	8.83% सरकारी स्टॉक 2041	**1,259**	-	**-**	-
	6	9.23% भारत सरकार 23/12/2043	**1,272**	-	**-**	-
	7	9.23% भारत सरकार 23/12/2043 2	**1,272**	-	**-**	-
	8	8.17% सरकारी स्टॉक 2044	**5,791**	-	**-**	-

9	7.16% भारत सरकार 2050	**1,082**	-	**-**	-
10	8.24% सरकारी स्टॉक 10-11-2033	**5,816**	-	**-**	-
11	8.30% जीएस 2042 1	**4,114**	-	**-**	-
12	8.30% जीएस 2042	**1,763**	-	**-**	-
13	8.30% भारत सरकार-2040	**5,250**	-	**-**	-
14	7.69% भारत सरकार 17/06/2043	**3,354**	-	**-**	-
15	9.23% भारत सरकार 23/12/2043 3	**6,438**	-	**-**	-
16	7.26% जीएसईसी 14 जनवरी 2029	**7,917**	-	**-**	-
17	7.57% जीएस 2033	**5,512**	-	**-**	-
18	8.33% भारत सरकार 2036 1	**1,189**	-	**-**	-
19	8.33% भारत सरकार 2036	**2,260**	-	**-**	-
20	8.24% भारत सरकार 2033	**582**	-	**-**	-
21	7.73% भारत सरकार 2034	**564**	-	**-**	-
		56,512	**2,530**	**2,501**	**2,508**
	कोट न की गई प्रतिभूतियां				
1	8.00% भारत सरकार कराधेय बंधपत्र - संचयी	**11,200**	11,200	**-**	-
2	8% बचत (कराधेय) बंधपत्र 2003-गैर संचयी	**44,000**	44,000	**-**	-
		55,200	**55,200**	**-**	**-**
	बही मूल्य (क)	**1,11,712**	**57,730**	**2,501**	**2,508**
	बाजार मूल्य				
	कोट की गई	**55,718**	2,571	**2,502**	2,517
	कोट न की गई (बही मूल्य)	**55,200**	55,200	**-**	-
		1,10,918	**57,771**	**2,502**	**2,517**

(रुपए लाख में)

टिप्पण : 12. # निवेश (लागत पर, मूल्य में ह्रास को घटाकर)		**31 मार्च को यथाविद्यमान**		**31 मार्च को यथाविद्यमान**	
		2021	**2020**	**2021**	**2020**
		गैर-चालू	**गैर-चालू**	**चालू**	**चालू**
ख.	**राज्य सरकार की प्रतिभूतियां**				
	कोट की गई प्रतिभूतियां:				
1	8.01% राजस्थान उदय एसडीएल 2020	**-**	-	**-**	2,499
2	8.18% आंध्र प्रदेश एसडीएल 2020	**-**	-	**-**	1,501
3	8.39% राजस्थान उदय बंधपत्र 2021	**-**	3,836	**-**	-
4	8.39% राजस्थान उदय एसडीएल 2022	**-**	1,518	**1,509**	-
5	8.44% उत्तर प्रदेश उदय 2023	**1,002**	1,003	**-**	-
6	8.45% कर्नाटक एसडीएल 2024	**3,038**	3,048	**-**	-
7	8.45% कर्नाटक एसडीएल 2024	**2,025**	2,032	**-**	-
8	8.45% पंजाब एसडीएल 2023	**2,529**	2,543	**-**	-
9	8.49% आंध्र प्रदेश पी एसडीएल 2020	**-**	-	**-**	1,501
10	8.62% महाराष्ट्र एसडीएल 2023	**506**	508	**-**	-
11	8.75% पश्चिमी बंगाल जीएस 2022	**-**	506	**503**	-

12	07.79% हिमाचल प्रदेश एसडीएल 2022	-	993	997	-
13	6.90% पंजाब एसडीएल 2021	-	2,479	-	-
14	6.94% ओड़िशा एसडीएल 2021	-	1,480	1,495	-
15	7.56% आंध्र प्रदेश एसडीएल 2021	-	2,490	-	-
16	7.62% महाराष्ट्र एसडीएल 2021	-	1,992	-	-
17	7.64% आंध्र प्रदेश एसडीएल 2021	-	2,988	-	-
18	7.93% छत्तीसगढ़ एसडीएल 2024	1,512	1,516	-	-
19	8.18% हरियाणा एसडीएल उदय 2024	46	46	-	-
20	8.21 हरियाणा उदय 2022	-	1,491	1,496	-
21	8.25 उत्तर प्रदेश उदय बंधपत्र 2023	505	507	-	-
22	8.27 राजस्थान एसडीएल एसपीसल 2023	194	195	-	-
23	8.37% ओड़िशा एसडीएल 2022	1,001	1,002	-	-
24	8.39 राजस्थान उदय 2022	-	1,496	1,498	-
25	8.39 राजस्थान उदय बंधपत्र 2021	-	3,008	-	-
26	8.45% गुजरात एसडीएल 2023	2,545	2,563	-	-
27	8.86% पंजाब एसडीएल 2022	1,006	1,010	-	-
28	8.90% आंध्र प्रदेश एसडीएल 2022	2,510	2,518	-	-
29	8.92% हिमाचल प्रदेश एसडीएल 2022	1,006	1,010	-	-
30	8.95% असम एसडीएल 2022	1,510	1,517	-	-
31	8.97% बिहार एसडीएल 2022	504	506	-	-
32	9.01% कर्नाटक एसडीएल 2024	518	523	-	-
33	9.01% पश्चिमी बंगाल एसडीएल 2022	504	505	-	-
34	9.04% पश्चिमी बंगाल एसडीएल 2021	-	506	502	-
35	9.13% गुजरात एसडीएल 9/5/2022	2,412	2,423	-	-
36	9.18% पंजाब एसडीएल 2021	-	507	503	-
37	8.51% उत्तर प्रदेश उदय 2023	747	752	-	-
	बही मूल्य (ख)	**25,620**	**51,017**	**8,503**	**5,501**
	बाजार मूल्य	**27,174**	**53,235**	**8,777**	**5,532**
	कुल योग (क+ख)	**1,37,332**	**1,08,747**	**11,004**	**8,009**

(रुपए लाख में)

टिप्पण : 12. # निवेश **(लागत पर, मूल्य में ह्रास को घटाकर)**	**31 मार्च को यथाविद्यमान**		**31 मार्च को यथाविद्यमान**	
	2021	**2020**	**2021**	**2020**
	गैर-चालू	**गैर-चालू**	**चालू**	**चालू**
ग. समनुषंगियों की साम्या लिखतों में निवेश (पूर्ण समादत्त)				
i. आईसीएआई का दिवाला वृत्तिक संस्थान 100 रुपए प्रत्येक के 10,00,000 सामान्य शेयर	**1,000**	1,000	**-**	-
ii. आईसीएआई रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन निवेश	**10**	10	**-**	-
कुल योग (ग) बही मूल्य	**1,010**	**1,010**	**-**	**-**

योग (क+ख+ग)	**1,38,34 2**	**1,09,7 57**	**11,004**	**8,009**

*** संदर्भ टिप्पण संख्या - 24.08**

टिप्पण : # 13 अन्य निधियों के लिए धारित आस्तियां	**31 मार्च को यथाविद्यमान**		**31 मार्च को यथाविद्यमान**	
	2021	**2020**	**2021**	**2020**
	गैर-चालू	**गैर-चालू**	**चालू**	**चालू**
बैंकों में सावधि निक्षेप	**5,665**	5,140	**52,660**	67,754
योग	**5,665**	**5,140**	**52,660**	**67,754**

(रुपए लाख में)

टिप्पण : # 14 ऋण और अग्रिम (अप्रतिभूत, उत्तम माने गए)	**31 मार्च को यथाविद्यमान**		**31 मार्च को यथाविद्यमान**	
	2021	**2020**	**2021**	**2020**
	गैर-चालू	**गैर-चालू**	**चालू**	**चालू**
क) प्रतिभूति निक्षेप	**79**	79	**388**	376
ख) स्रोत पर कर कटौती	**1,989**	2,722	**-**	-
ग) इनपुट कर प्रत्यय	**-**	-	**2,330**	2,032
घ) उपदान के लिए योजना आस्तियां (बाध्यताओं का शुद्ध)	**-**	-	**-**	168
ङ) सदस्यों से प्राप्त अग्रिमों पर जीएसटी	**-**	-	**278**	283
च) अन्य ऋण और अग्रिम				
i) कर्मचारियों को ऋण और अग्रिम	**663**	800	**758**	983
ii) अन्य प्राप्य	**380**	244	**1,276**	449
घटाएं : संदेहास्पद प्राप्यों के लिए प्रावधान	**-**	-	**(35)**	-
योग	**3,111**	3,845	**4,995**	**4,291**

टिप्पण # 15 : अन्य आस्तियां	**31 मार्च को यथाविद्यमान**		**31 मार्च को यथाविद्यमान**	
	2021	**2020**	**2021**	**2020**
	गैर-चालू	**गैर-चालू**	**चालू**	**चालू**
क) प्रोदभूत ब्याज				
i) बैंक के साथ सावधि जमा पर	**-**	-	**626**	1,780
ii) निवेश पर	**3,612**	2,495	**2,330**	1,527
iii) कर्मचारियों को दिए गए ऋणों पर	**165**	150	**75**	74
ख) पूर्व संदत्त व्यय	**-**	-	**682**	583
योग	**3,777**	**2,645**	**3,713**	**3,964**

टिप्पण # 16 : वस्तु-सूचियां (निम्नतर लागत और शुद्ध वसूलनीय मूल्य पर)	31 मार्च को यथाविद्यमान	
	2021	2020
क) प्रकाशन और अध्ययन सामग्रियां	386	407
ख) लेखन सामग्रियां और भंडार	45	73
योग	431	480

(रुपए लाख में)

टिप्पण # 17 : नकद और बैंक अतिशेष	31 मार्च को यथाविद्यमान	
	2021	2020
क) हाथ में नकदी	24	45
ख) बैंकों में बचत और चालू खातों में अतिशेष	8,491	8,703
ग) ऐसे सावधि निक्षेप, जिनकी परिपक्वता में तीन मास से कम समय है	1,500	-
योग	10,015	8,748

टिप्पण # 18 : फीसें	31 मार्च को यथाविद्यमान	
	2021	2020
क) दूरस्थ शिक्षा	22,249	26,252
ख) कक्षा प्रशिक्षण आय	7,533	15,574
ग) कोचिंग	557	930
घ) परीक्षा	9,493	15,601
ङ) सदस्यता	12,944	11,236
घटाएं :- ई-जर्नल पर बट्टा	(1,225)	(683)
च) प्रवेश	130	230
छ) अर्हतापश्च पाठ्यक्रम	299	869
ज) प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम	868	1,240
योग	52,848	71,249

टिप्पण # 19: संगोष्ठी आय		31 मार्च को यथाविद्यमान	
		2021	2020
क)	सदस्य	1,324	2,929
ख)	छात्र	159	587
ग)	गैर-सदस्य	211	773
योग		1,694	4,289

(रुपए लाख में)

टिप्पण # 20 : अन्य आय		31 मार्च को यथाविद्यमान	
		2021	2020
क)	ब्याज आय		
	i. अन्य निधियों में धारित बैंक निक्षेप पर	2,395	2,957
	ii. निवेशों से	5,278	5,490
	iii. उद्दिष्ट निधियों में धारित निवेशों से	6,394	4,987
	iv. कर्मचारियों को दिए गए ऋणों पर	88	89
ख)	प्रकाशनों का विक्रय	1,000	1,123
ग)	न्यूजलेटर	118	110
घ)	जर्नल अभिदाय	30	232
ङ)	कैम्पस साक्षात्कार	289	433
च)	विशेषज्ञ सलाहकार फीस	50	39
छ)	अनापेक्षित प्रावधानों का अपलेखन	131	255
ज)	प्रकीर्ण आय	377	609
झ)	आय समर्थन सेवाएं	6,048	7,904
	घटाएं :- व्यय समर्थन सेवाएं	(6,048)	(7,904)
ञ)	पूर्वावधि आय	776	1,810
	योग	**16,926**	**18,134**

टिप्पण # 21: संगोष्ठी और प्रशिक्षण कार्यक्रम		31 मार्च को यथाविद्यमान	
		2021	2020
क)	सदस्य	949	3,705
ख)	छात्र	197	1,212
ग)	छात्र क्रियाकलाप व्यय	40	95
	योग	**1,186**	**5,012**

टिप्पण # 22 : कर्मचारी फायदा संबंधी व्यय	31 मार्च को यथाविद्यमान	
	2021	2020
क) वेतन, पेंशन और अन्य भत्ते	11,668	14,116
ख) भविष्य निधि और अन्य निधियों को अभिदाय	1,843	758
ग) कर्मचारीवृन्द कल्याण व्यय	166	143
योग	**13,677**	**15,017**

(रुपए लाख में)

टिप्पण # 23. अन्य व्यय		**31 मार्च को यथाविद्यमान**	
		2021	**2020**
क)	डाक और टेलीफोन	**2,076**	2,378
ख)	किराया, दरें और कर	**6,499**	5,572
ग)	घरेलू यात्रा	**794**	2,421
घ)	विदेशों से संबद्ध व्यय		
	i) विदेश यात्रा	**-**	232
	ii) विदेशी वृत्तिक निकायों की सदस्यता फीस	**651**	635
	iii) अन्य	**63**	201
ङ)	मरम्मत और अनुरक्षण	**3,179**	2,894
च)	कक्षा प्रशिक्षण व्यय	**1,919**	5,423
छ)	कोचिंग कक्षा व्यय	**62**	100
ज)	विज्ञापन और प्रचार	**166**	349
झ)	बैठक व्यय	**215**	1,191
ञ)	योग्यता छात्रवृत्ति	**167**	195
ट)	संपरीक्षा फीस : प्रधान कार्यालय	**15**	15
	अन्य कार्यालय	**45**	37
ठ)	उद्दिष्ट निधियों से संदाय	**42**	36
ड)	जीएसटी व्यय	**1,133**	1,039
ड)	संदेहास्पद अग्रिमों के लिए प्रावधान	**35**	-
ढ)	संदान व्यय	**1,500**	-
ण)	पूर्वावधि व्यय	**196**	564
त)	अन्य व्यय	**972**	1,245
	योग	**19,729**	**24,527**

24. वित्तीय विवरणों से संबंधित अतिरिक्त टिप्पण

24.01 आकस्मिक दायित्व और प्रतिबद्धताएं

(रुपए लाख में)

	2020-21	**2019-20**
क. आकस्मिक दायित्व		
i) संस्थान के विरूद्ध ऐसे दावे, जिन्हें ऋण के रूप में अभिस्वीकृत नहीं किया गया है	**2,600**	**2,916**

ii) संस्थान को अपर महानिदेशक, माल और सेवाकर सतर्कता से वार्षिक फीस, व्यवसाय प्रमाणपत्र फीस, प्रवेश फीस, संगोष्ठी फीस और कोचिंग कक्षा फीस आदि के संबंध में सेवाकर के संदाय के लिए 15,797 लाख रुपए की मांग संबंधी दो कारण बताओ सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। संस्थान की यह राय है कि वह कारण बताओ (एससीएन) सूचना में उल्लेख किए गए अनुसार सेवाकर का दायी नहीं है। अक्तूबर, 2019 में अपर महानिदेशक, डीजीसीईआई, कोच्चि ने दिल्ली उच्च न्यायालय में रिट याचिका सं. 3957/2019 में प्रति शपथपत्र फाइल किया था। तदनुसार, संस्थान ने दिसंबर, 2019 में प्रत्युत्तर फाइल किया था। इस मामले की अगली सुनवाई 19 नवंबर, 2021 को की जानी है।

ख. पूंजी प्रतिबद्धताएं	2020-21	2019-20
पूंजी प्रतिबद्धताएं (अग्रिमों का शुद्ध)	4,996	3,575

24.02 टिप्पण # 14 दीर्घकालिक ऋणों और अग्रिमों के अधीन अन्य प्राप्यों में, नागपुर में भू-संपत्ति के अर्जन के लिए मूल और अनुपूरक करारों के रद्द हो जाने के कारण, स्टाम्प शुल्क के लिए 243.75 लाख रुपए के प्रतिदेय प्राप्य सम्मिलित हैं, जिसे संयुक्त जिला रजिस्ट्रार (जेडीआर), नागपुर द्वारा नामंजूर कर दिया गया है । संस्थान ने, मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी, पुणे के समक्ष महाराष्ट्र स्टाम्प शुल्क अधिनियम की धारा 53 के अधीन, जेडीआर, नागपुर द्वारा पारित आदेशों को चुनौती देते हुए दो अपील फाइल की हैं, जो अंतिम अधिनिर्णयन के लिए लंबित हैं । संस्थान को यह सलाह दी गई है कि स्टाम्प शुल्क का प्रतिदाय प्राप्त करने के लिए उनके पास उत्तम विधिक मामला है ।

24.03 छात्रों से, छात्र रजिस्ट्रीकरण फीस के मद्दे प्राप्त फीस में से, 1 अप्रैल, 2009 के पश्चात् रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक छात्र के लिए 250 रुपए प्रति छात्र की एक राशि को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स छात्र कल्याण निधि में जमा किया जा रहा है ।

24.04 पट्टाधृत भूमि के मूल्य में 6.17 लाख रुपए सम्मिलित हैं, जो भूमि और विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली से इंद्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली में विद्यमान (प्रधान कार्यालय के साथ लगी) भूमि से संबंधित हैं, जिसके लिए करार और पट्टाभिलेख के ज्ञापन के निष्पादन संबंधी कार्यवाही की जा रही है ।

24.05 संस्थान ने, "परिवर्तन परियोजना" के रूप में निर्दिष्ट एक परियोजना को आरंभ करके अपने संपूर्ण गतिविधियों के अंकीयकरण के लिए एक प्रक्रिया को आरंभ किया है । इस प्रयोजन के लिए, संस्थान ने एक वैश्विक रूप से ख्यातिप्राप्त परियोजना प्रबंध परामर्शी के द्वारा पर्यवेक्षित एक वैश्विक एकीकृत सेवा प्रदाता (विक्रेता) को नियुक्त किया था, जिसकी कुल लागत 3,981 लाख रुपए है । 31 मार्च, 2015 तक 867 लाख रुपए की राशि उपगत की गई है ।

चूंकि एकीकृत सेवा प्रदाता ने, उसे विस्तारित समय सीमाएं प्रदान करने के पश्चात् भी अपेक्षा के अनुसार विकास कार्य नहीं किया था, जिसके परिणामस्वरूप संस्थान ने संविदा को रद्द कर दिया था और जून, 2015 मास में 295 लाख रुपए की बैंक प्रत्याभूति का प्रत्याह्वान और नकदीकरण किया था तथा 572 लाख रुपए की शेष रकम को 31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष में बट्टे खाते में डाल दिया गया था ।

विक्रेता ने फरवरी, 2017 में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिसके द्वारा संस्थान से 807 लाख रुपए के संदाय की अपेक्षा की गई थी, जिसके अंतर्गत नकदीकरण की गई बैंक गारंटी की रकम भी सम्मिलित थी, जिसे संस्थान द्वारा नामंजूर कर दिया गया है और सेवा प्रदाता के साथ करार को समाप्त कर दिया गया है । संविदा को समाप्त करने के पश्चात् से विक्रेता से किसी प्रकार की कोई संसूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

वर्ष 2018-19 के दौरान, संस्थान ने विक्रेता को तारीख 31.10.2018 की एक विधिक सूचना भेजी है, जिसमें उससे, परियोजना का निष्पादन न किए जाने के मद्दे संस्थान को हुई हानि के प्रति लागू ब्याज सहित 2140.79 लाख रुपए की रकम का संदाय करने की अपेक्षा की गई थी । विक्रेता ने अपने तारीख 20.03.2019 के प्रत्युत्तर द्वारा यह दावा किया है कि संस्थान का दावा समय द्वारा वर्जित है ।

इस मामले में, विधिक सलाहकार द्वारा दी गई सलाह को आगे निदेश हेतु सक्षम प्राधिकारी के समक्ष रखा गया है ।

24.06 आईसीएआई भवन, फरीदाबाद से 225 वर्ग मीटर के मापमान वाली भूमि को जनवरी, 2013 में डीएमआरसी द्वारा अधिगृहीत किया गया था, जिसके लिए फरीदाबाद शाखा ने डीएमआरसी द्वारा किए गए अधिग्रहण के विरुद्ध प्रतिकर के रूप में शाखा के आसपास और अधिक भूमि के लिए अनुरोध किया था । इस मामले पर वर्तमान में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकार द्वारा विचार किया जा रहा है ।

24.07 पूर्व वर्षों में सृजित विभिन्न आरक्षित निधियों और उद्दिष्ट निधियों का और संबद्ध उद्दिष्ट निवेशों का ब्यौरेवार पुनर्विलोकन आरंभ किया गया है ताकि संस्थान की वर्तमान अपेक्षाओं और कार्यकरण के अनुसार इन निधियों को पुन: संरचित किया जा सके, जो अभी जारी है ।

24.08 शासकीय प्रतिभूतियों में कोट किए गए इन निवेशों को दीर्घकाल हेतु किया गया है । इन बंधपत्रों का बाजार मूल्य दैनिक आधार पर ऊपर नीचे होता है और चूंकि संस्थान का आशय दीर्घकाल तक इन प्रतिभूतियों को धारण करने का है, इसलिए इन प्रतिभूतियों के मूल्य में इनकी लागत के प्रति अस्थायी कमी के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है क्योंकि प्रबंध मंडल को यह विश्वास है कि दीर्घकाल में इन प्रतिभूतियों का बाजार मूल्य इनकी लागत से अधिक होगा ।

24.09 वर्ष के दौरान किए गए अंत:यूनिट समाधान संबंधी ब्यौरेवार प्रक्रिया के आधार पर 1249 लाख रुपए और 98 लाख रुपए के प्रभाव को टिप्पण संख्या 3 में क्रमश: साधारण आरक्षिति और अवसंरचना आरक्षिति में अंतरित किया गया है । आस्तियों और दायित्वों संबंधी अंत:यूनिट लेखाओं की दशा में समाधान न हुए अंतरों का कुल योग नामे में 1226 लाख रुपए तथा जमा में 1421 लाख रुपए है । 195 लाख रुपए के शुद्ध अंतर को व्यापार संबंधी व्ययों में 'अंत:शाखा के लिए प्रावधान' के अधीन सम्मिलित किया गया है ।

24.10 प्रबंध मंडल के मतानुसार, अध्ययन सर्कल, अध्ययन चैप्टर और विदेशी चैप्टर पृथक् अस्तित्व हैं और उनके लेखाओं का समेकन नहीं किया जाता है ।

24.11 प्रधान कार्यालय और शाखाओं में नियत आस्तियों के भौतिक सत्यापन और बही अतिशेषों के साथ उनके सुमेलन के लिए कार्यवाही की जा रही है ।

24.12 शाखा कर्मचारी स्कीम 2006 को नई शाखा कर्मचारी स्कीम 2014 से प्रतिस्थापित किया गया है, जिसे केंद्रीय परिषद् द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है किंतु अभी उसका कार्यान्वियन नहीं किया गया है । वर्ष 2014-15 से, इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक वर्ष 700 लाख रुपए का प्रावधान लेखाओं में किया जा रहा है, जिनका योग 31 मार्च 2021 को 4900 लाख रुपए हो गया है । इस प्रावधान में कमी/आधिक्य का अवधारण उस समय किया जाएगा जब पुनरीक्षित स्कीम को पूर्णतया कार्यान्वित किया जाएगा ।

कुछ शाखाओं में शाखा कर्मचारियों से भविष्य निधि संदाय की कटौती की है । आय-कर विभाग से 5 प्रादेशिक भविष्य निधि न्यास के रजिस्ट्रीकरण का अनुमोदन लंबित रहने के दौरान 122 लाख रुपए की रकम, जो भविष्य निधि की रकम और नियोजक के बराबर के संदाय और ब्याज से मिलकर बनी है, भविष्य निधि न्यास में जमा नहीं किया जा सका था । तथापि, पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए 110 लाख रुपए के सावधि निक्षेप को, जिस पर 5.40% की दर पर ब्याज देय है, उद्दिष्ट किया गया है ।

24.13 वर्ष के दौरान, क्रमश: 1.1.2016 और 1.7.2017 से प्रभावी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों के संबंध में वेतन और भत्तों में पुनरीक्षण के प्रति 5,360 लाख रुपए के प्रावधान के प्रति 3,752 लाख रुपए का वितरण किया गया था और यह वितरण पूर्व वर्षों में संदत्त अग्रिम को घटाकर शुद्ध रूप से किया गया था । उपदान और छुट्टी नकदीकरण के संबंध में संदेय 1,608 लाख रुपए की शेष रकम के संबंध में संगणना की प्रक्रिया अभी जारी है ।

24.14 वित्तीय वर्ष 2018-19 में किए गए प्राक्कलनों के अनुसार यह संभावना है कि संस्थान भारत में वर्ष 2022 में अकाउंटेंटों के विश्व कांग्रेस का आयोजन करने के लिए 4500 लाख रुपए के प्राक्कलित व्यय को उपगत करेगा । यह विनिश्चय किया गया है कि वर्ष 2018-19 और आगामी दो वर्षों के अतिशेष में से 1500 लाख रुपए की रकमों को एक पृथक् क्लोज एंडेड निधि में विनियोग किया जाएगा, जिससे सम्मेलन के आयोजन संबंधी वित्तीय अपेक्षाओं को पूरा किया जा सके । प्रत्येक वर्ष में उपगत व्यय को एक अभिहित खाते डब्ल्यूसीओए – 2022 संबंधी व्यय से निकाला जाएगा और एक समतुल्य रकम को प्रत्येक वर्ष उक्त निधि से उपयुक्त खाते को अंतरित किया जाएगा ।

24.15 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम 1988 के विनियम 197 के अनुसार, परिषद् के संपरीक्षकों से यह अपेक्षित है कि वे वास्तविक आय और व्यय की तुलना परिषद् द्वारा अनुमोदित बजट प्राक्कलनों के साथ करें तथा सारवान विचलनों के संबंध में परिषद् को रिपोर्ट करें । निकट भविष्य में इस अपेक्षा का अनुपालन करने के लिए उपाय किए जा रहे हैं ।

24.16 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अनुसार संस्थान से यह अपेक्षित है कि वह सूक्ष्म, लघु और मध्यम आपूर्तिकर्ताओं की पहचान करे और उन्हें आपूर्तिकर्ताओं के साथ किए गए करार के निबंधनों पर ध्यान न देते हुए विनिर्दिष्ट अवधि से परे शोध्य रकमों पर ब्याज का संदाय करे । संस्थान ने ऐसे आपूर्तिकर्ताओं की पहचान की प्रक्रिया आरंभ की है और केवल कुछ आपूर्तिकर्ताओं ने ही इस बात की पुष्टि की है कि वे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अधीन रजिस्ट्रीकृत हैं । सभी आपूर्तिकर्ताओं से अभिपुष्टि प्राप्त न हो सकने के कारण ब्याज के दायित्व के संबंध में विश्वसनीय रूप से प्राक्कलन नहीं किए जा सकते और न ही इस संबंध में अपेक्षित प्रकटन किए जा सकते हैं । इस संबंध में लेखांकन पहचान किए जाने संबंधी प्रक्रिया के पूरा हो जाने के पश्चात् किया जाएगा । तथापि, संस्थान के आपूर्तिकर्ताओं के प्रोफाइल को ध्यान में रखते हुए प्रबंध मंडल की यह राय है कि दायित्व, यदि कोई हो, सारवान नहीं होगा ।

24.17 पिछले दो वर्षो के दौरान, अर्थात् वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान 1,076 लाख रुपए (सदस्यता संबंधी व्यवसाय प्रमाणपत्र फीस और वार्षिक फीस का 10 प्रतिशत) तथा वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान 2,138 लाख रुपए (सदस्यता संबंधी व्यवसाय प्रमाणपत्र फीस और वार्षिक फीस का 20 प्रतिशत) को सदस्य कल्याण निधि में अंतरित किया गया है । वर्ष के

दौरान, वरिष्ठ विधिक परामर्शी से यह राय प्राप्त हुई थी कि चार्टर्ड अकांउटेंट्स अधिनियम के अधीन विद्यमान विनियमों के अनुसार संस्थान गैर शैक्षणिक प्रयोजनों के लिए किसी निधि का उपयोग नहीं कर सकता है। अत:, सदस्य कल्याण निधि के अतिशेष (टिप्पण 4# उद्दिष्ट निधियां) को वापस साधारण आरक्षिती में अंतरित कर दिया गया है।

24.18 कोविड 19 महामारी, जो मार्च, 2020 में आरंभ हुई थी, इस वर्ष भी लोगों को संक्रमित कर रही है और इसके परिणामस्वरूप भारत सरकार के निदेशों के अनुसार संस्थान ने भी अपने भौतिक प्रचालनों को आंशिक रूप से बंद कर दिया और अपने सतत वृत्तिक शिक्षा के भागरूप में छात्रों तथा साथ ही सदस्यों को शिक्षित करने/चार्टर्ड लेखांकन पाठ्यक्रम तथा विभिन्न विनियमों/ विनियामक अपेक्षाओं के संबंध में उनकी जानकारी को अद्यतन बनाने के लिए अपनी आनलाइन पद्धति संबंधी प्रसुविधाओं को समुन्नत किया।

वर्ष के दौरान, संस्थान ने राष्ट्र निर्माण में भागीदार की अपनी भूमिका को सत्यनिष्ठा से निभाते हुए 1,500 लाख रुपए की राशि का अभिदाय पीएम केयर निधि में किया और इसके अतिरिक्त उसने 441 लाख रुपए (172 लाख रुपए), जो उसे स्वैच्छिक रूप से सदस्यों, सीए फर्मों, छात्रों और अपने कर्मचारियों द्वारा किए गए स्वैच्छिक अभिदायों से प्राप्त हुए थे, को भी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय अनुतोष निधि और पीएम केयर निधि में जमा किए।

लेखांकन मानकों के अधीन प्रकटन

25. कर्मचारी फायदे

परिभाषित अभिदाय योजनाएं

संस्थान ने भविष्य निधि में अभिदाय के मद्दे 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए 831 लाख रुपए (पूर्व वर्ष में 676.50 लाख रुपए) की राशि को मान्यता प्रदान की है।

संस्थान ने अपने कर्मचारियों को निम्नलिखित परिभाषित फायदा योजनाएं प्रदान की हैं

उपदान :	वित्तपोषित
सेवानिवृत्ति पश्च पेंशन :	गैर-वित्तपोषित
क्षतिपूरित अनुपस्थिति :	गैर-वित्तपोषित

25.1 उपदान योजना से संबंधित ब्यौरे निम्नानुसार हैं

(रुपए लाख में)

	वर्णन	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18
1.	**बाध्यता के आरंभिक और अंतिम अतिशेषों का समाधान**				
	क. वर्ष के आरंभ में बाध्यता	**4,003**	**3,905**	3,298	2,510
	ख. चालू सेवा लागत	**429**	**279**	266	1,102
	ग. ब्याज लागत	**257**	**272**	239	176
	घ. बीमांकिक (अभिलाभ)/हानि	**180**	**208**	442	(204)
	ङ. संदत्त फायदे	**(389)**	**(661)**	(340)	(286)
	च. वर्ष के अंत में बाध्यता	**4,480**	**4,003**	3,905	3,298
2.	**योजना आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन**				
	क. वर्ष के आरंभ में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	**4,171**	**3,513**	2,277	2,325
	ख. योजना आस्तियों पर प्रत्याशित आय	**268**	**303**	188	165
	ग. बीमांकिक अभिलाभ/ (हानि)	**6**	**(57)**	4	6
	घ. संस्थान द्वारा किया गया अभिदाय	**49**	**961**	1,045	84
	ङ. संदत्त फायदे	**(800)**	**(549)**	(1)	(303)
	च. वर्ष के अंत पर योजना आस्तियों का उचित मूल्य	**3,694**	**4,171**	3,513	2,277
3.	**योजना, आस्तियों और बाध्यताओं के उचित मूल्य का समाधान**				
	क. बाध्यताओं का विद्यमान मूल्य	**4,480**	**4,003**	3,905	3,298
	ख. योजना आस्तियों का उचित मूल्य	**3,694**	**4,171**	3,513	2,277

	ग. तुलन पत्र आस्ति/(दायित्व) में मान्यता प्रदान की गई रकम	**(786)**	**168**	(392)	(1,021)

उपदान योजना से संबंधित ब्यौरे (जारी.....)

(रुपए लाख में)

	वर्णन	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18
4.	**वर्ष के दौरान माने गए व्यय**				
	क. चालू सेवा लागत	**429**	**279**	266	1,102
	ख. ब्याज लागत	**257**	**272**	239	176
	ग. योजना आस्तियों पर प्रत्याशित आय	**(268)**	**(303)**	(188)	(165)
	घ. बीमांकिक (अभिलाभ)/हानि	**174**	**265**	438	(210)
	ङ. वर्ष के दौरान माने गए व्यय	**592**	**513**	755	903
5.	**निवेशों के ब्यौरे**	**निवेश का प्रतिशत**	**निवेश का प्रतिशत**	निवेश का प्रतिशत	निवेश का प्रतिशत
	क. अन्य – भारतीय जीवन बीमा निगम के पास निधियां	**100**	**100**	100	100
6.	**पूर्वानुमान**				
	क. बट्टा दर (प्रतिवर्ष)	**6.75%**	**6.75%**	7.62%	7.65%
	ख. योजना आस्तियों से आय की प्राक्कलित दर (प्रतिवर्ष)	**7.07%**	**7.80%**	7.65%	7.45%
	ग. वेतन में वृद्धि की दर	**मूल / डीए : 10%**	**मूल 3% : डीए 6%**	मूल 3% : डीए 6%	मूल 3% : डीए 6%
	घ. संनिघर्षण दर	**2%**	**2%**	2%	2%
	ङ नश्वरता सूची	**आईएएल 2012-14 अंततोगत्वा**	**आईएएल 2012-14 अंततोगत्वा**	आईएएल 2012-14 अंततोगत्वा	आईएएल 2006-08 अंततोगत्वा

25.2 सेवानिवृत्ति पश्च पेंशन योजनाओं के ब्यौरे

	वर्णन	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18
1.	**बाध्यता के प्रारंभिक और अंतिम अतिशेषों में समाधान**				
	क. वर्ष के प्रारंभ में बाध्यता	**14,840**	**12,363**	11,890	11,115
	ख. ब्याज लागत	**980**	**920**	874	813
	ग. बीमांकिक (अभिलाभ)/हानि	**351**	**2,085**	79	378
	घ. संदत्त फायदे	**(642)**	**(528)**	(480)	(416)
	ङ वर्ष के अंत में बाध्यताएं	**15,529**	**14,840**	12,363	11,890
2.	**योजना आस्तियों और बाध्यताओं के उचित मूल्य में समाधान**				
	क. बाध्यता का वर्तमान मूल्य	**15,529**	**14,840**	12,363	11,890
	ख. तुलन-पत्र आस्ति/(दायित्व) में मानी गई रकम	**(15,529)**	**(14,840)**	(12,363)	(11,890)

सेवानिवृत्ति पश्च पेंशन योजनाओं के ब्यौरे (जारी......)

(रुपए लाख में)

	वर्णन	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18
3.	**वर्ष के दौरान माने गए व्यय**				
	क. ब्याज लागत	**980**	**920**	874	813
	ख. बीमांकिक (अभिलाभ)/हानि	**351**	**2,085**	79	378
	ग. वर्ष के दौरान माने गए व्यय	**1,331**	**3,005**	953	1,191
4.	**पूर्वानुमान**				
	क. बट्टा दर (प्रतिवर्ष)	**6.76%**	**6.75%**	7.60%	7.50%
	ख. नश्वरता सूची	**एलआईसी 1996-98 अंततोगत्वा**	**एलआईसी 1996-98 अंततोगत्वा**	एलआईसी 1996-98 अंततोगत्वा	एलआईसी 1996-98 अंततोगत्वा

25.3 कर्मचारी फायदे (जारी....)

छुट्टी नकदीकरण के ब्यौरे

	वर्णन	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18
1.	**बाध्यता के प्रारंभिक और अंतिम अतिशेषों में समाधान**				
	क. वर्ष के प्रारंभ में बाध्यता	**5,535**	**5,104**	4,137	3,873
	ख. चालू सेवा लागत	**397**	**410**	221	182
	ग. ब्याज लागत	**366**	**374**	301	274
	घ. बीमांकिक (अभिलाभ)/हानि	**(434)**	**39**	851	188
	ङ संदत्त फायदे	**(226)**	**(392)**	(406)	(380)
	च. वर्ष के अंत में बाध्यताएं	**5,638**	**5,535**	5,104	4,137
2.	**योजना आस्तियों और बाध्यताओं के उचित मूल्य में समाधान**				
	क. बाध्यता का वर्तमान मूल्य	**5,638**	**5,535**	5,104	4,137
	ख. तुलन-पत्र आस्ति/(दायित्व) में मानी गई रकमे	**(5,638)**	**(5,535)**	(5,104)	(4,137)
3.	**वर्ष के दौरान माने गए व्यय**				
	क. चालू सेवा लागत	**397**	**410**	221	182
	ख. ब्याज लागत	**366**	**374**	301	274
	ग. बीमांकिक (अभिलाभ)/हानि	**(434)**	**39**	851	188
	घ. वर्ष के दौरान माने गए व्यय	**329**	**823**	1,373	644
4.	**पूर्वानुमान**				
	क. बट्टा दर (प्रतिवर्ष)	**6.75%**	**6.75%**	7.62%	7.65%
	ख. वेतन में वृद्धि की दर	**मूल / डीए 10%**	**मूल 3% : डीए 6%**	मूल 3% : डीए 6%	मूल 3% : डीए 6%
	ग. संनिघर्षण दर	**2%**	**2%**	2%	2%
	घ. नश्वरता सूची	**आईएएल 2012-14 अंततोगत्वा**	**आईएएल 2012-14 अंततोगत्वा**	आईएएल 2012-14 अंततोगत्वा	आईएएल 2006-08 अंततोगत्वा

26. खंड रिपोर्टिंग

संस्थान के प्रचालन "चार्टर्ड अकाउंटेंसी की वृत्ति के विनियमन" तक सीमित हैं और यह मुख्यत: भारत में प्रचालन करता है। अत:, इसके सभी प्रचालन, लेखांकन मानक (एएस) - 17 खंड रिपोर्टिंग के अर्थांतगर्त एकल खंड के अंतर्गत आते हैं।

27. पूर्व वर्ष के आंकड़ों को, जहां कहीं उन्हें चालू वर्ष के वर्गीकरण/प्रकटन के तत्समान बनाने के लिए, जहां कहीं आवश्यक है, पुन: समूहित/पुन: वर्गीकृत किया गया है।

ह./-	ह./-	ह./-	ह./-
सीए. सुदीप श्रीवास्तव	सीए. (डा.) जय कुमार बत्रा	सीए. (डा.) देबाशीष मित्रा	सीए. निहार एन जम्बुसरिया
संयुक्त सचिव	कार्यवाहक सचिव	उपाध्यक्ष	अध्यक्ष

हमारी सम तारीख की निर्दिष्ट रिपोर्ट में

कृते शाह गुप्ता एंड कं.
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म रजि. सं. 109574W

ह./-
सीए. राजीव बसंल
भागीदार, सदस्यता सं. 088598
नई दिल्ली, 20 सितंबर, 2021

कृते रवि राजन एंड कं. एलएलपी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म रजि. सं. 009073N/N500320

ह./-
सीए. दीपक गुप्ता
भागीदार, सदस्यता सं. 516002

ह./-
सीए. (डा.) जय कुमार बत्रा, कार्यवाहक सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./287/2021-22]